राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10] चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का तैंतीसवां दिवस [संख्या: 21

शुक्रवार,

9 मार्च 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। राम राम-सा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): जय राम जी की, सा।

श्री अध्यक्ष: जय राम जी की, सा।

एक माननीय सदस्य: जय भीम, सा।

श्री अध्यक्ष: जय भीम साहब, प्रश्नकाल। श्री दलीचन्द डांगी।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली में कालेज खुल गया, मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रश्न संख्या तो बोलो। संसदीय कार्य मंत्रीजी, इनको ट्रेनिंग तो दे दो। ढंग से ट्रेनिंग दे दो, सवा चार साल हो गये।

तारांकित प्रश्नोत्तर

मावली में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

347. **श्री दलीचन्द डांगी** (मावली): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार उपखण्ड मुख्यालय मावली में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्रीमती किरण माहेश्वरी): जी हां। वर्ष 2018-19 की बजट घोषणा में बिन्दु संख्या-103 के तहत उपखण्ड मावली जिला उदयपुर में

(उच्च शिक्षा मंत्री)

नवीन राजकीय महाविद्यालय खोलने जाने की घोषणा की गई है। बजट घोषणा की अनुपालना में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से मावली में नवीन राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मावली में महाविद्यालय खोलने पर घोषणा मुख्य मंत्री ने की है तो बहुत-बहुत बधाई, धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय मंत्री महोदय जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मावली की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। और पूरक प्रश्न नहीं पूछना? भंवरसिंह जी, यह मावली से सम्बन्धित है, आप क्या पूछेंगे वहां? (व्यवधान) नहीं, 'आक्या' जी, आप क्या पूछेंगे मावली से सम्बन्धित है तो?

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मावली में भी कॉलेज खोला है और बजट घोषणा में भी है हर एस.डी.एम. हैडक्वार्टर पर कॉलेज खोलेंगे तो जहां-जहां भी तहसील हैडक्वार्टर पर बाकी है, वहां भी खोलेंगे क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। आप विराजिए।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): मावली में जैसे खोला उसी तरह, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब देना चाह रहे हैं, एक मिनट देने दो न।

श्री अध्यक्ष: नो, नो, नो।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): मैडम, दो बार खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): एक बार देने दो।

श्री अध्यक्ष: नहीं।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): एक बार दे दो।

श्री अध्यक्ष: नहीं। अगला सवाल, श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): साहब, चित्तौड़ के नाते दे दो।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। मिस्टर, 'आक्या' बैठिये। इर्रिलेवेंट सवाल पूछते हो और फिर कहें जवाब, मैं जवाब नहीं देने दूंगा, इर्रिलेवेंट सवाल है। श्री हनुमान बेनीवाल।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में फीस का निर्धारण

348. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को फीस की राशि देने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड तय किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस निर्धारण करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड व नियम बनाये गये हैं?

(3) क्या सरकार निजी स्कूलों द्वारा की जा रही अनियमितता पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के खाते में फीस हस्तांतरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार आर.टी.ई. के तहत निजी स्कूलों को फीस की राशि देने के लिए मानदण्ड तय कर रखे हैं जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(2) के अनुसार निजी विद्यालयों को कमजोर या पिछड़े वर्ग के न्यूनतम 25 प्रतिशत बच्चों को प्रवेश देने के बदले सरकार द्वारा तय की गई राशि उपलब्ध कराई जाती है। परन्तु यह राशि सरकारी स्कूल में प्रति बालक व्यय की जा रही राशि से अधिक नहीं होगी। सरकार द्वारा प्रत्येक सत्र हेतु प्रति छात्र यूनिट कास्ट का निर्धारण किया जाता है। सत्र 2017-18 के लिए यूनिट कास्ट 13,754/- रुपये निर्धारित है।

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

(2) निजी विद्यालयों द्वारा ली जा रहीं फीस के विनियमन हेतु राजस्थान विद्यालय फीस का (विनियमन) अधिनियम, 2016 दिनांक 01.07.2016 से प्रभावी है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान विद्यालय फीस का (विनियमन) नियम, 2017 दिनांक 14.02.2017 से लागू किये गये। अधिनियम एवं नियम की प्रति परिशिष्ट-'ख" एवं "ग" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक। श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो शिक्षा के अधिकार के मामले में यहां अधिनियम राजस्थान की सरकार लेकर आयी थी और प्राइवेट विश्वविद्यालय और प्राइवेट जितने भी स्कूल हैं, इनकी फीस के मामले में मनमर्जी और वहां पर जो यह मनमर्जी से दादागीरी करते हैं, इनकी दादागीरी रोकने के लिए सरकार यह अधिनियम लायी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस अधिनियम को लाने के बाद आज भी हालात के अन्दर कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 135 देशों के संविधान में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जिसमें मुफ्त व भेदभाव रहित शिक्षा सबको देने का प्रावधान किया गया। हमारे प्रदेश में भी नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 व नियम 2011 के नियम 11 के अनुसार आर.टी.ई. के मापदण्ड तय कर रखते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां सारा कानून पास हो गया लेकिन उसके बाद भी आज राजस्थान के अन्दर हालात भयावह है और प्राइवेट स्कूलों के अन्दर लोगों से मनमर्जी से फीस वसूल की जाती है। साहब, मैं मेरे दो-तीन पूरक प्रश्न पूछ लेता हूं।

एक तो, मंत्रीजी, मुझे यह बताएं कि प्रदेश में ऐसी कितनी स्कूलें हैं जिन्होंने राजस्थान फीस का (विनियमन) अधिनियम, 2016 प्रभावी होने के बाद जहां फीस निर्धारण कमेटी का गठन हो गया व गठन होने के बाद कितनी बैठकें हो गयीं और कितने स्कूलों में आज भी इस एक्ट की पालना नहीं हुई? एक तो मेरा पहला सवाल यह है।

दूसरा साथ पूछूं या दुबारा पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: दुबारा पूछना। विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हां, दुबारा पूछ लूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर कुल प्राइवेट स्कूल लगभग 36 हजार हैं जिनमें से पी.टी.ए. का गठन, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन 24,691 स्कूलों में हो चुका है। इस फीस समिति का गठन 24,660 स्कूलों में हो गया। फीस का विनियमन हो चुके विद्यालयों की संख्या 24,612 और कक्षावार फीस, जो लोड हो चुकी है, वह है 23,025, बाकी ने अभी तक लोड नहीं किया, लगातार लोड करते जा रहे हैं।

मुझे उम्मीद है कि काफी अधिक संख्या में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसमें इस फीस अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों पर नियंत्रण किया जा रहा है और इस फीस के लिए हमारा जो फीस एक्ट है, उसको यदि आप विस्तार से पढ़ेंगे तो उसमें सारी समस्याओं का समाधान है।

हमने विद्यालय स्तर पर फीस कमेटी के गठन की बात कही। उस फीस कमेटी में 5 लोग पेरेंट्स के होंगे और वे 5 भी लाटरी के आधार पर प्रति वर्ष उसमें से चयन होगा और बाकी 5 मैनेजमेंट के और टीचर्स में से होंगे। यह 10 लोग मिलकर के इस फीस का तय करेंगे और यदि उस तय में कहीं आपस में सहमति नहीं आयी तो हमने डिवीजन कमिश्नर के लेवल पर समिति बना रखी है। डिवीजनल कमिश्नर उसका अध्यक्ष है, उसमें भी दो पेरेंट्स के प्रतिनिधि होंगे और दो मैनेजमेंट के होंगे। उसमें भी सहमति नहीं हुई तो राज्य सरकार के स्तर पर है।

इसलिए इस प्रकार का गठन जैसा मैंने कहा 24,660 स्कूलों में फीस समिति का गठन हो चुका है।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्री महोदय, एक तो मेरा निवेदन यह था कि आपने पेरेंट्स की, संभागीय आयुक्त के वहां भी कमेटी के अन्दर पेरेंट्स को लिया सब जगह तो कम से कम एम.एल.ए. और जनप्रतिनिधि हैं ये भी इसके अन्दर, जिस इलाके का विधायक है उनको आप इसके अन्दर लो। जिस तरह सैन्ट्रल स्कूल के एडमिशन के अन्दर एम.पी. की सीट होती है उस तरह विधायकों का इसके अन्दर एक तो मनोनयन हो।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

दूसरा, आपने जो बताया है, आज भी अभिभावक संघर्ष कर रहा है निजी स्कूल के खिलाफ। हम से कई लोग मिलते हैं कि, साहब, अभी भी ये मनमर्जी से करते हैं, हमें तो बाहर बैठा देते हैं या दस्तखत करवा देते हैं। सरकार का जो नुमाइंदा आता है वो लूटखसौट करके और जैसा सिस्टम इनका बना हुआ है, जो स्कूल मोटा माल दे देती है उसको तो आप यस कर देते हो और जो नहीं देती है उसकी आप यहां गा देते हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर दूसरा मेरा यह था कि यह स्कूल वाले क्या करते हैं, जैसे इनको 25 परसेंट मुफ्त में पढ़ाई करानी पड़ती है गरीब और इन बच्चों को, तो इन्होंने क्या दिया कि जैसे मान लो कहीं पर एक हजार एडमिशन लेने हैं तो इन्होंने ढाई-ढाई सौ के चार सैक्शन बना दिये अ, ब, स, द और ढाई सौ का 25 परसेंट ले लेंगे पहले सैक्शन 'अ' का और बाकी ब, स, द में एक भी नहीं लेंगे, सारे अपने हिसाब से लेंगे। तो कायदा तो यह होना चाहिए कि इनको सैक्शन नहीं बना कर अगर एक हजार स्ट्रैंथ है तो एक हजार का 25 परसेंट, मतलब ढाई सौ को करना चाहिए, इसके बदले ये ढाई सौ का 25 परसेंट लेकर और बाकी ब, स, द को अलग रख रहे हैं, और यह रिपोर्ट यहां पर देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि इसके अन्दर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर आप पूरी जांच करायें, निश्चित रूप से राजस्थान का अभिभावक भी इन प्राइवेट स्कूलों की दादागीरी से तंग है, प्राइवेट विश्वविद्यालयों की दादागीरी से भी राजस्थान के लोग तंग हैं। कहते हैं ये लोग इतनी गुंडागर्दी करते हैं, सरकार इनको जमीन भी मुफ्त देती है, सारी सुविधाएं देती है उसके बावजूद ये झूठे आंकड़े अधिकारियों से मिलकर आप तक ले आते हैं।

मंत्री जी, मैं तो आपसे एक बार मिला था, आपको ध्यान भी होगा। मैंने कहा कि सेंट जेवियर के अन्दर एडमिशन करा दो, आपने कहा, मेरा तो फोन ही नहीं उठाता, आपका तो फिर भी मान जाएगा। मतलब ये हालात हैं राजस्थान के अन्दर कि मंत्री का ये जो मिशनरीज स्कूल वाले हैं ये टेलीफोन तक नहीं उठाते हैं। चलो फिर मैंने तो मेरी स्टाइल से करा लिया था एडमिशन। सुनो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैंने नहीं कहा कि मेरा फोन नहीं उठाता है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने कहा था।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अब आप उसको यदि अपनी ओर से मनमाने ढंग से कोई वाक्य कहो तो, अध्यक्ष महोदय, इस तरह का तो इसमें नहीं आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं मिला था आपसे।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिए, आप सवाल कीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): सवाल पूछो, जवाब मिलेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी मजबूरी बता रहा था। इन्होंने कहा कि मेरा फोन नहीं उठाता, आप अपनी स्टाइल से कराओ। मैंने मेरी स्टाइल से करा लिया।

श्री अध्यक्ष: आप सवाल कीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): करा लिया था मैंने।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सदन जानना चाहता है आपकी स्टाइल कौनसी है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वो आपने कई बार देखी है न यहां ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने एडमिशन करा लिया, आपकी स्टाइल कौनसी है वह? नहीं, बताओ न।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष: दोनों आपस में एक-दूसरे को जानते हो, इसलिए बोलो मत ज्यादा, आप सवाल करो।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): दोनों दोस्त हैं ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक तो यह हो गया मंत्रीजी, आपने जो मैंने मेरा सैकिण्ड पूरक बताया था कि अलग सैक्शंस के अंदर, एक सैक्शन में 25 परसेंट देकर इतिश्री कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि पूरा जो सिस्टम है, उसमें 25 परसेंट आरक्षण मिले और दूसरा,...

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और दूसरा, एक साहब, मंत्रीजी, यह था कि आरटीई के अंतर्गत किताबें मुफ्त में देने का प्रावधान है और प्रत्येक

(श्री हनुमान बेनीवाल)

स्कूल का अपना कोर्स व किताबें होती हैं, इसलिए मंत्रीजी, क्या सरकार ऐसा प्रावधान बनाने की मंशा रखती है, जिसमें अभिभावक सरकार द्वारा जारी पत्र पर यह लिखकर दे सकें कि हमें किताबें मिलीं या नहीं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ऐसा भी आप करें, तो इसमें हम यह चाहते हैं कि ढांचा सुधरे, गरीब आदमी को मुफ्त शिक्षा मिले, गरीब किसान के बच्चों को मुफ्त व अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले। हमारी मंशा इसके प्रति यही है मंत्रीजी। आप निश्चित रूप से जो जवाब लिखकर लाए हो, वह तो अधिकारियों ने आपको दिया होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): लिखकर नहीं लाया हूं, मैंने नियम बनाया है।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर हनुमान बेनीवाल, सवाल पूछो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैंने पूछ लिया साहब।

श्री अध्यक्ष: बस तो आप बैठिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 2 प्रश्न इन्होंने उठाए, यह राजस्थान सारे भारत का पहला राज्य है, जिसमें 25 परसेंट से अधिक, जो 25 परसेंट बालकों को नि:शुल्क है, राजस्थान में सबसे अधिक संख्या है। लगभग साढ़े 6 लाख बच्चों को एक दुर्बल और असुविधाग्रस्त समूह में हम लोग शिक्षा दे रहे हैं और बाकी राज्यों में तो इस प्रकार की व्यवस्था अभी कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पर नहीं है। राजस्थान ने इस प्रकार की व्यवस्था की है और नियम में है कि जो लोएस्ट क्लास होगी, उसके 25 परसेंट बच्चों को उनको देना पड़ेगा। कहीं से कभी कोई शिकायत आई है तो हमने जांच भी करवाई है और अगर आपके पास भी कोई शिकायत हो तो आप भेज दें, मैं उसकी निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा, नंबर दो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): इनकी खुद की भी जांच कराओ।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): और हमेशा जो पुनर्भरण है, उसमें भी राजस्थान नंबर वन है। 2016-17 में राजस्थान में 264 करोड़ 29 लाख का पुनर्भरण किया है, जो सब राज्यों से अधिक है। दूसरा, आपने

(श्री वासुदेव देवनानी)

पुस्तकों का कहा, हमने एक सर्कूलर निकाला है। यह सर्कूलर 2016 में निकाला था, जो 24.07.2017 का है, जिसमें हमने स्कूलों को पाबंद किया है कि अपने यहां पाठ्य-पुस्तकें राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार, पुस्तकें तो अलग लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी कहा है कि स्कूल खुलने के 1 महीने पहले तक व अपने नोटिस बोर्ड पर उस पुस्तक का नाम, प्रकाशक का नाम, मूल्य, ये वहां पर लगाएंगे और वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

नंबर-3, वह पुस्तक कम से कम तीन दुकानों पर उपलब्ध होनी चाहिए तथा उन पाठ्य-पुस्तकों की विद्यालय परिसर के अंदर बिक्री नहीं की जाएगी। नंबर-4, किसी छात्र को पासबुक या कुंजी खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और नंबर-5, वहां पर टाई और जो ड्रैस है, वह भी कम से कम 5 साल तक वही रखेंगे और बार-बार परिवर्तित करके बच्चों को परेशान नहीं करेंगे। इसके लिए हमने सारे डायरक्शंस दे दिए हैं और उसकी कहीं अवहेलना हो रही हो तो आप बताएं, निश्चित रूप से उसकी जांच करेंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक सैकिण्ड अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री निर्मल कुमावत।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड पूछ लूं क्या?

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपका जवाब आ गया, खतम है ये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक छोटा-सा, सिर्फ एक छोटा-सा।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, नहीं, आप जानते हो, क्या आप व्यवस्था जानते हो?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो आपका कहना मानता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, हनुमान बेनीवाल,

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक सैकिण्ड मंत्रीजी से यह पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष: वे जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जवाब मत दो, चाहे। जवाब मत दो, मैं पूछ ही लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, नहीं देंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अभी भी स्कूल वाले आपके यहां चक्कर लगा रहे हैं। 264 करोड़ रुपए...

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय, जवाब देने की आवश्यकता नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नो, बिलकुल नहीं। जवाब देने की आवश्यकता नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 264 करोड़ रुपए आप देने की बात कर रहे हो, कई स्कूल पुनर्भरण के लिए आपके यहां...

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जवाब नहीं आएगा, बैठ जाइए आप। हनुमान बेनीवाल, बैठ जाइए, जवाब नहीं आएगा। निर्मल कुमावत। मैंने निर्मल कुमावत को पुकारा है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने अपनी बात बताई...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आप गुस्से में अच्छे नहीं लगते साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं बिलकुल नहीं। गुस्सा नहीं है, आपका चांस हो गया, 2 पूरक प्रश्न उठा लिए, अब मैं आपसे कह रहा हूं, बैठ जाइए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तीनों करवा दो, क्या हो जाएगा साहब।

श्री अध्यक्ष: कृपया बैठिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, आपने अभी बात बताई जो सर्विस के नाम पर या ड्रैस के नाम पर, पुस्तकों के नाम पर मनमर्जी करते हैं स्कूल, यह भविष्य में नहीं करेंगे, इसके लिए क्या कदम उठाए हैं आपने और क्या उठाने वाले हैं। दूसरा मेरा निवेदन है, एक छोटा-सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि कोई अभिभावक धरना-प्रदर्शन करेंगे या शिकायत करेंगे या अख़बार में आएगी या लिखित में आएगा, क्या तभी विभाग उसकी जांच करेगा या अपने आप भी रिव्यू करने का हमारे पास कोई सिस्टम है कि स्कूल अपने स्तर पर सर्विस का पैसा ज्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं?

आज किसी भी विभाग में कोई टेण्डर होता है किसी विभाग में तो बीएसआर रेट फिक्स होती है, तो क्या इस प्रकार से कोई मैकेनिज्म बनाना चाहती है सरकार, यह बताएं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): हमने जब फीस एक्ट बनाया, उसमें दस लोगों की समिति विद्यालय स्तर पर तय की। वे अपने स्तर पर तय कर लें, यदि अभिभावक जो लाटरी से निकाले गए हैं, वे सहमत हैं और मैनेजमेंट सहमत है तो सरकार के हस्तक्षेप की उसमें कोई आवश्यकता नहीं रहती। यदि आपस में असहमति आती है तो डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में समिति बना रखी है, उसमें दो पेरेंट्स के भी प्रतिनिधि हैं। उस पर भी सहमति नहीं होती तो फिर सरकार के पास वे आएंगे, उसमें भी उनके प्रतिनिधि हैं।

इस प्रकार की कोई लिमिट तय नहीं है, क्योंकि हर स्कूल की अलग विशेषताएं होती हैं, अलग-अलग आवश्यकताएं होती हैं, फिर लिखित में यदि कोई शिकायत आएगी तो नियमानुसार विधि-सम्मत सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी। ओवर हियरिंग में तो नहीं हो सकती, किसी ने कुछ अख़बार में छाप दिया, उस पर भी हम देखते हैं, लेकिन अभिभावक की शिकायत आने पर जांच करेंगे और यदि कोई समाचार-पत्र या मीडिया में आता है, उसका भी संज्ञान लेकर के हम लोग जांच करवाते हैं और अभी तक शिकायतें इस बार नहीं आई हैं।

यदि आपके पास भी कोई शिकायत हो, वह भी सादर आमंत्रित है, हम उसका भी समाधान करेंगे। फीस जहां तक तय है, वह असुविधा ग्रुप और जो आरटीई है, उसका एक फार्मूला है कि टोटल हमारा खर्चा कितना और अपने प्राइमरी सैक्शन के अंदर कक्षा 1 से 8वीं तक विद्यार्थी कितने आए, उससे हम डिवाइड करके per विद्यार्थी उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं और मुझे सदन में कहते हुए खुशी है, जब आज से तीन वर्ष पहले तक 17 हजार यूनिट कॉस्ट आती थी, अब जो नामांकन बढ़ा है, उसके बाद अब जाकर के 13700 कॉस्ट आई है, इसका मतलब प्राइमरी शिक्षा में सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पूरक प्रश्न श्री अजीत सिंह।

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आरटीई के तहत जो 25 परसेंट गरीब बच्चों को लेने का प्रावधान है तो जो मिशनरी स्कूल राजस्थान में चलते हैं, उनको इस दायरे से क्यों बाहर रखा गया है, एक तो मेरा यह सवाल है

(श्री अजीत सिंह)

आपसे। दूसरा, जो फीस निर्धारण की आपने समिति बनाई है, अभिभावक 5 होंगे, 3 अध्यापक होंगे, संस्था के 2 व्यक्ति होंगे, उसके बावजूद भी क्यों राजस्थान के अंदर प्राइवेट विद्यालय वाले लाखों रुपए प्राइमरी, मिडिल सैक्शन के बच्चों से लेते हैं? मेरा एक निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिए, सवाल कीजिए।

श्री अजीत सिंह (टोंक): हम विद्यालय का स्ट्रक्चर देखकर, उसकी बिल्डिंग, उसके संसाधन देखकर, उसकी फीस क्यों तय नहीं कर सकते, इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैंने बताया कि जो मिशनरी स्कूलों का इन्होंने कहा, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार उनको अलग रखा गया है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। तीसरा पूरक प्रश्न, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो बातें महत्त्वपूर्ण हैं...

श्री अध्यक्ष: सवाल करो, सवाल, भाषण नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सवाल ही पूछ रहा हूं। दो ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो आरटीई का मामला है और एक फीस निर्धारण का मामला है। दोनों पर आपने जो जवाब दिया, फीस निर्धारण में आपका कानून लागू हो गया था 14.02.2017 को, उसके बाद में प्रदेश के कितने निजी विद्यालयों ने फीस निर्धारण करके सरकार को सूचित किया कि हमने यह-यह फीस निर्धारित की है, एक तो वह संख्या। आप वह आंकड़ा बता रहे हैं न 26000, वह नहीं चाहिए हमें। फीस निर्धारित करके कमेटी की मीटिंग करके कि साहब हमने यह-यह फीस निर्धारित की है।

दूसरा, जो आरटीई के अंतर्गत जिस प्रकार से चयन होता है, कल-परसों में आपके ही हवाले से समाचार-पत्रों में आया था कि अगर फीस निर्धारण नहीं किया गया तो उन स्कूलों को हम आरटीई में शामिल नहीं करेंगे, माननीय मंत्री महोदय, यह आपको इसलिए करना पड़ा कि फीस निर्धारित नहीं कर रहे हैं निजी स्कूल। वे अपनी मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इनके विरुद्ध जो-जो शिकायतें आ रही हैं, उनका भी आप किस तरीके से निस्तारण करेंगे, कितनी शिकायतें आज तक प्राप्त हुईं और आरटीई के अंतर्गत कितने विद्यालयों को आपको अभी भी भुगतान नहीं किया गया आपके द्वारा, यह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्योंकि छात्रों से आरटीई के तहत उनसे भी पैसे ले लेते हैं और आपसे भी ले लेते हैं।

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछिए, सवाल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दूसरा, जो विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं निजी विद्यालय, आरटीई के तहत उनको फिर भुगतान नहीं होता है तो अब तक कितना भुगतान बकाया है सरकार की तरफ से उन आरटीई के तहत दिए जाने वाले प्रवेश के विद्यालयों को, वह बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। बहुत लंबा-चौड़ा सवाल कर लिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी सक्षम हैं, साहब।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पूर्ण रूप से सक्षम हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): इसमें जो इन्होंने पहला मुद्दा उठाया, उसमें मैंने कहा कि विद्यालय स्तरीय फीस समिति का गठन, ये 24660 स्कूलों का हो चुका, नंबर वन। इसके फीस के विनियमन हो चुके विद्यालयों की जो है फीस तय हो गई। पहले तो फीस कमेटी बनेगी, फिर फीस तय होगी, तय भी हुए 24612, 24660 में से 24612 में फीस तय हो गई।

फिर इन्होंने जो प्रविष्ट किया, उस पर लोड किया वह 23025 किया। यह प्रोसेस लगातार जारी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, एक महीने के अन्दर यह सब हो जाएगा। जिन स्कूलों ने नहीं किया उनको भी परश्यू किया। निश्चित रूप से जब फीस समिति एक्ट बना, इसके लिए हमें भी लगा कि आरटीई के अन्दर सम्मिलित हो जाएं तो सरकारी निर्देशों का पालन होना चाहिए इसलिए हमने कहा कि इस बार आरटीई में उन्हीं को सम्मिलित करेंगे जो यह फीस निर्धारण करके हमको सूची देंगे। अभी तक 23025 का, यह दो-तीन दिन पुराना है, उसके अन्दर हो चुका और मुझे लगता है कि यह हो

(श्री वासुदेव देवनानी)

जाएगा। पिछली बार भी 26 हजार के लगभग इसमें प्रविष्टियां आई थीं जिन स्कूलों का आरटीई के नियमों के तहत सलेक्शन हुआ और जिनमें बच्चे सलैक्ट हुए तो निश्चित रूप से बाकी 2-3 हजार जो हैं, ये भी डाल देंगे इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा आपने क्या पूछा?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आरटीई के तहत कितना पेमेंट अभी भी बकाया है? जिन स्कूलों ने बच्चों को विद्यालय में अध्ययन करा दिया लेकिन आपके पास डिमांड है और अभी तक भी सरकार उनको भुगतान नहीं कर रही है ऐसी कितनी राशि है?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): 2016-17 में टोटल स्कूलों में जो प्रविष्टियां हुई थीं वह हुई थीं 25662, उसमें से 24387 स्कूलों का पुनर्भरण हो गया और लगभग 1300 स्कूलों का बाकी है। उनमें भी हमारी ओर से बाकी नहीं है, हमने तो वहां पर अपनी समिति भेज दी है। आपने जो बीच में चैक रखने की बात कही कि गड़बड़ी भी कई बार आती है, तो चैक यह रखते हैं कि वो शुरू में 25 परसेंट को अपने प्रवेश दे देते हैं और 75 परसेंट उनके बच्चे नहीं होते हैं इसलिए वहां पर हमारा इंस्पैक्शन होता है और 75 परसेंट उनके होने पर ही हम 25 परसेंट का भुगतान करेंगे। उन 1300 का इंस्पैक्शन चल रहा है और इंस्पैक्शन करने के बाद उनको नोटिस भी दिया है इसलिए किसी का भी 2016-17 का नियमानुसार जिनका होना चाहिए था, उनका बकाया नहीं है। इन 1300 की जांच होगी और जांच के आधार पर सही पाये जाएंगे तो हम करेंगे। हमने इस बार 1719 स्कूलों की जांच करवाई और 1719 की रिपोर्ट आ गई। 1642 को हम पेमेंट कर चुके, 53 स्कूलों की मान्यता वापसी की कार्यवाही के लिए हमने उनको नोटिस दिया है, पुलिस रिपोर्ट 18 स्कूलों की दर्ज करवाई है और 249 स्कूलों में जो हमारे सत्यापन दल के प्रतिनिधियों की शिकायत आई थी उन सत्यापन दल के विरुद्ध भी हमने कार्यवाही शुरू की है।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री बनवारी लाल सिंघल। नो-नो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, 2016-17 के भी 1300 स्कूल हैं आपके जिनका आपने अभी तक निस्तारण नहीं किया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो-नो मिस्टर डोटासरा। श्री बनवारी लाल सिंघल। बैठिये, जवाब देने की जरूरत नहीं है। श्री बनवारी लाल सिंघल।

सामान्य चिकित्सालय अलवर में न्यूरो विशेषज्ञ चिकित्सक का पदस्थापन

349. **श्री बनवारीलाल सिंघल** (अलवर शहर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में वर्तमान में न्यूरो स्पेशलिस्ट (न्यूरोसर्जन एवं न्यूरोफिजीशियन) की चिकित्सा सुविधा स्थाई रूप से उपलब्ध नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त जिले की दैनिक ओपीडी को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जिले के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में न्यूरो स्पेशलिस्ट (न्यूरो सर्जन एवं न्यूरो फिजिशियन) की चिकित्सा सुविधा स्थाई रूप से उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री कालीचरण सराफ): (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, जी हां। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, अलवर में वर्तमान में न्यूरो सर्जन एवं न्यूरो फिजिशियन के पद स्वीकृत नहीं हैं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में राज्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन संचालित किसी भी जिला चिकित्सालय में न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन का पद स्वीकृत नहीं है। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय, अलवर में उक्त पद स्वीकृत करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन के स्थायी रूप से कोई पद आपने सृजित नहीं कर रखे, यह तो राज्य सरकार का ही काम है, कोई भगवान श्रीराम तो पद सृजित करेंगे नहीं। तो क्यों नहीं राज्य सरकार इन पदों का सृजित करने का काम करे। क्योंकि अलवर जिले का सामान्य चिकित्सालय कम से कम तीन स्टेट और अलवर के अलावा 5-6 जिलों को सेवा देता है और बहुत ज्यादा वहां पर न्यूरो सर्जरी और न्यूरो फिजिशियन डाक्टर्स के पेशेंट हैं, तो आप कब तक इनको उपलब्ध कराने का विचार रखते हैं?

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

दूसरी बात, इसी में मेरी यह है कि अलवर का सामान्य चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय और शिशु चिकित्सालय, ये राजस्थान में एसएमएस हास्पिटल के बाद सबसे बड़े ओपीडी और इनडोर वाले अस्पताल हैं। इनमें अभी फिजिशियंस और महिला डाक्टर्स की बेहद कमी है जिसके कारण से आये दिन रात्रिकालीन ड्यूटी होने और लोड बहुत रहने से उनमें असंतोष भी व्याप्त रहता है तथा कुछ डाक्टर्स की छुट्टी पर जाने से स्थिति गड़बड़ाती है तो आप कब तक फिजिशियन और महिला चिकित्सकों की नियुक्ति कर देंगे? इन दोनों बातों को बतायें उसके बाद दूसरा फिर पूछता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न इन्होंने पूछा कि जिला चिकित्सालयों में न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन के पद सृजित क्यों नहीं हैं, मैं आपको बता दूं कि अभी जिस प्रकार से डॉक्टर्स की कमी हैं उनमें हमारे जो मेडिकल कॉलेजेज हैं वहीं अभी न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन के पद पूरे नहीं हैं इसलिए अभी तो यह सम्भव नहीं है।

दूसरा, इन्होंने पूछा कि सीनियर स्पेशलिस्ट नहीं है तो इनके यहां 110 पोस्ट सैंक्शन हैं उनमें से 86 पद भरे हुए हैं, 24 पद रिक्त हैं और इनको जल्दी ही भरने के प्रयास किए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा बजट में मेडिकल कॉलेजेज की घोषणा की गई है उनमें से अलवर के मेडिकल कॉलेज का झगड़ा पिछले लम्बे समय से चल रहा है। एक ईएसआई मेडिकल कॉलेज हमारे एमआईए में बना हुआ है जिसकी दूरी अलवर से कम से कम 16-17 किलोमीटर है। बार-बार समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात होता है और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक तो माननीय मंत्रीजी को यह कहना चाहता हूं कि इस ईएसआई मेडिकल कालेज में बीमार का इलाज होगा तो वो ईएसआई के अण्डर ही होना चाहिए और सामान्य मरीज को अगर वहां इलाज कराना है तो उसके लिए कोई सैक्शन 38 (ए) है या दूसरा कोई ऐसा सैक्शन है जिसके तहत पहले तो

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

इलाज के अनुमति लेनी पड़ेगी और यदि किसी क्रिटिकल डिजीज का क्रिटिकल पेशेंट है तो उसका तो इतने दिन में वैसे ही काम हो जाएगा अगर वो अनुमति लेने जाएगा तो। इसलिए ईएसआई मेडिकल कालेज बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है कि इसको मेडिकल कालेज के स्थान पर काम में लिया जाए। राजस्थान सरकार को मेडिकल कालेज के लिए जेल परिसर में भूमि का आबंटन हो चुका है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि चूंकि बजट घोषणा है और आमजन इस मेडिकल कालेज का जल्दी से जल्दी निर्माण चाहता है तो राज्य सरकार कब तक इस मेडिकल कालेज का निर्माण करवाकर अलवर के लोगों को, अलवर जिले के लोगों को यह सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के बारे में तो सवाल किया और फिर आप इसको घुमा-फिराकर कहां ले गये? बैठिये। नहीं, नहीं, बैठिये। श्रीमती शकुंतला रावत। यह अलवर से सम्बन्धित है और इसी सम्बन्ध में पूछना।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अलवर जिला है मेरा साहब।

श्री अध्यक्ष: इसीलिए तो मैंने अलाउ किया है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): धन्यवाद। केवल अलवर का, टेंशन मत करो।

श्री अध्यक्ष: राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): बिल्कुल साहब, राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के तहत ही वर्तमान में अभी मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि न्यूरो स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन के पद सृजित नहीं हैं। अभी चार पोस्टें जो जनाना हास्पिटल है उसमें सृजित हैं मेडिसिन, सर्जन और गायनिक की तो उनको आप कब तक लगा देंगे? अलवर जिले का जो अस्पताल है यह जिला हैडक्वार्टर पर है और जिन तहसीलों में गायनिक, महिला चिकित्सक नहीं हैं वो भी यहीं पर आते हैं इसलिए ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी जो मदर्स मिल्क बैंक शुरू किया है उसमें स्टाफ की कमी है। 15 स्टाफ की मांग के लिए भिजवा भी रखा है और दो कम्प्यूटराइज्ड रेडियोलोजी मशीनों की मांग कर रखी है जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर नहीं है। (व्यवधान) मांग कर रखी है इसलिए अध्यक्ष महोदय, कब तक कर देंगे? मेडिकल कालेज को शुरू करेंगे ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। नहीं, नहीं, शकुन्तला जी, बैठिये। आप बैठिये, आप बहुत आगे बढ़ गईं घुमा-फिराकर। (व्यवधान) बैठिये, बेकार की बात कर रहे हैं। मैं अलाउ करता हूं इसका मतलब यह थोड़े ही है। नो, बैठिये।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि यह बात सही है कि अभी पद खाली हैं और शीघ्र पदों को भरने की कार्यवाही की जाएगी। पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से, पीजी सर्टिफिकेट कोर्स फोर स्पेशलाइजेशन कोर्स पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासम्भव शीघ्र भरने की कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): चार साल में सदन में तो कह दिया और आज तक भरे नहीं तो अब कब भरेंगे? कह रहे हैं कि हम आपके लगा देंगे डेढ़-दो महीने में और फिर भी नहीं लगाये। सदन में आपके माध्यम से अपने विवेक और धैर्य से काम ले रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न। डोंट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब, बैठ जाइये। श्री ज्ञानदेव आहूजा। (व्यवधान) आदत ही खराब पड़ी हुई है इनको बुलाओ क्या।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि अलवर जिले में गायनिक की बीमारी के विशेष इलाज के लिए महिला चिकित्सकों का....

श्री अध्यक्ष: राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के बारे में पूछिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अपने क्षेत्र की बात करूं।

श्री अध्यक्ष: पूरे क्षेत्र की नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): तो फिर ऐसा है साहब कि न्यूरो सर्जन अलवर में इसलिए जरूरी है कि अलवर में पागल कुछ ज्यादा हैं तो उनका इलाज चाहिए इसलिए न्यूरो सर्जन जरूरी है। मेरा इसलिए यह कहना है कि न्यूरो सर्जन को लगाया जाए। मैं अलवर शहर के माननीय सदस्य बनवारी लाल जी सिंघल का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि न्यूरो सर्जन को जरूर लगायें क्योंकि अलवर में पागल कुछ ज्यादा हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कोई विशेष गणना करके अलवर जिले में पागलों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की संख्या के बारे में बात की है...(व्यवधान) ये उस कमेटी के सदस्य थे.... (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये पूरे अलवर जिले का बता रहे हैं कि अलवर में ज्यादा हैं, आपको चुनाव हरा दिया इसका मतलब जनता पागल थोड़े ही हो गई?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको क्या मालूम कि अलवर जिले में पागल ज्यादा हैं? आपको क्या मालूम कि अलवर जिले में पागल ज्यादा हैं, आपने गणना कब की थी? आपने यह कह कर पूरे जिले का अपमान कर दिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ऐसा है, इसमें जिले का अपमान नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये अलवर की जनता को पागल बता रहे हैं यह ठीक नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): जो मंत्री महोदय हैं वो उत्तर दें। संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप बार-बार मेरे प्रश्नों पर तो हस्तक्षेप मत किया करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह पागलों का सरदार कौन है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह जिले का अपमान नहीं है। जो वस्तुस्थिति है, वह मैंने बताई है।

श्री अध्यक्ष: घनश्यामजी, आप भी कुछ बोल रहे थे? आप भी कुछ बोल रहे थे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह बोलना चाह रहा था... मैं यह कह रहा था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भेजा काटकर देखने वाले होते हैं, न्यूरो सर्जन मतलब सर्जरी करने वाला, और अब ये कह रहे हैं पागल ज्यादा हैं। मैं समझता हूं, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, आप कुछ बता सकते हैं।

एक माननीय सदस्य: न्यूरो सर्जन पागलों का इलाज नहीं करता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह पागलों की गणना कहां से हुई और आप अंगुली किस तरफ कर रहे थे? पागल ज्यादा है यूं करके। आपने देखा होगा, आपने यूं अंगुली की है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप बार-बार क्यों दोहराना चाहते हैं इस बात को।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं यह कह रहा था माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, जिनका काम उन्हीं को साजे, और करे तो घंटी नहीं, घंटा बाजे। इसलिए चिकित्सा मंत्री को उत्तर देने दीजिये। कृपा करिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घंटा कहां से आ गया। (व्यवधान) यह घंटा कहां से आ गया। यह और ही बड़ी बात हो गई। मैंने घंटी सुनी है, यह घंटा कहां से आ गया। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह यूं चलाता है, घंटा बजाओ। आप कृपा करके घंटा मत बजायें। चिकित्सा मंत्री जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): देखिये माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि पागल ज्यादा हैं इसलिए न्यूरो सर्जन की आवश्यकता है तो पागलों में न्यूरो सर्जन का क्या लेना-देना है? (व्यवधान) ऐसा नहीं है और जहां तक जैसा मैंने कहा...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। घनश्यामजी, कुछ पूछ रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्री महोदय, मंत्री महोदय, इसीलिए तो पागल ज्यादा हैं कि न्यूरो सर्जन पागल के लिए जरूरी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। पूरा कर लिया आपने?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, मैंने जैसा पहले कहा कि अभी हमारे पास मेडिकल कालेजेज में ही न्यूरो सर्जन और न्यूरो फिजिशियन्स के पद पर्याप्त मात्रा में भी जितने होने चाहिए, उतने नहीं हैं तो जिला चिकित्सालयों में अभी लगाने का कोई विचार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या" सवाल करेंगे? (व्यवधान) नो, आप बैठिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। नहीं, आपने पहले नहीं। श्री चन्द्रभान सिंह "आक्या"।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): पहले मैं हूं साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): हमारे जिले का है साहब। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): मेरे भाई को पूछ लेने दो साहब।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हमारा मेडिकल कॉलेज कब चालू करेंगे? (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय बतायें कि हमारा अलवर का मेडिकल कॉलेज कब प्रारम्भ करेंगे?

श्री अध्यक्ष: जवाब देने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, श्री हीरालाल निवाई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जवाब जानते भी नहीं। देंगे क्या।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको क्या सपना आया? आपको सपना आया क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजो विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बता दो कि पागलों का कौनसा डाक्टर होता है। बता दो आप।

श्री अध्यक्ष: नहीं, डोटासरा, प्लीज। प्लीज।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप तो यह बताइये, आपको सपना आता है क्या? दिन में भी सपना आता है क्या?

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा मंत्रीजी, विराजिए। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): +++ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सेठी कालोनी में चलिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चिकित्सा मंत्रीजी, आप विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इनको पता नहीं रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पागलों के बारे में कहा, पर आपको निश्चित रूप से पागलपन का दौरा पड़ता होगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्री हीरालाल।

जयपुर की मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की सचिवालय नगर योजना का नियमन

350. **श्री हीरालाल** (निवाई): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की सचिवालय नगर योजना व सचिवालय नगर विस्तार योजना का नियमन का प्रकरण सरकार में विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की उक्त योजनाओं में भारी अनियमितताओं के कारण सरकार द्वारा प्रशासक नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो प्रशासक नियुक्त किये जाने के बाद किन-किन अधिकारियों को अब तक उक्त पद पर कब-कब नियुक्त किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रशासकों द्वारा इस योजना के पट्टे जारी करने व योजना के नियमन में भारी भ्रष्टाचार व अनियमितताएं की गई हैं? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजनाओं के अब तक नियमन नहीं किये जाने के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) गत पांच वर्षों में उक्त योजना के नियमन हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये और अब कब तक उक्त योजना का नियमन कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अजय सिंह): (1) मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सचिवालय नगर का नियमन जयपुर विकास प्राधिकरण में विचाराधीन है। समिति द्वारा मूलतः अपना रिकार्ड 29.09.1999 को जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में प्रस्तुत किया गया था, जिसके आधार पर योजना के एक भाग का नियमन कैम्प दिनांक 2.5.2003 से 9.5.2003 तक आयोजित किया गया। शेष भूखण्डधारियों की समस्याओं हेतु गठित कमेटी के बैठक कार्यवाही विवरण की अनुपालना में दिनांक 22.1.2004 व 17.5.2004 को शेष रिकार्ड प्रस्तुत किया गया, तभी से नियमन की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में विचाराधीन है।

उक्त समिति की सचिवालय नगर विस्तार नाम से कोई योजना नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में समिति में समापक नियुक्त है। मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति के प्रशासकों की सूची परिशिष्ट-एक पर व अवसायकों की सूची परिशिष्ट-दो पर संलग्न है।

(3) तत्कालीन प्रशासक/अवसायक श्री सुनील कुमार, उप रजिस्ट्रार को राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किया गया है तथा वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही कार्मिक विभाग से विचाराधीन है।

(4) योजना के नियमन की कार्यवाही विभिन्न न्यायालयों में लम्बित लगभग 25 न्यायिक प्रकरणों के निस्तारण पर सम्भव हो सकेगी। तत्कालीन प्रशासक/अवसायक श्री सुनील कुमार को राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किया गया है तथा वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है।

(5) प्रशासक/समापक द्वारा भूमि की जेडीए से 90-बी की कार्यवाही करवाई गई, जिसे संभागीय आयुक्त द्वारा रद्द किया गया। उक्त 90-बी की कार्यवाही को पुनः बहाल करने हेतु समापक द्वारा की गई कार्यवाही के फलस्वरूप माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में विचाराधीन एल.आर. 1997/2015 तथा 2001/2015 आंशिक रूप से समिति के पक्ष में निर्धारित हुई है। राजस्व मण्डल द्वारा छह बिन्दु निर्धारित कर संभागीय आयुक्त को विनिश्चय हेतु प्रतिप्रेषित किया गया, जो संभागीय आयुक्त, जयपुर के

(सहकारिता मंत्री)

न्यायालय में अपील संख्या 451/2016 व 452/2016 पर विचाराधीन है। इस प्रकरण सहित लगभग 25 न्यायिक प्रकरणों के निस्तारण पश्चात् ही आगामी नियमन की कार्यवाही सम्भव हो पायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सचिवालय नगर का नियमन आपने 2004 से बताया है, यह आज तक नियमन नहीं हुआ, यह कब तक नियमन हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 1992 में एक एमओयू हुआ था राजस्थान सचिवालय कर्मचारी संघ एवं मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति के बीच में कि सचिवालय नगर आवासीय योजना सृजित की जाएगी। इस योजना के जो ग्राम थे, वे सीतापुरा, लक्ष्मीपुरा, आसावाला, श्रीराम की नांगल और इन्द्रपुरी थे। उसके बाद में इसके कर्मचारियों ने तय किया कि 100 बीघा भूमि पर ये पट्टे काटे जाएंगे और इसकी कीमत रखी गई, 111 रुपये प्रति वर्गगज की कीमत के आधार पर भूखण्डों का आबंटन करना तय किया गया। उसके बाद में धनराशि कम एकत्रित हुई और इसके कारण से गैर कर्मचारियों को भी 1992 में सम्मिलित कर लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1998 में समिति के विरुद्ध कई अनियमितताओं की शिकायतें हुईं, जैसे कि आडिट नहीं कराना, निरीक्षण नहीं कराना। उसके बाद में 1998 में जो तत्कालीन डी.आर. जयपुर थे श्री सुरेश चारण, उनको प्रशासक लगाया गया और उसके बाद 2009 में समिति की वापस जब शिकायतें मिलीं तो 2009 में समिति में अवसायन हेतु समापक लगाया गया कि इसको अवसायन में लाया जाए।

मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि आपने कहा कि अभी तक क्यों नहीं इसकी कार्यवाही हो पा रही है? इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2005 और 2007 में जेडीए द्वारा 90-बी की कार्यवाही कर ली गई और कार्यवाही करने के बाद में इसके भूखण्डों का आबंटन किया जाना चाहिए था। जो भी अधिकारी, जो भी वहां पर समापक थे उस समय, उसके बाद में

(श्री अजय सिंह)

24.6.2014 को न्यायालय, संभागीय आयुक्त, जयपुर के द्वारा उस 90-बी को निरस्त कर दिया गया और निरस्त करने के बाद में हमने प्रयास किया। उसकी निगरानी राजस्व मण्डल, अजमेर में की और वर्तमान में 23.2.2016 को राजस्व मण्डल ने यह निर्णय किया है पुन: इसको रिमाण्ड करके संभागीय आयुक्त, जयपुर के पास में वापस भेजा है निर्णय करने के लिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में 25 अलग-अलग न्यायालयों में इसके प्रकरण चल रहे हैं और जब तक उनका निस्तारण नहीं होगा, जब तक किसी भी तरीके से इन भूखण्डों का आबंटन करना मुश्किल है। इसके अलावा वर्तमान में कई खातेदार हैं, जो कि कोर्ट में चले गये हैं और मौके पर खातेदारों ने यह कहकर कि कई जगह वापस काबिज हो गये हैं कि हमारे को समिति के द्वारा पूरा भुगतान नहीं किया गया है।

इसके अलावा कई राजस्व न्यायालय भी हैं, जिनमें भूमि के विभाजन से संबंधित विवाद भी चल रहे हैं तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यह जो भी प्रकरण, 25 प्रकरण चल रहे हैं विभिन्न न्यायालयों में, इनका निस्तारण हों और निस्तारण के बाद में जल्दी से जल्दी नियमानुसार, किस तरह से आबंटन किया जा सकता है, उसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने 25 न्यायिक प्रकरणों का हवाला दिया है कि ये न्यायिक प्रकरण के निस्तारण पर ही नियमन की कार्यवाही हो सकेगी। मैं जानना चाहूंगा कि ये 25 न्यायिक प्रकरण किस-किस के द्वारा दर्ज हुए हैं और क्या सरकार इन न्यायिक प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु कोई विशेष प्रयास करने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 प्रकरण जो भी विभिन्न न्यायालयों में हैं, मैं इनके बारे में आपको अलग से लिस्ट दे दूंगा। अभी जैसे यह उच्च न्यायालय के अंदर, अभी जो मैं आपको एक का बताऊं कि मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति बनाम संभागीय

(श्री अजय सिंह)

आयुक्त, जयपुर का जो चल रहा है, उसमें हाई कोर्ट ने स्टे भी कर रखा है। इसी तरह से संभागीय आयुक्त, जयपुर के वहां पर चल रहे हैं। राजस्व मण्डल में चल रहे हैं। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क्रमांक-26) जयपुर के यहां पर चल रहे हैं। एडीजे नम्बर, 19 जयपुर महानगर, सांगानेर के यहां चल रहे हैं। जिला न्यायाधीश, जयपुर के यहां पर चल रहे हैं। जिला उपभोक्ता मंच, जयपुर के यहां चल रहे हैं। एडीजे-19 सांगानेर और उपखण्ड अधिकारी के यहां विभिन्न न्यायालयों के अंदर ये प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: हो गया न, दो सवाल आपने पूरे कर लिये।

श्री हीरालाल (निवाई): तीसरा है पूरक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं, तीसरा नहीं। तीसरा नहीं, तीसरा नहीं। आप मिल लेना। आपके पास सूची आ जाएगी।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा है। मैं तीसरा और पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए विराजिए। विराजिये विराजिए। दो सवाल कर लिये आपने।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं दो सैकिण्ड में बोल देता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं नहीं। बिलकुल नहीं। श्री हबीबुर्रहमान। पूरक प्रश्न करेंगे आप। आपने बटन दबा रखा है।

श्री हीरालाल (निवाई): दो सैकिण्ड में। इस योजना में हजारों व्यक्तियों को भूखण्ड सहकारिता विभाग में जयपुर विकास प्राधिकरण में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, इनका कब तक निस्तारण होगा और सहकारिता विभाग के अनेक अधिकारी लिप्त हैं। जो-जो भी अधिकारी इस प्रकरण में लिप्त हैं। उन भूखण्डों के पट्टे बैक डैट में जारी करवा लिये। आपने सुनील कुमार को निलम्बित करवा रखा है...

श्री अध्यक्ष: हीरालाल जी, अब विराजिए। मैं जवाब दिला देता हूं। वैसे दिलाना नहीं चाहिए, पर दिला देता हूं। हां.हां, दे दो जवाब, क्योंकि आज पूरक प्रश्न इस पर है नहीं।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके

(श्री अजय सिंह)

माध्यम से मैं पुन: माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि प्रकरण अभी विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं और जिस समापक ने जो भी अनियमितता की है, वो अभी निलंबित है और डीओपी के द्वारा चार्जशीट देकर के उसके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्यवाही हो सकती है, वह अभी चल रही है। हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से इसको, जो वर्तमान में इसके समापक है पूरा प्रयास है कि जल्दी से न्यायालयों में इसका निस्तारण हो, अच्छी तरह से पैरवी करेंगे। ताकि, जो भी आबंटी हैं उनको जल्दी से जल्दी जेडीए के माध्यम से दोनों सहकारी विभाग मिलकर के जल्दी से जल्दी भूखण्डों का आबंटन किया जा सके।

श्री अध्यक्ष: मोहन लाल गुप्ता, पूरक प्रश्न।

श्री हीरालाल (निवाई): राजस्व विभाग को कब तक...

श्री अध्यक्ष: नहीं, मिस्टर हीरालाल जी। नो-नो-नो बैठिए, आप। नो-नो कृपया बैठिए-बैठिए। मैं कह रहा हूं आपसे निवेदन कर रहा हूं। श्री मोहन लाल गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: इससे संबंधित होगा सवाल।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इस सचिवालय नगर की योजना बिलकुल एकदम होचपोच हो रही है, कारण केवल हमारे प्रशासक की नियुक्ति, समापक की नियुक्ति और उसको स्टाफ देने के कारण यह समस्या बढ़ी हुई है और इसके कारण जब ये पेंडिंग हो जाती है तो लोग-बाग़ कब्जे कर लेते हैं और कब्जे करने के बाद में न्यायालय में चल जाते हैं। मेरा सरकार से यह निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि कब तक वो आप समापक दे देंगे और कब तक उसके नीचे काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारी देंगे, ताकि समस्या का समाधान हो सके।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जब 2014 में संभागीय आयुक्त महोदय के द्वारा, जेडीए के द्वारा जो 90बी की गई थी। उसको निरस्त कर दिया गया था और हमने अभी प्रयास करके हमारे जो भी समापक वहां पर लगे हुए, जो भी ओआईसी लगे हुए हैं, प्रयास करके राजस्व मण्डल से पुन: इसका निर्णय

(श्री अजय सिंह)

कराया गया। उन्होंने संभागीय आयुक्त के यहां पर केस का रिमाण्ड करके भेज दिया गया है।

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि इसको मैं खुद रिव्यू करके किसी भी तरह के इंस्पैक्टर्स को अगर वहां पर लगाना है तो तुरन्त इसी अगले सप्ताह में लगा दिये जाएंगे और पूरी सकारात्मक सोच के साथ प्रयास किया जाएगा कि जो भी आबंटी हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनको भूखण्ड का कब्जा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। श्रीमती अनिता अगला सवाल।

नगर में देवनारायण योजनान्तर्गत आवासीय कॉलेज की स्थापना

351 **श्रीमती अनीता** (नगर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नगर में देवनारायण योजना के अंतर्गत स्कूल व आवासीय कॉलेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के देवनारायण हॉस्टल को 50 से 100 बिस्तर में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्री अरुण चतुर्वेदी): (1) देवनारायण योजनान्तर्गत नगर विधान सभा क्षेत्र में स्कूल व आवासीय कालेज खोलने पर क्षेत्र की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता पर विचार किया जा सकेगा।

(2) देवनारायण छात्रावास नगर के भवन का निर्माण 50 छात्रों की स्वीकृत क्षमता एवं स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही करवाया गया है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक ।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि आपने बिल्डिंग तो 50 छात्रों की बनाई है। लेकिन, वहां पर जिस प्रकार से गुर्जरों की जनसंख्या है। मैं पूछना चाहती हूं कि डीग और नगर में और ऐसी बिल्डिंग की व्यवस्था हो जाए या और कोई बढ़ जाए तो उसमें और बढ़ा सकते हैं आप?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाली माननीय सदस्या ने प्रश्न किया सीट बढ़ाने का, अभी तक वहां स्थिति यह है कि 50 की सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में केवल 31 बालक ही वहां रह रहे हैं। अगर, वहां पर एप्लीकेशंस ज्यादा आएंगी, तो हमारे पास जो भी उपलब्ध साधन हैं। उनको रिएलोकेट करके कैसे कर सकते हैं, तब उसके बारे में विचार करे।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि भरतपुर में गुरुकुल योजना के अन्तर्गत कितने और कौन-कौन से स्कूल चयनित हैं?

श्री अध्यक्ष: भरतपुर में कहां आ गईं, आप। आपने नगर के बारे में...

श्रीमती अनीता (नगर): मेरी विधान सभा में, एक ही बात है। कोई अलग बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: देव नारायण योजना के बारे में पूछा है।

श्रीमती अनीता (नगर): हां, उसी में पूछ रही हूं और प्रति विद्यार्थी पर सरकार कितने पैसे उपलब्ध कराती है?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के द्वारा गुरुकुल योजना संचालित है। देव नारायण योजना के माध्यम से और इस योजना की मुख्य जो स्थिति है, जो MBC या पहले एसबीसी इसके 6 से 12 क्लास तक के अध्ययनरत छात्र-छात्रा होते हैं, राजस्थान के मूल निवासी हैं, जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक जिनके अंक आएं हैं वे होंगे। जिनके माता-पिता इनकम टैक्स पेयी नहीं हैं 500 विद्यार्थी सारे राजस्थान में छांटकर के विभिन्न विद्यालयों का चयन शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है और उनकी जो फीस है, उस फीस का पुनर्भरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करता है। अभी तो जो स्थिति है नगर में, पूरे भरतपुर जिले में देखे तो, इसके माध्यम से जो उपलब्ध मेरे पास जानकारी है। उसमें नगर में कोई भी इस देवनारायण योजना के माध्यम से सैंक्शन्ड स्कूल नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक, श्री रामहेत सिंह।

श्रीमती अनीता (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या आप नगर में ऐसे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो हॉस्टल

(श्रीमती अनीता)

चलाते हैं। उनको चयनित करेंगे?, कैसे चयनित होते हैं? उसके बारे में क्या सरकार उनको मदद करेगी?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष, जैसा कि मैंने बताया कि इसके बारे में चयन एवं निर्धारण शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। कई बार इन विद्यालयों की गुणवत्ता के बारे में और उनकी एजुकेशन की क्वालिटीज के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं तो हमने इनकी संघर्ष समिति के साथ जितनी बातचीत हुई, मंत्रिमण्डलीय उप समिति की। उस मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने तय किया कि देव नारायण योजना में जो समाज आते हैं, समाज का एक प्रतिनिधि, संबंधित जिले का डीईओ और संबंधित जिले का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अधिकारी वे सब इन विद्यालयों का एक तरह से इंस्पैक्शन करते हैं और करने के बाद उनकी रिपोर्ट के आधार पर नामों को जोड़ने-घटाने का काम भी शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाता है। और, कोई भी ऐसा प्रस्ताव आएगा, उसके बारे में विचार करेंगे और शिक्षा विभाग को हम भी भेज देंगे। उसके बारे में परीक्षण करके वो समिति भी तय कर ले और जिसको करेंगे उसके बारे में विचार करके, जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न श्री रामहेत सिंह यादव।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि ....

श्री अध्यक्ष: रिलेवेन्ट होना चाहिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): हां, बिलकुल रिलेवेन्ट ही है, हुकुम। जिस तरह से अन्य योजना चलती है। मेवात आवासीय विद्यालय है, TAD क्षेत्र में जो आवासीय विद्यालय चलते हैं या उनके द्वारा या सरकार द्वारा या एनजीओ द्वारा उनको एड देकर ऐसी संस्थाएं चलाई जाती हैं। क्या एसबीसी की ऐसी पांच जातियों का आप सर्वे करवाकर जैसे मेवात में 10 परसेंट की आबादी है, वहां यह सुविधा है, वहां उनके आवासीय विद्यालय चलते.....

श्री अध्यक्ष: ...रामहेत सिंह जी, कहां इधर-उधर हो गये। नहीं-नहीं, यह रेलेवेन्ट नहीं। कहां से देंगे जवाब, मेवात कहां आ गया, इसमें।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): रेलेवेंट ही है, साहब। उसी से संबंधित है, साहब। भरतपुर में नगर में मेवात आवासीय विद्यालय, साहब।

श्री अध्यक्ष: देव नारायण योजना है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): हां, देव नारायण योजना। मैं उसी पैटर्न पर पूछना चाहता हूं। जैसे अन्य योजनाएं, क्षेत्रीय योजनाएं हैं, वैसे ही क्या देव नारायण योजना के तहत आवासीय विद्यालय आप नगर में, अलवर जिले में, जहां आबादी के हिसाब से 10 परसेंट वहां खोलने का सरकार विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: यह हुआ सवाल, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, देव नारायण योजना की शुरूआत 2008 में हुई थी। जब शुरूआत में की गई तो केवल 13 तहसीलों में यह योजना थी, बाद में बढ़ाकर के इसका क्षेत्र सारे राजस्थान में किया और समय-समय पर आवश्यकता के हिसाब से कई योजनाएं इसमें चलती हैं।

उस योजना में आवासीय विद्यालय, छात्रावास, छात्रवृत्ति भी है, गुरुकुल योजना भी है, स्कूटी देने का काम भी है और आवश्यकता के हिसाब से कहीं पीएचसी और इस तरह कहीं पर पानी... इन सबको। इस देव नारायण क्षेत्र में, जो थिकली पापुलेटड एरियाज हैं, उनका कैसे अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, सामाजिक दृष्टि से और बौद्धिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से उन सबको करने की बात है। अभी भी पूरी स्थिति देखें तो इस देव नारायण योजना में कुल मिलाकर के सरकार के द्वारा 2008 में 100 करोड़ रुपये का पहले प्रावधान शुरूआत में किया गया था। उसके बाद 2013-14 में 200 करोड़ का प्रावधान किया और 2014 में बजट में मुख्य मंत्रीजी ने 500 करोड़ रुपये का फिर प्रावधान किया। अब तक जो कुल व्यय जो इसका है देव नारायण योजना के ऊपर, कुल व्यय हुआ है 814.37 करोड़। जिसमें से 2008 से 2013 की सरकार के समय 276.96 करोड़ का व्यय हुआ था और अभी सरकार बनी दिसम्बर, 2013 से लेकर अब तक 537.41 करोड़ का व्यय इसके ऊपर हुआ है। अभी हाल में मुख्य मंत्रीजी ने 10 और आवासीय विद्यालयों की घोषणा भी इन क्षेत्रों में देवनारायण योजना के अन्तर्गत करने की घोषणा की है।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय मंत्री महोदय से जवाब ही नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: आप मिल लें। श्री हरिसिंह रावत।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दिला दीजिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, विराजिए। श्री हरिसिंह रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, देव नारायण योजना के अन्तर्गत मंत्री महोदय मैं पूछना चाहता हूं कि अलवर के अलावा और कहां-कहां पर इस योजना को लागू किया गया है? और जहां पर बहुतायत गुर्जर समाज रहता है, क्या वहां पर भी देव नारायण योजना के अंतर्गत आप हॉस्टल, आवासीय छात्रावास खोलने का विचार रखते हैं? मेरे क्षेत्र में भी 18000 गुर्जर विराजते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि वहां पर भी आप छात्रावास खोलेने का विचार रखते हैं, क्या?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया था कि सम्पूर्ण राजस्थान अब इस देव नारायण योजना के क्षेत्र में है। जो उपलब्ध साधन और बजट हमारे पास होता है, सारे प्रदेश की आवश्यकता और उनकी जितनी डिमाण्ड आती है। उसके आधार पर उनको एलोकेट करते हुए, पहले भी 10 आवासीय विद्यालयों की घोषणा हुई और उससे पहले भी 2013 के अगस्त-सितम्बर में 7 आवासीय विद्यालयों की घोषणा पिछली सरकार ने की थी। लेकिन, उन आवासीय विद्यालयों के लिए भी एक पैसे का प्रावधान नहीं किया। उन सबके लिए एलोकेट करके पैसा देने का काम 2013-14 में इस सरकार के आने के बाद हुआ और सम्पूर्ण विद्यालयों के बीच कई बन चुके और कई में काम शुरू है और बाकी निर्माण का काम और चलने का काम चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: श्री जयराम जाटव। तीसरा पूरक प्रश्न।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 2008 से 2014 के बीच और वर्ष 2014 से 2017-18 वर्ष जो अब गया, के बीच कितने-कितने देव नारायण आवासीय विद्यालय राजस्थान में खुले। दूसरा सवाल यह है कि...।

श्री अध्यक्ष: आप तो राजस्थान की बात करने लग गये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): मैं अध्यक्ष जी उसी पर बोल रहा हूं, जो आपके आवासीय विद्यालयों में प्रतिनियुक्ति पद अध्यापक लगाये जाते हैं वो जुलाई में स्कूल चालू होना चाहिए और अक्टूबर तक वो विद्यालयों में

(श्री जयराम जाटव)

आते हैं तो शिक्षा पर बच्चों पर उनका प्रतिकूल असर पड़ता है इसलिए कब तक इन अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए क्या विचार रखते हो आप?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। जवाब हो तो दे दीजिये। यह इर्रिलेवेंट सवाल है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न आवासीय विद्यालय से संबंधित नहीं है केवल नगर के विद्यालय का था। मैंने बताया कि दस आवासीय विद्यालयों की घोषणा अभी हुई है और 7 की पहले हुई थी, लेकिन जो आपने शिक्षकों की बात की तो शिक्षकों का आवासीय विद्यालयों में डाइरेक्ट हमारा विभाग रिक्रूटमेंट नहीं करता। शिक्षा विभाग को जितनी आवश्यकता होती है हम अपनी रिक्वीजेशन भेजते हैं और शिक्षा विभाग के द्वारा सलेक्शन हम करते हैं और उनसे एनओसी मिलने के बाद उन पदों के ऊपर हम अपनी तरफ से नियुक्ति देने का काम करते हैं शिक्षा विभाग जिनकी एनओसी दे देता है। यह दिक्कत जरूर आती है, हम बार-बार शिक्षा मंत्रीजी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ-बैठ करके, इस विषय में एक हमने उनको सुझाव भी दिया है कि आपका जो कैडर है उस कैडर में आवासीय विद्यालयों के टीचर्स की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को भी जोड़ दें। जब आप शिक्षा विभाग में टीचर्स का चयन करते हैं तो उनको भी बढ़ा करके चयन कर लें तो जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता के शिक्षक हमें मिल जाएं तो कभी-भी दिक्कत नहीं रहे कि हमारे यहां शिक्षकों के रिक्त स्थान रहें।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन डालने की योजना

352. **श्री रामलाल शर्मा** (चौमूं): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार चौमूं नगरपालिका क्षेत्र में सीवर लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त योजना पर कितनी राशि व्यय होगी खर्च होगी तथा योजना का कार्य कब से प्रारम्भ कर कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री (श्री श्रीचन्द कृपलानी): जी हां। राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आरयूआईडीपी) के चतुर्थ

(स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री)

चरण के अन्तर्गत नगरपालिका चौमूं द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मार्च, 2018 तक बनना संभावित है। इस योजना की संभावित राशि 183 करोड़ है। योजना पर एडीबी से स्वीकृति उपरान्त निविदा आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि डीपीआर मार्च, 2018 तक पूर्ण कर ली जाएगी, उसी तरीके से माननीय मंत्री महोदय, आप यह बता दें कि इस सीवरेज का कार्य अगस्त से या सितम्बर से या अक्टूबर से या नवम्बर से कब से कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा? नंबर-एक।

दूसरा माननीय मंत्री महोदय, आप यह भी बता दें कि सीवरेज के दौरान जो पहले से पाइप लाइन जो डली हुई है वाटर की जो जीर्ण-शीर्ण है उनकी रिपेयरिंग का वर्क भी इसमें करोगे या नहीं करोगे? जो सड़क क्षतिग्रस्त होगी उसका काम भी क्या इसी के साथ आप इसी प्रोजेक्ट में आपने ले रखा या नहीं ले रखा? या उनका काम नगरपालिका या जेडीए के द्वारा किया जाएगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं, मैं तो चाहता हूं कि आप मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद भी दो कि पिछले, अभी बजट में मुख्य मंत्रीजी ने एप्रोप्रिएशन बिल पर जब जवाब दिया था उस दिन भी आपकी योजना की उन्होंने घोषणा की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहूंगा कि तृतीय चरण की परियोजनाओं के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में जितनी भी योजनाएं हैं हमारी सिटी लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का हमने गठन कर दिया है। चतुर्थ चरण की परियोजनाओं हेतु सिटी लेवल मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है उसमें माननीय विधायक भी सदस्य हैं। सीवरेज सिस्टम को कवर करने के लिए कम से कम पेयजल उपलब्धता 135 एलपीसीडी होनी चाहिए जो कि अभी तक चौमूं शहर में 70 एलपीसीडी

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

है। जेडीए द्वारा भी पेयजल हेतु एक योजना 40 करोड़ रुपये की बनायी जाकर क्रियान्विति वहां चौमूं शहर में माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों हमने की है, परन्तु ट्यूबवैलों से पानी पर्याप्त उपलब्ध नहीं होने की वजह से अपेक्षित सफलता हमको नहीं मिली है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रामलाल जी को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार की जो गाइड लाइन है उसके अनुसार जहां पर भूमिगत सीवर सिस्टम फिजीबल नहीं है वहां पर एफएसएसएम (पिकल्स स्ले सेप्टेज मैनेजमेंट सिस्टम) किया जा सकता है जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। इसके ट्रीटमेंट के पश्चात पैरा मीटर सीवरेज सिस्टम को बराबर होती है। डीपीआर तैयार हो जाने के पश्चात् उसका अनुमोदन सिटी लेवल मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा किया जाएगा। अत: इस बात की संभावना नहीं है कि डीपीआर में कोई गलत तथ्य अथवा अधूरे तथ्यों का समावेश हो। परियोजना अनुमोदन की कार्यवाही को पूर्णत: पारदर्शी बनाये जाने हेतु समिति के समक्ष डीपीआर प्रस्तुत की जाएगी और समिति के निर्णयानुसार शीघ्र ही इसकी क्रियान्विति की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न करेंगें? जवाब आ गया पूरा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह पूछा है कि आप सीवरेज की लाइन डालोगे, सीवरेज लाइन के डलने के बाद में जो पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होगी, रोड क्षतिग्रस्त होगी उनका निर्माण भी इस डीपीआर के अन्दर आप शामिल करोगे या नहीं करोगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि हमने यह तय कर रखा है कि परियोजना की क्रियान्विति के दौरान होने वाली क्षति की पूर्ति परियोजना की कार्यकारी एजेंसी द्वारा ही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न श्री अजीत सिंह। यह चौमूं से संबंधित है तो आप इधर-उधर मत जाइएगा।

श्री अजीत सिंह (टोंक): बिलकुल हुकुम।

श्री अध्यक्ष: चौमूं से संबंधित है बोलिये क्या पूछना है?

श्री अजीत सिंह (टोंक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सीवर डालने की जो निर्धारित समय-सीमा है उसमें क्या इस सीवरेज लाइन को पूरा कर दिया जाएगा? और अगर निर्धारित समय में पूरा कर दिया जाएगा तो क्यों नहीं मेरे क्षेत्र टोंक में अब तक...।

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब नहीं आएगा।

श्री अजीत सिंह (टोंक): सीवरेज का विषय है हुकुम।

श्री अध्यक्ष: नहीं। अगला सवाल श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। मैंने अगला सवाल पुकार लिया है। फिर बात कर लेना आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): चौमूं का ही है, सर।

श्री अध्यक्ष: नहीं। विराजिए आप।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मैं तो इनकी सहायता करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं। विराजिए आप। माननीय गुप्ता साहब, आप जवाब आने दीजिये।

कपासन में श्रमिक सहायता के लम्बित प्रकरण

353. **श्री अर्जुन लाल जीनगर** (कपासन): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में श्रमिक कार्ड योजना संचालित हैं ? यदि हां, तो उक्त योजना में कौन-कौनसी सहायता दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में अब तक कितने श्रमिक कार्ड बनाये गये हैं? नाम, पते व गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में श्रमिक कार्ड योजना प्रारम्भ होने से 31 दिसम्बर, 2017 तक किन-किन श्रमिकों को किस-किस प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाई गई है तथा कितने श्रमिकों को सहायता देने के प्रस्ताव लम्बित है? नाम सहित ब्लॉकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

(4) क्या सरकार श्रमिकों के लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृत कर सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्रम एवं नियोजन मंत्री (डा. जसवन्त सिंह यादव): (1) जी हां। असंगठित क्षेत्र में "भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में नियोजित" अथवा "निर्माण श्रमिकों" हेतु श्रम विभाग के भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा 8 योजनाएं संचालित हैं, जिनमें पात्रतानुसार पंजीकृत श्रमिकों को हितलाभ दिया जाता है। कल्याणकारी योजनाओं में दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्रवार सूचना का संधारण नहीं किया जाता है। कपासन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों भोपाल सागर, राशमी, कपासन तथा भदेसर की 12 ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका क्षेत्र कपासन में अब तक कुल 19,743 श्रमिकों को हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत किया जाकर पंजीयन कार्ड दिये गये हैं। पंजीकृत श्रमिकों के नाम व पते सहित ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) कपासन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उपरोक्त पंचायत समितियों एवं नगरपालिका क्षेत्र में अब तक कुल 2,683 श्रमिकों को सहायता दी गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। विभाग के पास 6406 सहायता देने के आवेदन लम्बित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(4) जी हां। विभाग द्वारा "निर्माण श्रमिक योजनाओं के आवेदन निस्तारण हेतु सघन अभियान" दिनांक 26.2.2018 से 31.3.2018 तक चलाया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर-एक।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और मंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। (व्यवधान) आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी श्रमिकों के कल्याण की योजना प्रारम्भ करके मेरे क्षेत्र के अन्तर्गत...।

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 19 हजार से ज्यादा कार्ड श्रमिकों

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

के बना करके 2683 लोगों को सहायता दे दी और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 6406 को भी और जल्दी से जल्दी सहायता दिलाने का काम करें और अभी आप 26 तारीख से लगाकर 31 मार्च, 18 तक इस योजना का जल्दी से जल्दी श्रमिकों को लाभ दिला देंगे तो आने वाला समय सुनहरा होगा। बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। यही मेरा प्रश्न है कि आप जल्दी से जल्दी इस काम को करावें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (श्रम एवं नियोजन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि संख्या 6404 थी, आज दिनांक तक वह घट करके पेंडेंसी रह गयी 3513.

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: अब आप अलग से सूचना दे दीजिए, प्रश्न काल समाप्त।

मैं राजस्थान विधान सभा की कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 306 के अंतर्गत शिथिलता बरतते हुए दो विधेयकों को पुर:स्थापित करने की आज्ञा देता हूं। राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018, श्री कालीचरण सराफ।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। पुर:स्थापित कीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: मैं बाद में सुन लूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री जी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, विधेयक हैं कहां? हमें नहीं मिला विधेयक। अध्यक्ष महोदय, विधेयक है ही नहीं, जब हमें मिला ही नहीं तो क्या पुर:स्थापित करवा रहे हैं?

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां आपका व्यवस्था का प्रश्न। व्यवस्था का प्रश्न श्री प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, हम आपकी व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर सकते और न कर रहे हैं, आपको अधिकार है। श्रीमान, लेकिन यह नौबत क्यों आई? सवाल यह है कि सरकार की नाकामी है, समय रहते हुए यह बिल नहीं ला पाये। आज सदन का आखिरी दिन है, इस व्यवस्था पर आप कहें, मंत्री सोते रहते हैं, काम करते नहीं हैं, आखिरी दिन ला रहे हैं। अब आप बीएसी में कहेंगे कि इसको पारित भी कराना है।

श्री अध्यक्ष: और आपको कराना है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो इसके खिलाफ हूं।

श्री अध्यक्ष: आपको कराना है, आपको कराना है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आप सुनें। यह नौबत ही क्यों आई कि आपको अपने हिडन पावर्स अंडर सर्टेन सैक्शन आपको यूज करना पड़ा? मैं इसका विरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कारण क्या है कि अगर समय से आ जाता तो बीएसी इसको कहीं न कहीं लिस्ट करती। आज सदन का आखिरी दिन है, यह तो इन्होंने कल ही सर्कुलेट किया, यह सहकारिता वाला बिल तो सर्कुलेट ही नहीं हुआ, हमको मिला ही नहीं अभी तक। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप भेजने वाले हो क्या?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपके घर पर आया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसी के घर पर नहीं आया है, आप दिखाओ कहां आया है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह रहा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमको तो प्राप्त हुआ नहीं है, इनको प्राप्त हो गया होगा, मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, इस पर व्यवस्था दें, क्या यह परम्परा, यह प्रक्रिया जो इन्होंने अपनाई है, क्या यह मुनासिब है? यह समय रहते क्यों नहीं लाते, सरकार क्यों नहीं लाती, क्यों सोती रहती है? आप लास्ट मिनट पर, सदन के आखिरी दिन इस प्रकार से लाकर, इस पर आपको व्यवस्था देनी चाहिये ताकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो सके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम 306 और 307 आपके पास रेजिड्युएल पावर है, आसन ने उसका इस्तेमाल किया, यह आपका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष: वह मान रहे हैं, वह मान रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो अभी पुर:स्थापित हुए हैं ...

श्री अध्यक्ष: आपने भावना व्यक्त की, उसका जवाब दो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी यह दोनों बिल पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिये आपके सामने आये हैं, पुर:स्थापन की स्टेज पर इस बिल का विरोध नहीं किया जा सकता, यह अध्यक्षीय व्यवस्था है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, आप कहो तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं पढ़कर सुनाऊं, यह भी अध्यक्षीय व्यवस्था है कि कई बार जब ऐसी स्थिति आती है, मैं आपका ध्यान अध्यक्षीय व्यवस्था के पेज 630 की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपरेटिंग पैरा ही पढ़ रहा हूं। यह 31 मार्च, 1981 का है। श्री नाथूसिंह जी ने इस बात की आपत्ति की थी कि हमें रूल 66 के तहत यह विधेयक की कॉपी दो दिन पहले मिलनी चाहिये थी और आप अभी बिल को सर्कुलेट कर रहे हो और अभी इसको पास करा रहे हो। उसमें जो अध्यक्षीय व्यवस्था है, मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। यदि उसमें अध्यक्ष यह उचित समझे कि दो दिन का समय न दिया जाये या उसकी अर्जेंसी को देखते हुए अथवा उसके महत्व को देखते हुए अथवा सदन के पास कितना समय उपलब्ध है, सदन की सुविधा को देखते हुए यदि आसन अनुमति देता है तो यह बिलकुल उचित है कि कभी भी आप ला सकते हैं। इसलिए कोई बेजा काम हमने नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जब प्रोग्रेसिव लॉ जब बनता है तो इस तरह की बात है। अध्यक्ष महोदय, हमने आपसे प्रार्थना की थी और आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। इसलिए आपने जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है, मैं तो कहूंगा कि अगर आवश्यकता पड़े तो 306 और 307 का इस्तेमाल आपको और करना चाहिये सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिये। कभी इस प्रकार का समय आता है, उसको और ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने कितनी चतुराई से, यह बड़े चतुर हैं ...

श्री अध्यक्ष: आपसे ज्यादा नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ना, ना अध्यक्ष महोदय, मैं तो इनकी भाषा से, दो दिन पहले की व्यवस्था है। इसमें जो अध्यक्षीय व्यवस्था है वह दो दिन पहले की आप पढ़ रहे हैं। मैंने आपके अधिकार को चैलेंज नहीं किया है जो 306 और 307 में है।

श्री अध्यक्ष: मैं यह कब कह रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने कभी चैलेंज नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: मैं कहां कह रहा हूं आपने चैलेंज किया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह कह रहे हैं न।

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह नहीं कह रहे हैं। यह तो इन्होंने मेरे से सहमति मांगी, मैंने दी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, नहीं, यह कह रहे हैं न कि आपकी व्यवस्था को चैलेंज किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप रिकार्ड पर देख लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा, मैं तो यह कह रहा हूं सर्व अधिकार आसन में निहित हैं और आसन की व्यवस्था पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। अगर इनको एतराज है तो वेश्म में आपसे मिलें, आपके चैम्बर में आपसे मिलकर आपको कुछ कह सकते हैं। आसन खुद स्वयं विराजमान हो और ऐसे वरिष्ठ सदस्य उस पर टीका टिप्पणी करें ...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): क्या मतलब है टीका टिप्पणी, मैंने टीका टिप्पणी नहीं की है।

श्री अध्यक्ष: आपने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दीं और सरकार तक आपकी भावनाएं पहुंच गईं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो आसन से कह रहा हूं। यह तो गूंगी बहरी सरकार है, इसको कुछ सुनाई नहीं देता है पर मैं आपको कह सकता हूं। आसन पर हमारा अधिकार है, हम अध्यक्ष से अपनी बात कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप सब जगह सुनाई कराते हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, थोड़ा धमका तो दो। संसदीय कार्य मंत्री को धमका तो दो।

श्री अध्यक्ष: आप ही मेरी धमक में नहीं आते हो तो यह क्या आएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं धमक गया, आगे चलाओ, मैं धमक गया।

श्री अध्यक्ष: घनश्याज जी, कोई विशेष है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां।

श्री अध्यक्ष: कितना, एक मिनट?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट बोल लो आप।

सूचना

करौली में बच्चे का अपहरण

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि 13 दिन से करौली में एक नैतिक बंसल नाम के बच्चे का अपहरण हो गया। चार दिन से करौली शहर बंद है, आज पूरा करौली जिला बंद है और यह बहुत चिंता की बात है। सभी समाजों के लोग वहां उत्तेजित हैं, उद्वेलित हैं। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस संबंध में सब लोग चिंतित हैं, आप इस पर कार्यवाही करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विषय मेरे ध्यान में हैं, मैंने सारे प्रशासनिक अधिकारियों से इस बारे में पहले से ही बात की है। मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी तक जो अभियुक्त है वह तो पकड़ में आ गया, लेकिन बच्चा अभी तक हमको नहीं मिला है, उसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं कि अभियुक्त के द्वारा कहीं न कहीं विषय बाहर निकलेगा। अभियुक्त को तो पकड़ लिया है लेकिन बच्चा अभी तक कहां है, किस पोजीशन में है, नहीं मिला है, यह सच बात है। उसके लिये हम और हमारी पुलिस बराबर लगी हुई है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री भंवरसिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में ट्रैक्टर ट्राली एवं व्यावसायिक वाहन ट्रोले के रजिस्ट्रेशन के लिये 01 अप्रैल, 2018 से नियम AIS 113 को लागू किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पटवारी एवं ग्राम सेवकों के रिक्त पड़े पदों से आमजन को हो रही परेशानी के संबंध में।

(3) श्रीमती सोनादेवी, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा गेहूं खरीद में राइडर लगाने एवं सरसों, जौ, चना सहित सम्पूर्ण उपज की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर तहसील के शिवकर कुडला लिग्नाइट प्रोजेक्ट हेतु किसानों की अवाप्त भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

(6) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में SC/ST/OBC एवं SBC वर्ग की अटकी हुई छात्रवृत्तियों को जारी न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से प्रदेश में रीट भर्ती 2017 के माध्यम से दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती किये जाने के संबंध में।

(8) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में निर्माणाधीन 148 डी राजमार्ग के निर्माण में संवेदक द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में मैनहोल में सफाई कार्य करते हुए माह फरवरी, 2018 में एक सफाई कर्मी की दम घुटने से हुई मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से फतेहपुर लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना का कार्य निर्धारित समयावधि के बाद भी पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री घनश्याम, श्री धीरज गुर्जर, डा. किरोड़ी लाल एवं श्री नन्दकिशोर महरिया को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री ललित कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की नेवेली व राड़ी लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति जारी करने के संबंध में।

(2) श्री सुखाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के कतिपय

(श्री अध्यक्ष)

माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(3) श्रीमती अनिता कटारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में दुग्ध उत्पादकों हेतु सरस पार्लर बनाये जाने के संबंध में।

(4) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से जिला मुख्यालय नागौर में स्थित राजकीय JLN अस्पताल में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में।

(5) श्री पूराराम चौधरी, सदस्य की ओर से कतिपय ग्राम पंचायतों को तहसील भीनमाल में शामिल किये जाने के संबंध में।

(6) श्री पूरणमल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के विभिन्न गांवों के अस्पतालों, स्कूलों, खेल मैदान एवं शहर की कालोनियों से होकर गुजरने वाली विद्युत लाइनों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम की ग्राम पंचायत दिवेर को उप-तहसील बनाये जाने के संबंध में।

(8) श्री नवनीत लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल में कनपुरापाडा की केशवबाड़ी योजना के अंतर्गत स्वीकृत 30 कुओं का कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में।

(9) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले में ऊंटनी का दूध डेयरी फेडरेशन द्वारा खरीदने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी ।

पर्ची

आज दिनांक 09 मार्च, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 39 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

श्री गोतम कुमार	ग्राम बोहेड़ा, पंचायत समिति, बड़ी सादड़ी में पेयजल आपूर्ति की बंद पड़ी पाइप लाइनों को प्रारम्भ करवाने के संबंध में।
श्री अमृत लाल	विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के 93 गांवों में शुद्ध पेयजल तथा सराड़ा, चावण्ड, सेमारी, ईण्ली खेड़ा, डगार आदि गांवों में पेयजल व्यवस्था करने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

श्री राजेन्द्र सिंह भादू	विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की आरक्षित गजट सूची में कृषि एवं आबादी भूमि को विशेष आबंटन हेतु डी-नोटिफाइड करने के संबंध में।
श्री तरुण राय कागा	उप खण्ड मुख्यालय चौहटन कस्बे पर यातायात सुविधा सुचारु करने के संबंध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आज आपने अभी नये दो बिल और इंट्रोड्यूस करने की अनुमति प्रदान कर दी है, इसलिए आज टाइम लगेगा, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि 295 की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात इस पर रखना चाहता हूं कि कई माननीय सदस्य हैं, जो 295 पढ़कर ही अपनी बात को क्षेत्र में अख़बार के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। कई बाध्यताओं के कारण कई अवसरों पर उनको बोलने का अवसर नहीं मिलता है। यह परम्परा कि आज काम ज्यादा है, इसलिए लगातार डाल देना, जिससे उनके प्रिविलेज को खतम कर दिया जाए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति है कि यह परम्परा ठीक नहीं है। कई सदस्य केवल 295 पढ़ते हैं, कइयों की बहुत विस्तृत बात रखने की क्षमता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। आपकी बात वाजिब है, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे।

प्रश्न यह है कि 295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली जाएं?

(स्वीकृत)

295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गयीं।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

श्री घनश्याम।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड में आता है, इसलिए अख़बार में तो चला जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

रीट भर्ती-2017 में दिव्यांगों के लिए विशेष भर्ती

श्री घनश्याम (टोडाभीम): अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में शिक्षा विभाग में रीट की भर्ती के मामले में मैं आपके और शिक्षा मंत्रीजी के सामने यह बात रखना चाहूंगा कि आज पूरे राजस्थान प्रदेश में जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हाउस आर्डर में लाएं।

श्री अध्यक्ष: हाउस आर्डर में आ जाए। कृपया शांत रहें। हाउस को आर्डर में चलने दीजिए। यह सचेतक जी का ठीक सुझाव है। बैठिए, कोई आपस में बातचीत नहीं करेगा, जिसको जाना हो चुपचाप बाहर पधार जाएं, जिसको रहना हो, वह शांति से विराजिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला पहले भी कई बार हाउस में आ चुका है, पर शिक्षा मंत्रीजी इस मामले में बड़े संवेदनहीन बने हुए हैं। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 9 हजार बच्चे दिव्यांग नामांकित हैं, पर सरकार ने मात्र 200 के करीब शिक्षक लगा रखे हैं। रिकार्ड पर बताया है कि 614 हमने लगाये हैं, जबकि लेवल-2 में तो भर्ती के लिये आवेदन मांगे हैं, पर लेवल-1 में नहीं मांगे गये हैं। जब बच्चा पहली से पांचवीं तक ही नहीं पढ़ पायेगा, तो फिर आगे लेवल-2 का मामला कैसे देखा जाए?

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसार विशेष विद्यालयों में दस छात्रों पर एक विशेष शिक्षक होना अनिवार्य है, ऐसे सरकारी नियम हैं, पर शिक्षा मंत्रीजी इस मामले में बिलकुल, इसमें ही नहीं पूरे शिक्षा विभाग का भट्टा बैठा दिया गया है और चौपट कर दिया है। जबकि नियमानुसार 14135 विशेष शिक्षकों के पद रिक्त हैं, दिव्यांगों के लिये केवल विशेष योग्यजन कहने मात्र से उसका भला नहीं हो सकता है। अगर आपको सामान्य जीवन जीने के लिये तैयार करने के लिये मुख्य धारा में लाना है, तो उनके लिये पर्याप्त विशेष शिक्षक होने चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस मामले को संवदेनशील तरीके से लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): द्वितीय श्रेणी अध्यापकों की 2012 की भर्ती में विशेष शिक्षकों के 637 पद निकाले गये थे, उनमें से 246 पद भरे गये व

(श्री घनश्याम)

391 पद रिक्त हैं। इसके अलावा 2013 में शिक्षक भर्तियों का बैकलाग 391 है, उनको भरा जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी से जवाब दिलवा देता हूं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि, हाई-कोर्ट ने भी कहा है कि अगर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिये स्पेशल टीचर नहीं लगाये गये तो अफसरों के सर्विस रिकार्ड में उनकी एडवाजरी एंट्री। दिव्यांगों को सामान्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं। सामान्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो वे पढ़ा ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में यह बहुत ही गम्भीर मामला है, पूरे प्रदेश का मामला है और दिव्यांग बच्चों के प्रति संवेदनशीन नहीं रहोगे..., इनको सही रूप से शिक्षा देना, इनकी सेवा करना, एक भगवान की सेवा करना है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि शिक्षा मंत्रीजी, इस मामले में आने वाले समय में लेवल-1 एवं लेवल-2 कितने-कितने पद भरेंगे?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जवाब दे रहे हैं, आप विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार दिव्यांग बच्चों के प्रति अति संवेदनशील है और आपकी सरकार से ज्यादा संवेदनशील है। आपने जो बच्चों की संख्या बतायी, वह बहुत कम बतायी है। मैं करैक्ट कर रहा हूं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मैंने सरकारी स्कूलों की बतायी है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं भी वही बता रहा हूं, आप पहले सुनो तो सही। जितने बच्चे दिव्यांग होते हैं, वे चार कैटेगरी के होते हैं। एक जो आर्थोपेडिक कैटेगरी होती है, उनको तो सामान्य टीचर भी पढ़ा सकता है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): 87 हजार 798 हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): पहले सुन लीजिए। वे 90 हजार बच्चे हैं।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर घनश्याम, ये नहीं है। पहले जवाब पूरा सुनें। बार-बार टोकोगे तो जवाब कैसे आएगा?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): पहले सुन लीजिए, फिर जो पूछोगे, तब मैं जवाब दूंगा। जिनके पास विजन की कमी है, ऐसे 10 हजार 304 बच्चे हैं। हियरिंग प्रोब्लम वाले बच्चे 6 हजार 378 हैं। जो मेंटल रिटायर्ड हैं, वे 6 हजार 351 हैं। इस प्रकार 23 हजार 33 बच्चे ऐसे हैं, जिनकी

(श्री वासुदेव देवनानी)

व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो 23 हजार 33 बच्चे हैं, उनके लिए सरकार व कोर्ट का कहना है कि दस बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए। इस तरह से लगभग 423 स्कूलों में ये बच्चे हैं और मैं दस की नहीं, पांच की बात कर रहा हूं। जो पांच दिव्यांग वाले अधिक स्कूल हैं, वे 1653 हैं। दस वाले में नियम हैं, उसके अंतर्गत आज जो काम कर रहे हैं। पी.एस. और यू.पी.एस. में 142 तो स्कूलों में कार्यरत हैं।

234 डेपुटेशन पर सर्व शिक्षा में हमारे पास ट्रेंड अध्यापक हैं, वह वहां पर डेप्यूटेड हैं और एजेंसी वर्षों से पहले से हैं, जिनको हम निकाल नहीं सकते, ऐसे 216 बच्चे हैं। इस तरह 592 टीचर्स आज की तारीख में काम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी 78 बच्चे हमने जो लेवल टू के हैं, जो प्रक्रियाधीन है, अगले महीने भर में ये लोग लग जाएंगे। इस तरह 670 बच्चे टीचर्स हो जाएंगे। दूसरा, सैकिण्ड ग्रेड के 486 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 142 कार्यरत हैं, 211 आरपीएससी से उनके परीक्षा रिजल्ट आ चुके हैं, उनको बहुत जल्दी हम पदस्थापित करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो नियमानुसार विधि सम्मत जो पद होंगे, वे 2018-19 में जो 54000 पद हम भरने जा रहे हैं, उसमें नियमानुसार उनके पद भी भर दिए जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर।

जहाजपुर में राजमार्ग निर्माण में अनियमितताएं

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त गम्भीर प्रकरण है। विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर और विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के साथ-साथ बूंदी से लेकर नागौर तक जो 148-डी नेशनल हाईवे निकला है, उसके अंदर मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि अधिकारी जो नीचे से जवाब आपको भेजते हैं, क्योंकि शायद अभी तक इस पूरी रोड के अंदर जो गम्भीर भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, वह आपकी जानकारी में नहीं आया होगा क्योंकि आपकी जानकारी में आता तो आप निश्चित रूप से वहां जाकर देखते कि किस तरह से इस रोड की नींव पड़ने से लेकर आज तक इस पूरे 148-डी नेशनल हाईवे के अंदर अधिकारियों ने संवेदक के साथ मिलकर गम्भीर अनियमितताएं, भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का काम किया है। यह रोड जब पास हुई इसमें थ्रीडी की कार्यवाही बार-बार बदली गई और बदलकर उन्होंने इसके स्थान के अंदर जहां लोगों को फायदा देना था, अपनी मन मर्जी से थ्रीडी की कार्यवाही के अलावा भी सरसिया और उसके आसपास इस रोड के अंदर जहाजपुर क्षेत्र के अंदर इसका रास्ता बदला है। इस रोड के अंदर इतना गम्भीर भ्रष्टाचार हुआ है

(श्री धीरज गुर्जर)

कि इसमें जो संयंत्र आपने स्थापित किए शाहपुरा और जहाजपुर के अंदर, उनके अंदर कन्सेंट टू आपरेट और कन्सेंट टू एस्टेब्लिशमेंट, दोनों की एनओसी नहीं ली और बिना एनओसी लिए हुए इसने काम चालू कर दिया। जब हमने इसका विधान सभा में सवाल लगाया तो वह सवाल जानकारी में आने के बाद में अधिकारियों ने यह जवाब देकर इतिश्री कर दी कि इन्होंने परमिशन मांग रखी थी, और तो और जहां पर इसको गिट्टी, मिट्टी और ग्रेवल लेने के लिए जो एसटीपीज जारी हुई। उन एसटीपीज के अंदर भी जहां पर जारी हुई, उन जगहों से माल नहीं उठाकर इन्होंने बिला नाम से, चरागाह से और व्यक्तिगत खातेदारों के यहां से और अन्य जगहों से सामग्री लेकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, उससे यह रोड बनने के बाद दो बार बैठ चुका है, उखड़ चुका है। आप यह जानकारी करवा लेना कि दोनों बार उसके ऊपर वापस निर्माण हुआ है। तीसरी बार जब जहाजपुर और शाहपुरा में निर्माण का काम चल रहा है, उस समय के अंदर अभी से ही यह रोड बैठने लग गई है जबकि इसके ऊपर डामर की फाइनल परत नहीं हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अंदर डामर, मिट्टी और गिट्टी के अंदर थिकनैस आदि का आनुपातिक रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसके अंदर भी मंत्री महोदय आपके अधिकारियों ने मिलीभगत की है।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। आपने ध्यान खींच लिया है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, एक लाइन और। अब्दुल रहमान बनाम सुप्रीम कोर्ट के मामले के अंदर नदी-नालों के मूल स्वरूप को छेड़ा नहीं जा सकता है। उसके बावजूद यह जहाजपुर की जो नागदी नदी जिसे गंगा नदी के समान मानते हैं, जिसमें सर्दियों में ठंडा पानी और गर्मियों में गर्म पानी आता है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा, वहां भी इन्होंने उस नदी के अंदर पुल बना दिया जबकि पुल बनाने की कोई जरूरत नहीं थी और यह पुलिया काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अगर यह काम पूरा हो जाएगा तो जहाजपुर क्षेत्र के अंदर इधर से उधर जाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। साथ ही जो पंडेर के पास में देवनारायण का मंदिर है, उस देवनारायण के मंदिर के साथ हमारी जन-भावनाएं जुड़ी हुई हैं और ये देवनारायण का मंदिर रोड के बीच में आ रहा है, बिना ग्रामीणों की सहमति से, दो बार वहां के लोग आंदोलन कर चुके हैं और अब भी आंदोलनरत हैं, बिना ग्रामीणों की सहमति के संवेदक उस मंदिर को तोड़ना चाहता है, इस

(श्री धीरज गुर्जर)

सरकार के अंदर जो राम मंदिर की पक्षधर है, उस सरकार के राज में संवेदक मंदिर को तोड़कर उस पर रोड निकालना चाहता है। इन सबके साथ-साथ मेरा आपसे निवेदन है कि अभी तक लोगों को मुआवजा भी नहीं मिला है और जहाजपुर और शाहपुरा क्षेत्र के अंदर जो रोड बनी है, मकानों की एक-एक मंजिल उस रोड से नीची रह गई है। मतलब जो पहले रोड का लेवल था, उस लेवल से अब यह दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह फीट तक ऊंची हो गयी है।

श्री अध्यक्ष: बस हो गया। आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, बारिश के दिनों में पानी निकलने की ऐसी स्थिति है कि अभी 5 जगह बारिश में पानी भर गया था और लोगों के मकान डूब गए। हमें प्रशासन के द्वारा जेसीबियां मंगवाकर लोगों के मकान और रास्ता कटवाकर पानी निकालना पड़ा। इस रोड में गम्भीर अनियमितताएं हैं। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इन अधिकारियों के भरोसे नहीं रहें। इनके मुंह तो खून लगा हुआ है। आप ईमानदार मंत्री हैं। अपने व्यक्तिगत स्तर पर इसकी जांच करें, खुद जाएं मौका देखें और क्षेत्र के लोगों को न्याय प्रदान करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। बहुत अच्छे।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन के माध्यम से 148-डी सड़क निर्माण में जो अनियमितता हुई है या जिन अन्य विषयों, मुद्दों को उठाया है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सड़क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाई जा रही है! यह बात सही है कि यह लगभग 203 किलोमीटर की सड़क गुलाबपुरा, शाहपुरा, जहाजपुर, संतुर, हिंडोली, नैनवां और उनियारा से होकर गुजरती है।

(12.26 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

चूंकि भारत सरकार टीपीसी में इसका निर्माण करवा रही है। आपने जो-जो विषय अभी उठाए हैं, हाउस की प्रोसीडिंग लेकर के माननीय जहाजपुर से आने वाले सदस्य ने जो इश्यू उठाए हैं चाहे वह मुआवजे को लेकर हो, चाहे अलाइनमेंट को लेकर हो, चाहे गुणवत्ता को लेकर हो, जो भी इश्यू आपने उठाए हैं, उनको मैं प्रोसीडिंग से भी ले लूंगा, माननीय सदस्य से व्यक्तिगत भी पूछ लूंगा और इन दोनों विषयों के साथ में जो एनएचएआई के अधिकारी हैं और जो कंपनी इसका निर्माण कर रही है, उनको बुलाकर के चाहे एसटीपी

(श्री युनुस खान)

को लेकर के अनियमितता की हो या अब्दुल रहमान के प्रकरण की अवहेलना की हो या आपने जिस डेम का जिक्र किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय नागदी डेम के बारे में आपने कहा कि वहां थोड़ा सा एक मोड़ है, उसको सीधा करने की बात थी, वहां पर आरएसआरडीसी का आलरेडी टोल चल रहा है और वहां जाकर यह रोड लिंक होती है। यह विषय भी आपने अभी नोटिस में डाला है। जितने विषय नोटिस में डाले हैं क्योंकि भारत सरकार इसका निर्माण करा रही है, उनके अधिकारियों को प्लस कंसेशन को और आपसे विषय लेकर के और यदि वक्त मिला तो मैं स्वयं भी दौरा करूंगा क्योंकि इस तरह की हाउस में कोई शिकायत आती है तो निश्चित रूप से सरकार उसको गंभीरता से लेकर के उसका निस्तारण करेगी।

श्री उपाध्यक्ष: डन।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हमारे जो पुलिया का निर्माण हो रहा है मंत्री महोदय, उस पुलिया के निर्माण के कारण स्थिति ऐसी बन जाएगी, यह काम लगातार चल रहा है तो उसको एक बार आप जब तक जांच हो तो रुकवा देंगे क्या? हमारे नगर का रास्ता बंद हो जाएगा पुलिया निर्माण से। दूसरा, वहां जरूरत ही नहीं थी पुलिया बनाने की। इन्होंने गलत नक्शे से पुलिया बनाई और यह इतने प्रभावशाली लोग हैं कि पहले यह खण्ड चित्तौड़ में आता था, इसको इन्होंने चेंज कराकर कोटा एनएचएआई, एनएचएआई का मामला है, इन्होंने अपना स्थान ही बदलवा दिया। जब तक आप इसमें व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक हमें राहत नहीं मिल पाएगी। पंडेर का जो हमारा देवनारायण का मंदिर है, उसको क्षतिग्रस्त नहीं किया जाए क्योंकि पूरे गुर्जर समाज की जन-भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है। देवनारायण का मंदिर है, मंदिर की सरकार है। कहीं ऐसा नहीं हो कि सरकार के राज में रातों-रात सड़क निकाल दें।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय चाहे वह देवनारायण मंदिर का हो या नागदी डेम का हो, अभी यह सारे विषय नोटिस में लाए हैं। उच्च स्तरीय बैठक में माननीय सदस्य को भी बुला लेंगे और आपके सामने ही सबसे डिसकस कर लेंगे। उसमें उच्च-स्तरीय अधिकारी भी रहेंगे, जो भी समस्याएं आपने बताई हैं, उनका समाधान निश्चित रूप से करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: डा. किरोड़ी लाल जी।

जयपुर के झोटवाड़ा क्षेत्र में सफाई कर्मी की मृत्यु

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय उपाध्यक्ष जी, पुलिस थाना क्षेत्र मुरलीपुरा में 17.2.2018 को कूकरखेड़ा अनाज मंडी में 3 सफाई कर्मी जो बिल्कुल जवान थे, उनको सफाई के लिए गटर में उतारा गया। वह कोई 9 फीट गहरी थी और उसमें झोटवाड़ा हरिजन बस्ती के दो जवान एक सतीश और एक राजू की मौके पर ही मौत हो गयी। एक को अस्पताल ले जाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैनुअल स्केवेंजर यानी हाथ से और बिना मशीन के गटर को साफ करवाना कानूनी अपराध है। केन्द्र द्वारा जो बिल पास किया, एक्ट पास किया उसमें “Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013” के सैक्शन 7 में यह पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद भी ये कार्य कराये जा रहे हैं।

सैक्शन 7 में मेंशन है कि No person, local authority or any agency shall, from such date as the State Government may notify, which shall not be later than one year from the date of commencement of this Act, engage or employ, either directly or indirectly, any person for hazardous cleaning of a sewer or a septic tank.” इसमें दो साल की सज़ा का प्रावधान है और दो लाख तक जुर्माना का प्रावधान भी है। जब इस एक्ट की पालना नहीं हुई तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए, सफाई कर्मचारी आंदोलन अन्य वर्सेज यूनियन आफ इंडिया 27.3.2014 को।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह आदेश दिए गए कि ऐसी कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को दस लाख रुपये देने का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने किया। कलेक्टर की जिम्मेदारी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी किए उसमें और कई डायरेक्शन भी थे, जिसमें यह था कि Their children shall be entitled to scholarship. "They shall be allotted a residential plot and financial assistance for house construction.""at least one adult member of his family, shall be given." "concessional loan for taking up an alternative occupation" "Sewer deaths - entering sewer lines without safety gears should be made a crime even in emergency situations. For each such death, compensation of Rs. 10 lakhs should be given to the family of the deceased." "Identify the families of all persons who have died in sewerage work (manholes, septic tanks) since 1993 and award compensation of Rs.10 lakhs for each such death to the family members depending on them."

(डा. किरोडी लाल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक आंकड़ा है जो अपने राज्य में केवल 816 हैं, मैन होल में या गटर में घुसकर जो काम करते हैं लेकिन मौत हो जाने के बाद सरकार की तरफ से, ऐसे कोई आंकड़े मंत्रीजी बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इनके एक स्टेट मानिटरिंग कमेटी भी बनी हुई है। जिसके चेयर पर्सन मुख्य मंत्रीजी होती है या उनके द्वारा नोमीनेट कोई आदमी होता है। एक तो यह बता दें कि स्टेट कमेटी की मीटिंग कब हुई, मैन होल या गटर लाइन में गिरने से अब तक कितने लोग मरे, उन को क्या-क्या सहायता दी? जब कलेक्टर इसके लिए जिम्मेदार है तो या आपने कलेक्टर से कोई रिपोर्ट मंगवाई है? यहां तो हालत यह है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर्नाटक में इस एक्ट को पूरी तरह से लागू किया है जिसमें रोबोट सीवर लाइन को साफ करते हैं, वाई-फाई और ब्लू टूथ से कनेक्ट करके एक घंटे में चार मैन होल साफ कर देते हैं। दो जवानों की मौत 17.2.2018 को हुई है। उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। एक्ट में प्रावधान है, यह काम इल्लीगल है, आप करा नहीं सकते। उसके बाद भी काम हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिट लगी, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन भारत सरकार को, सारी राज्य सरकारों को भी है। उसके बावजूद भी दीन हीन गरीब सफाई कर्मी है इनको किसी प्रकार का पैकेज, जो एक्ट व सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुसार दिया हुआ है वह नहीं मिल रहा है।

मुझे पता लगा है कि इस प्रकार से डेढ़ दर्जन लोग 1993 से अब तक सीवरेज या सेफ्टी टैंक में गिरकर मर गए, जिनको किसी प्रकार की मदद अभी तक नहीं दी गई। मैं मंत्रीजी से निवेदन करुंगा कि मदद दे हीं, यह जो दण्डनीय अपराध है, इसको सुनिश्चित करें कि यह लागू हो, किसी गरीब की इस ढंग से जन धन हानि नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया इसमें कृषि उपज मण्डी कूकरखेडा, रोड न.-9, सीकर रोड के अंदर सीवर लाइन के चैम्बर में फरवरी, 2018 में सफाई कर्मी की दम घुटने से मृत्यु हुई थी। यह क्षेत्र कृषि उपज मण्डी कूकरखेडा के अंतर्गत आता है। जिस सफाई कर्मी की मृत्यु हुई थी, हालांकि वह जयपुर नगर निगम का कर्मचारी भी नहीं था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के विभिन्न शहरों में सीवरेज कार्यों, मैन होल, सेफ्टी टैंक, सफाई कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने पर मृतक के आश्रितों को दस लाख रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुशंसा पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा दिनांक 27.4.2017 को इस प्रकार के नगर निगम जोधपुर के तीन प्रकरणों में, नगरपालिका लाडनूं के दो प्रकरणों में, नवलगढ़ नगरपालिका के एक प्रकरण में तथा नगर निगम उदयपुर के चार प्रकरणों में, प्रत्येक में 10-10 लाख रुपये की मुआवजा राशि का भुगतान मृतकों के आश्रितों को किए जाने की स्वीकृति हमने जारी कर दी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस संबंध में कोई प्रकरण इस विभाग को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। माननीय सदस्य, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि अगर इसका प्रस्ताव हमको मिलेगा तो निश्चित रूप से उसको मुआवजा देने की हम कार्यवाही करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह तो एक्ट में प्रावधान है, प्रस्ताव कौन देगा, आप ही बता दीजिए मुझे, यह प्रभु जी देंगे या आप मंगवाओगे, कौन देगा? उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि जो डैथ हुई है, जिसका परिवार पूरी तरह से बरबाद हो गया, प्रपोजल कौन देगा। क्या यह सरकारी समरसता में फंसता रहेगा। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी घोषणा करें, जैसी और जगह सहायता दी है वैसी ही सहायता इनको भी उपलब्ध करा दी जाए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): यह जो समिति बनी हुई है, हालांकि यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समिति है, जो इसको देती है। लेकिन मैं आपको फिर भी विश्वास दिलाता हूं कि पूर्व प्रकरण जो भी हमारे थे उसमें तो हमने 10-10 लाख का मुआवजा दिया है। अगर इसका भी प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से इनको भी देंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 583/2003 ....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष: Let him complete what he is saying.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बार-बार कह रहे हैं प्रस्ताव आएगा But, who is submitting the proposal. प्रस्ताव कौन देगा? सरकार के विभाग अलग हो सकते हैं, सरकार तो एक है। कृषि मंत्रीजी भेजें, कोई भेजे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मैं वही निवेदन कर रहा हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): प्रस्ताव कौन भेजेगा, आप इस बात का तो जवाब दें आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): हमें प्रस्ताव मिलते ही हम दे देंगे। संबंधित विभाग जब भी प्रस्ताव...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कौन भेजेगा?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 583/2003 के निर्णय के अनुसार 27.3.2014 को इस संबंध में दायर एक प्रार्थना पत्र संख्या जिसका आप जिक्र कर रहे थे, 9/2016 के निर्णय दिनांक 10.5.2016 में इस प्रकार के प्रकरणों में मृतक आश्रितों को 10 लाख मुआवजा देने के आदेश जारी हुए थे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस तरह के प्रकरणों में जांच की जाकर मुआवजा भुगतान हेतु संबंधित विभाग को प्रकरण भेजा जाता है। हमारे पास प्रकरण आएगा, इस विभाग के द्वारा, तो निश्चित रूप से हम स्वीकृति जारी कर देंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट Let the Minister concerned, if the Minister of agriculture is also reacting. एक बार आप पूरा रिएक्शन..

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): उपाध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री। यह केवल सरकार की नौकरी में लगे हुए हैं उनके लिए नहीं है, कोई आदमी प्राइवेट भी किसी से काम कराता है तो उसको भी दस लाख की सहायता देनी होगी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मैंने आपको निवेदन किया न। पिछले दिनों हमने जिन-जिनको सहायता दी है, जैसे लाडनूं, उदयपुर के सब कैसे मैंने आपको बताए। हमारे पास प्रस्ताव आते ही हम स्वीकृत कर देंगे। प्रभूलाल जी जवाब दे देंगे आपको।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं दे रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 17 फरवरी, 2018 को राजधानी गौण मण्डी कूकरखेडा की दुकानों के पीछे सीवर लाइन जा रही है, उसमें वीकेआई के क्षेत्र से कुछ तरल पदार्थ लाकर, उसमें खाली करते समय यह दुर्घटना हुई। दुर्घटना में न तो कृषि उपज मण्डी का कांट्रेक्टर था न ही हमारे कोई श्रमिक थे। लेकिन जो घटना हुई वह दु:खद थी। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए, इसकी

(श्री प्रभूलाल सैनी)

एफआईआर 111/2018 भी मुरलीपुरा थाने में दर्ज है। 304-एक में उस पर कार्यवाही चल रही है। इसके अलावा चूंकि जहां पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और यूडीएच के द्वारा जो सहायता दी जाती है वह अलग है, उसमें तो वह कार्यवाही होगी। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने दूसरे दिन कृषि उपज मण्डी को ताला बंदी करके रोका था। इस पर कृषि मण्डी के व्यापारियों, अधिकारियों ने मिलकर, संवेदना व्यक्त करते हुए, 2-2 लाख रुपये उनको देने की घोषणा की गई थी।

इसके अलावा राज्य सरकार के प्रावधान से मिलने वाली जो राशि है, वह निश्चित रूप से इस प्रकरण का निस्तारण होते ही, कृषि उपज मण्डी, चूंकि न तो हमारे कर्मचारी थे, न हमारी सीवरेज लाइन थी, न कोई हमारा काण्ट्रेक्टर था, प्राइवेट, अपने तरीके से, इसकी जो दुर्घटना हुई है, लेकिन फिर भी दुर्घटना हुई है। इसके बारे में, मैं समझता हूं कि सम्बन्धित विभाग यदि आवश्यकता हुई तो हमारे विभाग से भेजना होगा तो हम भेजेंगे। वैसे भी एफ.आई.आर. का निस्तारण होने के बाद यू.डी.एच. डिपार्टमेंट और सोशल वैलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको देने की कार्यवाही की जायेगी। ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, वे कह रहे हैं प्रस्ताव आए। ये भी कह रहे हैं कि प्रस्ताव आए। प्रस्ताव कौन भेजेगा, आप इसमें चेयर से डाइरेक्शन दें। (व्यवधान)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): कोई नहीं भेजेगा तो अपन भेजेंगे। (व्यवधान) वे भेजेंगे। (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): किरोड़ीलालजी, प्रस्ताव भेजने वाले खड़े हुए हैं। आपको बता रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): इनको तो घटना का पता ही नहीं है। (व्यवधान) इनको तो घटना का पता ही नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): पता है। बोल रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ये दो-दो लाख देकर पीछे हट रहे हैं। इनकी व्यवस्था अलग है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): डा. साहब, मैं एक बार। डा. साहब, आपकी बात सही है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। उसका आप, सरकार प्रस्ताव भिजवाये। यह आपकी व्यवस्था है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): डा. साहब, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी विभाग का होगा, निश्चित रूप से उसको मुआवजा मिलेगा।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय रखा है, बिलकुल न्याय सम्मत है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और उसके बाद केन्द्रीय सरकार के निर्देश के ऊपर राजस्थान में भी इस तरह की एक समिति बनी हुई है। रेगुलर मैनुअल स्कैवेंजर्स को इस काम से बाहर निकालना, रिहेबिलिटेड करना और इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको दस लाख रुपये देने का प्रावधान है।

जैसे कृपलानीजी ने बताया भी कि अलग-अलग जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो उनको दस लाख रुपये दिये भी गये हैं। जयपुर में भी इससे पहले कांवटिया हास्पिटल के पास, कांवटिया सर्किल में इस तरह ही सीवरेज पर काम करते हुए दो लोगों की डैथ हुई थी तो हमने जे.डी.ए. और जो सम्बन्धित एजेंसी थी, उस एजेंसी के माध्यम से दस हजार दिलाये थे।

यह विषय जानकारी में आपके माध्यम से आया है, पहले तो नहीं। लेकिन इसमें निश्चित रूप से यह दायित्व, चाहे वह सरकार का हो या किसी और एजेंसी के माध्यम से कोई भी ठेकेदार कर रहा हो, यह दायित्व अल्टीमेटली सरकार का है कि या तो जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वह पे करे, नहीं तो फिर सरकार पे करे। यह दायित्व हमारा है। निश्चित रूप से इस पूरे को लेकर के, आपके इस मामले को देखकर जो भी एजेंसी इसके ऊपर काम कर रही होगी, उस एजेंसी को हम फार्वर्ड करेंगे और पाबन्द करेंगे कि जो नियमानुसार कम्पनसेशन बनता है, उसको देने की बात होनी चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 304 में एफ.आई.आर. दर्ज हुई, 111/18 दर्ज हुई। कैलाश नाम का जो ठेकेदार है उसको हमने 27/2 को गिरफ्तार कर लिया। वह कोर्ट से जमानत पर छूटा है। पुलिस को जो कार्यवाही करनी थी, वह की। निश्चित रूप से इसमें दो लोगों की डैथ हुई है। एक अभी भी एस.एम.एस. हास्पिटल में भर्ती है। पुलिस उस दृष्टि से कार्यवाही, आगे की जो और प्रक्रिया है, वह कार्यवाही चल रही है। जो भी इसमें और मुलजिम होंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे। एक जो ठेकेदार कैलाश था, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया। वह कोर्ट से जमानत से बरी हुआ है।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बाकी दोनों, एजेंसियों से जो भी उनकी सहायता बनती है, वह सहायता उनको मिलेगी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस रेफरेंस में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि कानून, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और कमेटी की रिकमंडेशन के तहत जो कार्यवाही करके जो कम्पनसेशन मिलना है, वह एक अलग प्रश्न है। दो लाख रुपये, मण्डी वालों ने इकट्ठे करके उनके परिवार को सहयोग दिया है, वह अलग बात है। फिर घटना के दिन, शाम को मैं सरकार की तरफ से वहां गया था। उनके परिवार के लोगों से मिला था और अंतरिम तौर पर इन कानूनी प्रावधानों से अलग, सरकार की तरफ से मृतकों को दो-दो लाख रुपये, और जो घायल था, जो अस्पताल में भर्ती था, उसको पचास हजार रुपये देने की हमने त्वरित, उसी दिन शाम को घोषणा कर दी थी। दो लाख वे हो गये, दो लाख ये हो गये, चार लाख हो गये। फिर भी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो कमेटी बनी हुई है, उसकी रिकमंडेशन के अनुसार बाकी बचा हुआ जो काम है, वह सरकार निश्चित रूप से करेगी।

श्री उपाध्यक्ष: श्री नन्दकिशोरजी महरिया।

सीकर की तहसील फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल परियोजना

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत आपने बोलने का मौका दिया।

जिला सीकर की तहसील फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ एवं रामगढ़ शेखावाटी की पेयजल की समस्या के सतही स्रोत से समाधान हेतु फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ परियोजना 832 करोड़ की राशि के साथ 2012 में स्वीकृत हुई थी। यह महत्वपूर्ण परियोजना अप्रैल, 2013 में शुरू हो गई। इस परियोजना में जिला सीकर के तहसील फतेहपुर, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ के 283 गांव व तीन शहर लाभान्वित होने थे। इसके मुख्य कार्यों में पाइप लाइन, फिल्टर प्लांट, पम्प हाउस और क्लस्टर ड्रिस्टीब्यूशन का काम था। ये सारे काम छह पैकेज में होने थे।

इस योजना के पैकेज संख्या दो व तीन के माध्यम से फतेहपुर विधान सभा क्षेत्र के 119 गांवों व 13 ढाणियों को नहरी जल उपलब्ध अब तक होना था। वे पैकेज 2013 में शुरू हुए थे और उनकी पूर्णता की तिथि अप्रैल, 2015 थी। अब तक भी वे पैकेज, वैसी ही हालत में पड़े हैं। लगभग

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

80-90 परसेंट पैसा भी लग चुका है। लेकिन फिर भी वे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उपरोक्त योजना के बाकी जो पैकेज थे, उनकी भी पूर्णता तिथि मई, 2016 थी। अब तक पांच लाख से ऊपर लोगों को लाभान्वित करने वाली यह योजना अधूरी पड़ी है, अटकी पड़ी है। योजना के निर्माण के लगभग काम, शुरू में ही भूमि आबंटन या अन्य जो कार्य थे, वे बहुत ही जल्द निपट गये थे। लेकिन एक-दो कम्पनियों की वजह से, पता नहीं क्यों सरकार उनको अनदेखा कर रही है। उन लोगों ने ढिलाई बरत कर इस योजना को लटका रखा है। अब तक जो देरी हुई है, उससे 200 करोड़ से ऊपर तो सरकार को ब्याज का ही नुकसान हो गया। उन कम्पनियों के मात्र 23.37 करोड़ की पैनल्टी लगाई गई है। यह सम्पूर्ण योजना 30.06.18 तक पूरी होनी थी। लास्ट में इन्होंने यह डेट बढ़ाई है। जबकि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में विशेष इस योजना के लिये स्पष्ट घोषणा की थी कि मार्च, 2018 तक इसको पूरा कर दिया जायेगा। अब यह किसकी अनुमति से मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बावजूद भी तीन महीने यह डेट और बढ़ी है, एक प्रश्न तो यह है और जिस कम्पनी ने 200-300 करोड़ का नुकसान कर दिया और जिसकी वजह से पांच लाख से ऊपर लोग आज भी मीठे पानी को तरस रहे हैं, उस पर क्या कार्यवाही होगी और अगर यह 30.06.2018 तक भी पूरी नहीं हुई तो मंत्री जी क्या करेंगे?

आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि इसको तुरन्त पूरा करवाएं। क्योंकि बहुत पैसा लग चुका है, जो लगने वाला था और 677 करोड़ के करीब खर्च हो चुका है। फिर एक कम्पनी की लापरवाही की वजह से पांच लाख से ऊपर लोगों को उस योजना से वंचित रखा जाये, और इतना पैसा खर्च होने के बावजूद भी काम पूरा नहीं हो, यह उचित नहीं है। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, इनकी चिंता वाजिब है। मैं इनको आश्वस्त करता हूं, जैसा मैंने डिमाण्ड के दिन कहा था कि ये ग्यारह योजनाएं सितम्बर के पहले-पहले पूरा करेंगे।

मैं आपको यह भी निवेदन करूं कि आपका यह भी सही है कि 832 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई थी, जिसमें 283 गांवों और तीन शहरों को लाभान्वित करना था। इसके ऊपर काम भी चल रहा है। 86 परसेंट काम भी पूर्ण हो चुका है। करीब 644.18 करोड़ व्यय भी किये जा चुके हैं। परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, योजना के निर्माण में, विभिन्न कारण, जैसे कि भूमि का आबंटन, रा-वाटर रिजरवायर निर्माण के लिए भूमि का चयन है,

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

विभिन्न एजेंसियों से अनुमति है, पाइप लाइन के रास्तों में अतिक्रमण है, या निर्माणकर्ता एजेंसियों के स्तर पर धीमी प्रगति रहा है। धीमी प्रगति के कारण विभिन्न निर्माण एजेंसियों पर करीब 23 करोड़ 37 लाख अस्थाई शास्ति भी लगाई गई है। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सम्पूर्ण योजना को 30.06.2018 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है। 30.06.2018 तक हम इस योजना को पूरा करने का पूरा प्रयत्न करेंगे।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अब छोटी-सी बात है कि जब बजट में मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी थी कि मार्च, 2018 तक पूरी हो जायेगी। फिर यह 30.06.2018 की डेट किसने डिसाइड की? किस अफसर के द्वारा मुख्य मंत्रीजी की घोषणा को भी आगे बढ़ा दिया गया? यह मैं पूछना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि यह जो मैंने कारण बताये हैं, इसके कारण से हमारी कमेटी बैठती है। कमेटी उसको एग्जामिन करती है। जेन्युइन कारण देख करके फिर उसको टाइम एक्सटेंशन दिया जाता है। तो टाइम एक्सटेंशन किया है। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि 86 परसेंट काम पूरा हो चुका है। अब जून तक हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि गर्मियों के पहले-पहले फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ के 283 गांवों और तीन शहरों की जो योजना है, इनमें यह काम पूरा हो जाये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति दें तो मेरे विधान सभा क्षेत्र का भी मामला है। मंत्रीजी, सही बात यह है कि 50 परसेंट से ऊपर, यह जब आपकी सरकार आई थी, तब काम हो गया था। उसके बाद में काम क्यों नहीं हुआ। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। शायद अधिकारियों ने आपको बताया नहीं।

यह एस.पी.एम.एल. कम्पनी को कुछ पैकेज थे और कुछ थे लाहोटी को। एस.पी.एम.एल. कम्पनी ने सबलेट कर दिये लाहोटी को। लाहोटी कम्पनी ने जो निर्माण कार्य किये वह हल्के स्तर के किये, जांच हुई और जांच में यह रिपोर्ट आई कि छह ओवरहैड-टैंक जो मेरे विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के हैं, वह उनमें बजरी उक्त क्वालिटी की घटिया स्तर की थी इसलिए वह फेल कर दिये और यहां मंत्री महोदय ने मुझे यह जवाब भिजवाया था मेरे प्रश्न में कि छह ओवरहैड-टैंक हैं उनको ध्वस्त करके दुबारा निर्माण किया जाएगा। वह निर्माण किया नहीं तो लाहोटी कम्पनी को उन्होंने एस.पी.एम.एल. ने भुगतान

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दिया नहीं और जब उन्होंने भुगतान नहीं दिया तो उन्होंने काम नहीं किया। डेढ़ साल तक यह लटके रखा आखिरी में जब आपकी सरकार थी, लाहोटी कम्पनी आपकी, इस सरकार की चहेती कम्पनी है इसलिए वह ओवरहैड-टैंक गिराये नहीं गये, ध्वस्त नहीं किये गये। उन्हीं के ऊपर रंग-कली करके इस योजना को पूरा किया जा रहा है।

इन दोनों कम्पनियों की घटिया सामग्री, जो है कार्य करने और उसके ऊपर किसी भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और जो पैनल्टी है, जो यह वह बताया जा रहा है न, पैनल्टी कम्पनियों की आपस के झगड़े के कारण से वह कार्य रुका था और जबकि जो पैनल्टीज कम लगाई गयी है, लगनी ज्यादा चाहिए थी वह इसलिए कम दिखाई जा रही है कि उन कम्पनियों को सरकार लाभ देना चाह रही है।

मैं आपके समय की बात नहीं कह रहा हूं, आपसे पहले से पहले के समय की बात की है इसलिए आपके ध्यान में यह लाया नहीं गया। मैं पूरा बिलकुल ईमानदारी से, सत्यता से बता रहा हूं कि इन आपस की कम्पनियों के झगड़े में ....(व्यवधान).

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन किसी और का और उस पर इंटरवीन कर रहे हैं और सरकार पर आरोप लगाते जा रहे हैं, मैं सोचता हूं कि इनको बीच में इंटरवीन करना चाहिए था तो विधिवत बात कर लें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे विधान सभा क्षेत्र का है, मुझे अनुमति दी है। जिस दिन आप आसन पर विराजोगे ना ....(व्यवधान) विधिवत ही कर रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): फालतू के दुरुपयोग करें इसका और आरोप लगा दें कि आपकी चहेती कम्पनी है और आपके यह है और आप लाभ देना चाहते हैं, यह सब बातें ठीक नहीं हैं। वैसे तो आपको इंटरवीन भी नहीं करना चाहिए। आपने कोई स्थगन नहीं लगाया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्यों नहीं करना चाहिए? मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है और सही बात सदन को और मंत्रीजी को नहीं बताऊं?

श्री उपाध्यक्ष: चलिए, अब आप विराज जाओ। Let's see, मंत्री महोदय।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं कि मेरे को प्रश्न के जवाब में पूर्व मंत्रीजी ने यह जवाब दिया कि यह छह टंकियां गिराएंगे और नई टंकियां बनाएंगे अगर इस प्रकार का जवाब दिया गया है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा और जो भी नियमानुसार होगा, उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं आज ही डिटेल आपको उपलब्ध करवा दूंगा कि मंत्रीजी का तारांकित प्रश्न में जवाब है कि इनको ध्वस्त करके और दुबारा, आपसे मंत्री बनने से पहले का मामला है इसलिए आपको बताया नहीं गया कि ध्वस्त करके दूसरी बनाएंगे जबकि आज की तारीख में भी वही टंकियां हैं और वह गिरेंगी, वह काम नहीं आएंगी इसलिए मैं समझता हूं कि इस योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री गोतम कुमार।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बोहेड़ा (बड़ी सादड़ी) में पेयजल आपूर्ति

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र में बड़ी सादड़ी स्थित बोहेड़ा गांव में एक पेयजल योजना पूर्ववर्ती सरकार ने, हमारी पूर्व में आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकृत की थी और उसका काम पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा कराया गया था। वर्ष 2010-11 में उसका काम पूरा हुआ था और 2010-11 में उसका काम पूरा होने से उस योजना में अरनिया गांव है वहां बोहेड़ा से, वहां दस किलोमीटर दूर से उस बोहेड़ा गांव को सप्लाई करने की योजना थी। उस दस किलोमीटर दूर से बोहेड़ा तक पेयजल के लिए पाइप लाइन बिछाई गयी, पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, टंकियां बनाई गईं, सब कुछ बनाया गया।

यह बात अभी घटिया निर्माण की हमारी सरकार की कर रहे थे लेकिन मैं तो आपकी ही सरकार की बात करूंगा, अभी वह चले गये कि किस तरह से उनकी सरकार में जो पाइप लाइन लगायी गयी थी उस पाइप लाइन से तीन करोड़ की जो पेयजल योजना है, उसमें एक दिन भी उस अरनिया गांव से बोहेड़ा गांव तक पूरा एक बूंद पानी भी वहां बोहेड़ा गांव तक नहीं पहुंचा, ऐसे काम पूर्ववर्ती सरकार में हुए हैं। न उनकी कोई जांच हुई। मेरे हिसाब से तो आज दिन तक किसी ठेकेदार के खिलाफ न उसमें कोई कार्यवाही हुई और न किसी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हुई।

(श्री गोतम कुमार)

सबसे पहले तो मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि जिन अधिकारियों ने ऐसी गलत पाइप लाइन डाली, उनके खिलाफ कार्यवाही हो और जो वहां के लगभग बारह-तेरह हजार की आबादी का गांव है बोहेड़ा और वहां के जो निवासी हैं वर्षों से वहां चूंकि, वहां पर पेयजल स्तर काफी नीचे है और दस किलोमीटर दूर से सरकार ने पेयजल योजना, आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार स्वीकृत की थी तो वहां की जो समस्या को देखकर जब पेयजल योजना स्वीकृत की थी। किसी ने घटिया डाली, क्या किया, उसकी तो जांच हो और कार्यवाही हो लेकिन वहां के लोगों को पानी मिले, ऐसी व्यवस्था हो क्योंकि लगातार मैंने दो-तीन बार प्रयास किया तो वह इतनी निम्न स्तर की है कि दो-तीन बार हमने किया तो एक बार में जब पानी जाता है तो लगभग आठ-आठ, दस-दस बार पंक्चर हो जाता है और वह पानी वहां बोहेड़ा तक पहुंचने की स्थिति में नहीं है।

विभाग ने भी लगातार दो-तीन बार आपको प्रस्ताव भिजवाये हैं तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां की जनता को राहत देने के लिए आप आज ही जो पेयजल लाइन, पाइप लाइन जो है, उसको स्वीकृत कराएं। लगातार वित्तीय संसाधन की जो अनुपलब्धता का जवाब हमारे पास आता है क्योंकि वह उसके बाद बहुत सारी योजनाएं स्वीकृत हुई होंगी लेकिन जो पूर्व में स्वीकृत है और उनको अपन चालू नहीं करेंगे और नई-नई स्वीकृत करते रहेंगे चूंकि, पहले की जो स्वीकृत हैं, उनको निश्चित रूप से कैसे भी करके जो गलतियां रही हैं, उनको ठीक करें। दोषी अधिकारियों के खिलाफ, ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करें लेकिन वहां बोहेड़ा गांव के बाशिंदों को पानी मिले इसके लिए आज आप उस पेयजल के लिए जो पाइप लाइन है क्योंकि बाकी का सारा स्ट्रक्चर तो आपके पास मौजूद है, वहां पर बिल्डिंग है, सब कुछ है, बाकी सारी स्ट्रक्चर है, टंकी भी बनी हुई है, केवल वह पाइप लाइन जो है, उस पाइप लाइन के लिए आज ही आप स्वीकृति जारी करें, ऐसा मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां के लोगों को निश्चित रूप से राहत देने का काम करें, धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बोहेड़ा की जल समस्याओं के बारे में जिक्र किया, यह बात बिलकुल सही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2010-11 में मोतीवाला हैडवर्क्स से बोहेड़ा ग्राम तक 160 एम.एम. की कुल साढ़े किलोमीटर पाइप लाइन लगायी गयी जिसमें से तीन किलोमीटर 150

(श्री सुरेन्द्र गोयल)
एम.एम. डीआई.के. 7 एवं साढ़े आठ किलोमीटर एच.डी.पी.ई. 160 एम.एम. पाइप लाइन लगाई गयी परन्तु वर्तमान में एच.डी.पी.ई. पाइप लाइन लीकेज के कारण से क्षतिग्रस्त है।

मैं आपसे निवेदन करूं कि आपने बिलकुल सही कहा कि यह क्षतिग्रस्त है। मैं मेरे चीफ इंजीनियर, ग्रामीण को भेजकर इस पूरे प्रकरण की जांच करवाऊंगा और जांच करने के बाद जो भी दोषी होगा अगर उसने क्वालिटी के साथ समझौता किया है, बदमाशी की है तो उसकी जांच करवाऊंगा, उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा और वाकई में यह चलने लायक नहीं है तो इसका मैं वापस दुबारा क्या हो सकता है, इसके बारे में तकनीकी परीक्षण करवाकर और परीक्षण के उपरांत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उसकी कार्यवाही करूंगा। अभी आपके उस बोहेड़ा को 40 लीटर प्रति व्यक्ति 48 घंटे के अंतराल से पानी दिया जा रहा है।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): एक मिनट, वह जो आपको 48 घंटे का बताया है, वहां 48 घंटे में कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं हो रही है, सात-सात दिन में वहां पर पानी मिल रहा है, यह कोई न कोई गलत जवाब आपको दिया गया है और पाइप लाइन के लिए तो आप स्वीकृति दे ही दें क्योंकि अब यह सात साल हो गये उसकी जांच करते-करते, अभी तक कुछ हुआ नहीं है तो पाइप लाइन की स्वीकृति की तो आज आप बिलकुल घोषणा करें, साहब, पहले भी आपने दो-तीन बार मुझे आश्वासन दिया है, आज प्लीज आप निश्चित रूप से घोषणा करें।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने न तो पहले कभी आश्वासन दिया और न कोई बात थी जो आज आपने मेरे सामने यह प्रश्न रखा है, मैंने आपको क्या कहा कि मैं इसकी पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर सम्पूर्ण जांच करवाकर किस कारण से यह हुआ क्योंकि अगर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चार-चार, पांच-पांच साल में तीन-तीन करोड़ की स्कीम्स बने और चार-चार, पांच-पांच साल में बिलकुल क्षतिग्रस्त हो जाए और उसके खिलाफ कार्यवाही भी नहीं करे और राज्य सरकार का पैसा व्यर्थ में चला जाए तो किस कारण से गया, किसके कारण से लैप्सेज हुआ है और कौन इसके लिए दोषी है, उसके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही करूंगा और उस गांव को पानी कैसे मिले इस प्रकार की व्यवस्था भी मैं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमृतलाल।

सलूम्बर में पेयजल समस्या

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय मंत्रीजी से कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के 93 गांवों को 2014 से शुद्ध पेयजल पानी पीने के लिए कार्यवाही चल रही है। हमारे पी.एच.ई.डी. विभाग के माध्यम से 111 लाख 56 हजार की डी.पी.आर. बनकर सर्वे के लिए पैसा वित्तीय स्वीकृति 30.06.2015 में हो गयी थी और पौने तीन साल के करीब हो गये लेकिन अभी तक वहां पर पानी आरक्षित नहीं होने की वजह से कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न नहीं हो पा रहा है और आगे गति नहीं बढ़ रही है।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी परिधि में 93 गांव हैं जिसमें 72 गांव सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र के हैं और 21 गांव लसाड़िया के हैं। जयसमंद के बिलकुल किनारे-किनारे हैं, पानी बहुत पर्याप्त मात्रा में है। वह एक पूरा आदिवासी क्षेत्र है और उसमें 15 के करीब ग्राम पंचायतें आती हैं। मैथुड़ी है, उथरदा है, गिंगला है, गुड़ेल है, आपके ईडाणा है, कांट, खरका है, सराड़ी है, कडूणी है, उड़वाडिया है, गावड़ापाल है, इसरवास है, माकड़सीमा है, चिवुड़ा है, खैराड़ है।

(13.00 बजे)

यह 93 गांव और बाकी लसाड़िया के हैं तो हमारा सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि पानी आरक्षित कराकर इसकी कार्यवाही आगे बढ़ायी जाए। दूसरा, मेरे नगरपालिका क्षेत्र में पानी की भयंकर समस्या है। वहां सात, आठ, सोलह और सत्रह में उच्च जलाशय बनाकर पाइप लाइन लीकेज है, उसको ठीक कराकर, उसकी स्वीकृति भी जारी की जाए। तीसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र की सराड़ा तहसील, सेमारी तहसील के बड़े गांव में सेमारी, सराड़ा, चावण्ड, देवपुरा, सकतड़ा, केजड़, जावद, इन क्षेत्रों में भी पानी की भयंकर समस्या है। बड़गांव है तो यहां भी शुद्ध पेयजल पीने के लिये व्यवस्था की जाये और चौथी बात यह है कि सोम कमला बांध का पानी जितना भरा है, उससे कई गुना बहकर चला जाता है। वहां 15 गांवों की स्कीम 2010-11 में बनी और 16 एम.सी.एफ.टी. की स्कीम है और उसका पानी हमारे लिये आरक्षित नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इटाली खेड़ा के सम्पूर्ण गांव, लम्बी डूंगरी के सम्पूर्ण गांव, नोली के बरोडा और बामणिया, ऐसे करीब 15 गांव हैं, जिनकी फाइल 2010-11 से अभी तक इधर-उधर घूम रही है, लेकिन पानी आरक्षित नहीं हो रहा है। पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। यह मेरा निवेदन है माननीय

(श्री अमृतलाल)

मंत्री महोदय से, कि इसकी कार्यवाही कराकर उस क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों को शुद्ध पानी पिलाने की व्यवस्था करावें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है कि उदयपुर के सलूम्बर एवं लसाड़िया ब्लाक के 93 गांवों की पेयजल परियोजना के लिये जयसमंद बांध में 274 एम.सी.एफ.टी. जल आरक्षण की मांग जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल संसाधन विभाग से की गयी है। इस क्रम में मुख्य अभियंता जल संसाधान विभाग द्वारा जयसमंद झील से शहरी प्रदाय योजना उदयपुर हेतु वर्तमान में लिये जा रहे पानी की मात्रा में कटौती करने हेतु हमारे विभाग को कहा गया, जिससे इस परियोजना हेतु जल आरक्षण पर विचार किया जा सके। उदयपुर शहरी पेयजल योजना पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जल मांग के अभिकल्पन जल उपलब्धता हेतु किये गये विभागीय आकलन के अनुसार वर्तमान में ही जल उपलब्धता में करीब 14 एम एल डी की कमी है और जोकि आगामी डिजाइन वर्षों में और बढ़ेगा, अत: इस परिप्रेक्ष्य में जयसमंद झील से उदयपुर शहर हेतु लिये जा रहे पानी में कटौती करना सम्भव नहीं है। यह जल संसाधन विभाग ने हमें बताया है।

इस संबंध में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रकरण पुन: सक्षम स्तर से जल संसाधन विभाग से समन्वय स्थापित किया जाकर राज्य जल नीति के तहत पेयजल को प्रथम प्राथमिकता के अनुसार योजना हेतु आवश्यक जल आरक्षण जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य को बता दूं कि आवश्यक जल आरक्षण के पश्चात् ही तकनीकी उपादेयता, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार डी पी आर बनायी जा सकेगी, एक तो यह। दूसरा, जैसा आपने कहा विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के गांव सराड़ा, चावण्ड, सेमारी, इटाली खेड़ा, डगार में से सभी गांव, जो पांच हैं, वह पाइप योजना से लाभान्वित हैं तथा जल सेवा स्तर भी सभी योजनाओं में क्रमश: 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। ग्राम चावण्ड और इटाली खेड़ा एवं सराड़ा में 48 घंटे के अंतराल से तथा शेष दो गांवों में 24 घंटे से जलापूर्ति की जा रही है।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सोमकमला बांध से पानी लेने के लिये 14 गांवों का आपने जिक्र किया, तो मैं आपसे निवेदन कर दूं कि सलूम्बर में ग्राम पंचायत इटाली खेड़ा, डगार एवं लंबी डूंगरी के 14 राजस्व ग्रामों के लिये स्थानीय निवासियों एवं जन-प्रतिनिधियों की मांग के

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

क्रम में सोमकमला अंबा बाध से नवीन पेयजल योजना निर्माण हेतु जल संसाधन विभाग से 16 एम सी एफ टी जल आरक्षण की मांग की गयी है और आवश्यक जल आरक्षण की सहमति उपरांत तकनीकी उपादेयता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार परियोजना तैयार कर लाभान्वित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

सूरतगढ़ की आरक्षित गजट सूची में कृषि एवं आबादी भूमि का विशेष आबंटन

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वह शायद राजस्थान में एक ऐसी राजस्व तहसील है जहां सबसे ज्यादा राजस्व संबंधी विवाद हैं। लगातार पिछले 10-15 सालों से हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि वहां के समस्त राजस्व संबंधी प्रकरणों का निपटारा करके वहां के काश्तकारों को राहत दी जाये। आज जो पर्ची के माध्यम से मैंने जो सवाल लगाया, वह सीधे-सीधे रूप पर मेरे क्षेत्र में ऐसी भूमि, जिस पर पूर्व में किसी न किसी रूप में राजस्व विभाग द्वारा आबंटित कर दिया गया, चाहे टी.सी. में हो, चाहे अन्य हो। कुछ ऐसी भूमि, जहां बालिग पुत्रों की, कब्जा नियमन की उनकी एप्लीकेशन चल रही है, अलाटमेंट के लिये वह मांग कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी भूमि, लगभग 17 ऐसी आबादी मेरे क्षेत्र के अंदर, जिन पर आज से 50, 100 साल पहले, गांवों के गांव बस गये, उसको विशेष आबंटन में रिजर्व करने का जो काम राजस्व विभाग ने बहुत ही बगैर सोचे-समझे कर दिया।

दूसरा, हमारे सूरतगढ़ शहर के आस-पास की जो भूमि है, उसके खातेदारी पिछले साल तक दी जा रही थी, लेकिन न जाने साल-सवा साल में क्या ऐसा नया नियम आ गया कि उन लोगों को खातेदारी देनी बंद कर दी। विशेष रूप से जो जोहड़-पायतन की भूमि थी, जो 1955 में राजस्व विभाग द्वारा तबादला दे दिया गया, किसी रूप में काश्तकारों को दे दी गयी, उनको खातेदारी दे दी गयी और उनके हिस्से में दर्ज कर दी। लेकिन आज भी उन लोगों को वापस नोटिस दिये जा रहे हैं कि यह जोहड़-पायतन की भूमि है। अनेकानेक ऐसे प्रकरण हैं, मैं तो आज सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा माननीय राजस्व मंत्री महोदय से, आपके माध्यम से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकरण का जब तक हम सुलटारा नहीं करेंगे, जब तक इन प्रकरणों पर पूरे ठीक ढंग से बात नहीं करेंगे, मैं लगातार सम्पर्क में हूं, चार

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

सालों से मैं हूं उससे पहले 10-15 सालों में हम जायें तो यह सारे इतने बड़े लम्बे प्रकरण हो गये, राजस्व विभाग इसमें टस से मस नहीं करता। अभी जो विशेष आबंटन की भूमि है, उसको डिनोटिफिकेशन करने के लिये बार-बार हमने निवेदन किया है। मैं बार-बार अधिकारियों से मिला हूं, माननीय मंत्री महोदय से मिला हूं, लेकिन आज तक किसी न किसी बात को लेकर उसमें छोटी-मोटी कमी निकाल दी जाती है जिससे आज हमारी स्थिति यह है कि हमारे किसानों को इतनी बड़ी दिक्कत हो रही है और हमारे राजस्व संबंधी प्रकरण है, उनका निस्तारण नहीं हो रहा है। और यह मेरे सूरतगढ़ में तो बहुत ज्यादा है, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं। बाकी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की सारी यह समस्या है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से यह जानना भी चाहूंगा कि इस संबंध में वह क्या कार्यवाही करवा रहे हैं और नहीं करवा रहे हैं तो इसको तुरन्त राज्य सरकार द्वारा इन ऐसे प्रकरणों का, जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। इसके अलावा दूसरे भी जो राजस्व संबंधी प्रकरण हैं, उनका तुरन्त निस्तारण करके काश्तकारों को राहत दी जाए, क्योंकि जब हम तहसील में देखते हैं तो सारे वही लोग अपनी खातेदारी लेने के लिये, अपनी सीमा-ज्ञान कराने के लिये, अपने विशेष आबंटन की भूमि को निकालने के लिये ऐसे अनेकानेक प्रकरण जिनके लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। रोज उनको वहां तहसील में बुला लिया जाता है, कभी पटवारी बुला लेता है, कभी एस.डी.एम. के कार्यालय में जाना पड़ता है तो मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे प्रकरणों का तुरन्त निस्तारण करके सब लोगों को, जिनकी वाजिब बात है, उनका फैसला कीजिये और जो जायज काम हैं, उनको किया जाए और इसका डिनोटिफाइड किया जाए, जो यह भूमि रिजर्व कर रखी है। धन्यवाद।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आबादी भूमि को और अन्य जो कालोनाइजेशन की भूमि है, आरक्षित भूमि को डिनोटिफाइड करने के लिये इन्होंने पर्ची लगायी है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि डिनोटिफाइड के अलावा आपने जो बात कही कि राजस्व विभाग द्वारा काम नहीं किये जा रहे हैं। आपने मेरे से 10 अमीन मांगे, हमने सैटलमेंट से अमीन भेजे और आपने संतुष्टि भी जाहिर की कि आपके अमीनों ने मेरा बहुत सहयोग किया। जो मुरब्बे में, जिस जगह खेत पर बैठा हुआ था, उसका खेत दूसरी जगह था। हमने उनको उस हिसाब से सैटल्ड करने के लिये आपके यहां

(श्री अमराराम)

पर करीब साल भर यह काम चालू रहा। आपके यहां सैटेलाइट सर्वे हो रहा है। माडर्नाइजेशन आफ रेवेन्यू रिकार्ड हो रहा है। आप जो यह बात कह रहे हो राजस्व विभाग ने जो काम किया है, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में वैसा कभी नहीं हुआ और खास तौर से आपके सूरतगढ़ के अन्दर ही, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की आरक्षित गजट सूची में कृषि भूमि का सामान्य आबंटन एवं विशेष आबंटन हेतु गजट से डि-नोटिफाइड करने के प्रस्ताव जिला कलेक्टर, गंगानगर से उपनिवेशन विभाग को प्राप्त हो गये। हमारे कोलोनाइजेशन विभाग को प्राप्त हो गये हैं। प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रकरणों का परीक्षण किया जाकर नियमानुसार गुणावगुण पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। विशेष आबंटन हेतु अधिसूचित भूमियों को मौके पर आबादी बसी होने के कारण विशेष आबंटन से मुक्त करने सम्बन्धी तहसील सूरतगढ़ से संबंधित दो प्रस्ताव 18.11.2016 तथा पांच प्रस्ताव 16.10.2017 को जिला कलेक्टर, गंगानगर द्वारा उपनिवेशन विभाग को प्रेषित किये गये हैं। विभाग द्वारा उक्त सातों प्रस्तावों का पूर्ण परीक्षण कर एक्सरसाइज करके भिजवाये जाने के जिला कलेक्टर, गंगानगर को निर्देश दिये गये हैं। ज्योंही तहसील और गंगानगर जिला कलेक्टर से प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र आयेंगे, एक्सरसाइज करने के बाद प्रकरणों का परीक्षण किया जाकर नियमानुसार गुणावगुण पर शीघ्र ही निर्णय किया जाएगा।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री तरुण राय कागा।

चौहटन में यातायात की सुचारु व्यवस्था

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): जनाबएवाला डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे पर्ची पर बोलने का मौका मिला, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।

मैं मेरा विधान सभा क्षेत्र चौहटन उपखण्ड मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है और पंचायत मुख्यालय है लेकिन वहां यातायात की व्यवस्था बहुत ही बदइन्तजामी और बदहाल है। हालांकि संयुक्त रूप से दो विभागों से इसका ताल्लुक है इसलिए पुलिस और परिवहन विभाग से मैं अर्ज करना चाहूंगा कि वहां ट्रैफिक के कोई कर्मचारी वगैरह नहीं हैं। वहां यातायात विभाग की बसें चलती हैं, वहां माफियाओं की अवैध रूप से टैक्सियां चलती हैं तथा जो बस बाड़मेर पहुंचती है उसको शहर के अन्दर नहीं घुसने दिया जाता है।

(श्री तरुण राय कागा)
बाहर होकर जाने की वजह से टैक्सी वालों को ज्यादा शह मिल रही है जिससे यातायात विभाग का भी राजस्व कम होता है और यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरे चौहटन कस्बे में इस बदइन्तजाम की वजह से कई लोग शिकार हुए। मौतें हुई हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, बहुत हादसे हुए हैं इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर पुलिस विभाग का माकूल इन्तजाम हो ताकि इस तरह से वहां बेतरतीब तरीके से व्हीकल्स खड़े होते हैं और वहां बाईपास होने के बावजूद भी, बड़े व्हीकल्स सिटी में आ जाते हैं और छोटे-छोटे वाहनों का तो अन्दाजा लगाना ही मुश्किल है। इस तरह से वहां हादसे हो जाते हैं। कभी-कभी बाजार में होकर जाना पड़ता। कई बार मैं खुद भी उसमें से मुतासर हुआ हूं तो वहां हमको एक-एक घंटे का इन्तजार करना पड़ता है इसलिए मैं दोनों विभागों से निवेदन करूंगा कि एक तो वहां ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था सही तरीके से करवायी जाए और परिवहन विभाग की बसें जो जयपुर, अजमेर, ब्यावर, सब जगह जाती हैं, हमारे प्रभारी मंत्रीजी मौजूद हैं, मैंने प्रभारी मंत्रीजी की बैठक में कई बार उठाया है लेकिन उस मामले को ठण्डे बस्ते में डाला जा रहा है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप आदेश फरमायें ताकि टैक्सियां बन्द हो जाएं और बसें शहर में से होकर गुजरें। जिस तरह से पहले वहां पर शहर में टिकट खिड़की हुआ करती थी, उसी तरह से लोग वहां से बैठें और वहां उतरें।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि चौहटन से गरीब तबके के लोग बसों में इलाज के लिए जाते हैं और टैक्सियों में उनको डबल खर्चा करना पड़ता है। बाड़मेर तक का साठ रुपये किराया है लेकिन वे सौ रुपये किराया ले लेते हैं। तो उनके लिए बहुत ज्यादा आर्थिक भार पड़ता है इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वहां पुलिस का अच्छा इन्तजाम किया जाए। ट्रैफिक पुलिस का इन्तजाम किया जाए और बसों तक जाने की इजाजत दी जाए ताकि अवैध रूप से चलने वाले वाहन बन्द हो सकें। शुक्रिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उसमें बहुत सच्चाई है। अभी भी हम एसडीओ हैड क्वार्टर पर ट्रैफिक पुलिस नहीं दे पाये हैं। बाड़मेर जिले में केवल दो ही जगह अभी ट्रैफिक पुलिस के नाम से पोस्टेड हैं। एक बाड़मेर में, एक बालोतरा में। बाकी जितने भी एसडीओ हैड क्वार्टर हैं, उनमें हमारी ट्रैफिक पुलिस नहीं है। जो लोकल थाना है वहां का, उसी से कुछ लगाकर हम व्यवस्था करने का जरूर प्रयास करते हैं। प्रस्ताव वहां से 2015 में भी आया हुआ है, अभी 2017

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
में भी आया है। अभी हमें कुछ संसाधन मिले हैं, अगर हमारी कांस्टेबल की इतनी संख्या के बाद भर्ती होगी, हम अब की बार इस बारे में विचार जरूर कर रहे हैं कि जितनी भी बड़ी नगरपालिकाएं हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस नहीं है और जो बड़े तहसील केन्द्र हैं, जहां पर हमें ट्रैफिक की आवश्यकता है, उनको हमने प्रस्ताव में ले रखा है। मैं सोचता हूं कि हमारी पीएचक्यू की वित्तीय समिति है, उसके पास आपके सारे के सारे प्रस्ताव आये हुए हैं।

अभी एसडीओ ने भी वहां 26.02 को इसी बारे में एक बैठक की है और बैठक करके जो कुछ भी उपलब्ध है, उसी के अनुसार कुछ ट्रैफिक का स्थान बदलने का प्रयास किया है, कुछ को साइड से निकालने का प्रयास किया है। समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन दो बार प्रस्ताव 2015 और 2017 में आये हैं, हम कोशिश करेंगे उन प्रस्तावों के आधार पर, यातायात पुलिस केवल आपके यहां ही नहीं, बाकी ऐसी नगरपालिकाएं हैं, जहां पर यातायात पुलिस उपलब्ध नहीं हैं, उनमें से अधिकांश को कवर करने का प्रयास करेंगे। इतना मैं आश्वस्त कर सकता हूं। जो कुछ मैन पावर है, उसके काम में अगर कोई कमी खामी है, उसमें अगर कोई शिकायत होगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। जो व्यवस्था बन सकती है, उसको बनाने का प्रयास करेंगे।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): गृह मंत्री महोदय, मैं उपाध्यक्ष महोदय के मार्फत आपसे गुजारिश करूंगा, जब तक स्थायी इन्तजाम नहीं हो, तब तक स्थानीय पुलिस से ट्रैफिक का इन्तजाम करायें। दूसरा, जो अवैध वाहन चल रहे हैं, उनको रोककर, हमारी बसें यदि सिटी से गुजरेंगी तो आर्थिक हानि से हम बच सकेंगे। इसका इन्तजाम किया जाए। शुक्रिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी 26.02 को ही बैठक हुई है। उसमें उन्होंने कुछ निर्णय लिये हैं। चौहटन कस्बे में सुबह 09 बजे से 07 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। इस हेतु श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर को ट्रैफिक पुलिस लगाने के लिए कहा गया था। रोडवेज बसों को पुराने बस स्टैण्ड पर खड़ी न होकर, नये बस स्टैण्ड पर खड़ी करने का निर्णय लिया गया है। उस मीटिंग में उन्होंने कुछ निर्णय लिये हैं कि कौनसी बस को कहां खड़ा किया जाए, कहां से प्राइवेट बसें संचालित हों, जो जीपें चलती हैं, उनको कैसे किया जाए। अभी जो कुछ उपलब्ध स्टाफ है उसी से हम व्यवस्था को बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री धीरज गुर्जर, सदस्य, राजस्व राज्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जहाजपुर उपखण्ड अधिकारी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे अधिकारी की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो अपने पद पर रहते हुए निरन्तर...

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले आपका ध्यान आकर्षित कर दें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया और उसमें जिसको 16 सीसी का नोटिस मिल चुका है, उस प्रकरण के अन्दर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। और एक बार नहीं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्व मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित हो चुका है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एस.डी.एम. जहाजपुर के खिलाफ में जो सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि करतार सिंह, एस.डी.एम. द्वारा 12 वर्ष पूर्व 30 बीघा जमीन अपनी पत्नी के नाम ग्राम धुवाला में खरीदना बताया गया, जिसकी सूचना सम्पत्ति विवरण में देना भी बताया गया।

पुलिस थाना, हनुमान नगर में श्री करतार सिंह, उनकी पत्नी श्रीमती सुनीता कौर व अन्य के विरुद्ध में मारपीट करने के सम्बन्ध में दिनांक 20.09.2015 को एफ.आई.आर. संख्या 163/2015 दर्ज की गई जिसमें 08.08.2016 को अभियुक्तगण को संदेह का लाभ देकर न्यायालय द्वारा दोष मुक्त किया गया।

प्रश्नगत भूमि आराजी खसरा नम्बर 1323/861 में श्री कजोड़मल कुम्हार का संवत् 2065 से लगाकर के रकबा 3 बीघा, संवत् 2066 में रकबा 3 बीघा, संवत् 2069 में रकबा 2 बीघा पर अतिक्रमण करने से उसके विरुद्ध धारा 91 की कार्यवाही की जाकर उसको बेदखल किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के द्वारा दिनांक 11.02.2017 को लोक अदालत में पेश प्रकरण श्री रामस्वरूप सैन द्वारा नम्बर 38/2017 पर प्रकरण दर्ज कर प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 861 में 16.05.89 को आबंटन बताते हुए खातेदारी चाही, जिस पर दिनांक

(श्री अमराराम)
11.02.2017 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा रामस्वरूप सैन को खातेदार घोषित किया गया तथा राजस्व नक्शों में तरमीम करने के आदेश दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने तहसीलदार को बिना सुने, जो लैंड होल्डर होता है सरकार की ओर से उसको, एकतरफा कार्यवाही करके और बिना कोई पुख्ता रिकार्ड के रामस्वरूप सैन को जो भूमि आबंटन हुई थी वो बहुत पहले हुई थी, 1989 में हुई और 1989 में रजिस्टर के अन्दर वहां अलाटमेंट कमेटी होती है उसने सिफारिश कर दी। वह रजिस्टर तो हमें मिला नहीं लेकिन उसी के आधार पर यह वहां के एस.डी.ओ. ने उसको खातेदारी दे दी। हमने उसके विरुद्ध में अपीलेंट आथोरिटी को अपील कर दी है और वह प्रकरण विचाराधीन है, जुडीशियल है इसलिए उसके बारे में तो हम कह नहीं सकते हैं लेकिन जिस प्रकार से उसने अनियमितताएं की हैं, उसके बारे में हमने हमारे ए.डी.एम. के द्वारा जांच करवायी। जांच करने पर उसके विरुद्ध चार्जशीट, आपको अपने सीसीए रूल पता ही है, 16 के तहत चार्जशीट पेश कर दी है। वो कार्मिक विभाग को जायेगी, फिर हमारे पास में आयेगी, हम गुण अवगुण के आधार पर उसकी विस्तृत जांच, प्रारम्भिक जांच हुई है लेकिन उसके बाद विस्तृत जांच कराकर नियमानुसार विधि सम्मत उसके खिलाफ में कार्यवाही करेंगे। अगर कोई भी दोषी होगा उसको किसी सूरत में नहीं बख्शा जायेगा। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): इसका मतलब इनको अपने कलेक्टर की जांच पर ही भरोसा नहीं है। यह कह रहे हैं प्रारम्भिक रूप से दोषी पाया, हम उसको दोषी नहीं मान रहे। अब मैं आपको बताता हूं कि यह जो आपका एस.डी.एम. है वर्तमान में...

श्री उपाध्यक्ष: आप ऐसे पूछो, क्या यह सही है कि आपको अपने कलेक्टर की जांच पर भरोसा नहीं है?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, हां, एक-एक करके प्रश्न कर रहा हूं। क्या सरकार को अपने कलेक्टर और ए.डी.एम. ने जो जांच की है उस जांच पर इनको भरोसा नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज के दस-बारह साल पहले जब इन्होंने, एस.डी.एम. ने जब तहसीलदार थे, जहाजपुर के अन्दर जमीन खरीदी, क्या उस समय इन्होंने अपने विभागीय अधिकारियों से, क्योंकि जो सरकारी अधिकारी होता है उसको अपनी कोई जमीन खरीदने से पहले सरकार को जानकारी देनी पड़ती है और स्वीकृति लेनी पड़ती है, क्या

(श्री धीरज गुर्जर)

जमीन खरीदने से पहले इन्होंने जानकारी ली और स्वीकृति ली? क्या एक राजकीय कर्मचारी अपनी जमीन के पास में लगती हुई बिलानाम भूमि के ऊपर अतिक्रमण कर सकता है? उसके साथ ही जब 2015 में इनके खिलाफ कजोड़ कुम्हार ने, इनके, इनकी पत्नी, इनके भाई की पत्नी के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया तो जनवरी, 2016 में इन्होंने जहाजपुर में अपना पदस्थापन करवाया और पदस्थापन करवाने के बाद में क्या ये पद पर रहते हुए एस.डी.एम. के खिलाफ कोई व्यक्ति मुकदमा चला सकता है क्या? उस व्यक्ति को बुलाकर कोर्ट में राजीनामा करवाया। मैं आर्डर लेकर आया हूं, उसमें संदेह का लाभ इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने यह कहा कि जिस व्यक्ति ने एफ.आई.आर. दर्ज की थी उस व्यक्ति ने राजीनामा कर लिया है।

मैं सरकार की जानकारी में और लाना चाहता हूं। मंत्री महोदय, क्या आपकी जानकारी में है इनको तीन बार तहसीलदार रहते हुए दंडित किया जा चुका है? चौथी बार इनको एस.डी.एम. केकड़ी या हिण्डौली कहीं रहते हुए एक बार 16 सीसी का नोटिस और मिल चुका है। फिर इनको पांचवीं बार जहाजपुर में अभी एस.डी.एम. रहते हुए 16 सीसी का नोटिस और मिल चुका है।

और, मंत्री महोदय, मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि इतने महान अधिकारी हैं, यह तो मैं आपके सामने केवल एक प्रकरण लेकर आया हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इनको जो 16 सीसी का नोटिस मिला वो इस बात का मिला है कि एक दिन में ही, जहाजपुर कोर्ट में कम से कम पांच सौ से हजार मुकदमे पेंडिंग होंगे 11-11 साल से, 15-15 साल से, 11 तारीख को एप्लिकेशन ले ली, 11 तारीख को उसका फैसला कर दिया, तहसीलदार को सुना नहीं और उस जमीन के अन्दर रामस्वरूप सैन, कब्जा था कजोड़ कुम्हार का, यह खुद स्वीकार कर रहे हैं इस जांच के अन्दर कि कजोड़ कुम्हार को 91 का नोटिस का नोटिस जारी हुआ था और उस कजोड़ कुम्हार की जगह पर रामस्वरूप सैन को इन्होंने अलाट कर दिया और उस रामस्वरूप सैन से अगले ही दिन जमीन, आदेश करने के दो दिन बाद ही 13 तारीख को ही रामस्वरूप सैन से अपने भाई छोटू सिंह गुवारिया, उसके बेटे जीत सिंह गुवारिया के नाम पर रजिस्ट्री करवा ली और तीन दिन बाद में नायब तहसीलदार रिटायर हो रहा था, उस नायब तहसीलदार से सात दिन बाद में नामान्तरण, म्यूटेशन खुलवा लिया जमीन का। अगर आप इतनी फास्ट कार्यवाही करने लग जाओगे तो फिर आपको राजस्थान में राजस्व आपके द्वार चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उपाध्यक्ष महोदय।

(श्री धीरज गुर्जर)

और तो और इस प्रकरण के अलावा, राजस्व मंत्रीजी, मैं आपको अन्य प्रकरण बता दूं। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है लेकिन मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। जिस तरह से सरकार की बदनामी हो रही है, हम तो चाहते हैं ये खूब भ्रष्टाचार करें ताकि आपकी बदनामी हो, लेकिन जो लुट रही है वो मेरे क्षेत्र की जनता, जिन्होंने मुझे वोट दिया।

एक अन्य प्रकरण में इसी उपखण्ड अधिकारी ने 11 साल से...

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न पूछ लो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हां, आप बताएं जरा क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): यह जो आपने कहा, पहली बात तो आपने कही कि आपके ए.डी.एम. और कलेक्टर पर विश्वास नहीं, हमारे ए.डी.एम. और कलेक्टर की रिपोर्ट पर हमें विश्वास है, आप द्वारा यह कहना गलत है। और उन्होंने ही, जो रिपोर्ट पेश आयी है, चार्जशीट पेश की है इसलिए आपको पता है, यह जो 4 बीघा और 10 बिस्वा भूमि नक्शे के अन्दर तरमीम नहीं है। यह 4 बीघा भूमि डी.एल.सी. रेट के अनुसार भी है, उसके लिए हम आई.जी., स्टाम्प को भी लिख रहे हैं कि उसकी रेट क्या है? यह सारी विस्तृत जानकारी आपको पता नहीं है लेकिन हम करा रहे हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): नहीं, मुझे पता है।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): आपको पता नहीं है लेकिन हम करा रहे हैं। डी.एल.सी. रेट जो सरकार की है वो रेट वहां पर है, 10 लाख से ज्यादा है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हां।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): और उसने दो लाख के अन्दर स्टाम्प ...(व्यवधान) एक ड्यूटी स्टाम्प की लगायी है दो लाख की लगायी है।

तो यह सारी बातें हैं। पहले जो म्यूटेशन भरा है उनका आनन-फानन में, उसकी भी हमने जांच करायी। साधारणतया म्यूटेशन कितने दिनों से भरा जाता है। फटाफट म्यूटेशन भरा, उसमें हम पटवारी को भी, गिरदावर को भी और जो आपको एस.डी.एम. है, उन किसी को हम नहीं छोड़ेंगे। जो दोषी होगा उसके खिलाफ में कार्यवाही करेंगे। (व्यवधान) यह कहना यह भ्रष्टाचार की सरकार है, जितने भ्रष्टाचार के मुकदमे इस सरकार ने खोले हैं वो कभी किसी ने नहीं खोले हैं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): यह तो आपने क्या खोला ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): चाहे कितना ही बड़ा अफसर हो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): गुर्जर साहब, कितना ही बड़ा अफसर हो, अगर दोषी है तो दोषी होगा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मंत्री महोदय, इसमें तो शिकायतकर्ता ही मैं हूं।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): लेकिन ये है, चार्जशीट आने के बाद में ऐसी कोई लेकुना न रह जाए, जिसके अंदर हम पूरे विधिवत और नियमानुसार उसकी जांच विस्तृत कराकर के।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकरण में मूल शिकायतकर्ता मैं हूं और 6 महीने से इन्होंने जांच नहीं की है तो जब सदन में ध्यानाकर्षण लगा और आसन द्वारा कार्यवाही में प्रगति हुई, तब फटाफट आनन-फानन में नोटिस जारी किए गए। मंत्री महोदय, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस घोटाले के बाद तो 4 जमीनों में घोटाला और कर चुका है। आप क्या चाहते हैं कि पूरे जहाजपुर की जमीन पर कब्जा करवाएंगे एसडीएम का? उपाध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: Just a moment.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई प्रश्न माननीय सदस्य उठाते हैं और माननीय मंत्री उस बात से संतुष्ट हो जाते हैं, उसके बाद अगर सदन में एक्शन नहीं होगा तो,...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप शांत रहिए, ये नूरा-कुश्ती में आप बीच में मत पड़ो। आप शांत रहो। अगर इस सदन में एक्शन नहीं होगा तो किसी माननीय सदस्य का सदन में प्रश्न उठाने का महत्व कम हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया है, कलेक्टर और उसकी जांच है, फिर अथोरिटी क्या रहेगी अपनी? मंत्री की क्या अथोरिटी रहेगी और सदन की क्या अथोरिटी रहेगी? इसलिए मेरी प्रार्थना है कि यदि यह बात सत्य प्रमाणित होती है तो सदन में कम से कम मंत्रीजी को उन पर कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि मंत्रीजी की भी अथोरिटी बनी रहे और सदन में प्रश्न उठाने की अहमियत भी रहेगी।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य घनश्याम जी ने जो बात कही,...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): एक मिनट, एक मिनट,...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप विराजें, Let's see, what he wants to say.

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय उपाध्यक्ष जी, जो फैक्ट्स माननीय मंत्रीजी ने इस प्रकरण के बताए हैं, मेरा निवेदन है कि पटवारी के खिलाफ कार्यवाही होगी, गिरदावर के खिलाफ कार्यवाही होगी, म्यूटेशन क्यों हो गया, कितनी जल्दी हो गया, मूल निवेदन यह है कि जब उनका भ्रष्टाचार उजागर ही हो गया तो आप उनको उस पद से हटा क्यों नहीं रहे? उस पद पर बनाए क्यों रखा है?

आखिर तो प्रशासन की यह साधारण समझ होनी चाहिए कि जिस पद पर रहकर उन्होंने करप्शन किया है और एसडीएम के पद पर रहकर अपने या किसी के नाम आर्डर एक दिन में कर दिया और उसके बाद तत्काल दो दिन में अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन खरीद ली और वह भी 10 लाख कीमत की जमीन 2 लाख में खरीद ली, मेरा सीधा-सा निवेदन है, ऐसे प्रकरणों में राज्य सरकार अधिकारियों को तत्काल वहां से हटाने का काम क्यों नहीं करती है, ताकि उनको सबक मिले कि ये मामले ऐसे नहीं चलेंगे और सरकार इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार की बर्दाश्तगी का सवाल है कि सरकार ऐसे प्रकरणों को बर्दाश्त नहीं करे और तत्काल उस व्यक्ति को एपीओ करे, उसे हटाए और ऐसे लोगों को फील्ड पोस्टिंग से हटाए, यह मेरा निवेदन है आपसे, ताकि इस सरकार की जो छवि है, वह बनी रहे और प्रशासन में शुद्धता हो।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, एक मिनट आप विराज जाओ। उप-सचेतक महोदय, आप कुछ कहना चाह रहे थे?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा कि माननीय सदस्य ने जो बात कही कि मैं खुद शिकायतकर्ता हूं, यह पर्सनल रैफरेंस नहीं आना चाहिए, यह बात मैं आपके सामने रखना चाहता था, जो राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष पद से दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन में यह बात उद्धृत है, आप चाहें तो पेज नंबर 329 निकालकर के देख लें।

श्री उपाध्यक्ष: पढ़ें, पढ़ें आप इसको। पढ़ें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): उसमें बहुत स्पष्ट है,

(श्री मदन राठौड़)

पर्सनल रैफरेंस नहीं आना चाहिए। 2 अप्रैल, 1992, पृष्ठ 28, ये शिकायतकर्ता खुद हैं और यह विषय यहां उठा रहे हैं,...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): शिकायत यहां सदन में कर रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पर्सनल रैफरेंस नहीं आना चाहिए, बस यह मेरा निवेदन है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला आपका रिश्तेदार है? आपका रिश्तेदार है क्या राठौड़ साहब?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मुख्य सचेतक महोदय जो बात कह रहे हैं, वह इस प्रकरण पर लागू नहीं होती है। एक जन प्रतिनिधि एक भ्रष्ट लोक सेवक के विरुद्ध अगर इस सदन में नहीं उठाएगा तो कहां उठाएगा?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): साहब, मैं उस पर ऐतराज नहीं कर रहा हूं। मेरा उस पर ऐतराज नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप विराज जाइए, विराज जाइए। इनका व्यक्तिगत काम नहीं है यह।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट, the reference of उप-मुख्य सचेतक is that in case if you have gone and filed a complaint, complaint means, if you have gone and filed a complaint in the Police Station or elsewhere or for any particular purpose, as far as the Hon'ble member is saying, he hasn't gone and filed a complaint, probably he has gone for filing a 'Dhyanakarshana Prastav', for which the minister concerned is responsible to reply. I am sure he has got the basic facts.

आप मंत्री महोदय, इन सारे ही जो विचार आए हैं सम्माननीय सदस्यों के, उन्हें ध्यान में रखते हुए एक सामूहिक रूप से अपना वक्तव्य दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, मुझे भी बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष: रुकिए, देखिए, हो सकता है आप सैटिस्फाई हो जाओ उनकी बात से।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह चिंता जाहिर की है, उसके खिलाफ जब चार्जशीट कलेक्टर ने, एडीएम ने चार्जशीट देने के लिए, 16 सीसीए की कार्यवाही के लिए रिकमेंड किया है, वह कार्मिक विभाग में फाइल है और कार्मिक विभाग से एक-दो दिन में हमारे पास आएगी। हां, हम जरूर कानूनी कार्यवाही करेंगे, यह

(श्री अमराराम)
आपको विश्वास दिलाता हूं और उसको एपीओ करने की जहां तक बात है, मैं आपको यह कह रहा हूं,

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): सुनिए आप, ठहरिए। एपीओ करने की जहां तक बात है, कानूनी कार्यवाही के तहत एपीओ भी होगा और आगे भी कार्यवाही हम विस्तृत जांच कराकर करेंगे। यह सरकार पारदर्शी सरकार है। इसमें कोई कोताही नहीं होगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एपीओ करो सदन में आज ही। आप हिम्मत वाले मंत्री हो तो एपीओ करो, जिसके खिलाफ इस सदन में इतनी बात आ गई। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह प्रमाणित हो गया, उसके खिलाफ आपने डीओपी में चार्जशीट भेज दी और आपकी सरकार मान रही है, तो आज ही एपीओ क्यों नहीं किया जा सकता उस अधिकारी को? क्या मोह है सरकार का ऐसे भ्रष्ट अधिकारी से।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट। हां, पार्लियामेंट्री एफेयर्स मिनिस्टर, आप फर्माएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में बहुत स्पष्टता से सारी बात कह दी। इन्होंने यह भी कह दिया कि कलेक्टर और एडीएम की रिपोर्ट के अनुसार 16 सीसीए की चार्जशीट बनाकर हमने डीओपी को मूव कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह भी कह दिया कि डीओपी से ज्योंही हमारे पास प्रस्ताव आएंगे, तद्नुसार सारी कार्यवाही होगी। इन्होंने यह भी कह दिया कि अनुशासनात्मक कार्यवाही भी होगी। उसकी जांच के आधार पर सीसीए 16 के अंदर मेजर पैनल्टी है, बर्खास्त भी किया जा सकता है नौकरी से, इसलिए सरकार की,...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज भी ऐसा भ्रष्ट अधिकारी वहीं बैठा है, सरकार उसको बचा रही है। क्या लालच है सरकार को? ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को एपीओ नहीं करने का क्या कारण है? उसे निलम्बित करने का आदेश देना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जब यह बात सरकार के संज्ञान में आई तो जांच भी माननीय मंत्री महोदय ने ही निश्चित की होगी। इनके कहने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर जांच हुई। कलेक्टर, एडीएम ने भी जांच की। अगर सरकार बचाना चाहती तो सरकार जांच ही नहीं करती। सदन में यह कह देना कि 16 सीसीए में उसका नोटिस दिया, डीओपी ने चार्जशीट बनाई, उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी मालूम होगा, चार्जशीट देने से पहले उसे स्पष्टीकरण देने का मौका मिलता है, यह आरएसआर में लिखा हुआ है। राजस्थान सर्विस रूल्स यह कहता है कि आप 17 या 16 में जब चार्जशीट करते हो तो पहले संबंधित व्यक्ति को उस चार्जशीट के आधार पर स्पष्टीकरण का मौका देना पड़ेगा।

हमें शो-कॉज देना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा, पर सरकार की बचाने की कोई मंशा नहीं है। इस सारी एन्टायर प्रोसीडिंग के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर मुख्य मंत्री महोदय के संज्ञान में मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर ये सारी बातें रखूंगा।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा था, जो व्यक्ति वहीं बैठा है, उसी जिले में लगातार जांच को प्रभावित कर रहा है और 1 नहीं मैं 4 प्रकरण और बता रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी एसडीएम ने अभी हाल ही में 157/2006 का जो मामला था,...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप विराजें। मंत्री महोदय, आप कुछ इसमें और एड करना चाहते हैं या जो आपका स्टैंड है, वही स्टैंड है? आप इसके अलावा कुछ और एड करना चाहते हैं क्या? बिकाज जहां तक आसन का सवाल है, आसन सिर्फ आपसे यह निवेदन करता है। If it is proved beyond doubt that the Officer concerned has misused his office for personal gains, अगर यह चीज आपको बेयोंड डाउट है, तब तो आप कुछ और फर्माओ और अगर आपकी इन्क्वायरी और भी शेष है, then you have to satisfy yourself.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन ने जो निर्देश दिए हैं, उसकी पालना करेंगे, पर मैंने जैसा कि निवेदन किया, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार हमें एक बार शो-कॉज नोटिस के आधार पर उनसे जवाब लेना पड़ेगा। उनका जवाब नहीं आया तो मैंने कहा न उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के संज्ञान में लाकर के,...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपकी सरकार ने जेडीए में अफसर एएसपी को किया था, एक आईपीएस को किया था, क्या उससे पूछा था आपने? आप अफसर के भ्रष्टाचार का पाप अपने सिर पर क्यों ढोये चल रहे हो, यह समझ में नहीं आ रहा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अगर यह चाहते हैं कि सदन में ही सब चीज की घोषणा हो जाए, यह आवश्यक नहीं। आसन ने निर्देश दे दिया, आपने स्पष्ट निर्देश दिया और मैंने स्पष्टता से कह दिया कि मुख्य मंत्री महोदया के संज्ञान में सारी बात लाकर जो भी एप्रोप्रिएट हो, सारी प्रक्रिया अपनाकर सख्त से सख्त कार्यवाही ऐसे लोगों के खिलाफ करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इससे तो यह साबित होता है राठौड़ साहब कि आप एसडीएम का संरक्षण कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा दे रही है।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप जो भ्रष्टाचारियों का संरक्षण कर रहे हो, ये जो कार्य कर रहे हो,...

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाओ, विराज जाओ। Now it is more or less settled.

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हुकम, हुकम, बस दो मिनट मुझे मौका दिया जाए, प्लीज, निवेदन है सर।

श्री उपाध्यक्ष: आप प्रश्न पूछ लो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं यह कह रहा हूं कि जो आदमी दोषी ठहरा दिया गया है, उसका मुद्दा सदन में आ चुका है, अब एक तरह से मैं उसका शिकायतकर्ता बन चुका हूं और उसी क्षेत्र में वो व्यक्ति रहेगा तो क्या लोगों को प्रताड़ित नहीं करेगा? जिन व्यक्तियों की जमीन पर नाजायज कब्जा लगातार वहां पर कर रहा है तो क्या उन लोगों को प्रताड़ित नहीं करेगा? इसका मतलब इस सदन के अन्दर कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाये ही नहीं। अगर आज आम आदमी कोई आवाज उठाता है, आप उसको बचा रहे हैं, मंत्री महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको बचाना क्यों चाह रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है, जो अधिकारी भ्रष्ट है, तहसीलदार रहते हुए तीन बार प्रताड़ित हो चुका है, जिसको पहले एक बार 16 सीसीए में नोटिस मिल चुका है और यह पांचवीं बार जिस व्यक्ति को दण्डित करने का मौका दिया जा रहा है उसको आप एपीओ नहीं करना चाहते। जब शिकायत हो गई, उस मामले में उसी तहसील में उसको रखा है।

श्री उपाध्यक्ष: चलो, now it is understood. मंत्री महोदय, कुछ फर्माएंगे इस पर?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आसन के आदेश की पालना करेंगे और मैं कह भी चुका हूं कि एक-दो दिन के अन्दर विस्तृत चार्जशीट हमारे पास आ जाएगी और जो भी आप आदेश करेंगे, आसन करेगा वो हम कर देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, विराज जाओ, आप भी विराज जाओ। एक-दो दिन नहीं, आसन आपसे निवेदन करता है Within a week take an action which is justifiable and which is as per the facts. श्री हीरालाल नागर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

कोटा विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में अनियमितताओं के दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में पूर्व कुलपति के कार्यकाल के दौरान नियुक्तियों में हुई अनियमितताओं की जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री हीरालाल जी नागर के द्वारा जो सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है उस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि कोटा विश्वविद्यालय में वर्ष 2012 से 2014 की अवधि में हुई नियुक्तियों के सम्बन्ध में जो प्राप्त शिकायत थी उसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा एक जांच समिति गठित की गई और उसकी जांच करवाई गई। राज्य सरकार द्वारा उक्त उल्लेखित जांच समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित कर...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना गम्भीर भ्रष्टाचार का मामला हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष: कहां? कौनसा मामला?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यही एसडीएम, जहाजपुर वाला।

श्री उपाध्यक्ष: विराज जाओ। That's over now. That's over. सम्माननीय सदस्य महोदय, विराज जाओ। अब आप विराज जाइये। (व्यवधान) आसन की बगैर इजाजत के जो बोला वो अब अंकित नहीं होगा। She is on to a different issue altogether. कहीं तो कोई नियम और कायदे-कानून, एक मिनट विराज जाइये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: आई एम श्योर, आपको आसन पर विश्वास है न? तो अब आप विराज जाओ, आई एम श्योर। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 000

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, पूरा समझते हैं। मंत्री महोदय अंग्रेजी और अंग्रेजी से आगे तक की बात समझते हैं, आप विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री उपाध्यक्ष: विराज जाओ न। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मंत्री हैं न, He is capable for attending all these issues.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्य सरकार द्वारा उक्त उल्लेखित जांच समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित कर तथ्यात्मक स्थिति चाही गई थी जो विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार को पत्र दिनांक 23.01.2017 के द्वारा प्रेषित कर दी गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक टिप्पणी एवं उक्त उल्लेखित जांच समितियों की रिपोर्ट का परीक्षण किये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा एक विभागीय परीक्षण समिति का गठन किया गया। राज्य सरकार द्वारा गठित परीक्षण समिति के प्रतिवेदन की छाया प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित कर विभाग द्वारा विश्वविद्यालय को निर्देशित किया गया था कि वो प्रत्यात्मक एवं पर्यवेक्षणीय त्रुटियों हेतु जिम्मेदारी तय करके दोषी अधिकारियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करे तथा जिन अधिकारियों, कार्मिकों या शिक्षकों की नियम विरुद्ध भर्ती की गई है उनके विरुद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाए। इस सम्बन्ध में लेख है कि विश्वविद्यालय में फरवरी, 2013 में हुई अशैक्षणिक व शैक्षणिक पदों पर हुई नियुक्तियां सम्बन्धी प्रकरण तत्समय भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो में प्राथमिक जांच की स्थिति में था। विगत दिनों अगस्त, 2017 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा उक्त प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई है। उक्त प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित समस्त अभिलेख राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर को भिजवा दिये गये हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में उक्त प्रकरण अन्वेषणाधीन है। अन्वेषणाधीन में जो भी दोषी पाये जाएंगे उन पर तुरन्त प्रभाव से कार्यवाही की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय और सरकार का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने निष्पक्ष एक जांच कमेटी बनाई और उस जांच कमेटी ने इस कोटा विश्वविद्यालय में जो भर्तियां हुईं उनमें भ्रष्टाचार की जांच की। उस जांच कमेटी ने उनको दोषी भी पाया और दोषी पाने के बाद मंत्री महोदय ने बताया कि विश्वविद्यालय से इस पर टिप्पणी ली गई, टिप्पणी के लिए फिर परीक्षण कमेटी भी आपने यहां सरकारी स्तर पर नियुक्त की और उस टिप्पणी में निष्कर्ष आया उसके निर्देश आपने विश्वविद्यालय को दिये कि आप इसकी पालना करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के निर्देश के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। जो दोषी पाये गये हैं वो दोषी कर्मी आज भी वहीं पर काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदया ने बताया कि एसीबी में प्रकरण दर्ज हो चुका है पर वो उस कार्यवाही को प्रभावित भी कर रहे हैं और वो दोषी जिन्होंने वहां भ्रष्ट तरीके से नियुक्ति पाई है वह आज भी वहां विश्वविद्यालय में रहकर विश्वविद्यालय के माहौल को भी खराब कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा के आठवें सत्र में भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से ही इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर मधुसुदन शर्मा द्वारा उनके स्वयं के पुत्र विपुल शर्मा एवं अन्य करीबी व्यक्तियों के लिए अधिकारी वर्ग के विभिन्न पदों पर नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का मामला उठाया था तो भी मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि सरकार दो-दो बार जांच के बाद जो नियम विरुद्ध कार्यवाही पाई गई है उसमें कोटा विश्वविद्यालय निर्देशानुसार उचित कार्यवाही करेगा और सरकार इसके लिए पूरी तरह सजग है। परन्तु पूर्व में जो उठाया था उसके आश्वासन की भी पालना नहीं हुई है और अभी भी सरकार, माननीय मंत्री महोदय के विधान सभा में दिये गये आश्वासन की कोई पालना वहां विश्वविद्यालय नहीं कर रहा है। इस कमेटियों की जांच के बाद भी उप कुल सचिव (शोध) और परीक्षा नियंत्रक के पद पर जो नियुक्ति अधिकारी हैं उनकी नियुक्तियां प्रथमदृष्टया जांच कमेटियों ने गलत पाई। विश्वविद्यालय, विभागीय और प्रशासनिक अधिकारी कार्यवाही नहीं करके स्पष्ट सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। अधिकारियों के विरुद्ध जो एसीबी में भी प्रकरण दर्ज हुआ है तो वो कहते हैं कि एसीबी में प्रकरण दर्ज है और जांच के बाद कार्यवाही करेंगे तो यह भी नियम हैं कि जांच में अभी....

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न पूछिये। सम्माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): प्रश्न यह है कि यह जो कोटा विश्वविद्यालय के नियम हैं और सीसीए रूल्स के 4 में प्रावधान है कि अपाइंटिंग अथोरिटी की किसी विश्वविद्यालय से निलम्बन से पूर्व निम्न गाइड लाइन हैं जिन पर मैं ध्यानाकर्षण चाहूंगा कि कार्मिक के खिलाफ गम्भीर प्रकृति के आरोप हैं तो प्रथमदृष्टया उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसे सेवा से पृथक् किया जा सकता है, मेजर पैनल्टी दी जा सकती है। ऐसा विश्वास करने के कारण ही कार्मिक का सक्रिय सेवा में रहना प्रकरण की जांच को प्रभावित करेगा। अत: इस प्रकार नियुक्तियों में भ्रष्टाचार की एफ.आई.आर. दर्ज होने पर भी दी गई गाइड लाइन के अनुसार उनके खिलाफ जो कार्यवाही नहीं हुई उसके लिए मैं मंत्री महोदया से चाहता हूं कि जो परीक्षा नियंत्रक और पूर्व कुलपति के पुत्र विपुल शर्मा हैं उन दोनों के सस्पेंशन आदेश के लिए माननीय मंत्री महोदया आश्वस्त करें जिन्हें दोनों जांच कमेटियों ने दोषी पाया है। आप घोषणा करें कि उनके सस्पेंशन की कार्यवाही तुरन्त ही करने के आप सदन में आश्वासन दें और उनके खिलाफ विश्वविद्यालय के द्वारा कार्यवाही की जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोटा विश्वविद्यालय में मधुसुदन शर्मा की नियुक्ति बाकायदा मीटिंग बुलाकर नियमानुसार की गई थी। आप उस दिन पधारे नहीं थे और जान-बूझकर राजनीतिक द्वेषता की वजह से आप उनके खिलाफ एलीगेशन लगा रहे हैं यह आपको शोभा नहीं देता। (व्यवधान)

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): आप भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अभी बचा रहे थे न। सरकार बचा रही थी न।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): कांग्रेस के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नियमानुसार नियुक्ति हुई है और उस व्यक्ति के खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): आप उनको बचा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराज जाओ। एक मिनट आप भी विराज जाओ। आप भी विराज जाओ।

I will not allow personal allegations in this House without prior notice. Hence it will get deleted. You will keep this in your mind when you give the reply. This has not happened. Minister Madam, you will not keep in mind the deliberation and the expression of the hon'ble member. It has not happened. And if somebody is interested in doing that, this is not the place and I

(श्री उपाध्यक्ष)

will not allow it. And you do it again, I will see to that you are asked to leave this House. Keep your manners and etiquette intact.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल कोई पर्सनल एलीगेशन के सन्दर्भ में नहीं है लेकिन जैसाकि माननीय सदस्य ने जो यहां पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, उन भर्तियों के ऊपर, जो सन् 2012 से 2014 के बीच में हुई थीं और उन भर्तियों के अंदर जिस तरीके की जो अनियमितता हुई, उन अनियमितता के संदर्भ में उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। अभी कुछ समय पहले ही, हमारे से पहले जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया था, उसमें माननीय सदस्य ही जोर-जोर से कह रहे थे कि आप भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको बचाने में आपका क्या इंट्रेस्ट है? वगैरह-वगैरह सारी बात आपने कही लेकिन अब जब भ्रष्टाचार हुआ या जहां गलतियां हुईं, उनके खिलाफ हम कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं तो माननीय सदस्य सामने से उठकर कह रहे हैं कि उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष: आपको यह चीज आब्जर्व नहीं करनी थी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): नहीं, मुझे तो आब्जर्व नहीं करना, मैं तो जो तथ्य हैं, वह सामने रख रही हूं सदन के। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय मंत्री महोदया, आपके ऊपर भी आरोप लगे थे। आप मैडम खुद के ऊपर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के? मैडम आप पर, खुद पर ही तो कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इतने बड़े घोटाले के आरोप आप पर लगे थे। आप यहां कह रही हो कि हम बचा रहे हैं भ्रष्टाचारियों को। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): हनुमानजी, सदन की गरिमा तो रखो। क्या महिलाओं पर इस तरह से टीका-टिप्पणी कर रहे हो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): एक सैकिण्ड, उनकी यह आदत है, उस आदत से मजबूर हैं वह। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परीक्षण में पाई गई प्रमुख प्रक्रियात्मक एवं पर्यवेक्षण की जो कमियां रहीं, वह मैं आपके सामने रखना चाहती हूं।

विश्वविद्यालय ने विज्ञापन दिया 20.4.2012 में, आरक्षण के पदों को स्पष्ट रूप से अंकित उसमें नहीं किया। अत: यह विज्ञापन नियमों के विपरीत है। विज्ञापन की प्रति संलग्न है। आप चाहें तो मैं इसे टेबल कर सकती हूं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

दूसरी बात, विज्ञापन जारी करते समय यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया कि कितने पद किस वर्ग के लिए आरक्षित थे एवं रोस्टर रजिस्टर के आधार पर पदों के आरक्षण की स्थिति का निर्धारण करते हुए तदनुसार आरक्षण किया जाना था, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किया गया। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ के चयन हेतु राजस्थान शिक्षक एवं अधिकारियों नियुक्ति के लिए चयन अधिनियम है, 1974 के सैक्शन (10) में आरक्षण के प्रावधान का वर्णन किया गया है, जो विश्वविद्यालय के स्पष्टीकरण में उल्लेखित नहीं है।

तीसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक व अशैक्षणिक पदों पर भर्ती उपरान्त जारी वरीयता सूची में मैरिट का आधार अंकित नहीं है तथा मैरिट किन तथ्यों के आधार पर तय की गई, यह आर्डर आफ मैरिट क्या है? मैरिट के सैम्पल की प्रति भी संलग्न है, जो मैं आपके यहां पर टेबल कर सकती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री विपुल शर्मा, जिसके संदर्भ में माननीय सदस्य ने यहां पर बात कही, उनके प्रकरण में विज्ञापन उप कुलसचिव पद हेतु जारी किया गया। परन्तु नियुक्ति उप कुलसचिव रिसर्च (पी.एच.) के पद पर दी गई। यानी, एडवर्टाइजमेंट तो होता है डिप्टी रजिस्ट्रार के पद का और जब उसको नियुक्ति दी जाती है तो उसके ऊपर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि यह Dr. Vipul Sharma s/o Dr. M. S. Sharma on the post of Deputy Registrar Research (PH), which is Physical Handicapped or Research. न तो ये रिसर्च, न फिजिकली हैंडीकेप, यह सिर्फ डिप्टी रजिस्ट्रार की पोस्ट का ही विज्ञापन हुआ था। उस पर नहीं करके और यह पोस्टिंग के समय इस तरीके का लिखा गया, जो नियमानुसार नहीं है।

परीक्षा नियंत्रक पद पर चयनित अभ्यर्थी का कार्यानुभव पद के अनुरूप नहीं है। जो एक्सपीरियंस मांगा गया था, वह एक्सपीरियंस भी उनका पूरा नहीं था। विश्वविद्यालय की चयन समिति ने यूजीसी रेगुलेशन, 2010 के अनुसार चयन के समय एन्युअल परफोर्मेन्स इंडीकेटर्स को चयन को आधार नहीं बनाया था। ये सारी अनियमितताएं जो आन रिकार्ड हैं और वह मैंने आपके समक्ष यहां पर रखीं।

जैसाकि माननीय सदस्य ने अभी कहा कि एसीबी में जांच चल रही है। एसीबी के अंदर जांच चलते हुए एफआईआर भी लॉज हुई है और

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

एफआईआर लॉज होने पर माननीय सदस्य के मन में शंका है, वह यह कि ये जो दो व्यक्ति वहां लगे हुए हैं, जिनका नाम इन्होंने कहा, डी.आर. के पद पर विपुल शर्मा और परीक्षा नियंत्रक है प्रवीण भार्गव, इन दोनों के संदर्भ में माननीय सदस्य का पूछना था कि ये वहां पर लगे रहेंगे? तो जो सारे दस्तावेज हैं, उन सबके अंदर कहीं कोई मेनिपुलेशन्स न हों या कोई कार्य के अंदर जो जांच हो रही है, वह जांच प्रभावित न हो इनके लगे रहने से, तो मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहती हूं कि जब तक यह जांच चलेगी, एसीबी ने एफआईआर भी लॉज कराई है, एसीबी जब तक उनकी पूरी रिपोर्ट सामने लेकर नहीं आती, दूध का दूध और पानी का पानी, जो भी कार्यवाही करनी होगी, उन पर करेंगे, तब तक इन दोनों को वहां से हटाने हेतु या सस्पेंशन करने हेतु मैं माननीय कुलाधिपति को अपनी ओर से अनुरोध करूंगी, यह मैं माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से इन्हें आश्वस्त करना चाहती हूं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, मेरी विषय वस्तु बाकी रह गई थी, दो मिनट मुझे बोलने का मौका दें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इसी के संबंध में?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): फिर बताओ, इनका भी इतना गम्भीर मामला था... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): +++ ये कहां से आ गये? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोटा विश्वविद्यालय के संबंध में?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): हुकुम, मेरे वाले के संबंध में।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ना ना ना, इनका जहाजपुर का था। जहाजपुर वाला भी तो बता दो।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): जहाजपुर वाले के संबंध में हुकुम।

श्री उपाध्यक्ष: I can't now do that.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, +++ कहां से आ गये? इनका क्या लेना-देना है?

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): +++ फिर सब कुछ साफ हो जाता है हुकुम लेकिन आप पड़ने का मौका नहीं दे रहे हो। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: मैं इस प्रकार की टिप्पणियों को अलाउ नहीं करूंगा। सब आप लोग प्रेम चन्द हैं, न्याय चन्द हैं। +++ यहां कोई नहीं है। No, I can't allow that. Sit down.

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंह जी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की पांच अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.12(5)वित्त/कर/2018-199 दिनांक 06.3.2018 जिसके द्वारा नगरपालिका क्षेत्रों में स्थित रीको औद्योगिक क्षेत्र में उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा पर नगरीय उपकर की छूट प्रदान की गई है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-200 दिनांक 06.3.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-49 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2018-201 दिनांक 06.3.2018 जिसके द्वारा राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा-9 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की अनुसूची के आर्टिकल-43 के खण्ड (2) के उपखण्ड (बी) तथा खण्ड (3) के उपखण्ड (ए) में विनिर्दिष्ट भागीदारी दस्तावेज जिसमें पिता, माता एवं पुत्र भागीदार हो, पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान की गई है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-202 दिनांक 07 मार्च, 2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है; एवं

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-203 दिनांक 07 मार्च, 2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ. 12(46) वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-161 दिनांक 23 जनवरी, 2018 में संशोधन किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन, श्री गुलाबचन्द कटारिया।

प्रतिवेदन एवं लेखे

लोकायुक्त, राजस्थान का 30वां (वर्ष 2015-16) व 31वां (वर्ष 2016-17) प्रतिवेदन एवं

जस्टिस माथुर आयोग से प्राप्त प्रकरणों की समेकित जांच रिपोर्ट

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा 12/5 के अन्तर्गत लोकायुक्त, राजस्थान का 30वां वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 मय स्पष्टीकरण ज्ञापन तथा 31वां वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 मय स्पष्टीकरण ज्ञापन एवं जस्टिस माथुर आयोग से प्राप्त प्रकरणों की समेकित जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं।

व्यवस्था का प्रश्न

लोकायुक्त के प्रतिवेदन के साथ उस पर की गयी कार्यवाही का ज्ञापन भी प्रस्तुत होना चाहिए

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी लोकायुक्त की रिपोर्ट जो माननीय राज्यपाल महोदय को दी जाती है और राज्यपाल महोदय को देने के इतने दिन बाद जब आप सदन के पटल पर रखते हैं तो साथ-साथ राज्य सरकार की ओर से एक्शन-टेकन रिपोर्ट भी साथ-साथ आती है। इसके साथ एक्शन-टेकन रिपोर्ट नहीं है। सरकार इस सारे बारे में क्या सोचती है, उसके बारे में जो एक्शन-टेकन है, वह साथ-साथ प्रस्तुत होती है। श्रीमाल साहब थे, तब भी हुआ था। अब इसको सरकार ने आज प्रस्तुत नहीं की, आप कब तक प्रस्तुत कर देंगे? क्या विचार है? सदन को इसको जानने का अधिकार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आसन से यह व्यवस्था हुई थी, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात उठाई थी...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): लोकायुक्त की रिपोर्ट अलग चीज है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...कि जितने भी प्रतिवेदन हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, वह समय पर आनी चाहिए। ज्योंही यह महामहिम राज्यपाल महोदय से हस्ताक्षरित हुई है, चूंकि सदन चल रहा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय और हम इस रिपोर्ट को अगर सदन में आज

(श्री राजेन्द्र राठौड)

प्रस्तुत नहीं करते और वापस सदन जब आहूत होता, तब करते तो उस समय कहते कि यह इतने लम्बे समय पर सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर सदन को बताया नहीं। आज यह डाक्यूमेंट पब्लिक डाक्यूमेंट हो गया। इसकी जो प्रक्रियात्मक कार्यवाही है, निश्चित तौर पर निश्चित समय पर हो जाएगी। उसमें क्या दिक्कत की बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, मैंने यह प्रश्न उठाया ही नहीं कि कब रखा, कब नहीं रखा क्योंकि मुझे पता है, इसको रखे हुए तो एक साल हो गया है। यह मार्च, 2016 तक का है। इसलिए सरकार के पास पर्याप्त समय था तो सरकार अगर इसको रखती है, आप हर चीज को डिफेंड करो, खड़े होते तो, बात मान ली आपकी, लेकिन मैंने इसको डिले के लिए नहीं कहा आपको कि डिले हो गया। मैंने तो यह कहा है कि सरकार को लोकायुक्त की रिपोर्ट के साथ-साथ एक्शन-टेकन रिपोर्ट या कुछ स्पष्टीकरण कारक एक पत्र सरकार प्रस्तुत करती है जिसके अंदर यह पता लगता है कि लोकायुक्त की रिपोर्ट पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। यह कहना है मेरा तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह मैंने निवेदन किया...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वह करेंगे, मंत्रीजी बैठे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपको दिक्कत है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, दिक्कत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): क्या दिक्कत है आपको?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसलिए दिक्कत है कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेरा अधिकार है, बोलूंगा मैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप मुख्य मंत्री नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मुख्य मंत्री नहीं हूं, मैं संसदीय कार्य मंत्री हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते संसदीय कार्य मंत्री।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं बोलूंगा। हर चीज में आपकी बात चलेगी क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, मेरी चलेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): विद्वता होगी, आपके पास होगी। यह क्या बात हुई उपाध्यक्ष महोदय।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यही बात है। यही बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): स्पष्टीकरण ज्ञापन आप पढ़ो तो सही। उसको पढ़ो, उसमें स्पष्टीकरण ज्ञापन है कि नहीं। मैं कह रहा हूं, स्पष्टीकरण ज्ञापन है। स्पष्टीकरण ज्ञापन है उसमें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, बता दो ना स्पष्टीकरण ज्ञापन है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप भी विराज जाएं। आप भी विराज जाएं। एक मिनट मंत्री महोदय। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कौन बोलेगा, कब बोलेगा?

(14.00 बजे)

अगर आसन अनुमति देता है तो उस सदस्य, उस मंत्री को बोलने का अधिकार मिल जाता है और When the Floor is with the person concerned then that person will deliberate on it. मैं इसमें एक निवेदन कर दूं मंत्री महोदय, It is not for the first time that it's happening, जब आपके 2001 से लगाकर, 2004 की जो रिपोर्टस आई थी, ना वो 2009 में आई थी, So let it be there, we have considered and recorded your observations. Now let me go into the detail, Hon'be Chair will go into the detail and I'll come back to you. It does not require to be debated. There have been number of circumstances or number of such citations, the reports have come after six years. What has happened that time, whether it was accompanied by ATRs or not. I'll go into it, the merits of it and I'll get back to you. Why should we...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जो स्पष्टीकरण ज्ञापन दिया, उसमें डिटेल दी है। लेकिन, इसके बारे में एक्शन टेकन का जो समय चाहिए, आपका आग्रह यह था कि रिपोर्ट बहुत डिले होती हैं। हमने इस कारण से इसको जितना जल्दी सम्भव था, मंगाकर के हाउस के सामने आज लास्ट दिन है। अगर, हमारी मंशा में कोई खराबी होती तो हम आज इसको नहीं भी पेश करते तो 4 महीने आगे चली जाती, 6 महीने आगे चली जाती।

सरकार की मंशा यह नहीं है कि इस रिपोर्ट में जो कुछ दिया है, वो

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आज की तारीख में राजस्थान की जनता के लिए एक डाक्यूमेन्ट के रूप में आ गई। अब इससे न तो कोई सरकार मुकर सकती है, न कोई व्यक्ति मुकर सकता है।

मैं सोचता हूं कि जितना जल्दी इसको लाया जा सकता है, लाने का प्रयास किया और सदन की जैसी मंशा थी और आसन का जैसा निर्देश था, उसके अनुसार हमने किया। सामान्यत: इसका स्पष्टीकरण जो है मोटे-मोटे बिन्दु इसमें लगे रहते हैं, फिर भी सरकार इसमें आगे क्या एक्शन टेकन करेगी, जब कभी आवश्यकता होगी और समय हो, उसके आधार पर लाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: But I am still keeping your observation, the Hon'ble Chair keeps its order reserved till I go into the detail and then the Hon'ble Chair will give its expression accordingly. श्री राजेन्द्र राठौड़।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का अंकेक्षण प्रतिवेदन (राजस्थान विद्युत विनायक आयोग) वर्ष (2016-17)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 104 (4) के अन्तर्गत राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का पृथक् अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र गोयल।

राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 33वां प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेमोरेण्डम आफ आर्टिकल के नियम, 114 के अंतर्गत राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर का प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 से 2017-18

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष

(श्री किरण माहेश्वरी)

महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं:-

(1) महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर अधिनियम, 2012 की धारा 41 के अंतर्गत महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 (दिनांक 12.1.2018 की स्थिति में) एवं

गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा का प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 से 2016-17

(2) गोविन्द गुरु जनजाति विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा अधिनियम, 2012 की धारा 42 के अंतर्गत गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप व्यवस्था नहीं देते तो क्या हालत होती, आप देखिए। 2012 से लेकर अब पेश हुए हैं। ये आसन की व्यवस्था के कारण ही पेश हुए हैं। अगर आसन व्यवस्था नहीं देता तो कभी सदन में पेश होते ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री दर्शन सिंह जी।

याचिका

करौली की ग्राम पंचायत हुड़ला स्थित सब-सेन्टर की प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नति

श्री दर्शन सिंह (करौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र करौली की ग्राम पंचायत हुड़ला स्थित सब सेन्टर को प्राथमिक उप स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री घनश्याम।

टोडाभीम उपखण्ड मुख्यालय हाईवे रोड पर ट्रोमा सेन्टर की स्थापना

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के टोडाभीम उपखण्ड मुख्यालय पर हाईवे रोड पर ट्रोमा सेन्टर की स्थापना करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

खींवसर के ग्राम खड़खाली, कसवों की ढाणी से गिलनी तक पक्की सड़क निर्माण

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र खींवसर के ग्राम खड़खाली, कसवों की ढाणी से गिलनी तक पक्की सड़क निर्माण बाबत एक याचिका का उपस्थान करता हूं।

विधेयक पर विचार

दण्ड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक, 2018

श्री उपाध्यक्ष: विधायी कार्य। विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक, दण्ड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक, 2018, श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह जी डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दण्ड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक, 2018, आज प्रदेश में जिस प्रकार की स्थिति है हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। सरकार उसके रोकथाम के लिए कड़े प्रावधान करने के लिए बिल लेकर के आई है। आज भी प्रदेश में प्रतिवर्ष 1300 के लगभग नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। यह हमारे सबके लिए चिन्ता का विषय, शर्मनाक भी है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से किसी भी प्रदेश के लिए इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही अफसोसजनक हैं। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकारों को काम करना चाहिए। हमारे जो कानून में प्रावधान है, उनके मुताबिक सुशासन रहे, कानून व्यवस्था कायम रहे, प्रदेश के लोगों को न्याय मिले। यह हर सरकार से अपेक्षा की जाती है, हर सरकार समय-समय पर प्रयास भी करती है।

आज जो विधेयक लाया गया है, निश्चित रूप से यह सरकार का एक अच्छा कदम है, ऐसे अपराधों के ऊपर रोक लगनी चाहिए। लेकिन, हम देर आये, दुरुस्त आये बहुत देर की, हमने। जब दिल्ली में यूपीए गवर्नमेंट थी, तो इसी तरीके से एक मामला हुआ। भारत सरकार ने भी कानून में संशोधन किया। अपराधियों के लिए दण्ड कड़े करने के संशोधन पहले भी किये गये,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आज भी किया जा रहा है। मुझे इसमें ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन एक बात जरूर निवेदन करना चाहता हूं...

(14.07 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

कि प्रत्येक नागरिक जो उसका मूलभूत अधिकार है कि वो शांति से अपना काम कर सके, उसको न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट भी बार-बार ये कहता रहा है कि सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय मिले। निश्चित रूप से भारत के संविधान में भी इस बात की व्यवस्था की गई है कि हर व्यक्ति को शांति से जीने का अधिकार है।

आज जिस प्रकार की माननीय सभापति महोदय, घटनाएं बढ़ रही हैं और बढ़ ही नहीं रही हैं, बल्कि पुनरावृत्तियां इतनी हो रही हैं कि कानून का खौफ अपराधियों में से जाता रहा।

आज हम देख सकते हैं, हास्पिटल में मरीज भर्ती होते हैं, अटेंडेण्ट आते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं। जो गरीब लोग हैं, जो अपना आशियाना सड़कों पर बनाकर रहते हैं, वो भी सुरक्षित नहीं, रात को ऐसा माहौल प्रदेश में हो गया कि बच्चियां 7-8-9 बजे बाद में निकल नहीं सकतीं।

इन सबके लिए निश्चित रूप से हम सबको मिल बैठकर एक साथ सोचना पड़ेगा और सोचकर ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे। जिससे अमन चैन कायम रहकर, हर व्यक्ति सुरक्षित जीवन अपना जी सके और अपने स्वाभिमान से अपना काम कर सके।

आज हम देखते हैं कि कई प्रकरण ऐसे आते हैं कि जिस कार्यालय में कर्मचारी काम करते हैं। वहां पर महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से उनके शोषण की बातें आती हैं, निश्चित रूप से आज 60 साल बाद में भी अगर हम इन पर रोक नहीं लगा पाये। तो, हम सब क्या मैसेज देंगे आने पीढ़ी को, यह हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। यह कोई राजनीति का विषय नहीं हो सकता। प्रत्येक देश का नागरिक यह चाहता है कि मुझे मेरे अधिकार मिलें, मैं सुरक्षित रहूं। हमारे पास में पुलिस फोर्स, जो आज वर्तमान में है, मैं समझता हूं कम है तरह-तरह के ज्यों-ज्यों आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं, ज्यों-ज्यों विकास बढ़ रहा है, त्यों-त्यों नये अपराध आते जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि आज से 20-25 साल पहले चैक के अनादरण होने का, बैंक से किसी ने टेलीफोन करके और उनके नंबर पूछ करके और उनसे वहां से चीटिंग करने के, ये इस तरह के अपराध नहीं होते थे। मोटे-मोटे किसी खेत का झगड़ा हो गया,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सींव का हो गया या किसी की आपस में कहासुनी हो गयी उसने उसके मार दिया, उसने उसको मार दिया। इस तरह के झगड़े होते थे, लेकिन आज साइबर क्राइम हमारे प्रदेश में पांव फैला रहा है, पूरे देश में। आज साइबर क्राइम में हम छठें स्थान पर हैं पूरे देश में, यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से साइबर क्राइम के थाने खोलने की हमारी सरकार की घोषणा हुई थी, लेकिन उसके ऊपर जो अमल होना चाहिए वो समय रहते नहीं हुआ और आज कोई भी इस काम से अछूता नहीं है किसी को फोन से पूछ करके हमारे आईएएस हैं मोहती जी इनके भी पैसे निकाल लिये। मुझे भी आज से बारह महीने पहले फोन किया कि एक बहुत गरीब बच्ची है, ये है, वो है, बिहार से बोल रहा हूं। ऐसा है, वैसा है, आप इस अकाउंट में इतने रुपये डाल दीजिये तो मैंने कहा कि भाई तुम तो ठगोरे हो तो उसने मेरे को इतनी गालियां भद्दी-भद्दी दीं और यह कहा गालियां देकर कि तेरे पास दो-पांच हजार डालने के लिए ही नहीं है तो फिर फोन ही क्यों उठाया। मैंने कहा कि मुझे क्या पता कि तेरे जैसा चीटर व्यक्ति मेरे को फोन कर रहा है। यह हकीकत घटना है। आज कई जो हमारे देश की सीमा के ऊपर हमारे जो सैनिक भाई बैठे हैं उनकी पत्नियां उनकी फैमिली यहां रहती है, वो उनको पैसे यहां भेजते हैं। उनका अकाउंट यहां रहता है और हमारे इलाके में काफी घटनाएं ये बढ़ रही हैं। कई विदेशों में मस्कट, दुबई फोरेन कंट्रीज में कमाते हैं बेचारे। वो अपनी पत्नियों को और बच्चों को यहां खाता खुलवाकर उसमें पैसा भेजते हैं और वो लोग आकर के इस तरीके से फोन करके उनसे नंबर पूछ करके, आपका एटीएम यह हो रहा है। आजकल एक हमारे फोन में भी बजता है चौबीसों घंटे ही बजता है जब भी किसी का फोन उठाओ तो, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आप अपना आधार लिंक कराइये। भई, एक बार दे दे, दो बार दे दे, डेढ़ साल से कान पक गये हमारे तो। आप सब कुछ लिंक तो कर रहे हो, लेकिन क्या इसके आधार पर जो आने वाले समय में अपराध बढ़ेंगे इनके ऊपर रोकथाम के लिए आपने कोई प्रयास चालू किया है क्या, कोई इस तरह की व्यवस्था की है क्या? यह बात भी हमें सोचनी पड़ेगी और एक बात कानून बनाने से पहले यह भी हमें सोचनी पड़ेगी कि कहीं जिस प्रकार का देश और प्रदेश में माहौल है उसमें कहीं हम ऐसा कानून नहीं बना दें, जिससे कहीं कोई निर्दोष व्यक्ति उसका शिकार हो जाए, उसका जीवन ही बरबाद हो जाए, क्योंकि बहुत कड़ी सज़ा, चूंकि पांच-छह बिल हैं, काफी माननीय सदस्य भी बोलेंगे, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इस बात को

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि किसी निर्दोष के साथ में भी किसी तरह से उसके खिलाफ कोई बात नहीं हो जाए, इस बात को भी देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से बिल जो आया है उसमें अभी-भी चर्चा करने की गुंजाइश है मेरे हिसाब से और चर्चा करके लोगों की राय लेकर के जनमत जानकर के अगर हम एक प्रभावी कानून जो हमें अधिकार प्राप्त है संविधान के मुताबिक अगर उसमें हम करेंगे तो निश्चित रूप से और ज्यादा हमारे प्रदेश की भलाई के लिए होगा। उनके अधिकारों को सुरक्षित करने वाला होगा। महिलाएं, बच्चे जिस प्रदेश में खुले रात को घूम सकते हैं। एकाध कंट्री तो ऐसी हैं कि वहां ताला ही नहीं होता, माननीय सभापति महोदय। वे कहते हैं कि हमारे यहां चोरी नहीं होती है तो क्यों नहीं हम सब मिल करके माननीय गृह मंत्रीजी एक ऐसी व्यवस्था इस प्रकार के कानून लाकर के इस प्रकार की व्यवस्था बनायें जिसके आधार पर आने वाले समय में हमारे अपराध घटे। निश्चित रूप से यह भी है कि झूठे केस कराने में लोग-बाग़ बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं। किसी को बदनाम करना हो, किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना हो और अधिकतर तो राजनेता जो राजनीति में रहते हैं उनके खिलाफ तो टोहते रहते हैं कि कहीं न कहीं छोटी-मोटी बात मिल जाए और मिल करके हम एक दफा तो इसको अटका दें। इसकी छवि को नुकसान कर दें। इसका राजनीतिक कैरियर खराब कर दें।

माननीय सभापति महोदय, एक जो सबसे ज्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं वो ये ब्लैकमैलिंग वाली घटनाएं भी बहुत बढ़ रही हैं। ऐसे रैकेट बन गये जो रैकेट चला करके टेलीफोन करवाते हैं, दोस्ती बढ़वाते हैं, बातें करते हैं अश्लील और उसके बाद में उसको टोर्चर करके उसको फंसा लेते हैं। आपको पता होगा कल-परसों ही जिस प्रकार से एक पुलिस के सिपाही पति-पत्नी ने आत्महत्या कर ली। चोरी का आरोप लगा दिया वो सहन नहीं कर पाये। वो आत्महत्या कर लिया। वो झूठा था, सच्चा था, लेकिन दो व्यक्तियों की जान चली गयी, पूरा परिवार समाप्त हो गया। पुलिस ने काफी प्रयास भी किये और ये प्रकरण ऐसे आये भी कि ऐसे रैकेट्स को आपने पकड़ा भी है, लेकिन इसके लिए भी एक कानून और ज्यादा कड़ा करने की माननीय सभापति महोदय, आवश्यकता है। हमारा सबका एक सोच है कि हम अपराधी को तो नहीं बख्शें, लेकिन जो निर्दोष व्यक्ति है उसकी भी इज्जत बचाने का उसकी किसी प्रकार से मानहानि नहीं हो, इसकी भी व्यवस्था हमारे कानून में पर्याप्त करनी पड़ेगी। आज जो स्थितियां बन रही हैं कोई सुरक्षित नहीं है। एक ये मोबाइल आ गया। कोई किसी से बात कर रहा है। कोई किसी से कुछ भी कर रहा है। किसी को कांट-छांट करके कहीं भी सैट करके उसके लिए कहा जाता है कि साहब, यह तो

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

इस अपराध में अमुक नेता, अमुक अफसर लिप्त है और पता चलता है कि वो वीडियो कहीं का कहीं जोड़ करके और उसको इस तरीके से बदनाम किया गया। कल हमारे सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पास में एक वीडियो आया। सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी के साथ कोई बहुत पहले कोई वाकया हुआ होगा कोलायत में और हमें अचम्भा लगा कि आज प्रधान मंत्रीजी आये हुए हैं, मुख्य मंत्रीजी वहां हैं, गृह मंत्रीजी भी वहां होंगे। ये इस तरह का वीडियो कैसे चल रहा है आप कहोगे तो मैं दिखा भी सकता हूं मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन आपके भी ध्यान में होगा। शायद सब जगह चला होगा कि साहब, मारपीट हो गयी। गृह मंत्रीजी की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लगा। कब का वीडियो था।

श्री हीरालाल (निवाई): एक सैकिण्ड।

श्री सभापति: आप विराजिए। बीच में नहीं।

श्री हीरालाल (निवाई): एक सेकंड कहूंगा। पूर्व प्रधान मंत्रीजी की आवाज बदलकर एक नागरवाला कांड हुआ था साइबर कैफे का। इससे पहले भी, वो नहीं बताया।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, मैं मानता हूं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री हीरालाल (निवाई): एक मिनट तो सुनो साहब, मेरे टोंक जिले में आज भी एक लारड़ा विलेज है जहां कोई पुलिस नहीं, कोई चोरियां नहीं होती हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा। मेरे टोंक जिले में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, ठीक है। अच्छी बात है। आप में कांग्रेस के संस्कार हैं इसलिए आपका काम ठीक है।

श्री हीरालाल (निवाई): नागरवाला कांड भी बताओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो यह हमें अफसोस हुआ कि देखो कहां का वीडियो, कब का, शातिर लोग किस प्रकार से करके और किस प्रकार कर रहे हैं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इनमें कांग्रेस के संस्कार हैं, +++

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह बात दूर तलक तक जाएगी फिर इसलिए इसको यहीं दफन कर दो तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं यही कह रहा हूं कि ये जो अधिकारी हैं न ब्यूरोक्रेट्स इसीलिए हम जन प्रतिनिधियों की मानते नहीं हैं। हम एक दूसरे का वीडियो सैट करके लाते हैं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

यहां एक दूसरे की पगड़ी उछालते हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता उस पगड़ी को उछाल करके उनको मैसेज दे देते हैं। आपने देखा होगा, आप तो भुगतभोगी हैं कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य। आपने एक अधिकारी से क्या बात कर ली आपको सस्पेंड होना पड़ा पार्टी से फिर हाथ जोड़ करके वापस आये। हम सब की इच्छा थी कि आप वापस भारतीय जनता पार्टी में आयें। आप मंत्री नहीं बन सके उस वीडियो की वजह से, आडियो की वजह से। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा...।

श्री सभापति: अपने विषय पर आयें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां, मैं यही तो कह रहा हूं उनका जवाब देना चाह रहा हूं। चलो छोड़ो अब सभापति महोदय के आदेश की पालना करनी है हमें तो। सवाल यह नहीं है सवाल यह है कि किस-किस तरह के इस समय में घटनाएं होने लग गई। किस तरीके से तोड़-मरोड़ करके सारे दिन हम इसी काम में लग गये। निश्चित रूप से इन पर अंकुश लगना चाहिए यह किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तरह-तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले वीडियो आते हैं। कोई कहता है गाय काट दी, कोई कहता है महिला को काट दी, कोई कहता है बच्ची को काट दी। निश्चित रूप से इन पर रोक लगनी चाहिए इसके लिए भी यह कानून आना चाहिए कि हम चाहे जैसे, चाहे जो फैला करके हमारे देश में, प्रदेश में अशांति फैला रहे हैं, ऐसे समाज कंटकों के विरोध में भी हम सबको कानून लाकर के और ज्यादा उनकी सज़ा के प्रावधान करने चाहिए। जिससे हम इससे बच सकें। इसलिए जो कानून आप लाये हो, मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से हमारी नाबालिग बच्चियों के साथ में जिस प्रकार से दुष्कर्म के अपराध बढ़ रहे हैं, यह हमारे सबके लिये चिंता का विषय है, इस कानून को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिये इसको जनमत जानने के लिये आप भेजें और उसके बाद में, आने वाले तीन महीने, चार महीने बाद में, या तो आपको शुरू में लाना चाहिये था, आप चार, सवा चार साल तक लाये नहीं और आखिर में लाये तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरा यह मानना है व्यक्तिगत रूप से मैंने इसलिए जनमत जानने के लिये किया, मैं कानून बना रहे हो उसके कोई खिलाफ नहीं हूं, न हमारी पार्टी है। अपराध रुकने चाहिये, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिये। माननीय सभापति महोदय, कई कई साल लग जाते हैं, ऐसी व्यवस्था भी करनी चाहिये, आपको पता होगा कि हम जन प्रतिनिधियों के खिलाफ जो मुक़दमे होते हैं, गृह मंत्री जी, कितने-कितने साल से पड़े हैं, आपने यहीं जवाब दिया था कि मैं अभी इन

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्रकरणों को देखकर निपटा दूंगा, नहीं निपट रहे हैं। इससे हमारा सबका मैसेज खराब जाता है। मैं यह नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ, मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई मुकदमा हो गया और 15 साल तक उस पर कोई निर्णय नहीं आया तो मैं तो कठघरे में खड़ा हूं ना और आप स्वयं इस बात के भुगतभोगी हैं। अगर किसी भी जन प्रतिनिधि का कोई मामला होता है तो इसका भी कानून बनना चाहिये कि उसको त्वरित, अगर वह दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो जायेगी, अगर वह निर्दोष है तो कम से कम उससे अपराध नहीं करते हुए उस अपराध का बोध कराकर आपके खिलाफ कराया जा रहा है, वह नहीं होना चाहिये। इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इतना ही निवेदन करुंगा कि इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिये जनमत जानने के लिये भेजा जाये, धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, श्री प्रहलाद जी गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 विचार के लिये लिया गया है। अभी माननीय डोटासरा जी ने इस पर अपनी बात रखते समय विस्तारपूर्वक अन्य विषयों को छूने का भी प्रयास किया है। मैं केवल बलात्संग, बल्कि किस प्रकार से आईटी अपराध बढ़ रहे हैं और भी घटनाएं उन्होंने बताकर अपराधों की पृष्ठभूमि को बताने का प्रयास किया है। माननीय सभापति महोदय, आप तो विद्वान अधिवक्ता हैं और कानून का विस्तृत विश्लेषण करना, उसको समझना आपका विषय है। हम सब लोग जानते हैं कि दिल्ली में निर्भया कांड हुआ और उसके बाद देश का जनमानस आंदोलित हुआ। इतना जबरदस्त तरीके से आंदोलित हुआ कि सरकार और न्यायपालिका, दोनों को सोचने के लिये मजबूर कर दिया। उसके बाद भी लगातार बलात्संग की, सामूहिक बलात्संग की घटनाएं बढ़ती गई। माननीय सभापति महोदय, जब इस प्रकार की कोई घटना होती है, बलात्संग होता है या सामूहिक बलात्संग होता है, ऐसी घटनाएं सारे समाज को कलंकित करती हैं। हम सब लोग भी उसी समाज का हिस्सा हैं। न्यायपालिका में बैठे हुए लोग भी उसी समाज का हिस्सा हैं और इसलिए दोनों स्तर पर चर्चा हुई। दोनों स्तर पर चिंता हुई कि आखिर इस प्रकार की जो प्रवृत्ति लोगों में पैदा हो रही है, एक ऐसा कानून बनाया जाये जिससे लोगों के मन में भय कारित हो और इसी सोच का परिणाम रहा कि 2012 में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 भारत की

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पार्लियामेंट ने पारित किया और आज हम दंड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 लाकर दंड विधियों में संशोधन करने जा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, केवल दो धाराओं का संशोधन है। 376 (क) के बाद 376 (कक) जोड़ी जा रही है और 376 (घ) के बाद 376 (घघ) जोड़ी जा रही है। माननीय सभापति महोदय, 376 (क) को मैं पढ़कर सुनाऊंगा, 376 (क) "पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिये दंड।" माननीय सभापति महोदय, मेरे समझ में नहीं आई कि पीड़िता की मृत्यु तो समझ में आ सकती है, बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, सामूहिक बलात्संग हुआ और सदमे में उसकी मौत हो गई। लेकिन जो दूसरा पक्ष लिखा है लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिये दंड, प्रथम दृष्टया बलात्संग हुआ, सामूहिक बलात्संग हुआ और प्रथम दृष्टया जब बलात्संग होता है, जबरदस्ती ज्यादती होती है तो सबकी मनोदशा विकृत हो जाती है, यह हम मानकर चलते हैं। माननीय सभापति महोदय, फिर यह स्पेशली कौनसी विकृतशील दशा है? किसी भी बच्ची के साथ, 5 साल से 50 साल, 100 साल उम्र की महिला हो, उसके साथ अगर बलात्संग होगा या सामूहिक बलात्संग होगा, उसकी मनोदशा विकृत होगी और जब मनोदशा विकृत है, उस मनोदशा विकृत होने की स्थिति में जो दंड का प्रावधान है, माननीय सभापति महोदय, इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु आजीवन कारावास तक की होगी। जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्यु दंड से भी दंडित किया जायेगा, यह प्रोविजन है। 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, मानसिक विकृत स्थिति हो जाती है और मानसिक विकृत स्थिति का मूल्यांकन किससे करायेंगे। जिस दिन घटना होती है उसके दो दिन बाद तक मुकदमा दर्ज होता है, उन दो दिन में जिस प्रकार की मनोदशा पीड़िता की होती है, उसी के तथ्यों के आधार पर मुकदमा रजिस्टर्ड होता है। 6 महीने बाद उसकी मनःस्थिति क्या बनती है, उस आधार पर क्या प्रसंज्ञान लिया जा सकता है। क्या मुकदमे की धाराओं के आफेंसेज बदले जा सकते हैं। जब हमारे पास मौजूदा कानून है, मैं कानून का विरोध नहीं कर रहा, बच्चों के साथ जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, समाज की ऐसी वृत्ति सामने आ रही है, कभी मामा ने भानजी के साथ बलात्कार किया, कभी घर में पड़ोसी ने विश्वास से बलात्कार किया और दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति कि समाज कहां

(श्री प्रहलाद गुंजल)

जा रहा है 5-5 साल की बच्चियों के साथ, इसलिए कानून का भय समाज में जाये, एक संदेश जाये कि इस प्रकार का काम करने वाले लोगों को मृत्यु दंड तक का प्रोविजन किया गया है। इसलिए 376 (क) में आलरेडी मृत्यु दंड है, केवल मनोदशा को आपने हटा दिया कि अगर मनोदशा भी ठीक है और 12 साल से कम उम्र की बच्ची है तो हम इस मौजूदा कानून में (क) (ख) जोड़ने के बजाय विकृतशील हो जाती है या नहीं भी होती है, केवल एक शब्द जोड़ते, एक धारा जोड़ने की जरूरत नहीं थी, तब भी हमारा मकसद पूरा हो रहा था।

लेकिन आपने यह धारा जोड़ी है, यह स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि आपने लिखा है 'राज्य में बालिकाओं से बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के अपराध बार-बार हो रहे हैं। ऐसे अपराध जघन्य हैं और पीड़िता के जीवन को नर्क बना देते हैं' नर्क बना देना और विकृत कर देना, विकृत हो जाना, दोंनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। हम एक शब्द भी जोड़ सकते कि 'मृत्यु कारित होने पर, बलात्संग या सामूहिक बलात्संग के द्वारा मानसिक प्रताड़ना पहुंचाने पर' केवल एक लाइन, या फिर विकृति पैदा कर देने पर। मानसिक प्रताड़ना में हमारा सारा का सारा मकसद, केवल और केवल एक शब्द मौजूदा कानून में जोड़ने मात्र से पूरा हो रहा था, नयी धारा जोड़ने की जरूरत नहीं थी।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं कि यही का यही वर्णन, आपने लिखा है कि 'पीड़िता के जीवन को नर्क बना देते हैं, समाज और राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि समस्त विषमताओं के विरुद्ध हम अपनी संतति की संरक्षा करें' यह अच्छी सोच है। समाज में न्याय होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। लोगों को सुरक्षा और संरक्षा के भाव कानून और व्यवस्था से नजर आने चाहिए। इसलिए मैं गृह मंत्रीजी और सरकार की इच्छा के लिए मैं धन्यवाद दूंगा। उसको मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक वातावरण प्रदान करें, इसलिए ऐसे अपराधों से कठोरता पूर्वक निपटना आवश्यक है।

माननीय सभापति महोदय, इस हेतु संशोधन के माध्यम से 12 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं को जघन्य अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिये ऐसा भयकारी दंड किया जाना प्रस्तावित है, जो अपराधी की मृत्यु तक का होगा। संविधान के अनुच्छेद 245-46 के अनुसार हमने जो आई.पी.सी. में संशोधन करके ये दो नये उपबंध जोड़ दिये हैं। कोई विषय नहीं है। 376 (क) में आपने दे दिया, केवल उम्र डिफाइन कर दी। 376 (ख) में उम्र डिफाइन नहीं है, अगर आप इसमें जोड़ देते कि बलात्संग के द्वारा प्रताड़ना देने पर,

(श्री प्रहलाद गुंजल)

मानसिक प्रताड़ना कारित करने पर, तो हमारा काम चल जाता है। माननीय सभापति महोदय, इसके कारण एक नयी काम्प्लीकेशी आएगी, इसका मैं आगे वर्णन करुंगा। आपने एक नई धारा 376 (कक) जोड़ दी। उसमें एक शब्द जोड़ने के बजाय 12 वर्ष तक की आयु की स्त्री से बलात्संग के लिए, जो कोई 12 वर्ष तक की आयु की स्त्री से बलात्संग करेगा, वह मृत्यु दंड से। उसमें पहले मृत्यु दंड पीछे डिफाइन था। आपने पहले मृत्यु दंड डिफाइन कर दिया या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 14 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिये कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।

(14.32 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, 376 (घघ) पढ़कर सुनाता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने 376 (घ) में जो मृत्यु दंड जोड़ा है, वह पहले इसमें नहीं था। यहां तो यह बात समझ में आती है। 376 (घ) में सामूहिक बलात्संग - जहां किसी स्त्री से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन जीवन काल ले लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया होगा। आपने इसमें मृत्यु दंड जोड़ दिया है। मृत्यु दंड आपने पूरे में क्यों नहीं जोड़ा? जब आपने 376 (क) में लिखा है कि 'किसी भी उम्र की महिला के साथ रेप होता है' मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु दंड देंगे और मृत्यु भी नहीं होती है और मानसिक विकृति आ जाती है। मानसिक विकृति की क्या परिभाषा है? हाथोंहाथ रिपोर्ट कराने चले गयी, छह महीने बाद विकृति आयी। आपने सिंगल व्यक्ति द्वारा बलात्कार पर तो पहले 376 (क) में मृत्यु दंड है और 376 (ग) में नहीं है। अब आप 376 (ग) मृत्यु दंड जोड़ रहे हो तो फिर केवल 12 साल तक की बच्चियों तक के साथ होने वाले अपराधों पर सामूहिक बलात्कार, सामूहिक बलात्कार जब 15 साल की बच्ची के साथ होगा तो क्या वह मृत्यु दंड का पात्र नहीं होगा? क्या बलात्कार 20 साल की बच्ची के साथ

(श्री प्रहलाद गुंजल)

होगा तो क्या वह मृत्यु दंड का पात्र नहीं होगा? यह संशोधन करते समय भी एक जो विसंगति रह गयी। आप 'क' में तो कह रहे हो कि एक आदमी बलात्कार कर रहा है, उसको मृत्यु दंड देंगे और 'घ' में कह रहे हो कि केवल 12 साल तक दस लोगों ने मिलकर किसी 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया तो हम केवल हम 12 साल से नीचे के लिए ही मृत्यु दंड देंगे और अगर दस लोगों ने मिलकर किसी 20 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया तो जो मौजूदा कानून है, उसमें मृत्यु दंड से मुक्ति का प्रिविलेज है। हम यह प्रिविलेज उसके साथ यथावत रखेंगे। यह कैसा संशोधन ला रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, समझ में नहीं आ रहा है कि यह कैसा संशोधन है? एक व्यक्ति किसी भी उम्र की महिला के साथ बलात्कार करेगा, आपने मानसिक विकृति डिफाइन कर दी। उसमें तो मृत्यु दंड दे देंगे और 10 व्यक्ति किसी भी उम्र की महिला के साथ बलात्कार करेंगे, उनके लिये मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक व्यक्ति द्वारा। माननीय सभापति महोदय, आप तो विद्वान हैं। एक व्यक्ति द्वारा किया गया बलात्कार, बलात्संग ज्यादा बड़ा हीनस आफेंस है या 10 लोगों द्वारा क्रूरता पूर्वक एक 18-20 साल की बच्ची के साथ किया गया आफेंस, हीनस है? समाज के लिए कौनसी कलंक बड़ी घटना है? हम इस कानून में भी उन दुराचारियों को यह प्रीविलेज तो दे ही रहे हैं कि आपसे अगर 12 साल से कम की बच्ची के साथ बलात्कार करने का अपराध हुआ है तो हम आपके लिए मृत्यु दंड के बारे में सोचेंगे, बाकी तो जो चल रहा है, वैसे ही चलेगा। .

जब आप सुधार के लिये कानून ला रहे हैं। यह जो कानून है, वह हिन्दुस्तान में, राजस्थान में सैंकड़ों सालों तक चलेगा। 1860 का अधिनियम है। माननीय सभापति महोदय, आज मैं जब चर्चा कर रहा हूं तो इस बात को 158 साल हो गये हैं। 158 साल बाद जो कानून बन रहा है और आज हम जो कानून पास करेंगे यह कितने सैंकड़ों साल, 158 साल, 258, 458 साल तक चलेगा और फिर कल यह कानून प्रभाव में आने के बाद, दो प्रकार की घटनाएं समाज में घटती हैं। जयपुर के किसी एक हिस्से में किसी 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और दूसरे हिस्से में किसी 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और जब दोनों का फैसला एक अदालत में साथ-साथ सुनाया जाएगा। वही अपराध है। जब साथ-साथ सुनाया जाएगा तो एक को तो मृत्यु दंड होगा और एक को मृत्यु दंड से मुक्ति मिलेगी। इतने सालों बाद संशोधन कर रहे हैं। मैं गृह मंत्रीजी से अनुरोध करुंगा कि अभी भी आप क्यों

(श्री प्रहलाद गुंजल)

नहीं, किसी भी स्त्री के साथ इस प्रकार का बलात्संग में उम्र बाध्यता ही मृत्यु दंड में क्यों बाधक हो? मैं धन्यवाद दूंगा कि बच्चियों के संरक्षण के बारे में आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा होना भी चाहिए। लेकिन बलात्संग जैसा घृणित अपराध किसी भी उम्र की बालिका या स्त्री के साथ होता है, उसके मृत्यु दंड में, सामूहिक बलात्कार में 12 साल का ही राइडर क्यों, इसके ऊपर जाना चाहिए। जो 'घ' में बीस साल या प्राकृत जीवन तक का था, उसको आपने बढ़ाकर 376घघ में 12 वर्ष तक की आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड, स्त्री से एक या एक अधिक से अधिक व्यक्तियों गठित करने का, जो पुराने एक्ट में उल्लेखित है, उसे आपने आगे बढ़ाते हुए कहा है कि बलात्संग का अपराध किया है मृत्युदंड से। आप इसको पूरे में ही एप्लाई कर देते तो आपको नई धारा भी नहीं जोड़नी पड़ती। माननीय सभापति महोदय, ये जो दोनों नई धाराएं जोड़ी हैं, इन दोनों नई धाराओं को जोड़ने के बाद एक अमेंडमेंट फिर लाना पड़ेगा। आपने दोनों नई धाराएं जोड़ दीं। आपने अनुसूचियों में परिवर्तन कर दिया है। जब कभी भी राज्य एवं केन्द्र की समवर्ती सूची में एक्ट से परिवर्तन होता है तो उसके लिए दंड का विधान क्या होगा, ट्रायल कोर्ट क्या होगी? सामान्य अनुसूची में जो आपने जोड़ा है, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। वह एक कानून का हिस्सा है।

वह आपने जोड़ा है, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। माननीय सभापति महोदय, एक एक्ट हाथ में है मेरे, ये जो एक्ट बना है यह स्पेशल एक्ट है। ये आईपीसी भी इस स्पेशल एक्ट को सुपरसीड नहीं करती या ओवरलैप नहीं करती। आईपीसी के रहते हुए भी भारत सरकार ने इसको बनाया है और बनाकर इसमें माननीय सभापति महोदय, 5(छ) जो कोई किसी बालक पर सामूहिक प्रवेशन लैंगिक हमला करता है और 5(ड) जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के किसी बालक पर प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, दोनों स्थितियां हैं। 12 वर्ष से कम उम्र भी डिफाइन कर दी और जनरल बात भी कर दी और इसके बाद माननीय सभापति महोदय, ये जो सैक्शन 42 है, इसमें लिखा है दंड, जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन, अब मैं एक बात कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, इसको बाद में पढूंगा। हमने कानून बना दिया। 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ अपराध हुआ पोक्सो एक्ट में भी मुकदमा दर्ज होगा। 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ हुआ तो भी पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा क्योंकि हमने कहीं इसमें परंतुक में नहीं लिखा कि 12 साल से कम उम्र की राज्य की बच्चियों के साथ

(श्री प्रहलाद गुंजल)

इस प्रकार की घटना होने की स्थिति में पोक्सो एक्ट के प्रावधान निरर्थक माने जाएंगे या जो भी है, वह उल्लेख नहीं किया। इसलिए पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया और आपकी दंड विधियां जो हैं आईपीसी में भी मुकदमा दर्ज हो गया, 376 (क), (ख), (ड) और (ढ) में, अब मैं आगे जिसका जिक्र कर रहा हूं कि दो प्रकार की धाराओं में मुकदमे दर्ज हो गए। दोनों धाराओं में उसका अनुसंधान हो गया और दोनों धाराओं में चालान कर दिया। दोनों कानूनों के मौजूदा रहते हुए कौनसे कानून को तो ओवरलैप करेंगे, कौनसे कानून को अप्लाई करेंगे? जब दोनों कानूनों के अंदर चालान पेश होगा और तब न्यायालय दोनों कानूनों की सज़ा के प्रावधान को पढ़ेगा तो माननीय सभापति महोदय, पोक्सो एक्ट में धारा 42 में लिखा है- जहां किसी कार्य या लोप से इस अधिनियम के अधीन और भारतीय दंड सहिता, 1960 का 45, माननीय सभापति महोदय मैं आपका और गृह मंत्रीजी का ध्यान चाहूंगा कि धारा 166क, धारा 354(क), धारा 354(ख), 354(ग), 354(घ), धारा 370, 370(क), 375, 376, 376(क), 376(ख), 376(ग), 376(घ), धारा 376(ड) और 509, ये आईपीसी की धाराएं हैं, जिनका पोक्सो एक्ट में उल्लेख किया है और इसमें लिखा है कि इन धाराओं में और पोक्सो एक्ट की धारा 5 के छ और ड के अंदर माननीय सभापति महोदय, जो अपराध घटित हुआ है और जो आईपीसी की धारा के तहत अपराध घटित हुआ है, दोनों धाराओं में विचारण समान करते हुए जो दंड का प्रावधान होगा, वह दोनों कानूनों में जो ज्यादा होगा वह होगा। अब हमने अपराध के लिए दंड तो आईपीसी में बढ़ा दिया लेकिन पोक्सो एक्ट यह कह रहा है कि हमारे पास तो केवल ये ही धाराएं हैं, हमारे पास 376कक भी नहीं है, हमारे पास 376घघ भी नहीं है। जब इसमें 376कक नहीं है, 376घघ नहीं है तो हम 376क में ही जोड़ देते एक शब्द कि किसी को भी बलात्कार के द्वारा मानसिक प्रताड़ना पहुंचाने पर या उसी में ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों को सामूहिक रूप से बलात्कार वाला जोड़ देते। अब इसके बाद आपको इस पोक्सो एक्ट में एक अमेंडमेंट और लाना पड़ेगा। अमेंडमेंट लाकर आपको जोड़ना पड़ेगा 376(क), 376(कक), आपको 376(घ) और 376 (घघ), जो आईपीसी में दंड उल्लिखित है और जो पोक्सो एक्ट में दंड उल्लिखित है, दोनों में से ज्यादा होगा उसी की सज़ा होगी।

माननीय सभापति महोदय, धाराओं को ही स्पेसिफाई कर रहा है यह एक्ट। मैं इसीलिए कह रहा हूं अब यह जब धाराओं को उल्लेखित कर रहा है कि इन धाराओं में पोक्सो एक्ट से ज्यादा अगर दंड का प्रोविजन है तो वह

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अप्लाई होगा और इनके अलावा जो नयी धाराएं जोड़ दीं, जिसका उल्लेख इसमें नहीं है तो फिर न्यायालय से अपराधी प्रीविलेज लेने का पता नहीं कितना रास्ता निकालेंगे? कानूनविद् और वकील तर्कों के आधार पर अपराधी को प्रीविलेज दिलाने के लिए कि साहब ये पोक्सो एक्ट पढ़ लीजिए, इसमें कहीं नहीं है। 376(क) में आ जाइए, 'ख' में आ जाइए, इसीलिए अच्छा होता कि ये शब्दांश उन्हीं 376(क) और 'ड' में जोड़ दिए जाते तो हमें पोक्सो एक्ट को संशोधित नहीं करना पड़ता। उसी अपराध को अधिक मानकर न्यायालय सज़ा दे देता और आज अगर हमने नयी धाराएं आईपीसी की जोड़ दीं तो फिर जब आईपीसी की धाराओं का उल्लेख पोक्सो एक्ट कर रहा है, आपको वह धाराएं भी जिनमें अधिक दंड का प्रावधान किया है, एक अमेंडमेंट लाकर पोक्सो एक्ट में धारा 42 में अनुकाल्पनिक दंड में भी उसका प्रोविजन करना पड़ेगा तब न्यायालय में भ्रांति की स्थिति नहीं बनेगी। मुलजिम के वकीलों द्वारा तर्कों के आधार पर उसको बचाने के लिए जो एक छाया ली जा सकती है, कवर लिया जा सकता है, उस स्थिति से कानूनन गलत तरीके के संरक्षण से बचाव हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इसमें भी आपको लाना पड़ेगा। बदलाव जो लाए हैं, वह सब सामयिक है। समाज में लोगों के मन में संरक्षण, अपराधी में भय लाने की दृष्टि से लाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन उम्मीद करता हूं कि 158 साल बाद जो कानून ला रहे हैं, उसमें भी हम, कैसी जल्दबाजी में धाराएं जोड़ देना अमेंडमेंट नहीं है, पुरानी धाराओं को भी विस्तृत स्वरूप में हम उल्लेखित कर दें, परिभाषित कर दें, यह भी एक तर्क हो सकता है। हम यह भी कर सकते थे। बेहतरीन तरीके से कर सकते थे और इसीलिए एक हमसे गलती हो गई, गलती नहीं है, एक्स्ट्रा हो गया तो दूसरे एक्ट में भी हमको वह करना पड़ेगा और जब इस प्रकार के कानून बनें तो इनका विस्तृत अध्ययन होना चाहिए, विस्तृत पठन-पाठन होना चाहिए। मैं समझता हूं सभी दृष्टि से यह कानून उपयुक्त है और इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मैने जो जनमत जानने का प्रस्ताव लिया उसको वापस लेने की अनुमति...

श्री सभापति: वह बाद में। वह बाद में जब आसन कहेगा कि आपको अनुमति दी जाती है।

श्री सभापति: श्री जोगाराम जी पटेल।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, आज जिस आईपीसी में अमेंडमेंट के बारे में माननीय सदस्य अपना वक्तव्य दे रहे हैं, वह न केवल हमारे प्रदेश, न केवल हमारे देश बल्कि सम्पूर्ण विश्व में जो क्राइम बढ़ रहे हैं, उसके लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। मैं आज विशेष रूप से राजस्थान के माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री साहिबा को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे प्रदेश को हिन्दुस्तान में दूसरा प्रदेश बनने का मौका दिया, जहां ऐसा अमेंडमेंट हुआ है। पहला प्रदेश मध्य प्रदेश है, जहां ऐसे अमेंडमेंट हुए हैं, पर वह अभी माननीय राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए विचाराधीन है। हमारा दूसरा प्रदेश है जिस प्रदेश ने ऐसी नयी धारा आईपीसी में रेप के संबंध में जोड़ी है। मैं आपसे निवेदन यह करना चाहूंगा कि यह जो लॉ है, इस लॉ को थोड़ा-सा समझने की आवश्यकता है। अनेक तरह के आईपीसी में आफेंस हैं, उनके लिए अनेक तरह की सजाएं डिफाइन की हुई हैं। अदर प्रोविजन्स भी हैं, जो स्पेशल एक्ट कहे जाते हैं, उनमें भी सजाएं डिफाइन की हुई हैं। आईपीसी में सबसे ज्यादा सज़ा का प्रावधान था वह मर्डर केस में था। मर्डर में 302 या जो भी, 302 होगा तो स्वाभाविक है कि अगर ग्रेविटी आफेंस की है तो उसमें डैथ सेंटेंस भी हो सकता है, नहीं तो लाइफ इम्प्रीजनमेंट भी हो सकता है लेकिन इसमें हम जिसको कैपिटल सेंटेंस कहते हैं, जिसको डैथ सेंटेंस कहते हैं या जिसको सबसे ज्यादा सज़ा का प्रावधान कहते हैं, वह इस प्रोविजन में लाया गया है। इसके पीछे क्या मंशा रही है।

श्री सभापति: संसदीय कार्य मंत्रीजी प्रभु के पास क्यों जा रहे हैं? प्रभु के पास जाने में बहुत समय है अभी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ये प्रभु से आशीर्वाद ले रहे हैं। जा नहीं रहे हैं।

श्री सभापति: आशीर्वाद लेने आए हैं, तो ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): एक दिन सबको जाना पड़ेगा।

श्री सभापति: जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत समय है अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): प्रभु में लीन होना पड़ेगा। मैं प्रभु में लीन होने आया हूं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): सभापति महोदय, आप तो वैसे भी घनश्याम है, चारो तरफ बरसो आप तो लेकिन सही बरसो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं, नहीं वे जा नहीं रहे हैं। वे तो आशीर्वाद ले रहे हैं प्रभु से।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, चालू करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं माननीय गृह मंत्रीजी का भी धन्यवाद करूंगा कि बजट सेशन के दौरान हमारी मुख्य मंत्री साहिबा ने यह मंशा जाहिर की कि इस तरह से हमारे प्रदेश में बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जिस घटना का वर्णन भी हम अपने मुंह से, अपने शब्दों से नहीं कर सकते उसके संबंध में कोई सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। उसी के अनुरूप यह कानून लाए हैं।

यह दो आफेंस बने हैं, अमेण्डमेंट की रेलिवेंसी है जो हीनस आफेंस हमारे लॉ में कहते हैं कि सबसे हीनस आफेंस है। सबसे घृणित अपराध है। अपराध होना और घृणित अपराध होने में बहुत फर्क है, वह मैं आपसे निवेदन करूंगा। अपराध तो हमसे भी कई बार जाने अनजाने में हो जाता है। लेकिन वह हीनस अपराध की डेफिनेशन में नहीं आता है। घृणित अपराध किन परिस्थितियों में कैसा होता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसमें क्या कह रहा है। दूसरा इस आफेंस की ग्रेविटी क्या है। मर्डर करना ज्यादा बड़ा अपराध है या किसी नाबालिग बच्चे के साथ इस तरह से बलात्कार करना ज्यादा बड़ा अपराध है। इसको समझने के लिए माननीय सभापति महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, एक हिमाचल प्रदेश का केस आया था उसमें यह डिफाइन किया। रिलेवेंट पैरा, तीन-चार लाइन मैं अभी आपके सामने पढ़ूंगा। रिलेवेंट पैरा इसमें क्यों आया even in ordinary criminal terminology हमारे यहां क्रिमिनल टरमिनोलोजी को कहते हैं एक सिद्धांत है। क्रिमिनल टरमिनोलोजी किन-किन केस में कैसे अप्लाई करते हैं "Even in ordinary criminal terminology a rape is a crime more heinous than a murder as it destroys the very soul of hapless woman." माननीय सर्वोच्च न्यायालय का इस केस में यह कहना है, हिमाचल प्रदेश का केस है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुनें। सदन में बहस चल रही है, सुनें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): स्टेट आफ हिमाचल प्रदेश वर्सेज आसाराम 2006 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का केस है। इस केस में एक पिता ने अपनी नाबालिग बच्ची के साथ गलत काम किया। ट्रायल कोर्ट ने, सैशन कोर्ट ने इसको पांच साल की सज़ा दी। उसकी अपील स्टेट के द्वारा हुई। उस अपील में सर्वप्रथम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा को कन्वर्ट करते हुए लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करते हुए, वह चीज, उस केस के फैक्ट्स

(श्री जोगाराम पटेल)

थे लेकिन जो थ्योरी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी वह मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। Here is the case where the crime committed by the respondent not only dilicts the law but it has a deleterious effect on the civilized society. Gravity of the crime has to be necessarily assessed from the nature of the crime. A crime may be grave but the nature of the crime may not be so grave. Similarly, a crime may not be so grave but the nature of the crime may be very grave. Ordinarily, the offence of rape is grave by its nature. More so, when the perpetrator of the crime is the father against his own daughter it is graver and the rarest of rare, which warrants a strong deterrent judicial hand. Even in ordinarily criminal terminology a rape is a crime more heinous than murder as it destroys the very soul of hapless woman. This is more so when the perpetrator of the grave crime is the father of the Victim girl."

मेरा निवेदन यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मर्डर से भी ज्यादा इसको ग्रेव माना। मर्डर से इतनी ग्रेविटी उसकी है, वह आफेंस कोई सही नहीं है लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि इससे भी ज्यादा, हम इसको ज्यादा इफेक्ट मानते हैं। "Gravity, a crime may not be so grave but the nature of the crime" क्राइम की नेचर क्या है, पुश्तैनी झगड़े की वजह से, किसी और वजह से किसी व्यक्ति का मर्डर किया। लेकिन अपराध की जो नैचर है, यह नैचर मर्डर से भी ज्यादा स्ट्रांग है। जरूरत से भी ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट बहुत हैं, अभी 2017 वाले में उन्होंने कहा है। सभी स्टेट को डायरेक्शन भी दिया था कि इस संबंध में कोई न कोई सख्त लॉ लाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा निवेदन आपसे है। मध्य प्रदेश ने अभी नवम्बर 2017 में अपने स्टेट में ऐसे अमेंडमेंट किए हैं। आईपीसी में अमेंडमेंट किए, सीआरपीसी में भी अमेंडमेंट किए। सीआरपीसी में अमेंडमेंट करने के साथ ही साथ उन्होंने धारा 354, जहां किसी महिला का चीर हरण होता है, वैसा कुछ हो उसके लिए। 354 ख में भी किया, 354 ग में भी किया और 376 और 493 में किया। हमने यहां बाकी सभी में कोई अमेंडमेंट नहीं किया है, हमने सिर्फ 376 में अमेंडमेंट किया है। मेरा यह भी निवेदन है कि माननीय गृह मंत्री महोदय अगर सम्भव हो तो हमको धारा 354 व 393, 493 में भी अमेंडमेंट करना चाहिए। क्योंकि वह भी महिला के इसी संबंधित अपराध

(श्री जोगाराम पटेल)

से संबंधित है। 493 और 354 केसेज हैं वह भी आज दिन तक, आए दिन अनाप शनाप हो रहे हैं। रोज पुलिस को तकलीफ हो जाती है। रोमियो इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, बहन-बेटी रात्रि में बाहर नहीं निकल सकती, शाम को बाहर नहीं निकल सकती। किसी विद्यालय, महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी के बाहर रोमियो घूमते रहते हैं। 493 में तो उससे भी ज्यादा आफेंस ग्रेविटी होती है। मध्यप्रदेश में लाए हैं। अगर सम्भव हो तो हमको 354 व 493 में भी ऐसा सख्त सज़ा का अमेंडमेंट करना चाहिए, यह मेरा निवेदन है।

दूसरा मेरा सबसे महत्वूर्ण निवेदन यह है कि मध्यप्रदेश के अमेंडमेंट के संबंध में विभिन्न विशेषज्ञों ने अपना मत व्यक्त किया। चाहे वह विधि विशेषज्ञ हो, सामाजिक काम करने वाले विशेषज्ञ हैं या न्यायाधिपति हैं, उन सब की एक मत से यह राय थी कि वर्तमान युग में यह जरूरी हो गया है कि ऐसे आफेंस के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। सख्त से सख्त कानून क्या हो सकता है 302 मर्डर केस में क्या, उससे आगे तो और कोई हो नहीं सकता, उससे लाकर बनाया है। मैं आपके सामने यह निवेदन करूंगा कि दूसरे देशों में भी, हमारे हिन्दुस्तान के जितने भी कानून हैं, जिसमें डेथ सेंटेंस प्रोवाइडेड किया हुआ है Death penalty should be imposed सुप्रीम कोर्ट ने कहा है According to a Supreme Court ruling “Death penalty should be imposed when a murder is committed in an extremely brutal, grotesque, diabolical, revolting or dastardly manner so as to arouse intense and extreme indignation of the community.” माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो कैपिटल पनिशमेंट है, जिसको हमारे लीगल टर्म में कैपिटल पनिशमेंट बोलते हैं, वह उस परिस्थिति में, सारी परिस्थितियां जज करने के बाद अगर जज के पास कोई आप्शन ही नहीं बचे तो कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट किन-किन धाराओं में, कब-कब मिलता है यह माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया। यह आफेंस है इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने अभी आपको हिमाचल प्रदेश आसाराम वाले केस में बताया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मर्डर से भी ज्यादा हिनस इसकी नैचर मानी। मर्डर से भी ज्यादा हिनच नैचर इस केस की है। इसमें कैपिटल पनिशमेंट में देने में किसी तरह का कोई एतराज मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। 493 में जैसा माननीय गृह मंत्री महोदय आपसे निवेदन किया, 493 में भी अगर हम सात साल की सज़ा, दस साल में, फर्स्ट टाइमर को, सैकण्ड टाइम, जैसा मध्यप्रदेश ने किया वैसा करते तो ठीक रहता।

(श्री जोगाराम पटेल)

मैं एक सेंटेंस आपके सामने पढ़ूंगा, वह यह कि जघन्य अपराध है इस अपराध के लिए बलात्कार को कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है। मध्यप्रदेश एक्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके बाद, 2013 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ, फिर केन्द्र सरकार ने आईपीसी में 2013 में निर्भया हत्याकाण्ड के बाद, सारे अमेंडमेंट किए उसकी परस्युएशन में हमारा यह एक्ट भी आया है। उस संबंध में एक विद्वान ने लिखा है बलात्कार एक ऐसा जघन्य किन्तु संवेनदशील अपराध है। इन्होंने एक चीज और जोड़ दी। जघन्य तो है ही, हिनस आफेंस तो है ही, लेकिन संवेदनशील भी है। वह कितनी देर तक उसके मन-मस्तिष्क पर प्रभाव रखता है, उन्होंने कहा इसके भी नहीं, इसके परिवार, इसके मौहल्ले में जब कभी उसको देखते हैं तो लोग देखते हैं कि यह कौन सी लड़की आई, यह वह लड़की आई। इसके साथ ऐसा हो गया था। कितने ही परिवार बर्बाद हो जाते हैं।

बलात्कार एक ऐसा जघन्य किन्तु संवेदनशील अपराध है जो पीड़िता के जीवन को तो प्रताड़ित करता ही है, साथ ही पूरे परिवार को भी प्रभावित करता है। न केवल पीड़िता और उसके परिवार के पक्ष को अपितु उस हर व्यक्ति को चोट पहुंचाता है जिसे इस अपराध के संदेह में पकड़ा गया हो। भले ही वह व्यक्ति के बाद में, निर्दोष निकल जाए किन्तु संदेह का दाग उसके दामन पर उम्र भर के लिए लग जाता है। फिर जब सज़ा का स्वरूप फांसी का हो तो आवेश, भावुकता अथवा लापरवाही को छोड़कर पुलिस की कार्यवाही में पर्याप्त सजगता और तत्परता की दरकार होगी। जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए।

(15.00 बजे)

लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि कहीं ऐसा न हो कि कोई फाल्ट इम्प्लीकेशन हो। पर मेरा निवेदन यह है कि कैपिटल पनिशमेंट में फाल्ट इम्प्लीकेशन की सम्भावनाएं कम रहती हैं। क्योंकि खाली कैपिटल पनिशनमेंट कोर्ट के हाथ में भी नहीं है। कोर्ट के बाद में इसके और भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं और जो 12 साल से कम उम्र की बच्ची के सम्बन्ध में गैंग रेप केस या रेप केस हैं, उसके सम्बन्ध में एक विद्वान ने लिखा, 12 साल एवं उससे कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार तथा किसी महिला के साथ रेप के अपराधी को फांसी की सज़ा दिये जाने के ऐतिहासिक फैसले से मध्य प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सजग राज्य का पहला दर्जा दिया

(श्री जोगाराम पटेल)

गया है, और हम दूसरे राज्य के रूप में हुए हैं। यद्यपि इस प्रकार का कठोर दण्ड, जहां एक ओर ऐसे जघन्य अपराध को अंकुश लगाने का कार्य करेगा, वहीं दूसरी ओर कानून और न्याय व्यवस्था पर हर स्तर पर और अधिक सजगता, तत्परता और निष्पक्षता की मांग भी करेगा। तमाम साक्षियों के साथ यह सुनिश्चित करना भी अत्यन्त आवश्यक होगा कि अभियुक्त वास्तविक अपराधी है या नहीं। इसके लिये उन सभी लोगों को भी भावुकता का त्याग करना होगा, जो अपराध की गम्भीरता व अमानवीयता को देखकर अभियुक्त का मुकदमा न लड़ने की घोषणा करते हैं। इसमें उन्होंने यह भी कहा है कि कई वकील, अभी जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, दो-तीन जगह हुआ कि वकीलों ने यह कह दिया कि नहीं, इसका मुकदमा हम नहीं लड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं उसको लीगल एड तो मिलनी चाहिए। लीगल एड मिलेगी, वह अपना केस करेगा, वह निर्दोष है या दोषी है, उसके सम्बन्ध में। तो यह विभिन्न जो विद्वान हैं उनका भी तर्क यही था कि नहीं, फांसी की सज़ा तो हो, लेकिन इसमें जितनी सतर्कता बरती जाये, उतनी बरतनी चाहिए।

मेरा दूसरा निवेदन, जो आपने कहा था कि यह जो आई.पी.सी. में आफेंस, जैसा मैंने अभी आपको 393, 354, 376 इत्यादि के बारे में वर्णन किया, लेकिन इसके भी अदर, जो मेन विषय है, वह आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे यहां मर्डर केस में कैपिटल पनिशनमेंट मिलता है, गैंग विद राबरी विद मर्डर कैपिटल पनिशमेंट मिलता है, अबेटिंग आफ द सुसाइड साइड रेज उसमें कैपिटल पनिशमेंट मिलता है। वेजिंग वार और आफेंसेज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जहां राजद्रोह वगैरह के केसेज हैं, उसमें कैपिटल पनिशमेंट मिलता है। सबमें टेरेरिस्ट जो होते हैं, उसमें कैपिटल पनिशनमेंट मिलता है। इन सब में, जो 8-10, जो हमारे आफेंसेज हैं, जिसमें कैपिटल पनिशमेंट मिलता है। उनसे भी अधिक कैपिटल पनिशमेंट हमने इस केस में प्रोवाइड किया है। इस गैंग रेप केस में और बालिका के गैंग रेप में प्रोवाइड किया है। तो डैथ पैनल्टी को हम जिस वे में लेकर आ रहे हैं, उससे हम जनता को मैसेज दे सकते हैं, जनता को एक संदेश दे सकते हैं कि ऐसे लोग, जो हैं, वे जहां कहीं भी पैदा भी हुए हैं, चाहे देश में, प्रदेश में, चाहे परिवार में, वे सारे लोग इस समाज में रहने योग्य नहीं हैं। इससे समाज को कोई गुड संदेश नहीं जाता है।

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे केस में कहा है "When a murder is committed in an extremely brutal, grotesque, diabolical, revolting or dastardly manner so as to arouse intense and extreme indignation of the community. 'Rarest of rare' cases death penalty." और उन्होंने यह भी कहा है कि इसका, माननीय सभापति महोदय, कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन भी किया है कि आप जो भी जाओगे, अगर आप कैपिटल पनिशमेंट देंगे तो, आर्टिकल 72 में प्रेसीडेंशियल में जाकर आप अपनी बात कह सकते हैं। कह सकते हैं कि मेरे को जो कैपिटल पनिशमेंट दिया गया है, वह गलत है मुझे माफ कीजिये या इसमें और विचार कीजिये। तो ये सारी सुविधाएं, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाये गये, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कहीं भी यह नहीं हो कि आपको कोई सुनवाई का मौका नहीं मिलेगा। मैं जो आज विषय कहना चाहता था, वह यह है। मैं विशेषकर, माननीय गृह मंत्रीजी, आपसे निवेदन करुंगा।

श्री सभापति: गृह मंत्रीजी, सुनें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हमने इसमें वर्ड यूज किया है 'Girl', यह जो वर्ड है, माननीय सभापति महोदय, इसमें वर्ड यूज किया है, 'Girl', 12 साल की छोटी बच्ची के लिये, वह 'Girl' वर्ड यूज हुआ है। तो इसके पीछे एक भावना बनती है। मैं हिंदी में पढ़ूं, तो इसमें वर्ड है 'स्त्री', जहां कोई भी 12 वर्ष की आयु की किसी 'स्त्री' से, तो 12 वर्ष की 'स्त्री', तो थोड़ा, इस ओरिजिनल एक्ट में भी 'Woman' वर्ड ही है। ओरिजिनल एक्ट है, उसमें भी 12 वर्ष है, पहले से ही है 12 वर्ष तो। 12 वर्ष से कम की कितनी जो होगी, पहले से ही प्रोविजन तो है, 376 में पहले से ही प्रोविजन है। लेकिन 12 वर्ष की कम आयु की 'स्त्री' शब्द या 'Woman' शब्द थोड़ा-सा एक भावनात्मक रूप से नहीं लगता। कानून की टेक्निकलिटी में हो सकता है कि सही है। लेकिन एक भावना, अगर इसकी जगह 'Girl' वर्ड हो या उसकी जगह 'बालिका' वर्ड हो, जो भी हिन्दी का प्रोपर वर्ड हो, तो एक भावना बनती है कि छोटी बच्ची है।

श्री सभापति: उद्देश्य और कारणों में तो 'बालिका' शब्द का ही प्रयोग है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 'बालिका' शब्द का प्रयोग है। मैं इसी पर आ रहा हूं। दोनों वर्ड यूज किये हैं। 'स्त्री' वर्ड भी यूज किया है और 'बालिका' वर्ड भी यूज किया है। लेकिन मध्य प्रदेश ने जो वर्ड यूज किया है वह 'Girls' वर्ड यूज किया है। मेरा जो निवेदन है, और मैं विशेषकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि What is the difference be-

(श्री जोगाराम पटेल)

tween "girl and woman?" 'Girl' होने से इस कानून में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 'Woman' होने से इस एक्ट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक सामाजिक भावना जो बनती है। कहीं हम अख़बार में पढ़ते हैं, उस 'Woman' के साथ जो 12 साल की छोटी है। तो एक 'स्त्री' के साथ, वह 'स्त्री' आते ही मन में भाव आता है कि मेरी बहन-बेटी कोई बड़ी होगी। हमारी बहन और बेटी हो सकती है, हमारी मां हो सकती है। कोई भी होगी, हमारे ही परिवार की मैम्बर होगी। राजस्थान का एक हमारा परिवार है, हिन्दुस्तान का हमारा परिवार है। लेकिन अगर हमारे यह आ गई कि छोटी बालिका के साथ, तो हमारे मन में आता है, एक घृणा भाव पैदा होता है कि आदमी गलत है। तो उसको, यह सारा मैं ढूंढ कर लाया कि What is the difference between "girl and woman?" तो यहां 'Girl' वर्ड होता तो उसका कितना इफेक्ट होता और 'Woman' होने से कितना इफेक्ट हो रहा है। "Girl and woman are two terms used to label female gender based from its maturity. In technically, both of these terms are applicable to female human regardless of maturity, age and other factors. These specific terms are used to show politeness in addressing the female humans." उन्होंने कहा एक सद्भाव के साथ, एक सम्मान के साथ पुकारा जाने वाला शब्द है। अब उन्होंने कहा

'Girl', "Girl, the term Girl refers to the female human starting from the very moment of the mother's pregnancy. Until childhood and teenage years, the females are still considered as a girl but when they reach the adolescent period, other prefer to call them as young woman. The terms Girl was coined from an Anglo-Saxon word 'gerle' during the middle ages around 1300 CE."

"Woman or women is the term given for female humans who have reached the maturity period and adulthood commonly around 18 years old and above." उन्होंने कहा है कि 18 साल से छोटी जो है उसको हम स्त्री नहीं मान सकते। जो शारीरिक विकास होता है, वह शारीरिक विकास भी उसी अनुसार चलता है। उन्होंने आगे धार्मिक उद्धरण भी दिये, कई उन्होंने दिये कि वह शारीरिक विकास हो, तब तक छोटी बालिका है, 12 साल की वह हमारी छोटी बालिका है। वह छोटी 'Girl' है। ज्योंही वह 18 साल की होती है, या उसका शारीरिक विकास होता है तो उसके बाद में वह 'Woman' है या वह 'स्त्री' है।

श्री सभापति: नहीं, तो इसका कानून में क्या असर पड़ेगा?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कानून में कोई असर नहीं पड़ेगा।

श्री सभापति: नहीं पड़ेगा न?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कानून में कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि यह ओरिजिनल एक्ट में भी 12 साल की छोटी का भी 'Woman' वर्ड है। मैंने इसलिये निवेदन किया था कि एक भावना बनती है।

श्री सभापति: भावना में फर्क है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): भावना बनती है कि एक छोटी बच्ची के साथ हो रहा है तो हमारा मन एकदम उद्वेलित होता है। मन में लगता है कि एक हीनियस आफेंस है। हीनियस आफेंस, की जो भावना बनती है, वह भावना से बनती है।

इसमें यह भी है। इन्होंने आगे यह भी कहा है कि इस तरह से डिफरेंस में अगर आप लड़की को, वह सारे उद्धरण दिये हैं कि अगर यह वर्ड यूज करोगे तो सामाजिक भावना भी उसके अगेंस्ट में बनती है।

अंत में जो मेरा निवेदन था, वह यह है कि यह कैपिटल पनिशमेंट लाये हैं, यह बात सही है। लाना चाहिए, यह भी सही है। इसकी जरूरत है, यह भी सही है। जैसा अभी, चित्तौड़ का केस है, अखबारों में रोज हम समाचार पढ़ते हैं। आज भी राजस्थान पत्रिका और भास्कर में समाचार है कि इस तरह से उसके पैरों की आहट तक से कांप उठती है वह मासूम बच्ची। इसके साथ यह भी फैक्ट है कि हमारे यहां करीब 6500 चार साल में ऐसे गैंग रेप केस भी हो चुके हैं। लेकिन एक चीज, जो मैं विशेषकर आपका ध्यान दिलाऊंगा, माननीय सभापति महोदय, कि वर्ल्ड में अभी पूरी जगह एक भावना चल रही है, विशेषज्ञों में कि क्यों 'कैपिटल पनिशमेंट' को कायम रखा जावे। सब जगह चल रही है। मेरा यह निवेदन है कि कैपिटल पनिशमेंट इन केसेज में होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए। यह कैपिटल पनिशमेंट, वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरह का अपराध है, उसके लिये जरूरी है। लेकिन हमको सिर्फ यह ध्यान रखने की चीज है कि वर्तमान युग में, पी.आई.एल. भी सुप्रीम कोर्ट में लगी। अनेक विशेषज्ञ बार-बार यह कह रहे हैं कि हमें जन्म देने का अधिकार नहीं है तो मारने का हमको अधिकार नहीं है और मृत्यु दण्ड को क्यों कायम रखें। क्यों नहीं इस मृत्यु दण्ड को इससे हटायें। ऐसे अनेक, मैं थोड़ा सा आपसे निवेदन करूंगा, मृत्यु दण्ड का भारत में इतिहास, उन्होंने लिखा है, मृत्यु दण्ड का प्रावधान भारतीय दण्ड संहिता में साल 1861 में किया गया था। करीब दो सौ-ढाई सौ साल बीत गये। 1931 में बिहार विधान सभा ने भी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह 'मृत्यु दण्ड' को इसमें रखने के पक्ष में हैं ना आप?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां, मैं तो इसको रखने के पक्ष में हूं, स्ट्रांगली पक्ष में हूं।

श्री सभापति: हां, बस ठीक है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 1931 में बिहार में विधान मंडल के एक विधायक ने इसकी समाप्ति को लेकर विधेयक पेश करने की कोशिश की थी लेकिन वह सफल नहीं हो सका। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1931 से इस कैपिटल पनिशमेंट को हटाने के लिए समय-समय पर पर्याप्त... (व्यवधान)

श्री सभापति: दुनिया भर में बहस चल रही है, वह तो आ ही रही है, वह तो अखबारों में भी खूब आ रही है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): हां, खूब आ रही है। मैं इसी पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, सर, साथ ही साथ आजादी के वक्त के अंदर केन्द्र सरकार ने राज्यों को इस मामले में अपनी राय जाहिर करने को कहा तब उन्होंने, ज्यादातर राज्य सरकारों ने सज़ा का पक्ष लिया कि नहीं यह कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए पर अब इन सभी कारणों से विधि आयोग ने 1967 में अपनी 35वीं रिपोर्ट में मौत की सज़ा को बरकरार रखा और माना कि अपराध को हतोत्साहित करने में कारगार होगा। अन्य देशों में भी जैसे- अमरीका में, जापान में, चीन में, अरब देशों में ऐसे अपराध हैं लेकिन 192 देशों में से 140 देशों ने अपने प्रावधान हटा दिये, यह मैं आपकी नालेज में लाना चाहता हूं।

वर्तमान युग में 192 देशों में से 140 देशों ने मृत्यु के प्रावधान अपने-अपने रेलेवेंट एक्ट से हटा लिये।

श्री सभापति: वह छोटे-छोटे देश थे।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): छोटे-छोटे, बड़े-बड़े जो भी हैं, उन्होंने हटा दिये हैं लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, चीन इन्होंने नहीं हटाये हैं।

श्री सभापति: हां, नहीं हटाये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मृत्युदंड का विरोध क्यों है? इसके लिए मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपसे निवेदन नहीं करूंगा लेकिन हमारी जो लास्ट रिपोर्ट लॉ-कमीशन की आई है, उन्होंने रिकमंड किया है कि नहीं, अब कैपिटल पनिशमेंट हटना चाहिए। जो लास्ट रिपोर्ट अभी पेश हुई है पांच-छह महीने पहले, उसमें उन्होंने यह कहा है कि नहीं, अब समय आ गया है कि हम कैपिटल पनिशमेंट पर विचार करें और इसको हटाएं क्योंकि यह जो सज़ा है वह सज़ा उसको सुधरने का न तो मौका देती है, न उसके बाद में कभी

(श्री जोगाराम पटेल)

मौका देती है इसीलिए अब इस पर विचार किया जाना चाहिए। प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध उन्होंने इसको माना है। प्राकृतिक न्याय यह कहता है कि जन्म देने का हमको अधिकार नहीं है तो मारने का भी हमको अधिकार नहीं है। सज़ा दे सकते हैं, मृत्युपर्यन्त उसको बिहाइंड द बार्स रख सकते थे, यह सारे कर सकते हो आप लेकिन अब उसको मृत्यु दंड जैसे दंड से प्रभावित करना इस युग में, हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, उन्होंने सही नहीं माना है।

मेरा यह मानना है, अन्य और भी सुप्रीम कोर्ट के जन हित के निर्णयों में, मैं इसमें विस्तृत रूप से नहीं जाऊंगा लेकिन इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि यह तथ्य भी ध्यान में रखने योग्य है कि वर्तमान युग में जनता की या अनेक विशेषज्ञों की या विधि विशेषज्ञों की यह मांग आ रही है कि क्या मृत्यु-दंड देने पर पुनर्विचार किया जाए?

लेकिन, मैं अगेन धन्यवाद दूंगा राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को कि उनकी मंशा थी कि हमारी बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा है, गैंग रैप केस हो रहा है, छोटी बच्चियों के साथ हो रहा है, उसमें ऐसी सज़ा का प्रावधान किया जिससे उसके मन में डर बैठे और यह जो प्रावधान है, मन में डर बैठाने के लिए जो किया गया है, यह बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और मैं विशेषकर, यह भी निवेदन करूंगा, माननीय गृह मंत्री महोदय, इसमें जो गैंग रैप के केस में जो आपने सज़ा का प्रावधान बढ़ाया है, वह भी स्वागत योग्य ही है और साथ ही साथ मेरा एक और पुन: निवेदन है कि अगर सम्भव हो तो धारा 354 और 493 में भी अमेंडमेंट करके ऐसे स्ट्रांग सज़ा के प्रावधान करने चाहिए जिससे समरसता बनी रहे। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत आभार।

श्री सभापति: आपने विद्वतापूर्ण व्याख्या की इसके लिए आपको धन्यवाद। श्री भंवरसिंहजी। श्रीमान भंवरसिंहजी। (अनुपस्थित) श्री सुखरामजी विश्नोई। (अनुपस्थित) डा. फूलचन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति महोदय, हम उस देश में रहते हैं जिसने सारी दुनिया को ज्ञान दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश में रहते हैं जिसमें गंगा बहती है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां, गंगा बहती है।

श्री सभापति: हां।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हम लगातार सारे विश्व में प्रतिबंधात्मक और दंडात्मक व्यवस्था की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इसके मूल में क्या है? जैसे हमारे एक कहावत है कि सांप को क्या मारो, सांप की मां को मारो। जब से मैकाले शिक्षा आई है तब से...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं तो बहुत दिनों से यह बात कह रहा हूं, आपको अब समझ में आई है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): राठौड़ साहब, सुनो, क्या कह रहे हैं सभापतिजी?

श्री सभापति: आगे चलो, आगे चलो।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैं आपके माध्यम से सदन को यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लगातार कानून बनाते जा रहे हैं और दुष्प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। उसका कारण मैं यह मानता हूं कि शिक्षा में तीन बातें नहीं रहीं। न सदाचार रहा, न संस्कार रहा और न नैतिकता रही।

दूसरे शब्दों में मैं यह कहूं कि मानवता का ह्रास हुआ है। मानवाधिकार आयोग तो आ गया था दुनिया में, जिसमें ऐसे अपराधियों को बचाने का काम ही हुआ मानवाधिकार आयोग के माध्यम से। जिसमें यह कहा कि यह नैचुरल राइट है, पैदा होने का नैचुरल राइट है तो चाहे जो करने का नैचुरल राइट नहीं है उसको लेकिन हम बार-बार यह कहते हैं कि मानवाधिकार आयोग आ गया। जिस धरती पर मानवाधिकार आयोग की मांग की गयी वहां पर नहीं है मानवाधिकार आयोग। अमरीका में नहीं है लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि इस देश की धरती पर जहां पर नैतिकता ही नैतिकता थी, वहां पर नैतिकता का जितना तेजी से यह ह्रास हुआ है, उसके कारण से ही आज हमें यह दंडात्मक स्थिति लानी पड़ी।

मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सीताजी और लक्ष्मण जी भगवान राम के साथ रहे। सीताजी का जब भी संवाद आता है तो उन्होंने लक्ष्मण जी को वत्स ही कहा और लक्ष्मणजी ने मां ही कहा सीताजी को। रावण अपहरण करके ले गया तब भी उसने बलात्कार नहीं किया। यह हमारे राक्षस कुल की प्रवृत्ति भी नहीं थी इस प्रकार की। जिस धरती पर आज इस प्रकार की चार-चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है उसका मुख्य कारण यह नैतिकता ही है। उसके पीछे कारण यही है कि हमने जो कन्या माता कांसेप्ट था, उसको समाप्त कर दिया, एक तरह से गिरावट आ गयी उसमें और कन्या माता कांसेप्ट इसलिए था कि हम सबका शरीर, चाहे

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

महिला है या पुरुष है, सबका शरीर मां के खून से बना है। गर्भ में नौ महीने तक खून से ही हमारा शरीर पला है उस कांसेप्ट को इस धरती पर हमने पैदा किया और यही कारण था कि जब विवेकानंदजी ने अमरीका की धरती पर यह कहा, अमरीकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स तो पांच मिनट तक तालियां बजती रहीं। लेडीज एंड जेंट्स की जगह उन्होंने यह कहा। तो यह आदर्श विद्या भारती के विद्यालय जब बच्चों को यह कहलवाते हैं, भैया-बहिन आपस में कहते हैं तो कई लोग यह कहते हैं कि क्या शिक्षा है? कौनसे कांसेप्ट की शिक्षा है? यह दकियानूसी है लेकिन आज दुष्परिणाम हम देख रहे हैं न? जब बालक-बालिकाओं में भाई-बहिन का रिश्ता ही नहीं है तो फिर वह चाहे जो करे। कौनसा आदर्श उनको टिका रखने के लिए है? न संस्कार की बात है, न नैतिकता की बात है और नैतिकता भी, माननीय सभापति महोदय, नैतिकता बिना आध्यात्मिकता के आ नहीं सकती और आध्यात्मिकता में जितने महापुरुष हैं उनकी जीवनी को हम पढ़ा नहीं सकते क्योंकि यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। उसमें धर्म निरपेक्षता आड़े आई हुई है। श्रेष्ठ चरित्र पढ़ाने की व्यवस्था ही नहीं है, हमारी शिक्षा में। कैसे करेंगे? हम पढ़ायें न कि शिवाजी के सिपाही सुंदर स्त्री लेकर आये थे कि राज़ी होंगे तो क्या कहा शिवाजी ने? यह पढ़ाया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि काश, मेरी मां भी इतनी सुंदर होती? यह आदर्श पढ़ा रहे हैं क्या आज हम? कैसे स्थिति सुधरेगी? नैतिकता कैसे पैदा होगी बालक में? बालक में कन्या माता कांसेप्ट कैसे पैदा होगा?

आप तो विद्वान हैं, आप तो जानते हैं कि जितनी स्त्रियों के बारे में विद्वानों ने कहा, जितने हमारे कवियों ने कहा इतिहास में, नख की बात कही, नाखून भी नहीं दिखता सीताजी का। भगवान राम का आधा शरीर नंगा है, शिवजी का भी है लेकिन पार्वतीजी का और सीताजी का नाखून भी नहीं दिखता। यह आदर्श थे न हमारे सामने। यह व्यवस्था थी न हमारे सामने। कन्या माता कांसेप्ट था और ऐसे ही नहीं था, यह दार्शनिक था। कन्या के जन्म लेते ही मां के दर्शन करते थे। आदमी स्त्री के दर्शन करते हैं। उम्र की तो बहुत बाद की बात है। इतिहास में कहीं उदाहरण नहीं मिलता।

राजा अपहरण करके शादियां करते थे लेकिन कहीं भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता कि वह दो साल की लड़की या दस साल की लड़की या पन्द्रह-बीस साल की लड़की को उठाकर ले जाते तो इतिहास को भी हम एक तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं। जहां यह घूंघट प्रथा इसलिए आई कि मुगल-काल के आने के बाद

(डा. फूलचन्द भिण्डा)
में मुगल उठाकर ले जाते थे सुंदरता को देखकर, उसको रोकने के लिए आई थी हमारी यह घूंघट प्रथा। उसको भी पढ़ा रहे हैं हम और ओरंगजेब को भी पढ़ा रहे हैं जो इस प्रकार का कुकृत्य करता था।

आदर्श क्यों नहीं पढ़ाते हम? हमारे पास भरा पड़ा है न। प्रधान मंत्रीजी जब अमरीका गये थे तब पूछा था एक डाक्टर बहिन ने कि आप स्त्रियों के बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने क्या जवाब दिया था? कि जिस देश से आप आये हो, वह बहिन कनाड़ा से आई थीं, जिस देश से आप आये हो वहां तो केवल एक मात्र पुरुष देवता है, मैं तो उस देश से आया हूं जहां पर महिलाएं देवता हैं। अब महिलाएं देवता हैं, उनका कांसेप्ट हमारे शरीर में हो, हमारे जीवन में हो, हमारे सदाचार में हो तो फिर बलात्कार होगा क्या? विद्वानों ने काफी कहा कि यह होना चाहिए। मैं तो मृत्यु-दंड का, सख्त से सख्त सज़ा का हिमायती हूं लेकिन इसमें जो रास्ते निकालते हैं विधिवेत्ता उसको भी कहीं न कहीं चैक किया जाना चाहिए। उसमें भी कहीं न कहीं सुधार होना चाहिए। जितने एक्ट आते हैं जल्दबाजी में आते हैं, उसके बाद उसमें रास्ते निकल जाते हैं, गलियां निकल जाती हैं, अपराधी छूट जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, एक और था हमारे समाज में कि जो मर्डर करता था, उसको क्या कहते थे? यह हत्यारा परिवार है, सात पीढ़ी तक तो उसके शादी-ब्याह ही नहीं होते थे, रोता रहता था कि मेरे परिवार में यह... (व्यवधान)

श्री सभापति: अब शादी-ब्याह ही नहीं करते थे तो सात पीढ़ी कैसे होती थी?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं-नहीं, मैं यह कह रहा हूं कि उसमें भी रुकावट आती थी, फिर वह इस प्रकार के नहीं करते थे। लेकिन आपके सामने ही है न यह तो, आपकी नजर में भी है कि हत्यारा परिवार घोषित करते थे फिर उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे।

अब तो छूटकर आ जाता है, पैसे देकर, वकील करके छूटकर आ जाता है। अरे, यह आ गया। इसका मतलब बहादुर शब्द के रूप में प्रकट करते हैं। पहले सामाजिक न्याय था, आज हमारा कानून न्याय हो गया। दफ्तर का न्याय हो गया। सामाजिक न्याय भी कमजोर हुआ है। उसमें नैतिकता थी, सामाजिक न्याय में नैतिकता थी, आध्यात्मिकता थी। यह सब सोचकर किया जाता था और सुधारात्मक न्याय था। यह अमेरिका में पैदा नहीं हुई, इंग्लैण्ड में पैदा नहीं हुई, एक विधवा ने कह दिया। इस देश में तो सामाजिक न्याय

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

थी और सुधारात्मक न्याय ही थी, जिसका आज ह्रास हुआ है। इस कारण से मैं आपके माध्यम से जो मैंने प्रस्ताव दिया था, उसको तो मैं वापस ले लूंगा, लेकिन मैं पुरजोर शब्दों में इसका समर्थन करता हूं और यह भी आग्रह करता हूं गृह मंत्रीजी से, कि इस सामाजिक जीवन को टोटल देखा जाये जिसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है, संविधान के बाद अगर किसी का स्थान है तो शिक्षा का है। शिक्षा में नैतिकता को, आध्यात्मिकता को और सदाचार और संस्कार को लाया जाये, इतना आग्रह करता हूं।

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री कालूलाल गुर्जर।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 41)

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 41वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 09 मार्च, 2018 को मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार, दिनांक 09 मार्च, 2018 को सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया जाये:-

शुक्रवार, दिनांक 09 मार्च, 2018	-	राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018 एवं
	-	राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार एवं पारण

माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य उपरोक्त विधेयकों पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहें, वे अपने सभी संशोधनों पर विधेयक के तृतीय वाचन, उपरोक्त विधेयकों को सदन में पारित किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के तुरन्त पश्चात् प्रस्तुत कर सकेंगे।

श्री सभापति: रूकिये-रूकिये, आप तो प्रस्ताव करिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 41वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 41वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था भी दी कि संशोधन नहीं आये हैं तो तृतीय वाचन के समय पर संशोधन देने की जो इच्छा थी, वह सारे माननीय सदस्य तृतीय वाचन पर अपने विचार रख सकते हैं।

श्री मनोज कुमार (अनुपस्थित) श्री हनुमान बेनीवाल।

विधेयक पर विचार

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 पर चर्चा हो रही है। निश्चित तौर पर जो यह कानून सरकार लेकर आ रही है, यह बहुत बड़ा कदम होगा। इस विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के कथन में लिखा है कि 'भारतीय दण्ड संहिता 1860 में नई धारा 376(कक) जोड़ी जानी प्रस्तावित है ताकि यह उपबन्ध किया जा सके कि जो कोई 12 वर्ष तक की आयु की स्त्री से बलात्संग करेगा, वह मृत्युदण्ड से या कठोर कारावास की सज़ा का इसके अंदर प्रावधान रखा गया।' माननीय सभापति महोदय, निश्चित रूप से हम सबके लिये यह चिंता का विषय है कि राजस्थान एक जमाने के अंदर अपराध की घटनाएं कभी-कभार हुआ करती थीं। आज अख़बार का पन्ना पलटते हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई अपराधिक घटना इसके अंदर पढ़ने को मिलती है। सबसे बड़ा मन को झटका जब लगता है, माननीय सभापति महोदय, जब छोटी बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं और राजधानी दिल्ली के अंदर बीते सालों के अंदर जो दुष्कर्म की एक बहुत बड़ी भयावह घटना हुई थी, इसने पूरे देश को हिला दिया था। उसके बाद कठोर कानून लाने की आवश्यकता दिल्ली के अंदर भी और अन्य प्रदेशों के अंदर भी आवश्यकता महसूस की गयी। मैं निश्चित रूप से यह जो कानून आज सरकार लेकर आ रही है, माननीय सभापति महोदय, इस कानून की बहुत बड़ी आवश्यकता भी थी। यह कानून बहुत पहले यहां आ जाना चाहिये था। देर आये दुरुस्त आये, लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इसके अंदर आपने यह लिखा कि 12 वर्ष तक की स्त्री, तो मैं माननीय गृह मंत्रीजी से इसके अंदर मैं निवेदन करूंगा कि इसमें 18 साल तक आप नाबालिग मानते हैं, 18 साल के

(श्री हनुमान बेनीवाल)

बाद बालिग मानते हैं, तो इसके अंदर यह भी होना चाहिये कि 18 साल तक की बालिका के साथ कोई दुष्कर्म की घटना होगी तो उसको भी फांसी की सज़ा, आजीवन कारावास की सज़ा के अंदर यह प्रावधान होगा।

(15.25 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

दूसरा, आज बाल विवाह जिस तरह हो रहे हैं, सामाजिक मान्यताएं भी बाल विवाह को ...(व्यवधान) सभापतिजी, यह देखेंगे जब बोलूंगा।

श्री सभापति: हां, बोलिये न आप। मैं कानों से सुन रहा हूं, आप बोलते जाइए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जैसे बाल-विवाह हो जाते हैं, उनको सामाजिक मान्यताएं भी मिल जाती हैं और बाल-विवाह के अंदर जब वह पति-पत्नी बन जाते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर अगर 10-12 साल की बच्ची का विवाह हो जाता है तो उसमें क्या प्रावधान रहेंगे? इसको भी विस्तार से इस विधेयक के अंदर जब आप लाते और इसका भी जिक्र होता तो निश्चित रूप से इसका संदेश भी प्रदेश के अंदर अच्छा जाता। माननीय सभापति महोदय, आज सरकार के जो एन.सी.आर.बी. ने आंकड़े महिला अपराध को लेकर जारी किये हैं, वह हमारे प्रदेश के लिये चिंताजनक हैं। आज निश्चित तौर पर यह बिल एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जब स्त्री सशक्तिकरण का विषय संयुक्त राष्ट्र से लेकर राज्य सरकार तक एजेंडे में सबसे ऊपर है। 2030 में इसे लक्षित किया गया है।

भामाशाह योजना में भी महिला को मुखिया के रूप में मान्यता देकर आप यह करवा रहे हैं। इसके बावजूद महिलाओं के प्रति बढ़ता अत्याचार, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, बालिकाओं के प्रति बढ़ते अपराध के जो आंकड़े हैं, इसके लिये अभी बहुत सारे कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। आई.पी.सी. की धाराओं में बदलाव की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, एन.सी.आर.बी. के आंकड़ों के अनुसार व महिला बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अध्ययन में यह खुलासा हुआ कि राजस्थान महिलाओं के लिये सुरक्षित नहीं है, क्योंकि राजस्थान उन चार राज्यों में शामिल है, जहां महिला सुरक्षा की सबसे ज्यादा खराब स्थिति है।

बाड़मेर के अंदर 22 जुलाई, 2017 को बूढ़ राठौड़ान में दलित महिला के साथ हुआ सामूहिक बलात्कार की घटना हो या फिर 9 मई, 2017 को चूरू के तलाणा गांव में दलित बालिका के साथ हुए सामूहिक बलात्कार की बात

(श्री हनुमान बेनीवाल)

करें या फिर मुख्य मंत्रीजी के गृह जिले झालावाड़ के खानपुर कस्बे में 12 वर्षीय दलित बालिका के साथ हुए बलात्कार के बाद पुलिस ने जिस तरह पीड़िताओं का मजाक उड़ाया व मुकदमा दर्ज कराने में आनाकानी की। ऐसी अनेक घटनाओं ने कहीं न कहीं प्रदेश को शर्मसार किया है। खानपुर में ग्रामीणों के दबाव में मुकदमा तो दर्ज हुआ, माननीय सभापति महोदय, और जो पुलिसकर्मी बालिका का मेडिकल मुआयना कराने के लिये हास्पिटल जा रहा था, वह नशे में धुत्त था और उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही पेड़ पर गाड़ी को टक्कर मार दी। इसलिये महिला सुरक्षा को लेकर खोखले दावे करने के बजाय सरकार को सख्ती से काम करने की आवश्यकता है। चूंकि 2016 तक देशभर में जो आंकड़े जारी हुए हैं, उनके अनुसार महिला अपराधों में 2.9 प्रतिशत तथा बच्चों के खिलाफ 13.6 प्रतिशत अपराधों में बढ़ोतरी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, आज हम कानून तो निश्चित तौर पर सदन में लेकर आ रहे हैं, जिसमें जघन्य अपराध को करने वाले के खिलाफ फांसी या कठोर कारावास की सजा की बात कही गयी है और गृह मंत्रीजी निश्चित रूप से गम्भीर हैं और यह हर समय गम्भीरता भी दिखाते हैं, लेकिन इधर से कोई बात अगर आती है तो थोड़ा गुस्से में जल्दी आ जाते हैं। मैं गृह मंत्रीजी को यह कहूंगा, यह हम सब के लिये पक्ष-विपक्ष और हम तो विपक्ष में भी नहीं थर्ड फ्रंट, तीसरे मोर्चे, सबके लिये हम यह चाहते हैं कि प्रदेश अपराधमुक्त हो, भयमुक्त हो और राजस्थान के अंदर जो अपराध के अंदर हमारा स्थान बहुत पीछे आता था, आज दुर्भाग्य से इन आंकड़ों के अंदर हम दूसरे-तीसरे-चौथे नंबर पर आ रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, फांसी और कठोर कारावास का प्रावधान लेकर आ रहे हैं, मगर किसी भी अपराध में सज़ा तब मिलेगी, जब मुकदमा दर्ज होगा। अगर मुकदमा ही दर्ज नहीं करेगी आपकी पुलिस तो फिर सज़ा कहां से मिलेगी? इसलिये गृह मंत्रीजी, इस चीज पर भी आप चिंता जाहिर करें कि 156(3) के इस्तगासों की संख्या क्यों बढ़ रही है? थाने के अंदर कोई मुकदमा दर्ज कराने के लिये जाता है तो थानेदार मुकदमा दर्ज नहीं करता। वह एस.पी. के पास जाता है। हर आदमी आपके पास नहीं पहुंचता। आप जन सुनवाई निश्चित रूप से करते हैं और आपके पास कोई आता है तो उनको सुनने का प्रयास भी करते हैं लेकिन आदमी एस.पी. से आगे राजधानी के अंदर नहीं आ पाता है। माननीय सभापति महोदय, हर गरीब व्यक्ति यहां नहीं पहुंचता तो थानों के अंदर एफ.आई.आर. त्वरित इसके अंदर हो, ऐसी व्यवस्था भी की जाए।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

वर्ष 2016 में एनसीआरबी में जारी जो आंकड़े थे, देशभर में 16 हजार से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुईं और जयपुर का उन घटनाओं में देशभर में आठवां स्थान था। जयपुर कमिश्नरेट के अन्दर 97 लोगों की हत्या तथा 330 दुष्कर्म सहित 1292 हिंसक घटनाएं केवल जयपुर शहर में हुईं, जिसकी सबसे बड़ी वजह पुलिस कमिश्नरेट की लापरवाही व समय पर निर्णय नहीं लेना सामने आया। पूरे देश में राजस्थान 13811 मुकदमों के साथ महिला अपराधों में दूसरे नम्बर पर आ गया।

राजस्थान में इन अपराधों के साथ-साथ बालकों के खिलाफ भी अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है। सदन में, बालिकाओं के साथ बढ़ते दुष्कर्म के मामले को लेकर समय-समय पर चिन्ता व्यक्त की गई, गृह मंत्रीजी ने भी यहां चिन्ता व्यक्त की है। गृह विभाग के आंकड़ों के अनुसार जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2017 तक 6519 प्रकरण इस तरह के दर्ज हुए हैं।

सभापति महोदय, आज हम सख्त कानून ला रहे हैं मगर कानून में सख्ती के साथ नफरी बढ़ाने की भी आवश्यकता है। आज आपने महिला थाने खोल दिये। पुलिस थाने खोल रहे हो। पुलिस की चौकियों खोल रहे हो लेकिन वहां नफरी की आवश्यकता है इसलिए चाहे महिला कांस्टेबल की हो, कांस्टेबल की हो, चाहे थानेदार की हो, चाहे प्रमोशन होकर आरपीएस की हो, पूरी भर्ती उनके अन्दर हों। तो निश्चित रूप से अपराधों को रोकने में हमें सफलता मिलेगी। राजस्थान, पूरे देश में जनसंख्या के अनुसार पुलिस नफरी में 20वें नम्बर पर है। सबसे बड़ा प्रदेश है लेकिन गृह मंत्रीजी, पुलिस नफरी में हम 20वें नम्बर पर आते हैं।

मेरा एक सुझाव है कि एक तो इसकी उम्र आप 18 साल करें ताकि ऐसी घटनाएं दुबारा नहीं हो। इसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए जो हमने सुझाव दिये हैं, उन पर आप गहनता से विचार करें। गृह मंत्रीजी, आप इस सख्त कानून को लेकर आये हैं। मेरा एक निवेदन है कि इसके साथ-साथ विभिन्न श्रेणी के महिला अपराधों व बच्चियों के साथ-साथ अपराध की घटनाओं को रोकने में हुई घटनाओं की समीक्षा के लिए भी एक उच्च स्तरीय जांच आप कराएं कि किन कारणों से पुलिस की बदनामी हुई, किस वजह से सरकार की बदनामी हुई। अगर आप जांच करवायेंगे तो पुलिस खेमे के अन्दर भी बहुत बड़ी गफलत आपको मिलेगी। सरकार गम्भीरता से निर्देश दे कि बच्चों के दुष्कर्म से जुड़ा मामला हो, चाहे महिला अपराध का हो, पुलिस उनका मजाक नहीं बनाये, सारा काम करे।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

सभापति महोदय, आजकल देखा गया है कि लोग इसको गलत हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई राजनेता है, उसके खिलाफ बलात्कार का झूठा मुकदमा करवा देते हैं। गांवों के अन्दर अक्सर देखा गया है, यह टेंडेंसी है कि घर के अन्दर कोई नौकरी करने वाला है या कोई दूसरा आदमी है, उसका झूठे मुकदमे में जानबूझ कर नाम लिखाया जाता है। गृह मंत्रीजी ने एक जवाब के अन्दर कहा था कि झूठे मुकदमे जहां दर्ज होंगे तो 182 और 211 आईपीसी के अन्दर कार्यवाही करते हैं लेकिन हमने आज तक तो सुना नहीं कि तफ्तीश में यह मानते हो कि मुकदमा झूठा है, किसी की इज्जत उछाल दो, बलात्कार का आरोप लगा दो और पुलिस उसको अनुसंधान के अन्दर झूठा माने और फिर आप 182 की कार्यवाही करोगे, तो 182 की कार्यवाही के अन्दर आज तक तो किसी को सज़ा मिली नहीं। मेरा निवेदन रहेगा कि इस तरह के झूठे मुकदमे जो किसी की साख को खराब करते हैं, मानसिक वेदना झेलने को मजबूर करते हैं। इन झूठे मुकदमों में 182 धारा के अन्दर भी अमेंडमेंट करें आप और जो छह माह का कारावास है, उसे बढ़ाकर कम से कम दस साल का कारावास करें ताकि लोगों के अन्दर यह मैसेज जायेगा कि गलत मुकदमों की जो परम्परा है, वह नहीं पड़ेगी।

दूसरा, आईपीसी की धारा 211 में कार्यवाही कर सकते हैं। उसके अन्दर भी दो साल की सज़ा है। तो मेरा दोनों के अन्दर यह रहेगा कि जो झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं, लोगों को बदनाम कर देते हैं, उन झूठे मुकदमे कराने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ऐसा प्रावधान करें। हमने देखा कि राजनेताओं को अक्सर लोग महिलाओं के द्वारा कहीं न कहीं हथियार बनाकर उनको बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जैसे लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य के खिलाफ भी इस उम्र के अन्दर, सभापति महोदय, बताओ, 65 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, उन पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसके अन्दर शायद एफ आर हुई या क्या, मुझे इतनी जानकारी नहीं है लेकिन इस तरह गलत मुकदमा, जो आदमी जीवनभर किसानों के लिए लड़ा, संघर्ष किया और उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं। इसमें भी किन लोगों का हाथ है, किन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया, गृह मंत्रीजी, इन बातों का खुलासा होना चाहिए ताकि जनता के अन्दर मैसेज जाए कि दुबारा मुकदमा कराने से पहले हजार बार सोचे कि झूठा मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे। एक बार मुकदमा दर्ज हो जाता है, यहां सदन के अन्दर बात आ जाती है कि आप पर तो मुकदमा दर्ज हुआ है। चाहे मुकदमे के अन्दर एफआर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

लगी हो लेकिन उसके जीवन से जुड़ जाता है कि आप पर तो मुकदमा दर्ज हुआ था। झूठा मुकदमा जो भी कराते हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी सज़ा का प्रावधान होना चाहिए।

निश्चित रूप से आज यह कानून आप लेकर आये हो। मध्य प्रदेश के बाद शायद राजस्थान इस मामले में कानून लाने वाला दूसरा राज्य बना है। मैं एक मांग और भी करूंगा आपसे कि आज मध्य प्रदेश और उत्तराखण्ड की तरह मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अन्दर लेकर आयें ताकि भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए भी राजस्थान अग्रणी राज्यों में शामिल हो सके।

मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हमने जो सुझाव दिये हैं, उन सुझावों के साथ अगर इस कानून को और वृहद् रूप से आप लेकर आते तो निश्चित रूप से राजस्थान के अन्दर अच्छा संदेश जाता।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपकी पहले अच्छी है लेकिन मेरी मांग है कि इस कानून को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री नन्दकिशोरजी महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): धन्यवाद सभापति महोदय, दण्ड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक, 2018 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बड़ी ही अच्छी बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कानूनी रूप से इस बारे में बतायीं हैं और बहुत ही अच्छी शुरूआत और पहल है कि इस तरह का कानून लाया जा रहा है लेकिन सिर्फ कानून लाने से कुछ होने वाला है नहीं। जब तक प्रदेश में व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी, आज हमारा प्रदेश पूरे देश में महिलाओं के मामलों में, चाहे हिंसा का मामला हो, चाहे बलात्कार का मामला हो, लगभग शीर्ष पर बैठा है। ऐसी स्थिति में यह कानून ला रहे हैं, बढ़िया बात है लेकिन असर कितना होगा, यह देखने वाली बात है। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, काफी मामलों में प्रदेश अपराधों में अव्वल स्थिति में बैठा है और यह कानून भी लाया जा रहा है तो सिर्फ 12 वर्ष की बच्चियों के लिए। क्या 13 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष से ऊपर की उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, तो क्यों हम उन लोगों को राहत देना चाहते हैं? उनके साथ हिंसा होती है तो क्यों उन लोगों का बचाना चाहते हैं।

सभापति महोदय, 302 में आदमी खतम तो हो जाता है, लेकिन इसमें तो जीते जी खतम हो जाता है और जितने दिन वह जीता है तो उस

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

महिला को मरे हुए के समान जीना पड़ता है। यह बड़ी बुरी परिस्थिति है और प्रदेश में 12 वर्ष की बच्चियों से नीचे की बच्चियों की शादियां हो रही हैं हजारों की संख्या में। उसका क्या है? उनके साथ जो कुछ हो रहा है, क्या वह बलात्कार नहीं है? तो उसके लिए प्रदेश में क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या कानून है? उसको पहले हम सख्ती से लागू करें। वह तो लाइसेंसशुदा बलात्कार हो रहा है, एक तरह से। सुधार करना बहुत अच्छी बात है लेकिन प्रदेश में जो अपराध हो रहे हैं, लगभग में तो एफआईआर ही दर्ज नहीं हो पाती है, एफआईआर के मामले में अपने यहां स्थिति यह है कि जितने लोग जाते हैं, उनमें से 15 से 20 परसेंट की एफआईआर दर्ज होती है।

सभापति महोदय, गत 01 जनवरी, 2015 से जनवरी, 2016 तक प्रदेश में 03 लाख 03 हजार 488 मुकदमे दर्ज हुए और उनमें से 01 लाख 88 हजार 171 मुकदमे इस्तगासे के जरिये दर्ज हुए। यानी 261 लोगों को रोज कोर्ट में इस्तगासे के थ्रू मुकदमा दर्ज कराना पड़ता है। आप जानते हैं कि हजारों लोगों के साथ ऐसी घटना होती है तो 25 परसेंट मुश्किल से कोर्ट में पहुंच पाते हैं और उनमें से भी आधों का मुकदमा दर्ज होता है। अब हम सिर्फ आंकड़ों की बात करते रहेंगे कि एफआईआर ज्यादा हो जाएंगी, मुकदमों की संख्या ज्यादा हो जायेगी तो हम कोई अपराधी नहीं बन जायेंगे। अपराध तो उन लोगों के साथ भी हो रहा है, जिनका मुकदमा ही दर्ज नहीं हो रहा है। उनके साथ कितनी बड़ी घटना हो रही है। सिर्फ नम्बर बढ़ने से कोई प्रदेश में अपराध नहीं बढ़ जाएंगे।

यहां जो हम आंकड़े हम लोग गिनाते रहते हैं कि पिछले साल इतने थे और इस साल इतने हो गये। उस सरकार में इतने थे और इसमें इतने हो गये। बजाय इसके, आज डिजिटल जमाना चल रहा है, आनलाइन मुकदमों की हम बात कर रहे हैं तो कम से कम जो लिखित में देने जाए, उसका तो मुकदमा दर्ज हो और दर्ज भी हो जाए तो उसके बाद भ्रष्टाचार की जो हालत है, अफसरों की जो स्थिति है, आप जानते हो कि प्रमोशन होने के बाद भी अफसर 'की' पोस्टिंग्स पर किस तरह से प्रदेश में चिपके हुए हैं। एक-एक, दो-दो प्रमोशन हो गये फिर भी वह कमिश्नरेट नहीं छोड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार जो है, अगर किसी की एफआईआर दर्ज भी हो जाए तो उसको भी निपटा देता है। गत दो सालों में जितनी शिकायतें भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हुई, उनमें से 97.5 परसेंट में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सिर्फ ढाई परसेंट हुई, 51 एफआईआर दर्ज हुई हैं। जनवरी, 2014 से मार्च, 2016 तक 16278 शिकायतें हुई थीं।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

अब ऐसी स्थिति में किस तरह से अपराध से मुक्ति मिलेगी, कैसे आमजन को राहत मिलेगी। बड़ा अच्छा कानून है लेकिन कुछ और सुधार किये जाएं, व्यवस्था में सुधार किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 को तीन महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धीरज गुर्जर।

(15.40 बजे)

(श्री जोगाराम पटेल, सभापति, पदासीन)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापति महोदय, आज दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 के पारण के समय जब हम लोग विचार-विमर्श कर रहे हैं, निश्चित रूप से सिर्फ विपक्ष में होने के कारण हम हर बार बाल की खाल निकालें, ऐसा नहीं कराना चाहते हैं और सरकार जो बिल लेकर आयी है इस बिल के लिए सरकार को बधाई तो दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा लेकिन यह है कि इस बिल की आड़ में अपना नाकारापन भी नहीं छिपाये, साथ ही साथ यह मैं इसको चेतावनी भी देना चाहूंगा।

हम जिस समाज के अन्दर रहते हैं उस समाज के अन्दर हम मानव जाति में पैदा हुए और मानव और पशु में यह अन्तर है कि हम लोगों ने मातृ शक्ति को मां के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में देखा और उसके बाद जब हमारे समाज के अन्दर ऐसे घृणित अपराध हो जाते हैं और वो घृणित अपराध होने के बाद में निश्चित रूप से हमारे समाज के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर जो कालिख पुतती है वो सिर्फ उस बलात्कार की शिकार बच्ची तक या उसके परिवार तक या उस महिला तक या उसके रिश्तेदारों तक नहीं, हम सब के चेहरे के ऊपर भी वो कालिख पुत जाती है जब इस तरह की घटना हमारे समाज में होती है और यह सिर्फ कोई कांग्रेस और बी.जे.पी. की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बी.जे.पी. के राज में ही बलात्कार हुए हों और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के राज के अन्दर बलात्कार हुए हों। और यह कोई संख्या का मामला भी नहीं है कि आपके समय में इतने बलात्कार हो गये और हमारे समय में इतने बलात्कार हो गये। सवाल इस बात का है कि सदन के अन्दर, जिस संस्था के अन्दर हम लोग बैठते हैं और हमें जनता ने इस बात का अधिकार दिया कि उनके हितों की रक्षा के लिए जो कानून बनाये जाएं और उन कानून के अन्दर हम लोग पक्ष-विपक्ष को भूलकर सकारात्मक

(श्री धीरज गुर्जर)

पहल के साथ आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से आपकी सरकार है, मैं कह सकता हूं कि आपने जो पहल करी है कि राजस्थान के अन्दर, पूरे देश के अन्दर मध्य प्रदेश के बाद हमारा प्रदेश दूसरा प्रदेश हो जायेगा जिसके अन्दर हम इतने कठोर दण्ड के प्रावधान लेकर आ रहे हैं।

लेकिन क्या सिर्फ 12 साल की बेटी ही बेटी होती है? जो 13 साल की है, जो 14 साल की है, जो 15 साल की है उसके साथ भी जब बलात्कार की घटना होती है और बलात्कार से सिर्फ यह मतलब नहीं कि उसकी देह के साथ बलात्कार हो, उसके मन के साथ, उसके मस्तिष्क के साथ, उसके विचारों के साथ और जिस तरह का माहौल आज समाज में चल रहा है, उस माहौल के अन्दर छेड़छाड़ की घटना भी उस बच्ची को अन्दर तक चीर देती है। जिस तरह स्कूलों के बाहर, कालेजों के बाहर, सार्वजनिक स्थानों पर घटनाएं हो रही हैं, मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इसके बारे में भी आप कोई कठोर निर्णय लें।

यह बिल जो हम लेकर आये हैं, इस बिल का तो हम स्वागत करते हैं लेकिन, गृह मंत्रीजी, आप उसको व्यक्तिगत मत लेना लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिर जो एफ.आई.आर. दर्ज होगी, अपराध होगा लेकिन जब उस अपराध की जांच होगी तो उस अपराध की जांच करने वाला व्यक्ति कई बार सच को झूठ और झूठ को सच कर देता है, इस बात के ऊपर हमें विशेष कार्यवाही करनी पड़ेगी। इस बिल के अन्दर हमें यह लाना चाहिए था कि इस तरह के अपराध के अन्दर अगर कोई अधिकारी पर्दा डालने में मदद करता है, अगर कोई अधिकारी इसका सहयोग करता हुआ पाया जाता है तो वो भी मृत्यु दण्ड का अधिकारी होगा और वो भी मृत्यु दण्ड का भागीदार होगा और उसकी नौकरी छीन ली जायेगी, तब सही मायने में हमारा इस सदन के अन्दर यह बिल लाना उपयुक्त होगा। क्योंकि कई बार जिस तरह की घटनाएं, कई घटनाएं सही होती हैं उन सही घटनाओं के अन्दर भी कभी राजनीतिक प्रभाव से, कभी धन के प्रभाव से, कभी भ्रष्टाचार के कारण जांच को प्रभावित कर दिया जाता है। और पुलिस में कानून है कि एक बार नीचे वाले अधिकारी ने जो फाइल लिख दी, क्योंकि हमारे देश में जो परम्परा बन गयी, हम आज भी अंग्रेजों के बनाये हुए सिस्टम से मुक्त नहीं हो पाये हैं, वो ऊपर वाला अंग्रेज उससे नीचे वाले को पूछता है, नीचे वाला उससे नीचे वाले को, आज नीचे से ऊपर तक क्योंकि जो ऊपर का अधिकारी बैठा है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसके कान उसकी आंखों का काम करते हैं और उसके कान के अन्दर जो

(श्री धीरज गुर्जर)

सूचनाएं पहुंचाई जाती हैं वो निचले तंत्र से पहुंचाई जाती हैं और जब नीचे का तंत्र भ्रष्ट हो जायेगा, मैं यह नहीं कहना चाहता कि राजस्थान की पूरी पुलिस भ्रष्ट है लेकिन हमारे तंत्र के अन्दर ऐसे भेड़िये बैठे हुए हैं जो भेड़ की खाल ओढ़कर उस कुर्सी पर बैठकर जब अन्याय कर देते हैं तो उसके अन्याय के कारण हमारा पूरा मुकदमा प्रभावित हो जाता है और उस बहन-बेटी के साथ, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, जिसके साथ बलात्संग हुआ है उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है।

जो हमारे नन्दकिशोर जी महरिया ने कहा कि हत्या के अपराध के अन्दर तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है, उसकी आत्मा चली जाती है लेकिन इन तरह के अपराधों के अन्दर आदमी जी कर रोज मरता है, वो जितने दिन जीती है उतने दिन मरती है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो आपकी जांच व्यवस्था इस जांच व्यवस्था को इतना प्रभावी करें और इस जांच व्यवस्था के अन्दर दण्ड का निर्धारण करें।

सिर्फ यह नहीं, छोटी बच्चियों के मामले में तो यह नहीं कह सकता कि गलत मुकदमे दर्ज होते हैं लेकिन कहीं न कहीं इस बात को आप महसूस करेंगे कि आजकल समाज में एक गम्भीर प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, छेड़छाड़ का मुकदमा, आपसी द्वेष के अन्दर किसी महिला के माध्यम से उसकी रिपोर्ट लिखवाना। इस तरह के अपराधों में भी जो निरन्तर वृद्धि हो रही है और उन अपराधों में पुलिस मनमर्जी से कार्यवाही करती है, जो इनको उपयुक्त होता है, जो इनको इनके अनुरूप लगता है उसके अन्दर तो ये लोग कार्यवाही कर देते हैं और जो इनके अनुरूप व्यवस्था नहीं होती उसके अन्दर ये एफ.आर. लगा देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस मंशा के साथ आप यह बिल लेकर आये हैं कि जब छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है तो उनको हम संरक्षण दें और इन पापियों को दण्ड का भागी बनायें, इनको मृत्यु की राह तक पहुंचाएं, तो उस राह के अन्दर जो जांच करेगा वो हमारी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है। अगर वो कड़ी छूट जाएगी तो, गृह मंत्रीजी, आप यह मान कर चलना कि आपका यह बिल इस सदन के अन्दर लाना व्यर्थ हो जायेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बिल के अन्दर आप यह भी जोड़ें कि जो जांच अधिकारी है अगर उस जांच में वो पाया गया कि उसने अपराधी को बचाने का काम किया है, उसने जांच को अन्दर गुमराह करने का काम किया है, जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ उस बलात्कार वाली महिला को न्याय दिलाने की जगह बेइमानों का पक्ष लिया है, तो उस अधिकारी को भी

(श्री धीरज गुर्जर)

अगर आप मृत्यु दण्ड का भागी बनाएंगे तो पूरे देश के अन्दर एक नवीन इतिहास बनेगा और लोग ऐसा गलत काम करने से बचेंगे।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि यह हम 12 वर्ष की बच्चियों के बिल लेकर आये हैं, बहुत अच्छी बात है लेकिन आज कई ऐसे मुकदमे हैं, क्योंकि कई हमारे समाज की ऐसी घटनाएं हैं वो सामने नहीं आ पाती है कि जो घर के अन्दर रहते हैं और उन घर के अन्दर रहने वाली घटनाओं में पास-पड़ोस का रिश्तेदार, या कोई दूर का रिश्तेदार, या कोई ऐसा नजदीकी रिश्तेदार जब इस तरह की घटना, दुर्घटना को अंजाम दे देता है और आदमी लोकलाज से, क्योंकि लोकलाज के मारे लोग देखते हैं कि हमारी बात बाहर जायेगी, बदनामी होगी, जितने अपराध हमारे सामने आ रहे हैं उतने के उतने ही अपराध ऐसे हैं जो लोक लज्जा के माध्यम से उन अपराधों को दबा दिया जाता है। मैं आपसे यह भी मांग करता हूं कि आप कोई ऐसी प्रभावी व्यवस्था करें कि व्यक्ति को मन में यह डर नहीं रहे क्योंकि जब ट्रायल होगी, यह तो ठीक बात है उसका नाम ओपन नहीं होगा, पोक्सो के माध्यम से यह निर्णय हो गया कि उस पीड़िता का ओपन नहीं होगा, उसकी ट्रायल नहीं होगी लेकिन आज 164 के बयान देने के लिए उसको कोर्ट में जाना पड़ता है। 164 के बयान देने के लिए वो बच्ची कोर्ट के अन्दर जाती है तो सब लोग समझ जाते हैं कि ये जो पीड़िता है ये इस मामले में कोर्ट में आयी है और धीरे-धीरे लोगों में कानाफूसी हो जाती है। हमें कोई ऐसी व्यवस्था भी इस प्रदेश में लागू करनी चाहिए कि जिन बच्चियों के साथ इस तरह की घटना, दुर्घटना पीड़ित के साथ हो गयी है, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ अख़बार में नाम नहीं छपने से सार्वजनिक नहीं होगी, हमें कोई ऐसी प्रणाली भी विकसित करनी चाहिए जिससे उस बच्ची का नाम सामने नहीं आये तो और भी लोग हौसला कर पायेंगे कि उसके साथ जो घटना घटी है उस घटना को वो लोग कानून की शरण में जाकर न्याय दिला सकें।

मैं गृह मंत्रीजी को यह भी कहना चाहता हूं कि इन बच्चियों के साथ-साथ आज जो छोटे बच्चे हैं, जो लड़कों के साथ, हालांकि यह पोक्सो में कवर हो रहे हैं लेकिन, गृह मंत्रीजी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस समय पोक्सो लागू हुआ था उस समय इस पोक्सो को बड़ा कठिन मानते हुए इस पोक्सो के माध्यम से कार्यवाहियां भी हुई थीं लेकिन आपको जो भ्रष्ट अधिकारी नीचे बैठे हुए हैं, उन भ्रष्ट अधिकारियों ने अब इस पोक्सो के माध्यम से भी लोगों को बचाने की गलियां निकाल दी हैं। मेरे ज्यादा मामले

(श्री धीरज गुर्जर)

तो ध्यान में नहीं है, मेरे खुद के भीलवाड़ा जिले के अन्दर भीलवाड़ा के थाना कोतवाली के अन्दर दो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गम्भीर घटना हो गयी, बच्ची नाबालिग थी, पोक्सो में एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी, उसके 164 के बयान भी हो गये और उसके बाद भी तत्कालीन जांच अधिकारी ने उसके अन्दर एफ.आर. लगा दी और उसके परिवार जनों को मारपीट का दोषी मानते हुए उनके चालान कर दिये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आपकी नीचे की कड़ियां हैं, गृह मंत्री जी, उन कड़ियों के अन्दर कहीं न कहीं खोट है। जब आप इन कड़ियों की खोट को बंद करेंगे, क्योंकि सत्ता आज आपकी है, कल हमारी आनी है, आपकी रहनी है, परसों हमारी रहनी है, सत्ता परिवर्तनशील है लेकिन इस सदन के अन्दर बोला गया एक-एक वाक्य रिकार्ड में आता है। इसलिए मैं आपसे मांग करना चाहता हूं, आप तो जैन धर्म की पालना करने वाले हैं जो शायद चींटी को भी दु:ख नहीं देना चाहते हैं, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपके समय में ऐसे कुछ कठोर कानून बनें जो न केवल इन बच्चियों को राहत मिले बल्कि जो झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं, उन झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों को प्रताड़ना मिले, सच्चे मुकदमों के अन्दर जो भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्टाचार के कारण या राजनीतिक रसूखात के कारण झूठी एफ.आर. लगा देते हैं, उनके खिलाफ भी कठोर दण्ड का कारण बने और उसके साथ-साथ जो छोटे बच्चे हैं, इन बालकों के साथ भी आजकल जिस तरह से होटलों में और इनमें जो बाल श्रम करते हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। हालांकि उन घटनाओं को पोक्सो के अन्दर कवर किया जा रहा है लेकिन उसके लिए भी आप कोई विशेष प्रावधान लेकर आयें और इसको 12 साल न रखते हुए कम से कम 15 साल किया जाए क्योंकि बेटी तो बेटी है। वह बेटी हमारी बेटी, हमारे समाज की बेटी है, आप सब की और हमारी बेटी है इसलिए उस बेटी को संरक्षण मिलना चाहिए।

खासकर के अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस के अगले दिन आप लोग यह बिल लेकर आये हैं, मैं आपकी भावना का सम्मान करता हूं। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान प्रदेश के अन्दर लगातार छोटी बच्चियों से बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे बीकानेर की डेल्टा का मामला हो, चाहे झालावाड़ की दलित बच्ची के साथ बलात्कार का मामला हो, चाहे अभी कुछ दिनों पहले चित्तौड़गढ़ के अन्दर जो बलात्कार की घटना हुई, उसका मामला हो, पूरे प्रदेश के अन्दर गाहे बगाहे ऐसी घटनाओं के कारण

(श्री धीरज गुर्जर)

राजस्थान शर्मसार हो रहा है और यह शर्मसार प्रदेश आपके और हमारे माथे पर कलंक का बदनुमा दाग नहीं बन जाए। इसके लिए हमको सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे, राजनीति से ऊपर उठकर प्रयास करने पड़ेंगे और सच्चे अर्थों के अन्दर और सच्चे मन के साथ हमें जमीन पर जाकर इन लोगों को, पीड़ित को, जिनके साथ बलात्कार हुआ, क्योंकि यह विकृत मानसिकता आई कहां से? जो लोग बलात्कार करते हैं वो भी समाज का अंग हैं, हमारे समाज के अन्दर रहते हैं।

कहीं न कहीं हमारी संस्कृति में कभी तो पहले ऐसा नहीं था कि छोटी बच्चियों के साथ बलात्संग हो जाए। आज जिस तरह से हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का निरन्तर ह्रास हो रहा है, हमें उन कारणों को जानकर बचपन से ही इस बात की व्यवस्था करनी होगी कि उन कारणों को दूर करके हमारा समाज एक स्वच्छ समाज बने और इस स्वच्छ समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं हों, इसके लिए हम प्रयास करें। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करें। इस बिल में सुधार करके पुन: लागू करें और जिस भावना से आप यह बिल लाए हैं, निश्चित रूप से मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन मैं पुन: कहना चाहता हूं कि प्रदेश और देश में जो हमारे यहां बदनुमा घटनाएं हो रही हैं, उनका दाग कभी धोया नहीं जा सकेगा, इसलिए आप इनके ऊपर कार्यवाही करावें।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, पूरणमल जी सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय सभापति महोदय, आज सुबह से ही हमारे इस सदन में दण्ड विधियां राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 2018 में कुछ नई धाराएं जोड़ने के लिए सरकार बिल लेकर आई है और इस पर डिबेट चल रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत लंबा समय नहीं लेते हुए इस बिल की धाराओं को जोड़ने का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही मैं निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार के यह ध्यान में आया, इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा कि कानून में ये जो भी धाराएं पहले से बनी हैं, उनमें आवश्यकता के अनुसार अमेंडमेंट की जरूरत है, ये जो लेकर आए हैं, अच्छी बात है। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने इसमें कहा है कि बालिकाओं से बलात्संग और बालिकाओं से सामूहिक बलात्संग के अपराध बार-बार हो रहे हैं, ऐसे अपराध जघन्य हैं।

(श्री पूरणमल सैनी)

माननीय सभापति महोदय, यह आज ही नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल में जब से यह प्रकृति हुई होगी और जब से इस देश में स्वतंत्रता आई, उससे पहले भी चाहे कोई भी युग रहा होगा, इस तरह की विकृतियां समाज में रहती रही हैं। लेकिन समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार हमारी सरकारें कानून बना-बनाकर और कानूनों में संशोधन कर-करके समाजों का प्रोटेक्शन, चाहे वे बालिकाएं रही हों अथवा दूसरे क्षेत्रों में, करती रही हैं। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत लंबी बात नहीं करके इतना-सा निवेदन करना चाहूंगा, किसी महापुरुष ने कहा है कि संविधान हर देश के लिए होता है और वे समस्त देश के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन निर्भर करता है कि उस संविधान को किस तरह से लागू किया जाए। संविधान को लागू करने वालों पर भी यह निर्भर करता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा निवेदन यह है कि ये विकृतियां पहले भी पैदा होती रहीं, चाहे वे बारह बरस की बच्चियां थीं, चाहे किसी भी प्रकार की महिलाएं थीं, चाहे वह धारा 354 या 376 रही थी, पहले भी थीं, हम तो इसमें केवल 1-2 धाराएं और अमेंड कर रहे हैं। दण्ड की प्रक्रिया भी पहले थी, लेकिन माननीय सभापति महोदय, इस कानून को सही तरीके से लागू करने में कोई न कोई कमी रही है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि हम लोगों को इस बात पर ज्यादा ध्यान देना होगा बजाय कि कानून के। कानून तो जब ये धाराएं नहीं जोड़ी थीं, तब भी सफिशिएंट था, लेकिन आज तक जो कमी और खामी रही, वह यह थी कि जो भी कानून बना था, उसे तरीके से लागू नहीं किया गया और इसीलिए ये कुव्यवस्थाएं इस देश और प्रदेश में बढ़ती रहीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अनेक घटनाएं, जो प्रदेश में सामूहिक बलात्कार दुराचारियों के द्वारा किए जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जैसे संविधान वाली जो बात मैंने पहले भी निवेदन की है, उसी तरीके से इस कानून में इन धाराओं को जोड़ते हुए, मैं चाहता हूं कि सरकार पूर्ण रूप से पाबंद करते हुए एक श्वेत पत्र इस कानून को लागू करने के लिए जारी करे और वास्तव में सभापति महोदय, इस तरीके से नहीं, जो इस कानून को प्रोपर तरीके से लागू नहीं करते हैं, उनके खिलाफ भी अगर सरकार कुछ सोचती है तो मैं सोचता हूं कि वास्तव में यह एक अहम कदम होगा।

(श्री पूरणमल सैनी)

राजस्थान की सरकार जो आज एक अच्छे बिल की धाराओं को जोड़ने के लिए लेकर आई है, इनका मैं स्वागत और सम्मान करता हूं, आपके माध्यम से इस सदन में अभिशंसा करता हूं कि इसको पारित फर्माया जाए। मैंने जो मेरा संशोधन प्रस्ताव दिया है, उसे वापस लेने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय भीम।

श्री सभापति: वापस लेने की प्रार्थना करता हूं। माननीय सदस्य, श्री शंकरसिंह जी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 में आज निश्चित रूप से सरकार एक बहुत अच्छा कानून बनाने जा रही है ऐसे कानून में संशोधन एड करते हुए, जिनकी देश की आज की परिस्थिति में आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, अभी डिबेट हो रही थी कि आखिर इस देश में ये प्रवृत्तियां दिन-ब-दिन ज्यादा क्यों हो रही हैं। निश्चित रूप से हमारी शिक्षा संस्कारी कैसे हो, इस पर चिंता करनी चाहिए, सरकार कर भी रही है, लेकिन देश की राजधानी में पिछले कुछ वर्षों में जो घटनाएं हुई और ऐसी घटनाएं जिनमें पूरे देश के हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए, आखिर इस देश में जैसा अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, ऐसा भाव जहां हमने बालिका को दैवीय स्वरूप में देखा है, उस पर अत्याचार कैसे हुआ, किस प्रकार से ऐसा भाव जागा।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण के माध्यम से कहना चाहूंगा, अमेरिका की एक चर्च में 2 कपल्स अपना परिचय देते हैं और मुझे लगता है कि इसके लिए वहां से जो पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता जिन टीवी चैनलों के माध्यम से इस देश में आई, वह जिम्मेदार है। आज हम आधुनिकता के इस दौर में अपने बच्चों को जो संस्कार देने चाहिए, वे संस्कार देने की कोशिश नहीं करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहने जा रहा हूं कि अमेरिका की एक चर्च में 2 कपल्स जब 31 दिसम्बर को अपना परिचय देते हैं तो कहते हैं- ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी के बच्चे हैं और ये हम दोनों के बच्चे हैं। यह कैसा चरित्र है? ये मेरे बच्चे हैं, जब मैं किसी और के साथ था, ये मेरी पत्नी के बच्चे हैं, जब वह किसी और के साथ थी और ये हम दोनों के बच्चे हैं, जब हम दोनों साथ थे। यह कैसा चरित्र है? उसके बाद उस देश में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस पर क्या कहें। वहां तो 12 साल के बच्चे को भी नींद की

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

गोलियां लेकर सोना पड़ता है। आज इसीलिए, वास्तव में आत्मिक सुख के लिए वे हिन्दुस्तान की तरफ आ रहे हैं।

हमारे देश की संस्कृति-सभ्यता यह कहती है- ये मेरे बेटे हैं, यह मेरी धर्मपत्नी है, यह मेरे गांव की बेटी है, यह मेरे गांव की बहू है। 'मेरे गांव की बेटी है', यहां तक संबंधों को जायज माना गया है। माननीय सभापति महोदय, आज ये नियम जो लाया गया है, इन घटनाओं पर वास्तव में यह बहुत कठोर कदम है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। अब इसमें 2-3 बातें हैं, जिनके लिए हमें थोड़ा-सा सोचना चाहिए।

एक तो जो पीड़िता है, उसके मुआवजे से संबंधित विषय, कोई एससी-एसटी की पीड़िता है, वहां कलेक्टर की अध्यक्षता में तुरन्त समाज कल्याण विभाग की तरफ से दे दिया जाता है, लेकिन अगर पीड़िता ओबीसी या सामान्य जाति से है तो उसके बारे में वह कलेक्टर राज्य सरकार को भेजता है, तो उसमें कुछ ऐसा किया जाए, मान लो सामूहिक बलात्कार हुआ है, उसमें उन सामूहिक लोगों के जो जुर्माने की राशि है, चाहे उनकी सम्पत्ति से लेवें या उनकी सम्पत्ति कुर्क करके लेवें, लेकिन जिस बालिका के साथ अन्याय हुआ है, उसके जीवन के भरण-पोषण की जवाबदारी इस नियम में कहीं न कहीं होनी चाहिए, ताकि वह अपने आगे का जीवनयापन सही तरीके से कर सके।

निश्चित रूप से जहां सामूहिक बलात्कार हुआ है, शिक्षा के लिए वह बच्ची वहां उस स्कूल में नहीं पढ़ सकेगी। वह परिवार, उस जिले से बाहर जाना चाहेगा, तो ऐसा भी कुछ होना चाहिए कि उस पीड़िता की शिक्षा के लिए जवाबदेह सरकार हो और यह नियम हो कि चाहे वह राजस्थान में किसी भी जिले में जाए तो उसकी पढ़ाई-लिखाई की सारी जवाबदारी सरकार की होगी, यह भी कहीं न कहीं हमें नियमों में डालने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, पीड़िता की शिक्षा और उसके विकास की जवाबदारी सरकार को इस नियम में लेनी ही चाहिए। जहां पर सामूहिक बलात्कार हुआ है, उस परिवार को वह शहर छोड़कर जाना पड़ता है मजबूरन। अपनी इज्जत और आबरू बचाने के लिए, उसे लोगों के सामने पेश नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको जाना पड़ता है। मैं तो यह कह रहा हूं कि सरकार की जवाबदारी है कि वो चाहे हिन्दुस्तान के किसी भी कोने पर चाहे, वहां पर उसकी पढ़ाई-लिखाई की सारी व्यवस्था का इस कानून में कहीं न कहीं व्यवस्था होनी चाहिए।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, एक इसमें निर्णय के लिए समय सीमा नहीं है। सामूहिक बलात्कार हो गया और जग-जाहिर बलात्कार हो गया है, उस बच्ची को मारकर डाल दिया जाता है या किसी कारण से बच्ची बच जाती है तो परिवार उस जिले और शहर को छोड़कर बाहर चला जाता है, केस दर्ज होता है। लेकिन उसमें यह दण्ड देने या परिणाम देने की एक समय सीमा होनी चाहिए कि दो साल, तीन साल में उन आरोपियों को दण्डित किया जाएगा, नहीं तो 10-10, 20-20 साल तक जब-जब भी वो पीड़िता उन आरोपियों को देखती है तो उसके शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं कि ये अभी भी स्वच्छंद घूम रहे हैं। इसलिए कहीं न कहीं ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि इसमें निर्णय की समय सीमा होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मान लो पति-पत्नी अलग रह रहे हैं और पत्नी के द्वारा केस भी किया जाता है जिसका भी नियम बनाया है तो उसमें थोड़ा-सा ध्यान यह रखना चाहिए कि मुझे लगता है कि इस नियम का कहीं दुरुपयोग न हो और उस स्थिति में क्या कर सकते हैं। एक महिला ने पति के ऊपर केस दर्ज करा दिया कि मेरा बलात्कार किया, अब वो साथ में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है और अब वो तलाक लेना चाहती है इसलिए इस एक्ट में उसको फंसाने की भी कहीं कोशिश न कर ले और इसका कहीं दुरुपयोग न हो।

माननीय सभापति महोदय, जब हम कठोर कानून बनाने जा रहे हैं और कठोर कानून में पीड़िता को हमें न्याय दिलाना है लेकिन कोई ऐसी बच्चियों के माध्यम से ऐसा-ऐसा महिलाओं का रैकेट भी चलता है कि कहीं लोगों का दुरुपयोग नहीं करे तो दुरुपयोग की स्थिति में उस रैकेट को क्या सज़ा होगी उस सज़ा का भी प्रावधान इसमें कहीं न कहीं होना चाहिए कि इसमें फंसाया गया है। जैसे अभी बीच में एक सैक्स रैकेट को जयपुर की पुलिस ने बड़े जोरदार तरीके से पकड़ा है और ऐसे-ऐसे रैकेट, मैंने पिछले सेशन में भी कहा था कि एक रैकेट यहां से चलकर ठेठ रानीवाड़ा में लोगों का दुरुपयोग करके लोगों को फंसाकर यहां आकर जीरो नम्बर की कमप्लेंट लिखाई जाती है और उनसे पैंसे ऐंठे गये रानीवाड़ा, बड़गांव जाकर। ये ऐसे चलते हैं तो कहीं ऐसे रैकेट में अपनी बच्चियों को भी साथ लेकर जिनको ब्लेकमैल करना ही धंधा होता है तो वो बच्चियों को लेकर कहीं ऐसा न कर दें कि सही लोगों को, सज्जन लोगों को उल्टा फंसाकर ब्लेकमैल करें। इसलिए जो गलत केस

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

दर्ज हुए हैं उनके लिए भी ऐसा उसमें प्रावधान होना चाहिए कि इस प्रकार से गलत करने पर कोई न कोई सज़ा का प्रावधान हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुरजोर भाव से कहता हूं कि यह जो नियम है, इतना कठोर नियम है और सरकार ने यह जो कदम उठाया है, निश्चित रूप से हिन्दुस्तान में दूसरा राज्य है। मैं मुख्य मंत्रीजी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यह कठोर नियम लाकर इस देश में और इस राज्य में जो मौलिक अधिकार और बच्चियों, महिलाओं का जो संरक्षण होना चाहिए उसमें हमारा दायित्व, सामाजिक जीवन का दायित्व बनता है तो सामाजिक जीवन के साथ-साथ सरकार का भी दायित्व है कि एक कानून लाकर उनका संरक्षण सरकार कैसे करना चाहती है यह इस नियम के माध्यम से किया है। माननीय सभापति महोदय, मैंने जो जनमत जानने के लिए दिया है उसे वापस लेने की आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, यह राजस्थान का सौभाग्य है और राजस्थान की मुख्य मंत्री का धन्यवाद करता हूं क्योंकि सदन में पिछले चार सालों से इस प्रकार की कई घटनाओं का यहां जिक्र हुआ है जब बहुत छोटी, दो साल की, पांच साल की, सात साल की बच्चियों के साथ लोगों ने जिस प्रकार से उनके साथ कुकर्म भी किया और उनको मौत के घाट भी उतारा। इस चर्चा में सारा का सारा एक तरह से सदन ही उद्वेलित था और जनमानस भी इस बारे में बहुत उद्वेलित था कि वास्तव में यह राजस्थान पर एक ऐसा कलंक लग रहा है और इस कलंक से हम सब लोग दु:खी हैं। इस बात को सोचकर ही भारतीय दण्ड संहिता, 1869 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 को राजस्थान राज्य में लागू होने के सम्बन्ध में संशोधित करने के लिए यह विधेयक हम लाये हैं और इसमें संशोधन किया जा रहा है।

मैं सोचता हूं कि जो चर्चा हुई है वो कानून के अलावा भी सारे के सारे पुलिस महकमे के बारे में भी जो पहले ही डिमांड पर बात कर चुके थे लेकिन फिर भी चर्चा हुई और मैं सोचता हूं कि मैं उन बातों को नहीं सुनाना चाहता हूं कि कौनसी घटना कहां हुई और उसका क्या परिणाम हुआ और न आज उनका एक-एक का जवाब देने का यहां कोई अवसर भी है। यहां तो केवल इतना ही है कि जो कानून में परिवर्तन किया है उस परिवर्तन के कारण का जो आधार

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

रहा है, सुप्रीम कोर्ट वुमन लायर्स एसोसिएशन ने एक रिट पिटीशन की थी यूनियन आफ इण्डिया के विरुद्ध में। इसमें दीपक माहेश्वरी जी ने एक फैसला दिया था 11 जनवरी के दिन और उसमें उन्होंने इच्छा जाहिर की थी और इच्छा यह थी कि "The suggestions made by the petitioners will advance the cause of justice and are in the larger interest of society. The cases of child abuse and rape are increasing at an alarming speed and appropriate legislation in this regard is, therefore, urgently required. We hope and trust that Parliament will give serious attention to the points." इसके ऊपर पार्लियामेंट कोई कानून लाये। मैं सोचता हूं कि पार्लियामेंट में तो इस पर कानून नहीं लाया गया लेकिन मध्य प्रदेश ने इस बारे में पहली बार प्रयास किया। मध्य प्रदेश ने इन दोनों ही छोटी बच्चियों के साथ जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं उस पर उन्होंने अपना एक कानून बनाया जो अभी भी राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है। इस कानून में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया लेकिन हमने बहुत लम्बा-चौड़ा डिस्कशन किया और आपने कहा कि यह जो बच्चियों का शब्द प्रयोग करना चाहिए। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 10 में यह जो स्त्री शब्द है यह तब का है और मैं सोचता हूं कि उसको आज यहां अपन बैठकर बच्चियों को अलग करें, महिलाओं को अलग करें यह सम्भव नहीं है। जब कभी भी वहां कोई अमैंडमेंट होगा तो उसके बाद यह सम्भव होगा।

जिस ढंग से डिस्कशन हुआ उससे ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ा मामला उलझ गया दिखता है। ऐसा कुछ नहीं है। यह जो 376 (क) है इसकी जगह 376कक जोड़ा है। 376 (क) क्या है - 'पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड - जो कोई, धारा 376 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाता है जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, या मृत्युदंड' यह था सभी प्रकार की महिलाओं के लिए। हम जो कानून में परिवर्तन लाये हैं वो केवल 12 साल तक की बच्चियों के लिए लाये हैं। उसका कारण यह है कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

12 साल की बच्ची अबोध होती है, किसी भी प्रकार की उसकी व्यक्तिगत कोई मंशा या उसका कोई हेतु नहीं हो सकता। ऐसे के साथ भी जो जघन्य अपराध करता है उसको दंडित करने के लिए इस धारा में हमने जोड़ने का प्रयास किया है। जो पहले की धारा है 376(क), वह सभी प्रकार की उम्र की महिलाओं के लिए था और इसमें हमने 376(कक) जोड़ा है। इसमें है 'बारह वर्ष तक की आयु की किसी स्त्री से', स्त्री का मतलब वो बच्ची ही है, बलात्कार करेगा तो ऐसी अवस्था में चौदह वर्ष के न्यूनतम कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, आजीवन कारावास से आशय शेष प्राकृत जीवनकाल से एवं जुर्माने से भी दंडित किया जा सकेगा। इसमें हमने मृत्यु तक दण्ड, यह जोड़ा है। इस भारतीय दण्ड संहिता में अवयस्क और शिशु लड़की में विभेद नहीं किया गया है। संशोधन के उपरान्त 12 वर्ष तक की आयु की शिशु लड़की के साथ बलात्कार मामलों में दण्डादेश में वृद्धि की जा सकेगी। संशोधन के उपरान्त ऐसे मामलों में मृत्यु दण्ड या 14 वर्ष का न्यूनतम कारावास या आजीवन कारावास से दण्डित किया जायेगा। इसमें मृत्यु दण्ड को हमने डाला है। इस प्रकार की बच्चियों के साथ जो करता है तो 376(क) पहले था, वह सारी महिला जाति के लिए था। केवल और केवल इसमें 12 साल से कम बच्चियों के लिए 376(कक) जोड़ा है जिसके कारण से इस दण्ड को किया जा सके।

इसी तरह से इसमें दूसरा हमने जो जोड़ा है, वह 376(घघ) है। मैं सोचता हूं, पहले जो हमारा 376 था, उसमें और इसमें, पहले वाला जो है सामूहिक बलात्कार, जहां किसी स्त्री से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने से कार्य करते हुए बलात्कार किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों से, प्रत्येक के बारे में समझा जायेगा कि उनसे बलात्कार का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो आजीवन कारावास.., यह पहले का प्रोविजन है। उन सबके लिए है। इसमें हमने केवल 12 साल की बच्चियों के लिए जोड़ा है, भारतीय दण्ड संहिता में अवयस्क शिशु लड़की, माइनर मतलब गर्ल्स में विभेद नहीं किया गया है। संशोधन के उपरान्त 12 वर्ष तक की शिशु लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार मामलों में दण्डादेश की वृद्धि की जा सकेगी। इस प्रकरणों में, उधर 14 वर्ष है, इसमें 20 वर्ष है न्यूनतम, और मृत्यु दण्ड है और आजीवन। यह घटना हो जाने के बाद उसकी सज़ा भले ही 20 साल की उसने पूरी भी कर ली हो,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लेकिन वह बाहर तब तक नहीं आयेगा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जायेगी, अर्थात् जीवन-पर्यन्त सज़ा का प्रावधान, वह प्रावधान इसमें से किया है।

मैं सोचता हूं, इन सबके पीछे जो मंशा है, बहुत अधिक इसमें विस्तृत भाषण करने की आवश्यकता नहीं है। यह आज आवश्यक है लेकिन आपमें से कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि मध्यप्रदेश की तरह से कानून में और कुछ जोड़ा जाए। मैं सोचता हूं, इस बारे में आप और हम सबको भी बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए। कारण क्या है कि हमारे यहां इन धाराओं का बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है। छोटी बच्चियों के साथ जो रेप होता है, उसमें आजकल हमारी एफएसएल यूनिट जाकर उसके सब प्रकार के सैम्पल लेती है। अगर उसके नाखून में भी कुछ ब्लड का सैम्पल आ गया, उसके बाल का भी कुछ अगर आ गया, उसका जो सीमन है, उसके कारण से टैस्ट होकर, डीएनए टैस्ट में आ जाता है तो उन सारी जांचों से लगभग यह प्रमाणित हो जाता है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। उसके बाद की ये सज़ा है।

मैं सोचता हूं, यह जो आपकी 354 की धारा थी, यह है पुरुष जो किसी स्त्री पर किसी सार्वजनिक स्थान से विशस्त या विशस्त होने के लिए बाध्य करने के आशय से उस पर हमला करेगा, आपराधिक बल या दुष्कर्म करेगा या दोनों में किसी भांति के कारावास से इस प्रावधान में न्यूनतम तीन वर्ष का कारावास एवं अधिकतम सात वर्ष के कारावास और जुर्माने का प्रावधान था। इसकी जगह मध्यप्रदेश ने जो चेंज किया है। प्रथम बार अपराध किये जाने पर न्यूनतम तीन वर्ष के कारावास एवं अधिकतम सात वर्ष का कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है। द्वितीय फिर अपराध किये जाने पर न्यूनतम सात वर्ष का कारावास और अधिकतम दस वर्ष का कारावास एवं न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माने का प्रावधान किया है। हमने इसमें इसलिए नहीं किया कि हमारे यहां आये दिन छोटे-मोटे झगड़े में भी यह 354 की धारा जो है, वह लोग प्रयोग करते हैं। अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए भी, किसी आदमी को लांछित करने के लिए भी इसका बहुत दुरुपयोग होता है। अगर हमने इस केस को डाल दिया तो मैं सोचता हूं, हममें से जैसे किसी जमाने में हमें 498(ए) के कारण से बहुत परेशानी होती थी। वैसे ही इस धारा का दुरुपयोग होगा तो हर व्यक्ति परेशान हो जायेगा। कानून बनाने का औचित्य खतम हो जायेगा और कानून का दुरुपयोग इतना अधिक होगा कि मैं सोचता हूं, कोई भी इज्जतदार व्यक्ति ठीक प्रकार से समाज में अपने आपको

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

सुरक्षित नहीं महसूस करेगा। इसलिए हमने उस प्रावधान को नहीं डाला, जानकर नहीं डाला।

इसी तरह से उन्होंने 354(डी) कोई पुरुष जो किसी स्त्री या उसकी इच्छा के विरुद्ध बार-बार सम्पर्क करने का प्रयत्न करता है या इंटरनेट, ई-मेल या किसी इलेक्ट्रोनिक संसाधन का करता है, वह पीछे भागने का प्रयत्न करता है, प्रथम दोषसिद्धि पर तीन वर्ष तक का कारावास, द्वितीय के पश्चात् पांच वर्ष का कारावास, यह पुराना प्रावधान है। वह सभी महिलाओं के लिए है। इन्होंने जो परिवर्तन किया, प्रथम बार अपराध किये जाने पर तीन वर्ष के कारावास यथावत रखा गया है। द्वितीय और पश्चातवर्ती अपराध के लिए न्यूनतम तीन वर्ष के कारावास जो सात वर्ष तक हो सकेगा और एक लाख रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित, परन्तु न्यायालय विशेष परिस्थितियों में कम और ज्यादा कर सकेगा। तो हमने इन दोनों धाराओं को, किसी ने उसको घूरकर देख लिया, किसी ने यह मान लिया कि इसने मेरा पीछा किया तो मैं सोचता हूं, इसके कारण से सर्वसाधारण व्यक्ति बहुत परेशान हो जायेगा और कानून का दुरुपयोग होने की संभावना बहुत अधिक है। इसीलिए हमने उनके उस कानून को इस रूप में स्वीकार नहीं किया। बाकी जो हमने दोनों धाराएं स्वीकार की हैं।

376 (कक) और 376 (घघ), जैसा उनका प्रोविजन है, वैसा का वैसा हमने इस प्रोविजन को किया है। इसके पीछे मंशा यही है कि कानून सख्त तो जरूर हो, लेकिन कानून के कारण से किसी इज्जतदार व्यक्ति की परेशानी न बढ़ जाये, इसमें तो सब प्रकार से प्रूफ हो जायेगा कि इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ और जब बलात्कार का प्रूव हो जायेगा तो उसको सज़ा से बचाने का कोई आधार बचेगा ही नहीं और अब तो हमारी एफएसएल यूनिट इतनी मजबूत हो गई है कि हमने लगभग कई केसेज उसमें से हैं, वह बलात्कार के केवल बच्ची के नाखून में कहीं बाल का कुछ थोड़ा सा टुकड़ा आ गया तो उसकी जांच के आधार पर भी..., आपने देखा होगा, सीकर वाला जो केस खुला था, वह एफएसएल यूनिट के कारण से खुला। ऐसे कई प्रकरण मेरे पास हैं जिनमें हमने सफलता हासिल की है और उन सारे लोगों को हमने आजीवन कारावास दिलाने में सफल हुए हैं। मोटे रूप में, बहस करने के लिए तो घंटों तक आप बहस करो और सारी पुलिस को छान मारो या उसकी कमियां को निकालने का प्रयत्न करो, उससे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमारी सबकी सोचने की दिशा एक होनी चाहिए कि वास्तव में

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

यह जो छोटी बच्चियों के साथ अपराध हुआ है, वह बहुत ही जघन्य अपराध है। इसको सुनकर आदमी की रूह कांप जाती है और कई बार तो ऐसा लगता है कि उस बच्ची को पता ही नहीं कि वह गोद में खेल रही है या किसी ऐसे दुष्कर्मी के हाथ में चली गई है। इस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कई घटनाएं होने के कारण हमको यह लगा कि वास्तव में इस कानून को सख्त करना पड़ेगा और मृत्यु दण्ड और जैसा आप भी, सभापति महोदय ने इस बारे में कहा कि मृत्यु दण्ड के बारे में आजकल कोर्ट का यह फैसला है कि मृत्यु दण्ड दिया जाये कि नहीं दिया जाये? मैं सोचता हूं, इसमें हर प्रकार के प्रोविजन हैं। अब न्यायालय क्या चाहेगा, क्या करेगा, यह उसकी बुद्धि पर है पर हमारा यह है कि समाज के ऐसे काम करने वाले, घृणित काम करने वाले लोगों को यह दण्ड मिले और यह ध्यान में रहे कि मृत्यु दण्ड भी इसमें मुझे मिल सकती है ताकि वह इस प्रकार के अपराध करने की प्रवृत्ति की ओर न बढ़े। मेरी सदन से प्रार्थना है कि जो प्रोग्रेसिव लॉ लेकर आये हैं, राजस्थान यह सौभाग्यशाली है कि राजस्थान ने इस बारे में पहल की है और इस कानून के माध्यम से समाज को और सारे राज्य की जनता को यह संदेश पहुंचाने का प्रयत्न किया है कि इस प्रकार का अपराध अगर कारित हुआ तो मृत्यु दण्ड तक भी सज़ा दी जा सकती है। अपराध को नियंत्रित करने के लिए इस कानून में बदलाव ला रहे हैं। बाकी तो पूरी बहस कि क्या हमने किया, क्या हमने नहीं किया, चार घंटे तक भी भाषण करते रहेंगे, इधर से उधर ले जायेंगे तो मैं सोचता हूं, जो हमारे कोटा से आने वाली सदस्या ने इसका पूरा ही पोस्टमार्टम कर दिया। क क्या है और ख क्या है। मैं सोचता हूं, बहुत साधारण है। (क) में सारी महिलाएं सम्मिलित हैं और (ख) में 12 साल से कम बच्चियां इसमें हमने जोड़कर अलग कर लिया। इतना ही काम किया है। (घ) में सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हमने बच्चियों को अलग करने के लिए घघ कर दिया। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है और दण्ड को हमने मृत्यु दण्ड तक ले जाकर किया है। मैं सोचता हूं कि सदन इसको सर्वसम्मति से और खुशी-खुशी पास करे ताकि सम्पूर्ण देश में जाये और यह राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून का रूप ले चुकेगा लेकिन हम अपनी इच्छा जो है, वह राष्ट्रपति तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। मैं सोचता हूं कि जैसा मध्यप्रदेश ने किया, हमें सफलता मिलेगी और हमारे सहारे-सहारे सम्पूर्ण देश के बाकी राज्य भी इस ओर आगे बढ़ेंगे और अगर केन्द्र चाहेंगे तो स्वयं भी कानून में परिवर्तन करके इसको कठोर कानून बना सकेंगे।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। प्रश्न यह है कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 4 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय प्रभारी मंत्रीजी, प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मदन जी, रूको।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जो माननीय सदस्य, इस बिल पर जब पहले बोल चुके, अब थर्ड रीडिंग पर उनको...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आपको पता नहीं। अब आपके मन में क्या है। आपको पता है कि क्या बोलना चाह रहा हूं? अन्तर्यामी हो आप?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं-नहीं एक मिनट। आप बोल चुके न।

श्री सभापति: एक मिनट में बता दें, आधे मिनट में बता दें।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): मैं समाज की विकृति की जो बात....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, ये एक नई परम्परा डलने जा रही है। अब तक की परम्परा यह रही है कि माननीय सदस्य...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): सभापति महोदय, खड़े होकर, फिर बैठ गये। आधे मिनट की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ...जो फर्स्ट रीडिंग में बोले, थर्ड रीडिंग में वापस उनको बोलने का मौका मिले। आज तक की परम्परा में कभी नहीं रहा। हां, अधिकार है, मैं यह मानता हूं कि थर्ड रीडिंग में बोलने का अधिकार है, पर अपनी सर्वमान्य परम्परा यह रही है कि कोई माननीय सदस्य एक बार बोला...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): आधा मिनट...

श्री सभापति: आधा मिनट में बताएं।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): एक बार सुन लें, साहब। समाज की जिस विकृति का मैंने जिक्र किया, उसके बारे में मैं कह रहा था, मोबाइल व इन्टरनेट के माध्यम से, जिस तरह से हमारे समाज के अन्दर दुष्प्रभाव बढ़ रहे हैं। आजकल कोई भी लिंक खोलते ही, सीधा उसके ऊपर अश्लील लिंक आ जाते हैं। तो, मैं गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अन्दर हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं कि इस तरह की जो साइट्स हैं, उनको पूर्णतया बैन कर दिया जाए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: धन्यवाद, धन्यवाद। विराजें। बता दिया न आपने तो।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक मिनट, मदन जी। पीड़िता, जिस का सामूहिक बलात्कार हुआ। उस पीड़िता ने वो जिला छोड़ दिया, उसके बाद में उसके भरण पोषण से संबंधित विषय में कहीं न कहीं...

श्री सभापति: धन्यवाद विराजें। प्रश्न यह है कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया गया।

(श्री सभापति)

प्रभारी मंत्री किरण माहेश्वरी प्रस्ताव करेंगी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की विधियां संशोधन विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपके...

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, मैंने स्विच भी आन किया था। आप दो मिनट मुझे बोलने का मौका दें।

श्री सभापति: विराजें, विराजें आप विराजें। अब नाम पुकार दिया, मैंने।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, महिलाओं और बच्चियों का मामला है। दो मिनट...(व्यवधान) मैंने पहले से ही स्विच क्लिक किया था।

श्री सभापति: विराजें, अब।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): दो मिनट बोलने का मौका दे दो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): पास हो गया, अब क्या बोलोगे।

श्री सभापति: हां, प्रभारी मंत्री महोदय।

विधेयक पर विचार

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: माननीय श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: बोलना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बोलना ही है, क्यों नहीं बोलना? बिल पर नहीं बोलेंगे तो किस पर बोलेंगे। फिर वो माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी पर चला जाएगा या और कहीं चला जाएगा, तीर हमको चलाने तो हैं, खाली तो रखने नहीं तो क्यों नहीं फिर तकनीकी... आपको पता लग गया क्या, आप अन्तर्यामी हैं क्या आप? (व्यवधान)

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अन्य विश्वविद्यालयों में भी पहले संशोधन हो चुका और कुलपति की क्या योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार से यह संशोधन आप करने जा रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, ये बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय जो है यह हमारी सरकार के समय में खोला गया था। आपकी सरकार आने के बाद में मंत्री महोदय, सवा चार साल आपने इसमें समीक्षा के नाम पर लगा दिये। क्योंकि, आपकी हमेशा मंशा एक ही थी कि कोई भी अच्छा काम कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर करके गई है तो उसको समीक्षा के नाम पर अटका दो और आखिरी में कुछ करो, जिससे माइलेज हमें चुनाव में मिले।

मैं समझता हूं शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम यह नहीं होना चाहिए। हम पार्टीबाजी से ऊपर उठकर के अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम करेंगे तो जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही है, वह सुनिश्चित होगी। आज अगर यह तकनीकी विश्वविद्यालय उस समय से सरकार समीक्षा के नाम से नहीं रोकती तो मैं समझता हूं चार साल हो गये होते इस विश्वविद्यालय को चलते और हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता। देर आये, दुरुस्त आये भारी दबाव के बावजूद, विपक्ष ने हमने बार-बार मुद्दा उठाया, आप लेकर के आये।

आज जो संशोधन आप लेकर के आये हैं, उसमें जो 10 साल की योग्यता की आपने बात कही है। मैं समझता हूं उसके ऊपर मुझे एक बड़ा एतराज है। इसमें आपने लिखा है कि उसका अनुभव क्या होना चाहिए? उस अनुभव में आपने रिसर्च का उसको अनुभव होना चाहिए, कोई एनजीओ भी हो सकता है। जिसको इस प्रकार का 10 साल का अनुभव हो, इस धारा में जो यह संशोधन आप करने जा रहे हैं। उसके दुरुपयोग होने की पूरी-पूरी संभावना भी बनती है माननीय सभापति महोदय। आप अपनी विचारधारा के लोगों को एनजीओ के माध्यम से अगर किसी भी विश्वविद्यालय का कुलपति आप बना देंगे तो इससे बड़ा कोई अनर्थ प्रदेश के युवाओं के साथ कोई होगा नहीं।

इसलिए, पहले भी हमने कहा था, अन्य विश्वविद्यालय में आपने किया था, चूंकि बहुमत है आपका। आप हां पक्ष जिताओगे, जिताओगे तो जिताओगे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम इस बात को कहें कि आपने जान-बूझकर प्रदेश की जनता के साथ में सवा चार साल तक इसको लटका

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

कर के जो धोखा किया वो अच्छा नहीं था और अब भी जो संशोधन आप लेकर के आये हैं। उसमें आप कम से कम स्पष्ट प्रावधान करें। आपकी जो मंशा है इस संशोधन में जो 10 साल की योग्यता जिसमें मैं समझता हूं एनजीओ भी आ सकते है। एनजीओ का इस तरह का अगर अनुभव हो तो उसको भी आप कुलपति बना सकते हैं। तो, मैं यह समझता हूं कि ठीक नहीं है। आप इसके ऊपर मंत्रीजी, जब जवाब दें तो अपनी बात रखें और बताएं कि इस तरह हमारी कोई मंशा नहीं है या इसको वापस लें।

मेरा जनमत जानने का जो हमने दिया था उसके पीछे उद्देश्य यही था पहले भी जब अन्य विश्वविद्यालयों में आपने इस प्रकार के संशोधन कराये थे। तब भी हमने सुझाव दिया था अगर उस सुझाव को आप मान लेते तो कम से कम इस विश्वविद्यालय में अगर आपने जो भी संशोधन चाहा है, उसके बाबत सभी विपक्षी दलों से सर्वदलीय बैठक बुला लेते, माननीय सदस्यों के विचार आमंत्रित कर लेते और उसके ऊपर अगर कोई संशोधन होकर के कोई बात आती तो मैं समझता हूं और ज्यादा अच्छा होता।

इसलिए, मुझे तो केवल इतना ही कहना है कि ये जो तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 है। ये निश्चित रूप से कहीं आपकी मंशा छुपी हुई है, जिसके आधार पर आप अपनी विचारधारा के लोगों को बैकडोर से एन्ट्री करवाना चाहते हैं, उसका हम लोग विरोध करते हैं और जिस प्रकार आपने बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय को सवा चार साल तक लटकाये रखा, जिसका परिणाम भी आपको मिला होगा उप चुनाव में, निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी। फिर काला कानून भी आपने वापस लिया और जो समाजों को जो जमीनें देने का, भूमि आबंटन का जो फैसला था, आपने चार साल तक लटकाये रखा, वो भी आपने किया। जो हमारे सीवरेज के 24 सौ करोड़ रुपये गहलोत साहब के शासन में हुए थे। उनको भी आपने दो साल तक लटकाये रखा। जो हमने कालेजें खोली थीं, उन कालेजों को आपने लटकाये रखा। सब चीजें जितने भी हमारे समय में जो अच्छे काम हुए थे। उनको उन योजनाओं को या तो बन्द करने का काम किया या लटकाने का काम किया और उसका परिणाम यह हुआ कि आपको 20 विधान सभा क्षेत्रों में उप चुनाव हुए हैं। 17 तो ये हो गये और 3 पहले हुए थे। बीस में से 18 में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। आपकी हार हुई, आपकी नीतियों की हार हुई, आपके कुशासन की हार हुई। अभी जो उप चुनाव हुए हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): यह तैयारी तो अच्छी की है आपने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यही तैयारी काम आएगी। ये बिल-बिल कोई ज्यादा काम नहीं आएंगे। यही तैयारी है जिससे हम उधर जाएंगे और आपको इधर आना पड़ेगा। अभी जो उपचुनाव हुए हैं उनमें आपने देखा होगा, 21 जिलों में चुनाव हुए 2/3 मैजोरिटी से पचांयत राज के उपचुनाव में और नगरपालिका, नगर परिषद के उपचुनाव में आपको हार का मुंह देखना पड़ा। यह आपकी जो नीति...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, यह बिल में कहां लिखा हुआ है? यह तकनीकी विश्वविद्यालय के बिल में अगर यह लिखा हुआ है पंचायत राज के चुनाव के बारे में तो इनकी टीका बिलकुल ठीक है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विषय वस्तु पर बोलें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह तकनीकी विश्वविद्यालय बिल में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन जिस प्रकार इस राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय को आपने सवा चार साल लेट किया अच्छे काम को और एक नहीं अनेकों सैकड़ों हमारे ऐसी योजनाएं और अच्छे काम थे जिनको आपने रोकने का काम किया और जिसका दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ा और कल हमारे प्रधान मंत्रीजी आये थे हम सब चाहते थे चार लाख लोग जो आपका एजेंडा था उसके मुताबिक वहां आयें लेकिन तीस-चालीस हजार में निपट कर रह गये। हमारे प्रदेश की बदनामी हुई।

श्री सभापति: विराजें। विराजें। यह विषय नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या हो गया उसमें?

श्री सभापति: आप विषय पर आएं न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हमारे प्रधान मंत्री की बात नहीं कर सकते हम?

श्री सभापति: प्रधान मंत्री की बात नहीं, कितने लोग आये, नहीं आये, यह हमारा विषय नहीं है। अब आप विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं सभापति महोदय, इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि हमारे प्रधान मंत्रीजी का चार लाख लोगों के साथ में स्वागत होना चाहिए था।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, इनको कहें कि मुंगेरीलाल के सपने देखने छोड़ें। मुंगेरीलाल के सपने देखना छोड़ो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वहां तीस-चालीस हजार पर ही निपट गये।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपके गणित के ज्ञान पर दया आती है कि आपको गिनती करना भी नहीं आता। क्षेत्रफल के हिसाब से भी आकलन कर लेते तो चार लाख लोग थे।

श्री हीरालाल (निवाई): इनको मुंगेरी लाल के सपने देखने के लिए मना करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसी भ्रम में जीना है तो मुझे कुछ नहीं कहना। नौ एक महीने इसी भ्रम में जीते रहो आप और आने वाला समय बता देगा कि आपने बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय सहित...।

श्री हीरालाल (निवाई): तीन राज्यों में क्या हुआ वो भूल गये क्या? मुंगेरी लाल के सपने को छोड़ने का निवेदन करो, सभापति जी।

श्री सभापति: हां, मुंगेरीलाल के सपने नहीं देखे। आप विराजो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप कल तो कह रहे थे कि मैं कांग्रेस में आ रहा हूं।

श्री हीरालाल (निवाई): तीन राज्यों में क्या हुई है दशा?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कल तो अपनी बात हुई थी।

श्री हीरालाल (निवाई): क्या दो-तीन चुनाव में ये जीत गये, वो जीत गये, ऐसे क्या कह रहे हो आप। आप बहुत समझदार आदमी हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप आसन को संबोधित करो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यहां चुनाव जीतने से ही आया जाता है और चुनाव हारने पर मुंह पकौड़ा-सा हो जाता है इसलिए रहने दो माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल (निवाई): यह बिलो स्टेटस बात है आपकी। जो आप बोल रहे हैं बहुत बिलो स्टेटस बोल रहे हैं और यह एक मुख्य सचेतक को शोभा नहीं देता है।

श्री सभापति: आप विराजें। विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ये बिल पर क्या बोल रहे हैं, मुंह पकौड़े जैसा हो जाता है। यह पकौड़े जैसा मुंह कैसे होता है?

श्री सभापति: हो गया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बस इतना ही निवेदन करूं कि ये जो देरी की और अच्छे कामों को रोका उसी का परिणाम यह हुआ है।

श्री सभापतिः बहुत धन्यवाद।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसलिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, श्री प्रहलाद जी गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियों में संशोधन का विधेयक विचार के लिए लिया गया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिल वाला बोलना मंत्रियों को रास नहीं आता, यही तो चक्कर है न। इसलिए हमें बोलना पड़ता है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य इस बिल पर अपनी बात कह रहे थे। शायद माननीय डोटासरा जी भी दूसरी बार इस सदन के सदस्य हैं और मैं भी दूसरी बार सदस्य हूं और इन सवा नौ सालों के विधायकीकाल में जो सीखा है, समझा है, सरकार अगर प्रदेश में कोई विश्वविद्यालय लाना चाहती है तो विश्वविद्यालय तब स्थापित होगा, जब ये सदन उसका एक्ट पारित करेगा। मैं बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि किस भाव से लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमने तकनीकी विश्वविद्यालय खोल दिया था और आपने उसको चालू नहीं किया। अगर यह सही है तो मेरे हाथ में सभापति महोदय, जो बिल है मैं इसको पढ़ रहा हूं, 'बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017' विश्वविद्यालय का एक्ट ही 2017 में बना। आप कह रहे हैं कि हम 2013 में विश्वविद्यालय खोल गये। बिना एक्ट के, न एक्ट बना, न जमीन, न पैसा, न वाइस चांसलर की नियुक्ति केवल लोगों में प्रचार-प्रसार के लिए सदन में घोषणा हो जाए। माननीय सभापति महोदय, सदन का केवल इस बात के लिए इस्तेमाल भी लोकतांत्रिक परम्पराओं का हनन है, उसकी मर्यादा को गिराने वाली बात है और ये केवल विश्वविद्यालय के लिए ही नहीं माननीय सभापति महोदय, चार साल में तीन कालेज खोले और जब 2013 का आम चुनाव आया तो 27 कालेजों की घोषणा कर गये।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि उन 27 कालेजों में न प्रिंसिपल लगे, न उन 27 कालेजों की बिल्डिंग के लिए बजट का प्रावधान किया और न 27 कालेजों के लिए जमीन आबंटन का प्रावधान किया। ये जो परम्परा अगर सदन में स्थापित हो जाए, चाहे हम कानून बनाते समय, चाहे बजट पास करते समय, चाहे अनुदान की मांग रखते समय अगर सदन की मार्यादा को, सदन की गरिमा को इस प्रकार से गिराएंगे कि केवल

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लोगों की आंखों में धूल झोंक दें। धूल झोंक कर लोगों से दुबारा विश्वास पा लें तो इस अपराध के लिए कोई बच नहीं सकता और इसलिए माननीय सभापति, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है अतार्किक है। ये जो दोनों बिलों में संशोधन आ रहा है माननीय सभापति महोदय, 24 जुलाई, 2013 भारत का राजपत्र, 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्यापकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता एवं उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के उपाय विनियम, 2013' यह यूजीसी का एक एक्ट आ गया। अपना अधिनियम यूजीसी ने बना लिया और भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद डिफाइन कर दिया कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एजुकेशन क्या होगी, 'कुलपति सर्वोच्च दक्षता, सत्य निष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता के सर्वोच्च व्यक्तियों को ही कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कुलपति पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति विख्यात शिक्षाविद् होने चाहिए जिनके पास किसी भी विश्वविद्यालय प्रणाली...', केवल विश्वविद्यालय नहीं विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले तमाम महाविद्यालय, '...में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो अथवा किसी भी प्रतिष्ठित शोध या अकादमिक प्रशासनिक संगठन के समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव हो।'

माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान है कि हमने इसमें कालेज महाविद्यालय के प्रोफेसरों को जोड़ा है। जब राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की योग्यता के संबंध में हम उस एक्ट में अमेंडमेंट लाये तब केवल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को जोड़ दिया था और इस सदन में मैंने कहा था कि यूजीसी ने कालेज में अभी लैक्चरारों को प्रोफेसर कहने का निर्णय ले लिया है और सरकार को उस पर फैसला करके भेजना है और जब यह फैसला हो जाएगा और वो कुलपति की योग्यता के लिए एलीजेबल होंगे तो हम एक बड़े आंदोलन को निमंत्रण दे रहे हैं इसलिए आप संशोधन करें और मैं धन्यवाद दूंगा हायर एजुकेशन मिनिस्टर का कि अविलम्ब उन्होंने बहस के बाद जब मैंने यह आपत्ति दर्ज कराई तो यह संशोधन पेश किया इसी सदन में। इसी सदन में पिछले सत्र में कि हम महाविद्यालय के प्रोफेसरों को भी वाइस चांसलर की जो-जो योग्यताएं निर्धारित की हैं उसमें शामिल करेंगे, विश्वविद्यालय प्रणाली का जो है और इसके पीछे केवल और केवल यह मंशा है माननीय सभापति महोदय, श्रेष्ठ व्यक्ति वाइस चांसलर बने और उसके लिए कितनी बड़ी पारदर्शिता आनी चाहिए, अकादमिक

(श्री प्रहलाद गुंजल)

निष्पादन सूचक भी तय कर दिये। अब कोई संभागीय आयुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नहीं होगा, अब कोई पोलिटिकल आधार पर कोई किसी एजुकेशन मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की मर्जी पोलिटिकल अपाइंटमेंट नहीं होंगे। अब वो व्यक्ति शोध पत्र, प्रपत्र, पत्रिकाएं इत्यादि जिसने शोध किया हो, तीस प्रतिशत मार्किंग होगी। शोध प्रकाशन पुस्तकें लिखी हों, पच्चीस प्रतिशत मार्किंग होगी। पूरा मूल्यांकन होगा, पूरा डेटा देना पड़ेगा। कब-कब क्या शोध पत्र प्रकाशित हुए। कब-कब क्या पुस्तकें लिखी हैं और शोध परियोजनाएं क्या हैं, इसका 20 प्रतिशत मार्किंग होगा, शोध मार्ग दर्शन क्या किया है, कितने लोगों को पीएचडी की उपाधि दिलाने में सहायक बने हैं, 10 परसेंट मार्किंग इसकी होगी। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सम्मेलन संगोष्ठी इत्यादि में आपने प्रदेश, देश और विश्व के लेवल पर अपने विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का कितनी बार नेतृत्व किया है, किस स्तर के मानक आपने विश्वविद्यालय शिक्षा के देश और दुनिया में प्रचारित किये हैं, तमाम योग्यताओं के आधार पर वाइस चांसलर की नियुक्ति होगी, यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक श्रेष्ठ एजुकेशन, श्रेष्ठ फ़ार्मूला कि ऐसे दक्ष व्यक्ति को विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, उसके पीछे कारण क्या है, हमारे विश्वविद्यालयों में पोलेटिकल अपाइंटमेंट होने लग गये हैं। दक्षता के अभाव में वाइस चांसलर। इनके राज में डिप्टी सैक्रेटरी को राजस्थान विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बना दिया। जिंदगीभर प्रशासनिक सेवा में काम करने वाला व्यक्ति, प्रशासनिक सेवा के खट्टे मीठे अनुभव जीवन के साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति विश्वविद्यालय के वातावरण को खट्टा मीठा करने के लिये चला जावे तो शिक्षा का वातावरण ही दूषित हो जायेगा। यह यूजीसी ने जो पैरामीटर्स तय किये हैं, उस स्केल के व्यक्ति आये। उसके पीछे मंशा यह रही, माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि हमारी एजुकेशन का स्तर ही गिर गया। माननीय सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से एक अनुरोध करना चाहता हूं आप दोनों तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर और कोटा में वाइस चांसलर की एजुकेशन का अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं तकनीकी शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इस बारे में कौन विचार करेगा? हमने लगातार दो सरकारी तकनीकी विश्वविद्यालय खोल दिये। निजी क्षेत्र में हम लगातार तकनीकी महाविद्यालयों को मान्यता देते जा रहे हैं।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में एक बहुत बड़ा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं मेरे कोटा में 12-15 निजी तकनीकी महाविद्यालय हैं, राजस्थान में सैकड़ों हैं और आज तकनीकी क्षेत्र में प्रशिक्षित विद्यार्थियों के लिये रोजगार के अवसर सरकारी क्षेत्र में कितने हैं, क्या स्कोप है, उसका हमारा एक विशिष्ट तरीका है। लेकिन जब हमारा तकनीकी एजुकेशन प्राप्त व्यक्ति निजी क्षेत्र में रोजगार मांगने के लिये जाता है तो माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां श्रीराम फर्टीलाइजर और चंबल फर्टीलाइजर जैसे दो बड़े उद्योग हैं। मैंने कई बार उनसे जानकारी की कि आप इस एजुकेशन के किन-किन बच्चों को लेते हैं, तो उन्होंने अपने कम्प्यूटर प्रोग्राम में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय सरकारी इंजीनियरिंग कालेज के अलावा निजी क्षेत्र के तमाम इंजीनियरिंग कालेजों को अपने फोंट में एक्सेप्ट नहीं कर रखा है। वहां का बच्चा अगर आवेदन करता है तो फोंट ही रिजेक्ट कर देता है। इस पर कई बार आपत्ति की, आखिर उसने एजुकेशन की डिग्री ली है। उसने जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई की है तो उस पढ़ाई की विश्वसनीयता पर वह कारखाने सवाल लगाते हैं। इसलिए राजस्थान में एक ऐसा वातावरण बनना चाहिये कि न केवल सरकारी क्षेत्र में बल्कि निजी क्षेत्र में भी जो महाविद्यालय काम कर रहे हैं, उनकी शिक्षा के मानक किस प्रकार से हम इस रूप में स्थापित करें कि वह राजस्थान और स्थानीय स्तर के उद्योगों में ही केवल पात्रता प्राप्त नहीं करे, वह अपनी डिग्री हाथ में लेकर अगर हिन्दुस्तान के किसी भी निजी क्षेत्र के कारखाने में जाये तो इस सम्मान के साथ कि राजस्थान के सरकारी नहीं, निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों से दक्ष इंजीनियर है, इसने एक विशिष्ट एजुकेशन प्राप्त की है। जब तक यह मानक और यह सम्मान हम एजुकेशन के क्षेत्र, हायर एजुकेशन के तकनीकी क्षेत्र में स्थापित नहीं करेंगे, हम पढ़े लिखे टेक्निकल लोगों की एक जमात खड़ी कर देंगे। आज उसी का कारण है कि 10-10 हजार में इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का नौकरी कर रहा है, कौन चिंता करेगा? आप 10 हजार में इंजीनियर को नौकरी पर लगा रहे हो। 15 हजार में आपको अच्छा से अच्छा इंजीनियर नौकरी में मिल जायेगा। इस एजुकेशन की जो दुर्गति हुई है, यह दुर्गति इसीलिए हुई है कि जैसे एक विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर आरएएस अफसर लगा दो। एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं। इसलिए इस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गम्भीर हुआ। हमारी सरकार गम्भीर है और गम्भीरतापूर्वक परिवर्तन लाये जा रहे हैं, संशोधन लाये जा रहे हैं, यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पूरी की पूरी शिक्षा के ढांचे को बेसिक रूप से सुधार कर उसकी दक्षता में इतना सुधार लाना पड़ेगा कि उसके प्रति देश और दुनिया के निजी क्षेत्र में भी सम्मान के भाव जागृत हो ताकि पढ लिखकर, डिग्री हाथ में लेकर जाने वाला व्यक्ति उपेक्षित न हो, उसके सामने रोजगार के विभिन्न प्रकार के अवसर उपस्थित मिलें, यह वातावरण भी हमको राजस्थान में देने का प्रयास करना चाहिये। आपने अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्य सूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय ...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि जो दो नये बिल आये हैं, वे भी पारित हों, तब तक के लिये बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: आज की कार्य सूची व पूरी कार्य सूची, दोनों ही पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): समय तो आसन पर आप विराजमान हैं, बढ़ाएंगे ही लेकिन मुख्य सचेतक महोदय, आप तैयारी करके क्यों नहीं आते, क्या बोलना है।

श्री सभापति: यह आप दोनों का अलग विषय है, आप विराजें।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं तो तैयारी करके ही आता हूं, आप क्या बोलना चाहते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं आपको बुलाने के लिये बोलता हूं।

श्री सभापति: माननीय भंवर सिंह जी (अनुपस्थित), माननीय सदस्य, श्री सुखराम जी (अनुपस्थित), माननीय सदस्य, श्री फूलचन्द भिण्डा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति जी, आज हम राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यह दूसरा विषय है। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): तकनीकी विश्वविद्यालय, 2018 ...(व्यवधान) हां, हां ध्यान में है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तकनीकी विश्वविद्यालय, 2018 नहीं, संशोधन है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): मैंने संशोधन ही बोला है। राजस्थान में स्पेसिफिक विश्वविद्यालय हो, इसकी चिंता हमने की और कई विश्वविद्यालयों की स्थापना की। कोटा और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना, हालांकि प्रतिपक्ष बार-बार यह दावा करते हैं कि हमने ऐसा किया, वैसा किया लेकिन धरातल पर कुछ नहीं लाये। अभी भी देखिए, दो विश्वविद्यालय स्थापित कर दिये, उसके कोई मापदंड तय नहीं किये। अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य वाइस चांसलर की बात कर रहे थे। यह केवल 62 साल से 70 साल का एक्ट लाये। उस समय भी मैंने विरोध किया था कि पर्टीकूलर आदमी को, जो इनका चहेता था उसको वाइस चांसलर बनाना चाहते थे, लेकिन सरकार बदल गई, इस कारण से उसको बना नहीं पाये। लेकिन विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलरों की 70 साल की उम्र हो गई। सभापति जी, जो जोधपुर में नाटक हुआ, उससे आप वाकिफ हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो धांधली हुई, उससे वाकिफ हैं। इन्होंने ले देकर यूजीसी के बड़े बाबुओं को ला लाकर वाइस चांसलर बनाया, यह मैं आरोप लगा रहा हूं। यूजीसी का क्या संबंध है अनुसंधान से, वह तो केवल रुपये बांटने वाली संस्था है या निर्धारित करने वाली संस्था है, लेकिन इन्होंने इस प्रकार का करके चाहे जिसको तकनीकी कालेज खोल दिये जायें, इस प्रकार का भी इन्होंने वातावरण बनाया। उसके कारण से आज लगभग 30 परसेंट तकनीकी कालेज बंद हो गये। क्योंकि न तो उसको रोजगार से जोड़ा, न उसके राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय मापदंडों से जोड़ा, केवल भाई भतीजावाद के आधार पर मान्यता देते रहे। न उसके मापदंड देखे, न क्वालिटी देखी, न जगह देखी, इस प्रकार की दुर्गति

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इन्होंने शिक्षा की की। वर्तमान सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, कोटा क्षेत्र के आधार पर कोटा और बीकानेर में दो विश्वविद्यालय का हमने निर्धारण किया है। क्षेत्र का बंटवारा भी किया, उससे विद्यार्थियों को भी, अभिभावकों को भी और क्षेत्र को भी लाभ होगा, इस प्रकार का संशोधन अपन लेकर आये हैं। कुछ चीजों की उसमें कमी थी, उनको भी हम लेकर आये हैं।

जब राजस्थान को इन दो विश्वविद्यालयों में बांटा जा रहा है तो उसमें अजमेर को बीकानेर में दिया गया है। मेरे अंदाज से दूरी के हिसाब से भी और संभाग के हिसाब से भी उसको कोटा में ही रखा जाये तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा, शायद सब लोग यही चाहेंगे। क्योंकि अब तक जितनी संस्थाएं हैं उसमें अजमेर को कोटा संभाग में ही रखा गया है। उसके कारण से जो असुविधाएं होंगी, क्योंकि जब फार्मेशन होगा तो यही मांग उठेगी कि अजमेर को कोटा में ही जोड़ा जाये। बीकानेर दूर पड़ता है और कोटा बिलकुल नजदीक पड़ता है, केवल बूंदी जिला बीच में पड़ता है, उसके बाद सीधा कोटा आ जाता है। भीलवाड़ा को किया लेकिन अजमेर को छोड़ दिया, इस कारण से अजमेर को कोटा में ही किया जाए।

हमारे प्रधान मंत्रीजी सारे विश्व में कौशल विकास के लिए जागरूक हैं। हमारी जो मांग है या हमारे युवकों की जो मांग है, उसमें और क्वालिटी डवलप की जाए, उसमें और गुणवत्ता भरी जाए, इसके लिए हम दो साल से प्रयासरत हैं। बजट और संस्थाओं की व्यवस्था व हम कौशल विकास केन्द्र भी खोल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि हम इन केन्द्रों को और अधिक डवलप करें और उसमें आधुनिकता जोड़ते चले जाएं, वैल्यूएडेड करते जाएं। जो कंपनियां हैं, जो देश में इंडस्ट्रीज लगाना चाहती हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, उनसे भी जोड़ें। अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि प्राइवेट कालेजों को मान्यताएं नहीं हैं। कोटा के जो ख्यातिनाम बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनमें उनको मान्यताएं नहीं हैं। इस कारण यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय हैं, राजस्थान सरकार के विश्वविद्यालय हैं, उसके अंतर्गत चलने वाले महाविद्यालय हैं, उन महाविद्यालयों को दोयम दर्जे का नहीं माना जाए। राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त जो महाविद्यालय हैं, उनको उसी प्रकार से ट्रीट किया जाए, इससे बच्चों में भी हीन भावना नहीं आएगी। बच्चों के अभिभावकों में भी इस प्रकार की हीन भावना नहीं आएगी कि हमनें कैसे महाविद्यालय में पढ़ा दिया। इसलिए हम क्वालिटी को सुधारने के लिये निरन्तर प्रयास करें, उसमें एडिशन करें।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)
इसमें प्राइवेट व गवर्नमेंट नहीं होता। यूनिवर्सिटी के सामने एफिलिडिएटेड होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं, सहायता प्राप्त होते हैं, चाहे वे गवर्नमेंट कालेज हैं, चाहे प्राइवेट कालेज हैं। इस प्रकार का भेद हम कानून में नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर व्यवहार में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना ही मेरा निवेदन था।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार जी (अनुपस्थित), माननीय सदस्य, श्री हनुमान जी बेनीवाल (अनुपस्थित), माननीय सदस्य, श्री नंदकिशोर जी महरिया (अनुपस्थित), माननीय सदस्य, धीरज जी गुर्जर (अनुपस्थित), माननीय सदस्य, श्री पूरणमल जी सैनी (अनुपस्थित), माननीय सदस्य श्री मानिक चन्द जी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को माननीय मंत्रीजी ने इस सदन के समक्ष संशोधन के रूप में रखा है। जिसमें बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, सन 2017 के कुछ प्रावधान संशोधित किये गये हैं, खास तौर से धारा-11 के। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा-11 का संशोधन किया गया है। संशोधन के बारे में जो objects of the act हैं, उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि ये संशोधन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विनियम, 2013 के अनुरूप हम लाये हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जब 2017 में एक्ट पास हुआ है। 2006 का एक्ट तो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, 2006 का था, पर जब आप 2017 का एक्ट लाये, तब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, 2013 आ चुके थे। जो 2013 में आ चुके थे। जो बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के समय भी आप उन संशोधनों को ला सकते थे। खैर, आप नहीं लाए, कोई बात नहीं। देर आयद, दुरुस्त आयद। हमको, हमारे कानूनों को निश्चित रूप से, यूजीसी, जिनसे हमारे सारे विश्वविद्यालय वित्त पोषित हैं, उसके अनुरूप हमको अपने को ढालना ही पड़ेगा।

आज जो सीमित संशोधन लाये हैं। एक सीमित है, और एक और संशोधन है, उस पर मैं अलग से निवेदन करूंगा। संशोधनों में कुल मतलब क्या है? आपने धारा 11(2) नयी प्रतिस्थापित की है, लेकिन मैंने उन दोनों धाराओं को पढ़ा है। पहले विश्वविद्यालय में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हीं को वी.सी. बना सकते थे, अब आपने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

महाविद्यालयों को भी जोड़ा है। यह संशोधन निश्चित रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो राय है और जो अनुबंध हैं, उनके अनुसार है। जहां तक विश्वविद्यालय के साथ महाविद्यालयों के दस वर्ष के अनुभवी प्रोफेसरों व आचार्यों को और उसके साथ 'शिक्षा के क्षेत्र में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले या किसी भी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक, प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाले कोई प्रख्यात शिक्षाविद् नहीं है'। मैंने आपके पुराने एक्ट को भी पढ़ा। अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि यह जो आपने शैक्षणिक, प्रशासनिक संगठन शब्द लिखे हैं, ये आप अपनी विचारधारा के लोगों को लाना चाहते हैं। सभापति जी, मैं निवेदन करूंगा कि पुराना एक्ट पढ़ लें और जो पुराना एक्ट है, पुराने एक्ट में भी यही प्रावधान पहले से किया हुआ है, कोई फर्क नहीं है। वो ही प्रावधान पहले था, वो ही प्रावधान अब है।

आप जो नया प्रावधान लाये हैं, वह एक तो उप धारा-10 में है कि जो कोई भी छोटी-मोटी नियुक्ति होती है, कुलपति की वैकेंसी होती है। कुलपति पर पहले आप किसको भरेंगे, यह कोई प्रावधान नहीं था। कोई आई.ए.एस. लग सकता था, कोई आर.ए.एस. लग जाता था, क्योंकि पहले आपने जो लिखा था, तब यह था कि कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति, छुट्टी, निलम्बन के कारण या अन्यथा हो जाए तो पहले यह नहीं था कि जिसको टेम्प्रेरी चार्ज दिया जाएगा, उसकी क्वालीफिकेशन क्या होगी? अब आपने स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह चार्ज उन्हीं को दिया जाएगा जो किसी राज्य विश्वविद्यालय के किसी अन्य कुलपति द्वारा अंत: स्थापित किया जाएगा। यानी अब यूनिवर्सिटी का चार्ज, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय हो, चाहे बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय हो, यह चार्ज आपको किसी अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति को ही देना होगा। आपने चाहे जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जिनको शिक्षण-शिक्षा का कोई अनुभव नहीं था, उनको सरकार द्वारा लगा दिया जाता था और प्राय: जितनी भी नियुक्तियां इस तरह से पहले हुईं, उसमें आई.ए.एस. के लोगों को लगाया गया। आप जो संशोधन लाये हैं कि किसी अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति को ही लगाना होगा, इसका भूरि-भूरि स्वागत किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हम अशैक्षणिक लोगों को न लगाएं, प्रशासनिक लोगों को न लगाएं।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बीकानेर का 2017 का एक्ट का आ गया। कांग्रेस का यह कहना बिलकुल गलत है कि तकनीकी विश्वविद्यालय की इन्होंने की। आप तो अनेक घोषणाएं करके चले गये। जिसका कोई अता-पता नहीं, जिसका कोई वित्तीय प्रावधान नहीं, जिसका वैधानिक प्रावधान नहीं, जिसके लिये कोई कानून नहीं बना। सन् 2014 में इसी सरकार ने तकनीकी विश्वविद्यालय के लिये वित्तीय प्रावधान किया। 2014 से पहले कोई वित्तीय प्रावधान नहीं था। माननीय मंत्री जी, मुझे अफसोस है कि उस वित्तीय प्रावधान का कोई उपयोग नहीं किया गया और वह प्रावधान लैप्स हो गया। 2015-16 में बीकानेर की जनता और मैंने इस सदन में बार-बार बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का मुद्दा उठाया कि ये विश्वविद्यालय बनना ही चाहिए। राजस्थान में सिर्फ एक विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय राजस्थान में एक हो चाहे कोटा में हो, चाहे जयपुर में हो। आप जब बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का एक्ट लाये तो आपने सरकार की तरफ से यह कहा कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के साथ संबद्ध तकनीकी संस्थाओं की बड़ी संख्या और उन्हें मानिटर करने और उनका नियंत्रण करने में अनुभव की गयी असुविधा को देखते हुए, माननीय मुख्य मंत्री ने बजट भाषण 2016-17 में बीकानेर में दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की। हम पहले ही अर्ज कर रहे थे कि 33 जिलों में एक तकनीकी विश्वविद्यालय संभाल नहीं सकता। जो शैक्षणिक चुनौतियां हैं, जो इंजीनियरिंग कालेजेज की चुनौतियां हैं, तकनीकी ज्ञान की चुनौतियां हैं, उनको एक तकनीकी विश्वविद्यालय नहीं संभाल सकता। हम माननीय मुख्य मंत्रीजी के आभारी हैं कि 2014-15 में बीकानेर में जो जनता की आवाज उठी।

(17.00 बजे)

उसके कारण उन्होंने 2016-17 में बजट घोषणा की जिसका जिक्र भी इस 2017 के एक्ट में आपने किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप जब 2017 में ही एक्ट ले आए। बिलकुल सद्भावी एक्ट लाए। आपका उसको लाने में बहुत रोल है। हमने आपको निरन्तर इस सदन में निवेदन किया, अपने भाषणों से भी कहा और अलग से भी निवेदन किया और आपके कारण ही तकनीकी विश्वविद्यालय का एक्ट इस सदन में 2017 में समय पर आ गया। माननीय सभापति महोदय, परन्तु उसमें एक कमी रह गई। वह कमी यह रही है कि अब आप जो प्रावधान ला

(श्री मानिक चन्द सुराना)

रही हैं, विद्यमान उप-धारा 16 के पश्चात, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जाएगी, नये संशोधन एक्ट में। यदि यह धारा आप पहले ही जोड़ देती, सरकार जोड़ देती तो अब तक बीकानेर विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर की नियुक्ति कभी की हो जाती। वह जो नियुक्ति नहीं हुई, इसी कारण से आपको अब यह अर्जेन्टली संशोधन लाना पड़ा है, जो मैं पढ़ रहा हूं- "उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा 3 में ये प्रावधान है कि चार सर्च कमेटी होगी, एक गवर्नर का आदमी होगा, एक बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का आदमी होगा, उस सर्च कमेटी के सारे टंटों से निवृत्ति पाने के लिए आपने जो उप-धारा 17 जोड़ी है, उसमें आपने कहा है उप-धारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति, कुलाधिपति द्वारा, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात, तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो कुलाधिपति अवधारित करें, नियुक्त किया जायेगा।"

माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये प्रावधान पहले होता और राज्य सरकार कुछ और दूरदर्शिता से काम करती। यह प्रावधान पहले भी लाया जा सकता था। परन्तु आपने अनुभव के कारण, जो कठिनाई आई आपको बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के अपाइंटमेंट में, तो आप यह नयी उप-धारा जोड़ कर लाए हैं, उप-धारा 16 के नीचे 17, मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं और मेरा आपसे निवेदन होगा कि इस प्रावधान के तहत आप महीने-दो महीने में, समय जा रहा है, समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए आप वाइस चांसलर की नियुक्ति, कुलाधिपति महोदय से, राज्य सरकार की सलाह से शीघ्रातिशीघ्र करवाने की, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय को तत्काल चालू करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इसकी पूर्ति करने का काम करेंगे। एक सवाल मैंने पहले भी उठाया, मैं आभारी हूं मंत्रीजी का जिन्होंने आज कोटा तकनीकी विश्वविद्यालय में जो गड़बड़ियां हुई और माननीय सदन के एक सम्माननीय विधायक ने उन गड़बड़ियों की ओर आपका 131 में ध्यान आकर्षित किया। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): जो उन्होंने 131 में ध्यान आकर्षण किया था, वह तकनीकी विश्वविद्यालय का नहीं था, वह कोटा विश्वविद्यालय का था।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कोटा ओपन का था।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): नहीं, नहीं, कोटा विश्वविद्यालय का।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): चाहे कोटा विश्वविद्यालय का हो, आपने जो फैक्टस नरेट किए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन फैक्टस के नरेशन के बाद में यह स्पष्ट हो रहा है कि तकनीकी विश्वविद्यालयों में जो भी आपका एक्ट है, उसमें वाइस चांसलर के ऊपर मंत्री है, नहीं, वह जो भी कांस्टीट्यूएंट कालेजेज हैं, उनमें जो भी प्रिंसिपल लगें, मंत्रीजी उनकी सलाह से कुछ भी होता रहा। बीकानेर के इंजीनियरिंग कालेज के प्रिंसिपल रणजीत सिंह का मुद्दा मैंने उठाया, इसी सदन में, 131 के द्वारा और 131 के द्वारा उठाने पर माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, जो तत्कालीन थे कालीचरण जी सराफ, उन्होंने इस सदन में घोषणा की कि उनको तत्काल हटाया जाता है और उनके खिलाफ जांच की जाती है। मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं। रणजीत सिंह की जांच चीफ सैक्रेटरी द्वारा की गयी है, राजस्थान के। चीफ सैक्रेटरी महोदय ने जो जांच की, रणजीत सिंह चाहे हट गए, करोड़ों रुपए का घोटाला जो उन्होंने बीकानेर इंजीनियरिंग कालेज, बीईसी में किया है और सीटीई जो उसका सहयोगी संस्थान है, उसमें किए हैं, उनकी जांच चीफ सैक्रेटरी की आज भी बाकी है। वह जांच होनी चाहिए। अनाप-शनाप नियुक्तियां, जो पहले बीकानेर महाविद्यालय में की गयीं। मैं निवेदन करूंगा कि वह नियुक्तियां, यदि सरकार चाहती तो नियुक्तियों को स्टेप-डाउन कर सकती थी। मैं आज भी आपसे निवेदन करता हूं कि आपने जो मैटर आज विश्वविद्यालय का कुलाधिपति महोदय के सामने रखने की बात कही है, वह बहुत स्वागत योग्य है, जो भी गैर-कानूनी नियुक्तियां हैं, कुलाधिपति महोदय उसको निरस्त करने में सक्षम है। कानून कहीं बाधक नहीं है। मैं कहता हूं न तो भ्रष्टाचार में भेजने की जरूरत है, भ्रष्टाचार में भेजिए पर उन नियुक्तियों को खत्म करके भेजिए। वह नियुक्तियां चलती रहें और भ्रष्टाचार का मुकदमा चलता रहे, ये बिलकुल एक डिस्क्रिपेंसी है इस लोकतंत्र की। लोकतंत्र में ऐसा कोई कानून बनना ही नहीं चाहिए कि जिसकी रेमेडी उसके सर्वोच्च कुलाधिपति के पास न हो। यदि यूनिवर्सिटी की आटोनोमी में चांसलर के द्वारा कुछ किया भी जाता है तो वह यूनिवर्सिटी के अंदर का ही मैटर है, वह कोई पालिटिकल इंटरफियरेंस नहीं है।

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोटा विश्वविद्यालय में भी जो अनियमित नियुक्तियां की गई हैं, भ्रष्टाचार से प्रेरित नियुक्तियां की गई हैं, क्वालिफिकेशन्स को इग्नोर करके की गई हैं और विज्ञापन में जो बात लिखी गई, उसके विपरीत की गई है कि चुनना किसी को था, उसके बाद उसको

(श्री मानिक चन्द सुराना)

प्रशिक्षण में या अन्वेषण में डाल दिया गया। इस तरह की नियुक्तियां निरस्त किए जाने लायक है। माननीय मंत्रीजी, राज्य सरकार इसमें त्वरित कार्यवाही करेगी तो इसमें निश्चित रूप से राज्य सरकार को बहुत बड़ा श्रेय जाएगा। अन्यथा...

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति जी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, दो-चार मिनट में कुछ कहूंगा। मैं कांस्टीट्यूएंट कालेजेज बीईसी और टीईसी, कालेज फार टैक्निकल एजुकेशन, इनको कांस्टीएंट कालेजेज बनाया जाए। ये कहने का मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि इसमें जो अवैधानिक नियुक्तियां हैं, उनके साथ बना दिया जाए। मेरा निवेदन है कि आज भी राज्य सरकार के पास आखिर तो कालेजेज की भी सैंक्टिटी है। प्रिंसिपल्स को भी अपने कानून के दायरे में, कानून की सीमा में काम करना है। यदि कोई अनधिकृत नियुक्तियां हुई हैं और जो बिलकुल हुई है, मैं आज भी कहता हूं उन अनधिकृत नियुक्तियों की सरकार परीक्षा करे, जहां तक महाविद्यालयों का सवाल है, उन अनाधिकृत नियुक्तियों को निरस्त करें। निरस्त करने के बाद जो विधिवत नियुक्तियां हैं, बीकानेर इंजीनियरिंग कालेज में और कालेज फार टैक्निकल एजुकेशन में, इन भ्रष्टाचार से प्रेरित नियुक्तियों को समाप्त करके, चाहे वह टीचिंग में हैं, चाहे नान-टीचिंग में हैं, उनको समाप्त करें।

मेरा आपसे निवेदन है कि 200 करोड़ से भी ज्यादा की सम्पत्ति है बीकानेर इंजीनियरिंग कालेज की और कालेज फार टैक्निकल एजुकेशन की। यह दोनों कांस्टीट्यूएंट कालेजेज, आप इनको परिष्कृत कर लें, जो भी अवैधानिक नियुक्तियां हैं, उनको निरस्त कर दें। इसके बाद आप इनको कांस्टीट्यूएंट कालेजेज बनाएं। मैं बहुत आभारी हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सोसाइटीज के तहत इंजीनियरिंग कालेजेज चल रहे हैं, उसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की है कि उसके नियम बनाए जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि वह नियम भी जल्दी बनें और उन नियमों के तहत जो भी संस्थान हैं बीकानेर में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के, इन संस्थानों में नियुक्तियों को परिष्कृत करके और इसके बाद आप इनको बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कांस्टीट्एंट कालेजेज के तौर पर स्वीकृत करने की कृपा करें ताकि विश्वविद्यालय का स्वरूप टीचिंग में भी, अनुसंधान में भी, प्रसार में भी हर तरह से ठीक हो सकेगा, गतिशील हो सकेगा, डायनेमिक हो सकेगा। राजस्थान की तकनीकी शिक्षा की जो चुनौतियां हैं, जो कौशल विकास की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

चुनौतियां हैं और जो हमारी आईटीआई और पोलोटेक्निक की चुनौतियां हैं, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की, वह चुनौतियां भी मीट हो सकेंगी और महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग महाविद्यालय की फीस जो 80-90 हजार है, मैं मांग करूंगा कि उनकी फीस भी अन्य सरकारी इंजीनियरिंग कालेज की फीस के मुकाबले 40-45 हजार की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय शंकर सिंह जी राजपुरोहित।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति जी का विशेष धन्यवाद कि उन्होंने पांच मिनट का एडीशनल समय दिया।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018. हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी का स्किल डवलपमेंट पर जैसा जोर है उसी के अनुरूप, मैं हमारे मंत्री महोदया और मुख्य मंत्री महोदया को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यही सोच है कि तकनीकी को हम स्ट्रांग कैसे बनाएं। विश्वविद्यालय के डिसेंट्रलाइजेशन के माध्यम से हम आगे महाविद्यालयों की गरिमा कैसे बनाएंगे। जैसा कि अभी कुलपति की नियुक्ति में दिया है कि उसकी नियुक्ति में दस वर्ष की, आचार्य की, महाविद्यालय है वहां पर हो जाएगी, यह शिक्षा के अनुरूप विषय है।

माननीय सभापति महोदय, बस इतना ही है कि आज के युग में तकनीकी शिक्षा को स्ट्रांग बनाने के लिए सरकार संशोधन लाई है इसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया उसे वापस लेने की मांग करता हूं। फिर से माननीया मुख्य मंत्री और मंत्री महोदया का धन्यवाद करता हूं।

श्री सभापति: माननीया प्रभारी मंत्री महोदया जवाब देंगी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, मैं भी जनमत जानने के प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री सभापति: माननीया मंत्री महोदया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति जी, आज तकनीकी विश्वविद्यालय के संशोधन के संदर्भ में हमारे माननीय सदस्यों ने अपनी बहुत अच्छी राय यहां पर रखी, उन्होंने अपने विचार यहां पर रखे उनका मैं स्वागत करती हूं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलोजी की इस देश के विकास में अहम भूमिका है उस संदर्भ में अभी आप लोगों ने कई अच्छे

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सुझाव दिए। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य अभी यहां नहीं बैठे हैं, लेकिन उन्होंने भी जो चिंता जाहिर की, उन सबके बारे में मैं आपके सामने बात रखूंगी। उससे पहले मैं यह निश्चित रूप से बताना चाहूंगी कि जो संशोधन हम लोग आज पेश कर रहे हैं उसमें राजस्थान टेक्नीकल यूनिवर्सिटी और बीकानेर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी के वाइस चासंलर की नियुक्ति की योग्यता, वर्तमान में उसका प्रावधान है उसको हमने परिवर्तित किया है। इसलिए कि वर्तमान में टेन ईयर्स मिनिमम प्रोफेसर के ऊपर होना चाहिए, इसके साथ-साथ टेक्नीकल फील्ड का व्यक्ति होना, इसको भी अनिवार्य किया है। कुलपति के लिए टेक्नीकल फील्ड का शिक्षाविद होना अनिवार्य पहले नहीं था उसको अब किया है। चूंकि यह तकनीकी विश्वविद्यालय है इसलिए कुलपति किसी तकनीकी फील्ड का होगा तो निश्चित ही विश्वविद्यालय के डवलपमेंट तथा एकेडमिक के लिए उसका योगदान अधिक हो सकेगा, इसलिए इसको कम्पलसरी किया है कि यह टेक्नीकल फील्ड का होना चाहिए।

माननीय सभापति जी, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, पूर्व में किसी कारण से कुलपति का पद रिक्त हो जाता था तो उस समय किसी न किसी को एडिशनल चार्ज, डिविजनल कमिश्नर या कलेक्टर को दे दिया जाता था। लेकिन उन लोगों को विश्वविद्यालय एजुकेशन का इतना अनुभव नहीं होता था, उनकी अपनी काफी व्यस्तता रहती थी, इस कारण से इसमें भी संशोधन प्रस्तावित किया है। अब यह संशोधन किया है स्टाप गैप अरेंजमेंट है उसमें एडिशनल कार्यभार अब किसी वी सी को ही दिया जा सकता है। यह संशोधन आर टी यू और बी टू यू दोनों के अंदर यानी राजस्थान टेक्नीकल यूनिवर्सिटी और बीकानेर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी में स्टाप गैप अरेंजमेंट है उसके लिए राज्य के अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति को ही अतिरिक्त कार्यभार देने का प्रावधान किया गया है।

इसी के साथ, हमारी एक सर्च कमेटी होती थी राजस्थान टेक्नीकल यूनिवर्सिटी में, उसमें अभी तक प्रोवीजन था कि सर्च कमेटी के मैम्बर्स होते थे उनमें एक मैम्बर बाम का, एक प्रतिनिधि होता था, एक वाइस चासंलर की तरफ से प्रतिनिधि होता नियुक्त था, राज्य सरकार से दो प्रतिनिधि नियुक्त होते थे। अब इसमें यह संशोधन प्रस्तावित किया है कि जो दो प्रतिनिधि राज्य सरकार के होते थे उसमें एक प्रतिनिधि यूजीसी का होगा, राज्य सरकार का इसमें एक ही प्रतिनिधि होगा। इस तरीके से इसमें यह संशोधन किया है।

माननीय सभापति जी, साथ ही उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों के

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कुलपति की अधिकतम 70 वर्ष निर्धारित है, लेकिन इस क्रम में हमने दोनों ही तकनीकी विश्वविद्यालय में, जो हमारे वाइस चांसलर है उनकी अधिकतम आयु पहले 62 वर्ष ही रखी गई थी अब उसको भी हम 70 वर्ष कर रहे हैं। जैसे हमारे उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों में 70 वर्ष है इसमें भी हमने बढ़ाकर 70 वर्ष प्रस्तावित किया है।

माननीय सभापति जी, गत बजट सत्र में बीकानेर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी का विधेयक पारित किया था, उसमें हमने वाइस चांसलर की नियुक्ति का प्रावधान इसके अंदर शामिल नहीं किया था। शायद इसी वजह से हमारे लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप लोग अभी तक कुलपति की नियुक्ति नहीं कर पाए, इसका एक ही कारण था। लेकिन अब बीकानेर टेक्नीकल यूनिवर्सिटी में प्रथम कुलपति की नियुक्ति है उसके सदंर्भ में जो संशोधन यहां किया है वह संशोधन होने के बाद हम लोग तुरन्त कुलपति की नियुक्ति कर देंगे।

टेक्नीकल एजुकेशन को थोड़ा और इम्प्रूव करने की जरूरत है, ऐसे भी सुझाव आए। एम्प्लायमेंट को लेकर भी कुछ सुझाव आए। माननीय सभापति जी, मैं इसमें कहना चाहूंगी कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अभी अपने बजट भाषण में, जो हमारे सोसाइटी मोड पर चल रहे पूरे प्रदेश में इंजीनियरिंग कालेजेज हैं, इन इंजीनियरिंग कालेज के अंदर बार-बार यह बात आ रही थी कि इन इंजीनियरिंग कालेजेज की फीस बहुत ज्यादा है। इनमें नियुक्ति में अनियमितता हो रही है। इन सब को देखते हुए स्टेट फाइनेंस मोड पर इसको लेने के संदर्भ में एक कमेटी का गठन कर, वह कमेटी उन सारी चीजों पर विचार करके अच्छे सुझाव दे, उसके बाद गवर्नमेंट इन 12 कालेजेज को चलाए, वर्तमान में जो सोसाइटी मोड पर चल रहे हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होगा। उसके लिए कमेटी गठित करने का माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में घोषणा की थी वह वास्तव में बहुत ही स्वागत योग्य है।

हमारे माननीय सदस्य ने एक बात रखी कि इंजीनियरिंग कालेजेज के अंदर बच्चों की फीस बहुत ज्यादा है। आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगी कि इसमें पूर्व में एक फी कमेटी बनी हुई है। हाई कोर्ट के द्वारा वह कमेटी बनाई गई है। वह कमेटी प्रतिवर्ष एनेलिसिस करती है इन कालेजेज कि कितनी फीस होनी चाहिए। कमेटी का सामान्यत: यह ट्रेंड चल रहा था कि 10 परसेंट हर साल फीस बढ़ाती थी। पिछली बार फीस 77 हजार थी। हम

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

लोगों ने इस बार उस कमेटी का रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग इसको अच्छी तरह से देखें क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत कम एंट्री हो रहे हैं, भार बहुत बढ़ता जा रहा है, इसीलिए फीस को थोड़ा कम करने की जरूरत है। उस कमेटी ने हमारी रिकमंडेशन को एग्री किया और उन्होंने 77 हजार से 70 हजार किया। उसके बाद भी हम लोगों ने लोकल लेवल पर, सभी से चर्चा करके, कमेटी को यह सुझाव दिया है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेजेज की अब फीस 60 हजार की है। हमारे एक माननीय सदस्य ने यह बात उठाई थी, उसके जवाब में यह कहना चाहती हूं।

साथ ही, इंजीनियरिंग कालेजेज के अंदर सिलेबस का अपग्रेडेशन भी किया है। मैं कह सकती हूं कि राजस्थान टेक्नीकल यूनिवर्सिटी 2017-18 में इंजीनियरिंग कोर्सेज थे उनमें बदलाव किया है, उसमें ह्यूमन वैल्युज एक सब्जैक्ट और जोड़ा है। इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग के लिए हमारे स्टूडेंट्स जाते थे, इन कोर्सेज के लिए पहले निर्धारित था, दो महीने की इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग होती थी। अब हमने इसमे चैंज करके नवाचार किया है। सिलेबस के अंदर ही हम लोगों ने स्टूडेंट्स को, इनका लास्ट सेमेस्टर 6 महीने का है उसको टोटल इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग में दिया है। लास्ट सेमेस्टर 6 महीने का है, वह इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग करेंगे, जिससे काफी हद तक उनको नौकरियां पाने में ईजी होगा।

फर्स्ट ईयर में बी टैक की ब्रांच में एडमीशन लेता है उसमें बी टैक में दो ब्रांच के मूलभूत विषय को पढ़ने के लिए भी स्वतंत्र होगा, इस तरह का भी हम लोगों ने एक आदेश निकाला है।

माननीय सभापतिजी, जो क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू सिस्टम, जो आज तक यहां पर नहीं था। यानी कालेजेज के अन्दर एडमिशंस बहुत कम हो रहे थे, क्वालिटी मेन्टेन नहीं कर पा रहे थे। प्राइवेट कालेजेज भी इसमें थे कि वे जैसे भी करके स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर लेते थे। लेकिन उनकी क्वालिटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। अबकी बार हम लोगों ने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उनकी जो सम्बद्धता, जितने भी उनके एफिलिएटेड कालेजेज हैं, यानी सारे ही टेक्निकल कालेजेज जो राजस्थान में आज की तारीख में चल रहे हैं, वे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से सम्बद्धता रखते हैं। उन सबके अन्दर एक क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, जहां पर ग्रेडिंग हो रही है। ऐसे 18 मानदण्ड हैं, पैरामीटर्स हैं, जिन पैरामीटर्स को हमने तय किया है, जिन पैरामीटर्स के ऊपर इन टेक्निकल कालेजेज का वैल्यूएशन होगा। क्वालिटी इंडेक्स वैल्यू सिस्टम के माध्यम से

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

उनकी ग्रेडिंग्स होंगी, 'ए' ग्रेड, 'बी' ग्रेड, 'सी' ग्रेड, ताकि स्टूडेंट्स को भी पता हो कि हम लोग कौनसी ग्रेड के अन्दर हैं।

ये जो 18 पैरामीटर्स हैं, ये 18 पैरामीटर्स भी बहुत इम्पोर्टेण्ट हैं, जैसे एन.वी.ए. एफिलिएटेड है या नहीं, उनका फैकल्टी-स्टूडेंट रेशो क्या है, प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स किस लेवल के हैं, नम्बर आफ स्टूडेंट्स उसमें कितने एनरोल्ड हैं, नम्बर आफ कम्प्यूटर्स क्या है, इंटरनेट फैसेलिटीज, अदर फैसेलिटीज, पे-स्केल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एंडोमेंट फण्ड डिपोजिट्स उन्होंने क्या किया-नहीं किया, percentage of students who have passed out from those colleges, percentage of students who obtained first divisions, International conferences, seminars, workshops organize किया या नहीं उस कालेज ने, national conferences, seminars, workshops, paper published in the journals by the faculties on National or International levels, percentage of students those who have been given the placements., वहां के उस कालेज के कितने स्टूडेंट्स को वहां से प्लेसमेंट मिला। अगर प्लेसमेंट मिला है तो उसमें भी एनुअल पैकेज तीन लाख से ऊपर के कितने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिला। ये ऐसे पैरामीटर्स तय किये, जिन पैरामीटर्स के आधार पर उन कालेजेज की ग्रेडिंग होगी। 'ए' ग्रेड, 'बी' ग्रेड, 'सी' ग्रेड जब कालेजेज होंगे तो मैं समझती हूं कि उसमें काफी हद तक, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उनके एडमिशन, जो हमारे यहां राजस्थान में हम लोग सोचते हैं कि बहुत कम होते जा रहे हैं, वे भी उसमें 25-30 परसेंट एडमिशंस बढ़ने की सम्भावनाएं हम लोगों को दिखती हैं। साथ-साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

अभी, माननीय सदस्य, जो कोटा से आ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हमारे यहां पर लोकल इण्डस्ट्रीज हैं। लेकिन वे इण्डस्ट्रीज हमारे इंजीनियरिंग कालेजेज के बच्चों का प्लेसमेंट करने में कतराती हैं, नहीं करती हैं। इसके लिये भी हम लोगों ने एक ट्रिपल-आई सैल, जो इंस्टीट्यूट-इंडस्ट्री-इंटरफेस सेल हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें इण्डस्ट्रीज के साथ में इंस्टीट्यूट का इंटरेक्शन होता है। उन लोगों के, और कुछ कोर्सेज के अन्दर कुछ और चीजों को इंट्रोड्यूस करके अगर उन्हें उस लायक बनाया जा सकता है कि वहां की लोकल इण्डस्ट्री में उनका प्लेसमेंट हो सके तो उस पर भी हम लोग कर रहे हैं।

साथ ही मैं यह जानकारी भी देना चाहूंगी कि ए.आई.सी.टी.ई. के साथ मिलकर राजस्थान के 128 इंजीनियरिंग एज-वैल द पोलिटेक्निक कालेजेज,

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)
इनके अन्दर हमने स्किल डवलपमेंट के कोर्सेज शुरु किये हैं। इन कोर्सेज में लगभग साढ़े 13 हजार हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिनको स्किल डवलपमेंट के ए.आई.सी.टी.ई. के द्वारा ऐसे 25 कोर्सेज हैं, जिनका लाभ उन सब स्टूडेंट्स को मिल रहा है। इन सारे स्किल डवलपमेंट के कोर्सेज से उन लोगों को एम्पलायमेंट के लिये काफी हद तक फायदा मिलेगा।

माननीय सभापतिजी, मैं यह भी बताना चाहूंगी कि नई टेक्नोलोजी के अवेयरनैस और ट्रेनिंग के लिये भी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी और ए.आई.सी.टी.ई. के बीच में एक एम.ओ.यू. हुआ है। जिसके अंतर्गत वाटर रिचार्ज टेक्निक्स थ्रू एक्वा फेयर और ड्रोन टेक्नोलोजी पर इंजीनियरिंग कौंसिल आफ इण्डिया के एक्सपर्ट्स के द्वारा यहां पर ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जायेगी। ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट एण्ड एन्टरप्राइज रेडीनैस प्रोग्राम, यह भी हम लोगों ने शुरू किया है कैम्पस-काशन के माध्यम से, ए.आई.सी.टी.ई. ने कैम्पस-काशन को अधिकृत किया है, जो बीकानेर के अन्दर इस एन्टरप्राइज रेडीनैस प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं।

सी.ई.जी. के अन्दर भी हमने एक सेण्ट्रल प्लेसमेंट सैल बनाया है। उस सैल के माध्यम से बहुत सारे हमारे इंजीनियरिंग और पोलिटिक्निक कालेजेज के बच्चों को उनमें कैम्पस प्लेसमेंट कराने की भी हमारी सरकार की कोशिश चल रही है। पिछले एक साल में लगभग हजार से ज्यादा ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और पोलिटिक्निक स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देने का काम हमने किया।

माननीय सभापतिजी, मैं संशोधन के साथ इस बिल के अन्दर संशोधन, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लेने का प्रस्ताव करती हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद।

प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 व 3

खण्ड 2 व 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

खण्ड 1

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री, श्रीमती किरण माहेश्वरी प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया गया।

प्रभारी मंत्रीजी श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 प्रस्तुत करेंगी।

विधेयक पर विचार

श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: माननीय गोविन्दजी टोडासरा, नहीं डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, कोई बात नहीं कुछ भी नाम से पुकारो, मगर प्रेम से पुकारो।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): अपन को तो तीर चलाना है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय ... (व्यवधान) श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: एक मिनट। आज बीकानेर पश्चिम से आने वाले वयोवृद्ध सदस्य ने कुछ कहा है कि अपन को तो तीर चलाना है। (व्यवधान) हां बताएं, बताएं।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): आपको तो तीर ही चलाना है न?

श्री सभापति: नहीं, इनको तीर नहीं चलाना। इनको अपना वक्तव्य देना है।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): आपके तीरों से कोई घायल होने वाला नहीं है। आपने विश्वविद्यालय के बारे में भी सब कुछ कह दिया। But you are an honorable man. मतलब, आनरेबल मैन है, कुछ भी कह सकते हो। जूलियस सीजर अगर आपने पढ़ा है तो जूलियस सीजर के अन्दर एंटीनिओ ब्रूटस के लिये कहते है; ब्रूटस कहते हैं कि, Caesar was an ambitious man and Brutus is an honourable man. उनके कहने का मतलब क्या था, वह आप भी समझते हैं, अगर आपने वह पढ़ा है। मेरा ख्याल है, पढ़ा जरूर होगा।

श्री सभापति: Ceasar says that Brutus is always right.

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): मैं इसीलिये कहता हूं कि तीर छोड़ते जाइये और हम उन तीरों को वापस मोड़ करके, हमको वह भी नियम आता है कि कैसे मोड़ा जाता है, मोड़ करके तीर आप पर ही छूटेंगे।

आपने पहले भी हमको नेशनल यूनिवर्सिटी दे करके मना किया। हमसे

(श्री गोपाल कृष्ण)

यूनिवर्सिटी छीन ली। वर्ना वह 10 साल पहले यह यूनिवर्सिटी खुल जाती। लेकिन 10 साल आपने जबरदस्ती के बिता दिये। एक व्यास कमेटी बनी थी। व्यास कमेटी ने इस बात के लिये तय किया था कि यह एक नेशनल यूनिवर्सिटी बीकानेर के अन्दर खुले। लेकिन आपके मुख्य मंत्रीजी ने मना कर दिया और हमको उससे वंचित कर दिया। हमने आपको राज से वंचित कर दिया, थैंक्यू।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, वरिष्ठ सदस्य हैं और इनके ऊपर तो मैं तीर इसलिये भी नहीं चला सकता कि इनके तो घेवर, फीणी, रबड़ी पता नहीं क्या-क्या हमारे खाये हुए हैं। जब आपका मीठा खाया हुआ तो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं, मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि अगली बार हमारी सरकार बनेगी तो आप जो कहेंगे, आपके काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, यह विश्वविद्यालय हमारे समय में भी आये, आपके समय में भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से विश्वविद्यालयों की हम लोगों को आवश्यकता भी है। हमारे प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय होने चाहिए आज भी बहुत कम विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय ज्यादा से ज्यादा खुलें, हमारे प्रदेश के जो नौजवान विद्यार्थी हैं वह पढ़कर उच्च शिक्षा प्राप्त करके, अनुसंधान करके अपने देश का, हमारी माटी का नाम रोशन करें, यह हम सब चाहते हैं।

हमारी सरकार भी जब-जब यह विश्वविद्यालय लेकर आई तो आप प्रतिपक्ष में थे 2008 से 2013 में तो आपके एक-एक के उद्बोधन रिकार्ड के अंदर अंकित हैं कि आपने किस प्रकार विश्वविद्यालयों को लाने की आलोचना किस स्तर तक की, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। आपने सुझाव भी दिये थे, हमारे समय में भी बात यही रही कि बहुमत था, 'हा' पक्ष जीता, 'हा' पक्ष जीता, हो जाता। आपकी जब सरकार आई तो पहले भी जो सत्र गये हैं, चार साल में उनमें भी विश्वविद्यालय आप लोग लाए, आपके लोगों ने भी सुझाव दिये और हमने भी सुझाव दिये लेकिन वह ही ढाक के तीन पात, संशोधन कोई स्वीकार नहीं, सभापतिजी ने जैसे अभी कहा कि- 'हा' पक्ष जीता, 'हा' पक्ष जीता और वह बिल पारित हो गया और यूनिवर्सिटीज बन गयीं। यह भी बनेगा। इस पर आगे लिख रखा है कि एक ट्रस्ट है जो 1008, शेषावतार 1008 श्री कल्लाजी वेद पीठ एवं शोध संस्थान तो 1008 लग गया तो अब तो कोई शंका वाली बात ही नहीं है, कोई खिलाफ कौन बोलेगा, बताओ आप?

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

लेकिन, मंत्री महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपसे पहले माननीय कालीचरणजी सराफ उच्च शिक्षा मंत्री थे, फिर आप आए। हमने एक सुझाव दिया था कि आप इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर किस प्रकार से अपनी लगाम रखोगे, क्या गवर्नमेंट का, सरकार का क्या चैक होगा, क्या इनके खिलाफ जो इतनी शिकायतें आ रही हैं उनके बारे में आप क्या करोगे? कोई शंका का समाधान आज की तारीख तक सवा चार साल हो गये, नहीं किया।

आपको ध्यान में होगा कि हमने यह भी कहा था कि इन-इन विश्वविद्यालयों के खिलाफ आपकी शिकायत आई, चाहे ग्यारह विश्वविद्यालय थे। आपने एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद इसी सदन में यह कहा था कि इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, जिन-जिन विश्वविद्यालयों ने गड़बड़ियां की हैं, उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, हमने तो आज तक सुना नहीं। एक वह जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है कौनसी है? तोमर साहब वाली, उसके बारे में जरूर सुना है कि उसमें कोई एक्शन हुआ है।

हमने यह भी कहा था कि क्यों नहीं आप एक नियामक आयोग बनाकर इनके ऊपर अपना सरकार का कंट्रोल स्थापित करें। कालीचरणजी सराफ साहब ने भी इसी सदन में कहा था कि हम नियामक आयोग शीघ्र बनाने जा रहे हैं, प्रारूप तैयार हो गया, उनके कहने का थोड़ा अंदाज भी अलग ही है। एक पैर ऊपर रखते हैं और एक पैर जमीन पर रखते हैं और फिर धीरे-धीरे बोलते हैं। आपके समय में भी जब आप उच्च शिक्षा मंत्री बन गयी थीं फिर भी बिल पारित हुए तो हमने यही कहा था। आपने भी इसी सदन में हमें यही आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी लाने जा रहे हैं तो वह जल्दी से जल्दी, आप कहीं इस भ्रम में तो नहीं हैं कि अगली बार हमारी सरकार आएगी और हम नियामक आयोग ले आएंगे तो अगली बार जनता आपको मौका नहीं दे रही है।

यह राठौड़ साहब तो अच्छी तरह से समझते हैं। यहां तो हां कैसे भरें? अंकित हो जाए तो मैडम नाराज हो जाए, मोदीजी नाराज हो जाए लेकिन सवाल यह है कि वह नियामक आयोग बनेगा कब? जब आप सत्ता से बाहर हो जाओगे तब बनाओगे क्या? तब आपको अधिकार ही नहीं मिलेगा। आपकी सरकार के मुखिया कहने लग गये कि पांच साल और दे दीजिए, दस साल दे दीजिए जो पांच साल दिया उसका क्या सदुपयोग किया आपने जनता के हित में? इतना बड़ा मैंडेट, 163 का राठौड़ साहब, मैंडेट न भूतो न भविष्यति, आपके लिए तो कम से कम, हमारे को तो मिलेगा अब की बार।

श्री हीरालाल (निवाई): आपने 60 साल में क्या किया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह 60 में से 30 तो आप साथ ही थे हमारे, 60 में से 30 तो अपन साथ ही थे कांग्रेस में।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय, यह बताएं कि वह नियामक आयोग कब बनेगा? उसके पीछे आपकी सरकार की मंशा क्या है? क्या इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से कोई सरकार की सौदेबाजी हो गयी क्या कि हम नहीं लाएंगे, आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? माननीय सभापति महोदय, यह सवाल तब उठता है जब इसी सदन में एक मंत्री कहे, दूसरा मंत्री कहे और बार -बार कहे और यह कहे कि हम जल्दी लाने वाले हैं, हमारा प्रारूप तैयार हो गया है, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो गड़बड़ करती हैं, फर्जी डिग्रियां बांटती हैं, ज्यादा पैसे लेती है, लूटखसौट मचा रखी है, उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए, हमारी सरकार का नियंत्रण के लिए हम लोग काम करेंगे।

कहां गया वह नियामक आयोग? इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जो ग्यारह यूनिवर्सिटीज की जांच की, उसको भी मंत्री महोदय, जब आप जवाब दें तो अगर आपने कोई जांच रिपोर्ट बनाई हो और किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया हो या किसी को प्रशस्ति-पत्र दिया हो कि नहीं, हमारी तो गलती हो गयी, हमने जांच बैठा दी, आपसे बढ़िया तो कोई यूनिवर्सिटी चला ही नहीं रहा। आप तो धर्मादा का काम, धर्मार्थ का काम कर रहे हैं। कोई लूटखसौट नहीं है, सब कुछ ठीक है तो वह बता दें। कम से कम जनता में यह मैसेज तो जाए कि यह सरकार ने ईमानदारी से जांच करवायी और जांच करवाने के बाद में इनके खिलाफ यह एक्शन लिया और यह अच्छे पाये गये तो कम से कम हम लोगों को भी, प्रदेश के लोगों को यह पता लगेगा कि यह अच्छी यूनिवर्सिटी है तो कम से कम उसमें एडमिशन ले लेंगे।

इसलिए, जो चीज आप कर नहीं सकते और बार-बार यह बिल, एक ही बात लिखी होती है कि इसने एक करोड़ रुपये जमा करवा दिये इसलिए हम इसको पेश कर रहे हैं और आप इसको पारित कर दो। हम नहीं करें तो मत करो साहब, बहुमत है इसलिए हो जाएगा, सरकार का जो बिल आएगा वह पास होगा। लेकिन, हम इसको ले जाना कहां चाहते हैं? हमें चाहिए यूनिवर्सिटीज, हम बार-बार यह कह रहे हैं कि हमें विश्वविद्यालय और चाहिए। सरकार के पास इतने संसाधन नहीं होते इसलिए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने में कोई बुराई नहीं है लेकिन इन विश्वविद्यालयों में गड़बड़ियां नहीं हों, हमारे प्रदेश के लोगों के साथ में ठगाई नहीं हो, उनका शोषण नहीं

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

हो, उनका स्तर किस प्रकार से सुधरे, हमारी सरकार का उसके ऊपर नियंत्रण किस प्रकार से हो, इस बात की व्यवस्था तो हम सबको करनी पड़ेगी।

इसलिए, मैं मेरी केवल सकारात्मक सोच रखते हुए इतना ही निवेदन करूंगा मंत्री महोदय, कि यह दो इश्यू बड़े इश्यू थे जो इसी सदन में आये थे। आपने भी कहा था और आपसे पहले जो उच्च शिक्षा मंत्रीजी थे, जो आजकल स्वास्थ्य संभाल रहे हैं और स्वास्थ्य में भी महामहिम राज्यपाल की रिपोर्ट भी गड़बड़ और फिर जांच कमेटी भी बैठा दी और आज सदन का आखिरी दिन है, वह जांच कमेटी की रिपोर्ट भी नहीं आई तो क्या करना चाहते हैं? न कटारिया कमेटी की, आठ-नौ कमेटियां बैठ गईं, न उनकी रिपोर्ट आई तो यह रिपोर्ट साथ ही बस्ते बांधकर ले जाओगे क्या जब सरकार से बाहर होंगे तब या इस सदन में भी बताओगे? यह प्रदेश की जनता सदन के माध्यम से जानना चाहती है और इसीलिए यह विधान सभा चलती है कि कम से कम जनता के जो मुद्दे हैं, वह मुद्दे सदन में जन-प्रतिनिधि उठाएं, सरकार उनका जवाब दे और जो अच्छे सुझाव हों आप उनको मानें, इम्प्लीमेंट करें। केवल इसलिए नहीं कि हम आप पर आरोप लगा दें और आप हम पर लगा दें, वह तो राजनीति का एक पार्ट है लेकिन कम से कम विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में तो हम सबको चाहिए कि एक सोच के साथ में और आप कोई भी आयोग लाइये, हम आपके साथ हैं।

अब आपको रोकने वाला कौन है, मंत्री महोदय, यह बता दो मेरे को तो? हम सब विपक्ष आपके साथ में है, सत्ता पक्ष तो वैसे भी है इसलिए उनके खिलाफ आप एक्शन क्यों नहीं लेना चाहते? यह अपने जवाब में बता देंगे तो कम से कम आपकी और हमारी ड्यूटी जनता के प्रति जो है, उसमें थोड़ा-बहुत ठीक लगेगा।

इसलिए, मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, आप विराजें, एक सैकिण्ड में हो जाएगा। श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) इस नाम को रटने में ही मेरे को तीन-चार दिन लगे तो पांच मिनट तो बोलने दो। यह नाम ही ऐसा है कि कमधर, कमधज, पता नहीं क्या-क्या है लेकिन फिर भी जो भी है, विश्वविद्यालय आ रहा है इसलिए इसको जनमत जानने के लिए मेरा निवेदन है कि पहले भेजिये, नियामक आयोग बनाइये, उसमें प्रावधान कीजिए और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हमारे प्रदेश के लोगों का शोषण नहीं कर सके, उनके साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं कर सके, इस बात की व्यवस्था करने के बाद में और जो पहले विश्वविद्यालयों की शिकायतें

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आई थीं और कालीचरणजी सराफ बहुत जोर-जोर से अपने उसका प्रयोग करते हुए, आज नाम नहीं लूंगा राठौड़ साहब, अब खूब नाम ले लिया, आखिरी दिन क्या नाम लेना है? उनका प्रयोग करते हुए जिनका वह और कामों में करते हैं, उसका करते हुए यह कहा था कि मैं इसको कर दूंगा लेकिन वह तो कर नहीं पाए क्योंकि उनका तो वह काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया, किसने नहीं किया, वह भी नाम नहीं लूंगा तो कम से कम आपके न तो कोई विवेक की लाग है, न कोई आप किसी के आशीष पर हैं, आप तो मंत्री बने हुए हैं इसलिए आप मेहरबानी करके यह बताने का कष्ट करें कि दोनों जो बिंदु मैंने उठाये उनका जवाब देने का कष्ट करें।

आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिये, माननीय सदस्य, बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रहलादजी गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 विचार के लिये लाया गया है। आज इस विधेयक को सदन पारित करेगा और प्रदेश में एक वैदिक विश्वविद्यालय खुलने का रास्ता बन जायेगा। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में श्रेष्ठ संस्थान स्थापित हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है और अगर इस पर हम आत्मचिंतन करते हैं, माननीय सभापति महोदय, तो जब मैं विद्यार्थी था, उस दौर में निजी क्षेत्र में शिक्षा की भागीदारी में हम बहुत पीछे थे। मुझे आज भी याद है, माननीय सभापति महोदय, मैं जब कालेज में पढ़ता था, तो इस राजस्थान के हजारों विद्यार्थी बंगलौर, पूना, महाराष्ट्र, दुनिया भर में तकनीकी हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिये जाते थे। या विशेष सुविधा के वह कोर्सेज, जिनको हम राजस्थान में उपलब्ध नहीं करा पाये थे। एक लंबे समय तक राजस्थान का एजुकेशन का निवेश दूसरे प्रदेशों में जाता रहा। हमारा विद्यार्थी वहां से नाना प्रकार की डिग्रियां लेने के लिये, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, दूसरे प्रान्तों में वह जाता रहा और बहुत देर बाद राजस्थान में निजी क्षेत्र में शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बनी और सबसे सुंदर और सौभाग्यपूर्ण बात यह है कि इस राजस्थान विधान सभा का कोई सत्र नहीं होता, जब हम किसी न किसी विश्वविद्यालय का एक्ट पारित नहीं करते। हर साल राजस्थान में एक विश्वविद्यालय आता है। यह समय की जरूरत भी है। तीव्र गति से प्रकृति और मानव संसाधनों के विकास के लिये

(श्री प्रहलाद गुंजल)
आवश्यक है कि हम हायर एजुकेशन आम व्यक्ति तक पहुंचायें और साथ ही ज्ञान के विकास के लिये भी आवश्यक है। लेकिन यह सब कुछ करते हुए बहुत ईमानदारी से हमें आत्मचिंतन करना पड़ेगा। आज यह वैदिक विश्वविद्यालय विधेयक पारित हो रहा है और इसमें अनुसूची-2 में शाखाएं, जिनमें विश्वविद्यालय अध्ययन और अनुसंधान का जिम्मा लेगा। माननीय सभापति महोदय, वेद और वेदांग, आगम, धर्मशास्त्र पुराण एवं इतिहास, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य एवं शिक्षा प्रौद्योगिकी और 17 प्रकार के कोर्सेज को इसमें उल्लिखित किया गया है। माननीय सभापति महोदय, अच्छी बात है कि हम वेद और वेदांग को पढ़ायेंगे, हम आगम, धर्मशास्त्र पुराण और इतिहास को पढ़ायेंगे, हम भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य एवं शिक्षा प्रौद्योगिकी को पढ़ायेंगे और हम पढ़ायेंगे ज्योति, योग और योग दर्शन। देर आयद, दुरुस्त आयद। हम हमारे मौलिक चिंतन की ओर बढ़ रहे हैं। जिस संस्कृत भाषा के अप्रतिम योगदान के कारण, जिसे हम आज भी लगातार कहते हैं कि संस्कृत संसार की तमाम भाषाओं की जननी है। संस्कृत वेदों की जननी है। अब संस्कृत में वेद पढ़ाये जायेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर आज आपके माध्यम से हायर एजुकेशन मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि हमने संस्कृत शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिये माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत जब राजस्थान के मुख्य मंत्री हुआ करते थे तो जगद्गुरु शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय मुहाना, जयपुर में खोला।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जगद्गुरु रामानन्दाचार्य है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): हां, जगद्गुरु रामानन्दाचार्य खोला। अब माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कायम है। आत्मचिंतन करें, क्या स्थिति है उस विश्वविद्यालय की? हम आज तक उस विश्वविद्यालय को सुचारु रूप से चलाने में कामयाब नहीं हुये और रूक-रूककर कई बार यह चर्चा होती है कि जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय बंद किया जा सकता है। एक तरफ हम कहते हैं संस्कृत वेदों की माता है, संस्कृत तमाम दुनिया की भाषाओं की जननी है और राजस्थान में संस्कृत के मान-सम्मान और उसके विस्तार के लिये एक विश्वविद्यालय इस हालत में है। समूचे राज्य का एकमात्र विश्वविद्यालय, उस और उस विश्वविद्यालय को भी हम एक मुकाम तक लाकर स्थापित नहीं कर सके। उसमें पढ़ने के प्रति विद्यार्थियों का आकर्षण

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कैसे कायम होगा? जब तक संस्कृत में तमाम प्रकार के रिसर्च नहीं होंगे, तमाम प्रकार के अनुसंधान नहीं होंगे।

मैं बहुत आग्रहपूर्वक आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप इस अनुसूची को पढ़ें। अनुसूची में छह नंबर पर पत्रकारिता और संचार है, आठ नंबर पर आयुर्वेद है और 14 नंबर पर कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी है। बाकी जो 14 कोर्सेज हैं, वह वैदिक साहित्य से मिलते-जुलते कोर्स हैं।

मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि वेदों के प्रचार के लिये, संस्कृत के प्रचार के लिये निजी क्षेत्र का एक विश्वविद्यालय आ रहा है, उस विद्यालय की सोसाइटी ही कल्लाजी के नाम से है। कल्लाजी हमारे शेषावतार हुये हैं और हमारी अवतारों के प्रति बड़ी श्रद्धा रही है। माननीय सभापति महोदय, हमारे अवतारों पर विश्वास न करने का कोई आधार आज तक दुनिया का कोई विज्ञान पैदा नहीं कर पाया। हमारा उनके प्रति सम्पूर्ण विश्वास है, आधार है, तर्क है। उन तर्कों के विपरीत आज भी कोई बात करेगा तो समाज उसको मानने के लिये तैयार नहीं होगा। ऐसी प्रगाढ़ आधार पर वाली संस्कृति और सभ्यता, उस देवत्व के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं तो वह प्रोफेशनल नहीं हो जाये। अगर वह कम्प्यूटर विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी का कोर्स संचालित करेगा तो फिर उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिये वह कम्प्यूटर के फोंट में ऐसा सिस्टम पैदा करे, कम्प्यूटर का ऐसा स्कोप पैदा करे, साफ्टवेयर पैदा करे कि आज भी दुनिया का कोई बड़े से बड़ा ज्योतिषी अगर ज्योतिष विज्ञान की गणना करता है तो फिर वह कम्प्यूटर का सहारा लेता है। जन्म-पत्री बनाता है तो कम्प्यूटर का सहारा लेता है। हमारे यहां का अध्यात्म, हमारे यहां की संस्कृति, हमारे यहां का वैदिक साहित्य और हमारे यहां की जो ज्योतिष विद्या है, जिसकी जनक भी संस्कृत रही है, संस्कृति रही है, आज भी उसकी गणना को दुनिया का खगोल विज्ञान भी चैलेंज नहीं कर पाता। यह जंत्री देखकर हमारे यहां के पंडित लोग कह देते हैं कि इस तारीख को सूर्यग्रहण होगा और इस तारीख को चन्द्रग्रहण होगा या इस तरीके का मौसमी बदलाव होगा तो आज भी हमारे वैदिक साहित्य की, संस्कृत साहित्य और ज्योतिष शास्त्र की गणनाओं के आधार पर जो निष्कर्ष आते हैं, आधुनिक ज्ञान-विज्ञान भी उसको चुनौती नहीं दे सकता। इसलिये जो कुछ भी प्रौद्योगिकी डवलप हो, वह विज्ञान की प्रौद्योगिकी हम अन्य क्षेत्रों में लगातार डवलप करते जा रहे हैं। वह संस्कृत प्रौद्योगिकी हो, वह संस्कृत के प्रोग्राम हो,

(श्री प्रहलाद गुंजल)
वह पत्रकारिता से जुड़ा हुआ विषय हो, सामाजिक जीवन को समझने का, सामाजिक भाव को विचार करने का, संस्कृति के साथ उसका तालमेल क्या है, एक नया विचार, एक नया अनुसंधान, एक नया मार्गदर्शन, वह तमाम, सारा का सारा केन्द्रीकरण और इसके लिये कई बार जब विश्वविद्यालय का, मैं समझता हूं एक अच्छा काम हो रहा है और नकारात्मक बात करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है और संस्कृत के विषय पर पहले तो हम यह तय करें कि जगद्गुरु रामानन्दाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय को नई ऊर्जा दें, नई जान दें, नई ताकत दें, उसको देश-दुनिया की आस्था का केन्द्र बनायें। उसमें होने वाले खगोलीय, भौतिक और वैज्ञानिक अनुसंधान, जिसको हम हमारी संस्कृत, साहित्य और ज्योतिषी की भाषा में, उस भाषा में रिसर्च के मुकाम और पैमाने तक पहुंचायें और तब लगेगा कि सरकार गम्भीर है।

हम केवल सदन में एक निजी वैदिक विश्वविद्यालय को आज अधिनियम बनाकर अधिनियम कर देंगे, लेकिन यह काम वह करे जिसका संबंध वेदों से है। वेदों का ज्ञान-विज्ञान इस संसार में मौजूदा सम्पूर्ण विज्ञान से अनन्त गुणा ज्यादा है। उस पर तो मेरा इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना समझता हूं, जितनी-सी जानकारियां की हैं, हमारे वेदों के ज्ञान-विज्ञान के सामने दुनिया का आधुनिक ज्ञान बौना है। लेकिन उसी पर ही हमारा शैक्षिक दृष्टिकोण होगा। इसकी मोनिटरिंग के लिये लगातार जब कभी भी विश्वविद्यालय का कोई बिल इस हाउस में आता है तो उच्च शिक्षा नियामक आयोग की मांग होती है।

अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस विषय में बात कही है। मैं भी अनुरोध करूंगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जिस उद्देश्य का लेकर संस्कृत, वेद, ज्ञान, विज्ञान और जिसने हमें विश्व गुरु की मान्यता दी, दुनिया में एक पहचान दी, उस मौलिक चिन्तन की ओर बढ़ रहे हैं, उस एजुकेशन पर रिसर्च करना चाहते हैं और निजी क्षेत्र की एक संस्था, उस पर आगे की पंक्ति में आकर खड़ी हुई है तो मैं समझता हूं, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। एक्ट बनाकर उसको काम करने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए लेकिन वह उसी थीम पर काम करे और एक मौलिक चिन्तन समाज में, देश, दुनिया में उसका एक आधार खड़ा करे संस्कृत, सभ्यता, हमारे साहित्य का, हमारे ज्योतिष का, इसके लिए नियामक आयोग और सरकार की मोनीटरिंग क्या हो, ये सारी चीजें भी जरूरी हैं।

मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री सभापति: धन्यवाद माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य श्री भंवर सिंहजी (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री सुखरामजी विश्नोई (अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री फूल चन्दजी भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापतिजी, श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 राजस्थान में पिछले दस वर्ष में काफी निजी विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं और प्रदेश का सौभाग्य है कि राजस्थान उच्च शिक्षा में अधिकांश राज्यों में औसत से ऊपर है। जैसे पूरे भारतवर्ष में 54 हजार पर एक कालेज है और हमारे प्रदेश में, वैसे झुन्झुनूं तो 12 हजार पर एक कालेज है, जहां माननीय प्रधान मंत्रीजी आये थे, सीकर भी 21 हजार पर है और औसत 39 हजार पर एक कालेज है। ऐसा हमारा सौभाग्य है और विश्वविद्यालयों में हमारा लगभग एक नम्बर पर है, विश्वविद्यालयों की संख्या में। निजी महाविद्यालय काफी संख्या में बढ़े हैं और बार-बार शिकायतें भी आती हैं। उसके बारे में सरकार ने घोषणा भी की है, कन्ट्रोल आथोरिटी बनाने के लिए। यह जो वैदिक विश्वविद्यालय है, विश्व में हमारी ख्याति है कि वैदिक काल का जो साहित्य है, वह इतना रिच है, इतना श्रेष्ठ है, इतना सत्य है, इतना वैज्ञानिक है जितना विश्व में कहीं नहीं है।

जैसे मैं उदाहरण दूं 1968 में अमेरिका चांद पर गया। मैं भी राजस्थान कालेज का विद्यार्थी था तब। फिर वहां से मिट्टी लाये, वह दिखाई। कुछ दिनों बाद मुझे अजमेर में एक वैदिक सम्मेलन में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऋग्वेद में तो यह लिखा हुआ है कि चन्द्रमा शून्य है। इसका मतलब न हवा है, न पानी है, न आक्सीजन है और न मनुष्य है और वही निकला। आठ हजार वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने कहा कि चन्द्रमा शून्य है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गुरुजी, आप गये थे क्या चांद पर? (व्यवधान)

श्री सभापति: इस पर नहीं बोलना। माननीय सदस्य विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): सभापति महोदय, कोई मौलिक विचार आ रहा होगा माननीय सदस्य के मन में।

श्री सभापति: मौलिक विचार बाद में, इनका टर्न आयेगा तब।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): चांद पर हम बाद में गये न। लेकिन हमारे पूर्वज यहां से बैठे-बैठे ही चले गये और कह दिया कि चन्द्रमा शून्य है। वह आज साबित हो गया।

एक माननीय सदस्य: गुरुजी का नाम कहां चल रहा है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपका नाम मुख्य मंत्री के लिए सीरियसली चल रहा है। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आप दोनों के प्रांगण में आ रहा हूं मैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्योंकि हमको उधर आना है तो आप तो इधर ही आओगे न।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वहां नहीं, अथर्ववेद की एक ऋचा बता रहा हूं। अथर्ववेद की आप कल्पना नहीं कर सकते। अथर्ववेद में एक जगह यह आता है कि ब्रह्माजी ने इन्द्र को कहा कि इन्द्र जाओ और सरस्वती के किनारे जहां पानी है, वहां जाकर जौ की खेती करो और धीरे-धीरे करके उसको अमृतमय बनाओ। यह ऋग्वेद में लिखा है, आप जानते नहीं हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जाटों के बारे में कोई शक है क्या?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक वेद में यह लिखा हुआ है कि भारत में 64 प्रकार की मिट्टियां हैं, 64 प्रकार के हल हैं। अभी तो आधुनिक एग्रीकल्चर ज्ञान में तो 14 प्रकार के ही हल हैं। उसमें तो 64 प्रकार के हलों का विवरण है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): भिण्डाजी, ज्ञान उनको देना चाहिए जो ज्ञान के योग्य हों। आप इन अपात्र लोगों को क्यों ज्ञान दे रहे हो?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): चलो कम कर देता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जौ की खेती वाली बात माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, उस पर अगर आपकी कोई टीका-टिप्पणी आ जाए, सारा सदन आपकी तरफ देख रहा था कि आप कुछ बोलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैंने तो कहा न, कि जो पात्र हो, ज्ञान उनको देना चाहिए। डोटासराजी और इनको देने से क्या फायदा है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपने शासन 52 वर्ष किया इस देश में। यूरिया ला-लाकर, पेस्टीसाइड लाकर इसको जहरमय बनाया। जबकि हमारा अथर्ववेद कहता है कि इसको अमृतमय बनायें। पूजा में जौ ही काम आता है। यह गेहूं आ गया न, गेहूं महाराज आ गये, इस कारण से डायबिटीज बढ़ रही है। ज्यादा लाभ हुआ नहीं। यह हमारे वेदों में लिखा हुआ। वेदों की ऋचा अब चालू हुई है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

हमारा जो पौराणिक ज्ञान है, हमारा वैदिक ज्ञान है, उसमें श्रेष्ठताएं हैं। कुछ ग्रंथों को तो हमने ऐसा कर दिया कि जैसे यह तो ब्राह्मणों के गोत्र हैं, जैसे भारद्वाज ग्रंथ है, भारद्वाज ग्रंथ में, आप पढ़िए थोड़ा सा, 119 प्रकार के वायुयानों का विवरण है जबकि अभी तो दुनिया में 18 प्रकार के वायुयान बने हैं, 119 प्रकार के वायुयानों का वर्णन है। उसमें पुष्पक विमान भी है। आपने सीरियल देखा होगा, भगवान राम आने वाले थे, अयोध्या में बेचैनी हो गई, आज दीपावली का दिन है, आते नहीं हैं दोपहर तक क्योंकि वह सूर्य भगवान का इन्तजार कर रहे हैं। तब वह देखते हैं कि यह तो भरा हुआ है, हनुमान तो है ही नहीं इसमें। फिर हनुमान को ढूंढते हैं। हनुमान को ढूंढकर लाते हैं तो फिर उसको चौड़ा करते हैं। अभी तो विज्ञान को वहां तक जाना है, जहां भारद्वाज ग्रंथ में लिखा हुआ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, समझ लीजिए। आपको उत्तर देना है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): आपको देना है, उस पर आ रहा हूं मैं। हमारे ब्रहस्पति ग्रंथ में वस्तु कर का भी दिया हुआ है, जो अभी जीएसटी आया है। उसको आप 52 साल में पढ़ लेते तो देश की दुर्गति नहीं होती, जीएसटी नहीं लाना पड़ता। यह हमारे ब्रहस्पति ग्रंथ में है ये सब चीजें। ऋचाओं को पढ़ते तो सही ये।

सभापति महोदय, एक बात कह दूं जो इन लोगों के 52 सालों में पहले ध्यान में नहीं आयी। भ्रष्टाचार बढ़ता रहा। कौटिल्य शास्त्र में कौटिल्य कहते हैं कि...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, सदन में पुरस्कार के लिए इनका नाम क्यों नहीं छांटा? इनसे बड़ा कोई दिख नहीं रहा है।

श्री सभापति: ये आपका और हमारा विषय नहीं है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): उसमें मैरिट नहीं चलती, पसन्द चलती है। ये पसन्द में नहीं थे।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): कौटिल्य शास्त्र में गांव की परिभाषा है। आपने 1952 में प्लानिंग कमीशन बनाया, कोई गांव की परिभाषा नहीं है। पांच हजार की आबादी में से कमीबेशी करके, कौटिल्य शास्त्र में गांव की परिभाषा है। उसमें चार राष्ट्र होंगे, पल्ली होंगे और पनियाले, कुए गांव के

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

विपरीत, ढलान में होंगे ताकि गन्दा पानी गांव में नहीं आये। यहां तक का ज्ञान है कौटिल्य शास्त्र में। कौटिल्य शास्त्र को पढ़ो। विश्वविद्यालय में यह मामला आयेगा।

इतना ही नहीं, वह आपके बारे में कहते हैं। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वह कहते हैं कि समुद्र में मछली कब पानी पी गयी, इसी तरह खजांची कब पैसा खा जाए, इस पर आपने ध्यान दिया होता तो देश भ्रष्टाचार में नहीं जाता। यह भी कौटिल्य शास्त्र में लिखा हुआ है। उसमें है ये चीजें।

मैं विज्ञान पर आता हूं। हमारे वैज्ञानिक जो तथ्य हैं, ये सारे वैदिक साहित्य में है। हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम संस्कृत को पढ़ नहीं पाये, संस्कृत के ज्ञान का विस्तार नहीं हुआ। अब तो फिर भी थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोगों को जाना भी है। मेरा इतना ही निवेदन है कि वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए जैसे कि रामानन्दाचार्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इसी रूप में प्राइवेट सैक्टर में वैदिक जो हमारा ज्ञान है, उसको विकिसित करने के लिए, उसका अनुसंधान करने के लिए, उसको व्यापक बनाने के लिए यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को कहूंगा कि कन्ट्रोलिंग आथोरिटी जितनी जल्दी हो, उतनी जल्दी बने क्योंकि उसमें यह आएगा, आपने चेयरपर्सन लिखा है। वेदों में चेयरपर्सन की कहीं बात नहीं होती है, आचार्य की बात होती है। इसमें हम चेयरपर्सन घोषित कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें कम से कम ऐसी शब्द तो रखो जो संस्कृत साहित्य के अनुकूल हों। वहां चेयरपर्सन, प्रेसीडेंट का क्या मतलब है? ये कोई फैक्ट्रियां थोड़े ही हैं। ये तो ज्ञान के भण्डार हैं, ज्ञान के मन्दिर हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि एक अच्छा विश्वविद्यालय लाया जा रहा है। धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हनुमानजी बेनीवाल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, जनमत जानना है या नहीं जानना है, बोलो तो सही।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वापस तो लेओ उसको।

सभापति महोदय, श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा, (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 ...(व्यवधान) आप इसको ढंग से नहीं पढ़ोगे तो वापिस भूल जाएंगे। इतना बड़ा तो नाम है। आप इसको यहां लेकर

(श्री हनुमान बेनीवाल)

आये। श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर है या कमठान, क्या लिखा है यह? निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 लेकर आये हैं आप।

(18.00 बजे)

श्री सभापति: अब बात यह है यह तो छोड़ो, दूसरे विषय पर बोल देना, जाने दो इसको।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सुनो, मैंने पहले भी नहीं बोला था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वो चूरू में इनके हैं न 'कांदा खाया कमधजा', तो वो कमधज है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आगे वाला मत बोल देना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बो कोनी बोलूं।

श्री सभापति: वो बाहर बोल देना, बाहर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): या तो पूरा इसको, 'कांदा खाया कमधजा।'

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पूरा करने का काम तो आपको है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उसको तो मैंने दे दिया खुद ही, पहले ही दे दिया था।

सभापति महोदय, आज वैदिक शिक्षा की बात आयी और हमारे प्रोफेसर साहब, भिण्डा साहब ने जोरशोर से हम सब का ज्ञानवर्धन किया। निश्चित रूप से हम कोई वैदिक विश्वविद्यालय के खिलाफ नहीं हैं लेकिन अच्छा होता आप सरकारी यूनिवर्सिटी इसकी खोलते तो इसका ज्यादा अच्छा मैसेज जाता। फिर आपने किसी न किसी को आब्लाइज करने के लिए यह चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा के अन्दर इसकी शुरूआत की। अगर हम मना भी करेंगे तो बिल तो आप पास करोगे ही, ये तो तय है कि वो तो बिल पास होना ही है।

कृपलानी जी का आदमी है क्या कोई? तो फिर कम बोलें, हैं?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): मेरी विधान सभा में ही है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अच्छा, आपका ही है क्या? (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पहले कह देते तो हम बोलते ही नहीं। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपके पक्ष में बोल देंगे।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): बोल दो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): निश्चित रूप से आज वैदिक शिक्षा की बात आयी है तो, सभापति महोदय, हमारी मौलिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ये बिल लाई मगर अफसोस यह है कि शिक्षा की प्राचीन पद्धति को प्रत्येक सरकारी यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अलग से सेक्शन बनाते या सरकारी यूनिवर्सिटी स्थापित करते तो इसका अच्छा संदेश राजस्थान के अन्दर जाता।

चूंकि वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, ज्ञान इत्यादि। अब आप यह मत पूछना मैं यह किस से पूछकर आया हूं।

श्री सभापति: यह आपको किसने लिखकर दिया है?

एक माननीय सदस्य: आप तो खुद ही ज्ञाता हो, किस से पूछोगे। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वर्तमान ज्ञान के आधार पर वैदिक काल लगभग 1700, 900 ईसा पूर्व से भारत में शिक्षा की शुरूआत मान सकते हैं, वैदिक शिक्षा शब्द का प्रयोग इस अवधि में प्रयुक्त शिक्षण पद्धति के अर्थ में किया जाता है, एक व्यापक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग उस शिक्षा पद्धति के लिए किया जाता है जो पूर्व वैदिक काल से प्रारम्भ हुई।

सभापति महोदय, चूंकि मैं भी विश्वविद्यालय, कालेज की राजनीति से विधान सभा के अन्दर आया हूं, निश्चित रूप से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को लेकर, कालेज की स्वायत्तता को लेकर हमेशा हम यहां मामले उठाते रहे हैं और यह प्राइवेट बिल सरकार लेकर आयी है। पिछली बार जब आप लोग विपक्ष में थे तो नियामक आयोग की बात रोज करते थे कि नियामक आयोग बनना चाहिए, कांग्रेस की सरकार प्राइवेट विश्वविद्यालयों को जमीनें दे रही है, बंदर बांट हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य से सवा चार साल निकलने के बाद भी आज आप नियामक आयोग नहीं बना पाये। कालीचरण जी जब इस विभाग के मंत्री थे तो इन्होंने भी घोषणा की थी कि नियामक आयोग बनाया जाएगा और सरकार के नियंत्रण के अन्दर होगा। ठीक है बीच में महकमे की अदला-बदली हो गयी तो अब हम उम्मीद करते हैं, इतनी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जल्दबाजी के अन्दर आज की आज आप इसको पारित कराओ, इसकी आवश्यकता नहीं, तीन-चार महीने के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करते तो ज्यादा अच्छा रहता।

सभापति महोदय, मेरा तो इसके अन्दर इतना ही निवेदन है कि आपने प्राइवेट विश्वविद्यालयों को जगह-जगह जमीनें आबंटित कीं, जगह-जगह प्राइवेट विश्वविद्यालयों को ऑब्लाइज भी किया लेकिन वो अपने मापदण्डों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। कई तो गुंडागर्दी के अड्डे बन गये। यहां हमारे जगतपुरा के अन्दर जो एक निजी विश्वविद्यालय है, जिसका जिक्र कई बार आया था, उसमें तो इतनी गुंडागर्दी, साहब, वहां पर 15 हजार, 20 हजार, 50 हजार के अन्दर आपको जो भी डिग्री लेनी है वो डिग्री देने के लिए विश्वविद्यालय तैयार है और +++ का वो विश्वविद्यालय जहां तीन छात्र सैल्फी लेने के लिए खड़े थे, गार्ड ने उसको टेलीफोन पर पूछा कि लड़के कोई सैल्फी ले रहे हैं, उसने कहा उनको गोली मार दो, इतना दिमाग खराब है उस विश्वविद्यालय का मालिक जो विश्वविद्यालय चला रहा है। उसको खूब जमीनें दीं और पूर्ववर्ती सरकार ने भी +++ को मदद की और जमीनें दीं। तो यह तो मिलाजुली का खेल राजस्थान के अन्दर चल रहा है और हम चाहते हैं कि जो 70 साल का मिलाजुली का खेल है राजस्थान के अन्दर, इसको खतम किया जाए। राजस्थान के आम जन को, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मिले। आप रोजगार के साधन सृजित करें। आखिरी पांच साल में आपने रोजगार 1 लाख 8 हजार लगाने की बात की है, मुझे नहीं लगता कि सितम्बर तक जब आचार संहिता लगेगी उससे पहले-पहले आप यह कर पाओगे। दुर्भाग्य इसी बात का है कि जो सत्ता के अन्दर रहता है वो अपना टाइम पास करता है और विपक्ष के अन्दर जो रहता है वो कहता है कि हम आयेंगे तो ये कर देंगे। ऐसा सुनते-सुनते 70 साल निकल गये और आज आजादी के 70 साल बाद, सभापति महोदय, बेरोजगारी से तंग आकर राजस्थान का जवान आत्म हत्याएं कर रहा है।

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खतम हो गयी 000

एक माननीय सदस्य: 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करें।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: आसन को सम्बोधित करें आप। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): 000

श्री सभापति: कौनसा?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): 000

श्री सभापति: कौनसा व्यक्तिगत है?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): 000

श्री सभापति: क्या?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करें प्लीज।

(सभापति महोदय ने हाथ के इशारे से अंकित नहीं करने का आदेश दिया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नहीं, सभापति महोदय, इस प्रकार अगर ...(व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आरोप लगाने से पहले कोई नोटिस दिया क्या इन्होंने?

श्री सभापति: आप विराजें। आप सभी विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): नोटिस छोड़ो इस तरह बोल ही, बात ही नहीं कर सकते।

श्री सभापति: यह अंकन नहीं होगा। माननीय सदस्य, मुद्दे पर बोलें नहीं तो मुझे अभी बंद करना पड़ेगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बिल पर आ जाता हूं। अब तो वैसे ही जाएंगे, बंद क्या करोगे आप, साहब, हम भी जल्दी में ही हैं।

श्री सभापति: बंद करें फिर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पांच-दस मिनट बोलने दो, बढ़िया बात है।

श्री सभापति: मैं नैक्स्ट नाम पुकारूं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता के लिए कोई सिस्टम, कोई सिस्टम नहीं है। चाहे जिसको अंक बढ़ा दिये, चाहे जिसको नकल करा दी, एग्जाम करा रहे हैं। आपने पहले भी तीन यूनिवर्सिटी खोली थीं, आपने शेखावाटी विश्वविद्यालय खोला था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: एक्सपंज करें। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, आप मेरे को सम्बोधित करें, आसन को सम्बोधित करें, आप उनसे बात ही क्यों करते हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: आप आसन को सम्बोधित करें, आपस में बात नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री सभापति: आप आसन को सम्बोधित करें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): 000

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): 000

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: मेरा निवेदन है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ठीक है, साहब।

श्री सभापति: एक सैकिण्ड, अब रुकें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: हमारे इस सदन की गरिमा है, उस गरिमा के अनुरूप ही कोई वक्तव्य दें, प्लीज।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरे को डिस्टर्ब क्यों करो, मैं दो मिनट बोल लूं।

श्री सभापति: यह सब्जी लाना नहीं लाने का विषय कोई हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): साहब, मैं तो आराम से बोल रहा हूं, क्यों इस तरह।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): वैदिक विश्वविद्यालय के बिल पर चर्चा हो रही है...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हम तो चाह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: वो रिकार्ड पर नहीं आया है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): कालीचरण जी से क्या लेना देना है?

श्री सभापति: वो रिकार्ड पर नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): कालीचरण जी का नाम लेने की क्या जरूरत थी? यह इनके डिपार्टमेंट का मैटर है क्या?

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, वो रिकार्ड पर नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): इनके डिपार्टमेंट का मैटर थोड़ी है?

श्री सभापति: रिकार्ड पर नहीं है, बोल दिया न आपको।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): सब्जी और पनीर और पता नहीं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप क्यों खड़े हो रहे हो, सीनियर मंत्री हो, आप बार-बार खड़े हो जाते हो, अच्छा थोड़ी लगता है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हां भी भर लें तो क्या इनका मंत्री पद थोड़ी जा रहा है, भर लो एक मिनट में, क्या फर्क पड़ता है, बात खतम हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सर, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं, ठीक है।

एक माननीय सदस्य: बिल पर तो बोलना आता ही नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या? (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यहां राजनीति के अन्दर जिनको कुछ नहीं आता है न वो ऊंचे पदों पर चले जाते हैं और जो ज्यादा भाषण झाड़ते हैं वो विधान सभा से बाहर होते हैं। आना जरूर नहीं लोग होने चाहिए पीछे और हमें सब आता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपकी क्या मंशा है? क्या इच्छा है आपकी?

श्री सभापति: कृपया विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इसका कोई हमें आपको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, 2013 में प्रमाण दे दिया था, आपने पूरी ताकत लगा दी थी और 2018 में फिर आ जाना। अब की बार हम जरूर कई लोगों का इलाज करेंगे, ठीक है न। आप यह कह रहे हो न बार-बार।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, एक मिनट।

प्राइवेट विश्वविद्यालय का जो बिल ला रहे हो, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप मत लाओ, मैं कहूंगा तो भी आप लाओगे लेकिन, साहब, मेरा तो इतना ही कहना है कि आज आपने जगह-जगह भ्रष्टाचार के अड्डे बना दिये। पहले जोधपुर के जिस विश्वविद्यालय के अन्दर, आपको भी मालूम है आपने भी उसका विरोध किया था, 20 हजार फर्जी डिग्रियां बांट दीं। अब आपने कई लोगों को जांच कराकर पकड़ा भी था लेकिन उन 20 हजार में से दस-पन्द्रह हजार लोग पकड़ में नहीं आये, वो कोई उड़ीसा में नौकरी कर लेगा, कोई बिहार में कर लेगा और जो फर्जी डिग्री से नौकरी करेगा न तो फिर, राठौड़ साहब, जीवन के अन्दर फर्जीवाड़ा ही करेगा।

इसलिए मेरा यही है कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों की दादागीरी आप खतम करो, आप नियामक आयोग लाओ और नियामक आयोग लाने के बाद अगर आप प्राइवेट विश्वविद्यालयों को परमिशन देते तो ज्यादा ठीक रहता। ये तो लैंड बैंक बनाकर बैठे हैं, जमीन आप से ले लेते हैं, चाहे जैसी व्यवस्था कर लेते हैं। कोटा के अन्दर आपने एक कालेज के लिए जमीन दी 44 हजार गज, 20 हजार गज में तो उसने कालेज बना लिया और बाकी 20 हजार गज में बना दिये बंगले और विला और लोकायुक्त ने भी उसके अन्दर एफ.आई.आर. का आदेश दिया था। अब आप करो कि नहीं करो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यह जो आनन-फानन के अन्दर आप बिल ला रहे हो, इनसे कोई अच्छा मैसेज राजस्थान के अन्दर नहीं जा रहा। मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो तो राजस्थान की जनता जब चुनाव में जाओगे तो अपने आप ही आपको बता देगी। और मुझे तो इतना-सा जरूर कहना था कि मंत्रीजी को चेंज करके बनाया है तो पहले जलदाय विभाग को डुबो दिया आपने, अब इसको क्यों डुबों रहे हो आप, मैं यह कह रहा हूं। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: विराजें, माननीय सदस्य।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पूरा का पूरा इसका बंटा धार है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, धीरज जी गुर्जर (अनुपस्थित)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): लोग राजस्थान में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं आएंगे। जिस तरह आरपीएससी का बंटा धार हुआ, उसी तरह राजस्थान के अंदर शिक्षा का बंटा धार आप लोग करोगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शंकरसिंह जी राजपुरोहित। माननीय श्री शंकरसिंह जी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): और 2018 में बाहर एक्स एमएलए के तौर पर पाओगे अपने आपको।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति जी, श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018, यह विश्वविद्यालय का बिल है और वास्तव में वैदिक विश्वविद्यालय इस देश की परम्परा रही है कि नालंदा और तक्षशिला जैसे, जहां दुनियाभर के विद्यार्थी यहां पढ़ने आया करते थे और उसी परिणिति के आधार पर आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी का बिल लाए हैं,...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): हिन्दुस्तान का यह पहला वैदिक विश्वविद्यालय है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): यह आपने आप में बहुत बढ़िया कदम है। माननीय सभापति महोदय, वास्तव में इन चीजों का, जिन बातों का आप अनुभव करते हो, अनुभूत करते हो, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है। कई बातें ऐसी हैं। आज भी गांवों में ऐसे पुराने लोग, जिनको वैदिक गणित का अनुभव है, चाहे वे 101 साल की पंचांग के माध्यम से हो, वे आज भी पता लगा सकते हैं कि बादल का जब गर्भ आता है न, वे यह कह देंगे कि इतने महीने की इतनी तारीख को यह बादल बरसेगा, यह वैदिक गणित का एक भाग है, यह वास्तविकता है।

अब इस चीज को हम जानते हैं, अनुभूत करते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि ऐसी वैदिक यूनिवर्सिटी के बिल पर जिस तरह से हमारे साथी चर्चा का माध्यम बनाते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है। कहीं न कहीं अच्छी बात तो करो। पहले तो यह बताओ कि आज वैदिक यूनिवर्सिटी को लाने की हिम्मत तो की है। इस बिल को लाने की हिम्मत की है। निश्चित रूप से अगर आप एक कदम चलोगे, 10 कदम चलोगे, 10 कदम चलते-चलते आपके शायद 2 कदम कहीं गलत होंगे, 8 कदम तो आपके सही हुए न। आखिर कोई न कोई बात तो आपकी सही होगी।

सही बात को कबूल करो। उलटी बात को कबूल करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी अगर कहीं उसमें गड़बड़ होगी तो उसका भी सुधार होगा। आज बिल आ गया है और सारा विषय एंड हो गया है, ऐसी बात नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब तो है ही नहीं सदन कल से।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभापति महोदय, आप जब इस अनुसंधान के सीरियल को पढ़ोगे तो पढ़ते-पढ़ते भी एक वास्तव में मन में स्वाभिमान जागता है, मन में इस प्रकार का विचार आता है कि इस शिक्षा को

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

देने की कोशिश किसी विश्वविद्यालय ने की है और उसके संबंध में हम बिल लाए हैं। वेद और वेदान्त, अगम, धर्मशास्त्र, पुराण और इतिहास, भारतीय दर्शन, सांस्कृतिक साहित्य और शिक्षा पद्धति, शिल्प वास्तु, मूर्ति वास्तु और वास्तु योजना एवं ललित कलाएं, पत्रकारिता एवं जन संचार, आतिथ्य पर्यटन एवं होटल प्रबंधन, आयुर्वेद।

माननीय सभापति महोदय, यह आयुर्वेद जो विषय है, इसके साथ इस विश्वविद्यालय में गोशाला और उसके भी अनुसंधान के विषय लिखे हैं, तो मैं इस आयुर्वेद के साथ एक पंचगव्य, मतलब वैज्ञानिकों ने इस बात को सराहा है कि गोमूत्र और गाय का दूध, गाय का गोबर और इन सारी बातों से जो पंचगव्य बनेगा, वह शरीर के अनेक ऐसे रोगों को दूर करेगा, तो इस आयुर्वेद में गो-निर्मित पंचगव्य, यह भी सिलेबस में जोड़ा जाए तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो हम कल्पना कर रहे हैं कि गोवंश को बचाने के लिए, वास्तव में गोवंश को अपने पांवों पर खड़ा करने के लिए अगर गाय घर में पालेगा तो उसको दूध के अलावा दूसरी आय भी गाय देगी। चाहे गोमूत्र है, चाहे गोबर है, इस प्रकार की औषधि से संबंधित आयुर्वेद में डालेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

अंत में सभापति महोदय, यह एक बहुत अच्छा राजस्थान के लिए स्वाभिमान का विषय है कि वैदिक गणित पर ऐसे विश्वविद्यालय का बिल जो आप लाए हैं, मैं इसका बहुत समर्थन करता हूं और मैंने जो जनमत जानने के लिए दिया, उसको मैं वापस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार जी (अनुपस्थित)। माननीय प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति जी, श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 पर हमारे सभी विद्वान सदस्य, बहुत सारे तो इनमें से बोलकर चले जाते हैं और इन्होंने जो यहां पर अपने विचार व्यक्त किए, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूं और उन्होंने किन्हीं-किन्हीं विषयों पर अपनी चिंता जाहिर की, उसका भी मैं यहां पर उनको उत्तर दूंगी, लेकिन इससे पहले मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहूंगी कि एक ऐसा अच्छा विश्वविद्यालय, जो राजस्थान में आ रहा है और जिसका विधेयक यहां पर रखते हुए मैं यह कह सकती हूं कि प्राचीन काल में जो हमारा देश न सिर्फ सम्पदा के कारण सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन शिक्षा के केन्द्र के रूप में भी इसकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

प्राचीन भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे उच्च शिक्षा के केन्द्र भारत को विश्व गुरु का सम्मान दिलाते थे, इन्हीं शिक्षा के केन्द्रों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में ज्ञान की लालसा रखने वाले विद्वान भारत की ओर आकृष्ट हुए और इन विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र, दर्शन, वास्तु, ज्योतिष, कृषि जैसे विषयों पर शिक्षा उपलब्ध कराई जाती थी तथा विभिन्न विषयों का अध्ययन, अध्यापन गुरु-शिष्य परंपरा के अंतर्गत होता था। भारत की यह गुरु-शिष्य परम्परा शिक्षा प्रदान करने के श्रेष्ठतम माडल्स में गिनी जाती थी और आज भी जनमानस में इसकी पैठ बनी हुई है।

माननीय सभापति जी, देश में शास्त्रीय संगीत, वाद्य संगीत, नृत्य इत्यादि के क्षेत्र में आज भी यह गुरु-शिष्य परम्परा जीवित है। देश में एक लंबे अरसे तक संस्कृत और स्थानीय भाषाओं में लगभग सभी विधाओं में कालजयी ग्रंथों की रचना की गई, जिनके ज्ञान से तथाकथित आधुनिक विश्व के विद्वान भी प्रभावित होते रहे और ऐसे अनेक विद्वानों ने अपने जीवन का अधिकांश समय इन्हें समझने और इनके विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने में व्यतीत कर दिया।

माननीय सभापति जी, कालांतर में प्राचीन शिक्षा के ये केन्द्र अनेक कारणों से गुमनामी के अंधेरों में खोते चले गए। लॉर्ड मैकाले द्वारा भारत में लागू की गई अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से परम्परागत भारतीय शिक्षा पद्धति को भारी आघात लगा और गुरु-शिष्य परम्परा के माध्यम से दी जाने वाली परम्परागत वैदिक शिक्षा के केंद्र धीरे-धीरे अपना अस्तित्व खोते चले गए। 200 वर्षों की अंग्रेजी पराधीनता ने भारतीय ज्ञान, भारतीय ग्रंथों, वैदिक शिक्षा पद्धति को धीरे-धीरे भुला दिया। सभी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना नहीं, भारतीय परम्परा के गौरव का उत्थान करना नहीं था, बल्कि उनका सीधा-सा उद्देश्य भारत में अंग्रेजी हुकूमत कायम करने के लिए कुछ बाबुओं को तैयार करना था।

माननीय सभापति जी, ऐसे संकीर्ण उद्देश्य से प्रचलित की गई अंग्रेजी शिक्षा भारतीय जनमानस के हृदय के निकट न होने के कारण लोकप्रिय नहीं हो पाई और इसी कमी के कारण भारतीय न सिर्फ अपने समृद्ध ज्ञान की परम्परा से दूर होते चले गए, बल्कि हमारे देश की गिनती भी कम नामांकन होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े देशों में होने लगी।

माननीय सभापति जी, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से समाज में पैठ बना चुके लोगों के कारण इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ और इसी प्रकार की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के केन्द्र स्थापित

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

एवं विकसित होते गए। भारतीय ज्ञान को भारतीय पद्धति से जनसाधारण तक पहुंचाने के कोई व्यापक प्रयास लंबे समय तक नहीं हो पाए।

माननीय सभापति जी, भारतीय वैदिक साहित्य, जो कि ज्ञान का अथाह भण्डार है तथा जिन पर प्राचीन भारत में सैकड़ों ग्रंथ एवं टीकाएं लिखी गईं, उन्हें उपेक्षित रखना हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है और इसलिए, देश में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है,....

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, ये तो पढ़ रही हैं।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, पढ़ नहीं रही हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पढ़ रही हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): मैं पढ़ भी रही हूं और बोल भी रही हूं। मैं आपकी तरफ नहीं देख रही हूं, मैं चेयर की तरफ देख रही हूं।

श्री सभापति: हां, आसन को सम्बोधित करके अपना वक्तव्य दें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): आप कहें तो मैं आपकी तरफ देखूं। चेयर की तरफ देखना जरूरी है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप इनकी तरफ देखो, साहब।

श्री सभापति: आप आसन को सम्बोधित करें साहब।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आप इनकी तरफ देखो और बीच-बीच में भी देख लो साहब।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): मैं देख नहीं सकती न।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं-नहीं, ज्यादा सुन्दर कौन है उधर देखो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सुन्दरता का सवाल नहीं है। मैं जो बात उठाई वो...

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री सभापति: आप आसन को सम्बोधित करते हुए अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हम मैडम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इधर भी देखो और हमारी तरफ भी देखो। चारों तरफ देखो आप, सबको देखो आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति जी, देश में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां संस्कृत शिक्षा के अध्ययन-अध्यापन के लिए एक अलग से संस्कृत विभाग भी कार्यरत है। जिसमें प्रथम कक्षा से लेकर विद्यार्थियों को कालेज तक संस्कृत शिक्षा पढ़ाई जाती है। इस संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1797 राजकीय एवं 488 ऐसी निजी संस्थाएं हमारे यहां संचालित हो रही हैं। संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा बने इसके लिए भी संस्कृत विभाग की सभी संस्थाओं में जुलाई, 2014 से जुलाई मास को सम्भाषण मास के रूप में लेते हैं और इसमें संस्कृत सम्भाषण शिविर, संस्कृत निबन्ध प्रतियोगिता, संस्कृत वाद-विवाद प्रतियोगिता और संस्कृत श्लोक पाठ प्रतियोगिता इत्यादि हम लोग आयोजित करते हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अपने बजट भाषण में एसटीसी महापुरा को एसएसआईईआरटी, जो स्टेट संस्कृत इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। संस्कृत शिक्षा में कार्यरत सभी शिक्षकों का प्रशिक्षण इस संस्था द्वारा करवाया जा रहा है और इसमें विषयगत प्रशिक्षण के साथ-साथ संस्कृत सम्भाषण का भी प्रशिक्षण देना सुनिश्चित किया जा रहा है।

राज्य में राजकीय क्षेत्र में पृथक से एक संस्कृत विश्वविद्यालय जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में संचालित है जो न सिर्फ संस्कृत अध्ययन-अध्यापन कराता है बल्कि समस्त संस्कृत महाविद्यालयों को एफिलिएशन भी प्रदान करता है।

माननीय सभापति जी, आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने योग को सम्पूर्ण विश्व के अन्दर प्रतिष्ठित करने के लिए 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने हेतु मान्यता प्रदान करवाकर भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ाया। इसी से प्रेरणा लेकर जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में योग केन्द्र की स्थापना 2015-16 में की गई। हमारी इच्छा है कि इस योग केन्द्र की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ख्याति हो और इसके लिए यूनिवर्सिटी में टीचिंग सेमिनार रूम एवं योग साधना केन्द्र का निर्माण हो चुका है। इस योग केन्द्र के अन्दर स्नातकोत्तर योग चिकित्सा डिप्लोमा, योग विज्ञान शास्त्री एवं योग विज्ञान आचार्य के पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं जिसमें लगभग 360 ऐसे विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

माननीय सभापति जी, प्रदेश में राजस्थान संस्कृत अकादमी भी कार्यरत है जो प्राचीन ग्रन्थों का संरक्षण एवं संवर्धन करने, विद्वानों का सम्मान करने, वेद विद्यालय खोलने एवं उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करने का कार्य सम्पादित कर रही है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

माननीय सभापति जी, हम सबने वैदिक विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना के सन्दर्भ में यहां पर मैं बताना चाहूंगी कि यह निजी विश्वविद्यालय श्री कल्लाजी वेदपीठ एवं शोध संस्थान, कमधज नगर, कल्याण नगरी, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। संस्था को राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय हेतु निम्बाहेड़ा-उदयपुर मार्ग पर जावदा ग्राम में 30 एकड़ भूमि आरक्षित दर पर 50 प्रतिशत रियायती दर पर उपलब्ध कराई गई है। इस विश्वविद्यालय की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इसे एंडोमेंट फण्ड संधारित करने हेतु नियमों में निर्धारित राशि 2 करोड़ रुपये में भी 50 प्रतिशत छूट दी गई है। इस प्रकार संस्था ने एंडोमेंट फण्ड के रूप में एक करोड़ रुपया यहां पर जमा करवाया है। संस्था द्वारा एक लाख वर्ग फीट से अधिक का परिसर दिव्य भवनों के रूप में निर्मित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय के भौतिक संसाधन, कक्षा कक्ष एवं अन्य सुविधाओं पर लगभग 17 करोड़ रुपये जन-सहयोग से व्यय किए जा चुके हैं एवं आगामी 5 वर्षों में विश्वविद्यालय के विकास हेतु मानव एवं भौतिक संसाधनों की आवश्यकता हेतु लगभग 50 करोड़ रुपये की राशि व्यय करने की योजना है।

माननीय सभापति जी, संस्था एवं इससे जुड़े सैकड़ों लोगों के सहयोग से वैदिक विश्वविद्यालय में एक समृद्ध ग्रन्थागार तैयार किया गया है जिसमें लगभग 15 लाख रुपये मूल्य के वेद, पुराण, संहिताएं, ज्योतिष, इतिहास, आधुनिक शिक्षा के विभिन्न धर्मों के साहित्य आदि के 10 हजार से अधिक ग्रन्थों एवं पुस्तकों का संग्रह किया जा चुका है। प्रायोजक संस्था इस ग्रन्थागार को और समृद्ध बनाने की पुरजोर कोशिश के साथ ई-लाइब्रेरी स्थापित करने का भी प्रयास कर रही है। वर्तमान में इस ग्रन्थागार में केरल से प्रयुक्त किये जाने वाले 111 काष्ठ पात्र संग्रहित किये गये हैं तथा दक्षिणांचल में प्रयुक्त यज्ञ पात्रों को भी संग्रहित करने का प्रयास जारी है।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना से वैदिक ज्ञान एवं अध्ययन के निरन्तर क्षरण को रोकने के लिए ऋग्वेद व समवेद की तीन-तीन, अथर्ववेद की दो तथा यजुर्वेद की छह शाखाओं एवं आयुर्वेद, योगा, ज्योतिष, संगीत आदि के अध्ययन-अध्यापन से जन-सामान्य को जोड़ा जाएगा।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में आगम, धर्मशास्त्र, पुराणों, भारतीय दर्शन, संस्कृत साहित्य, शिल्प और वास्तु कला, वास्तु योजना एवं ललित कलाओं के साथ ओरिएंटल लैंग्वेजेज जैसे पालि, प्राकृत, इण्डो इरानियन आदि के अध्ययन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। परम्परागत भारतीय शिक्षा के

(श्रीमती किरण मीहेश्वरी)

विषयों के साथ-साथ इस विश्वविद्यालय में आधुनिक शिक्षा के विषय यथा कम्प्यूटर साइंस, इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी, फोरेन लैंग्वेज, लॉ, एंथ्रोपोलोजी, ह्यूमेनिटी, जर्नलिज्म आदि के अध्यापन की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

संस्थान की सोच है कि विश्व में व्याप्त विकटतम समस्याओं का समाधान वेद-वेदांगों के अध्ययन से ही निकलेगा। वेदों की ऋचाओं के अध्ययन व अनुसंधान से ही यह राष्ट्र पुन: विश्व गुरु के पद पर सुशोभित होगा।

माननीय सभापति जी, इस विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु आगामी 5 वर्षों में 100 से अधिक विद्वानों को प्राध्यापक के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा वहीं 150 से अधिक नान टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति से 250 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लायमेंट प्राप्त होगा। विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वैदिक शिक्षा एम्प्लायबल होने के कारण यहां के स्टूडेंट्स सेल्फ एम्प्लायमेंट के माध्यम से ससम्मान अपना जीवन-यापन कर सकेंगे। इस विश्वविद्यालय के माध्यम से प्रारम्भिक पांच वर्षों में एक हजार से अधिक छात्रों को वैदिक शिक्षा का अवसर प्रदान करने के साथ ही उनकी अन्य व्यवस्थाओं का दायित्व भी प्रबन्धन समिति वहन करने का प्रयास करेगी।

माननीय सभापति जी, वेदों में गोवंश की महत्ता को ध्यान में रखते हुए संस्थान द्वारा फिलहाल इसी परिसर में मान्यता प्राप्त कल्याण गौशाला संचालित की जा रही है जिसमें 150 से अधिक देशी गोवंश की सेवा की जा रही है जिनकी संस्था में और अधिक वृद्धि कर लगभग एक हजार गोवंश पालकर बायोगैस प्लांट एवं वर्मी-कम्पोस्ट खाद बनाने के साथ ही गोवंश के संवर्धन के प्रयास किए जाएंगे।

माननीय सभापति जी, राज्य सरकार न केवल निजी विश्वविद्यालय को बढ़ावा दे रही है बल्कि इसकी कंटीन्युअस मानीटरिंग कर रही है। जैसा कि अभी माननीय कुछ सदस्यों ने कहा कि बार-बार निजी विश्वविद्यालयों के यहां पर विधेयक लाकर उन्हें पारित किया जा रहा है और उनके ऊपर किसी तरीके का कंट्रोल नहीं है इसलिए मैं कह रही हूं कि यह कंटीन्युअस मानीटरिंग भी हमारी हो रही है और जहां पर भी, जिस जगह पर भी अगर कोई कमी मिलती है तो उस पर भी कार्यवाही की जा रही है। एक बहुत बड़ी कार्यवाही मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगी कि जहां एसओजी द्वारा जोधपुर नेशनल विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा की जा रही अनियमितताएं जब उजागर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हुई तो राज्य सरकार द्वारा कठोर कदम उठाते हुए, लिक्विडेशन करते हुए वहां डिवीजनल कमिश्नर जोधपुर को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। एडमिनिस्ट्रेटर की देखरेख में सत्र 2018-19, इसको लास्ट बैच के रूप में विद्यार्थियों का अध्ययन-अध्यापन पूर्ण होने के पश्चात् इस विश्वविद्यालय का विधिवत विघटन कर दिया जाएगा। भारतीय इतिहास में यह पहला उदाहरण है।

माननीय सदस्य बार-बार कहते रहे हैं कि अनियमितताओं पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही इसलिए मैं यह बताना चाहूंगी कि जिस विनियामक आयोग, रेगुलेटरी कमीशन की हम बात कर रहे थे उसको निजी क्षेत्र में स्थापित उच्च शिक्षा के केन्द्र में शैक्षणिक गुणवत्ता बनाये रखने के लिए यह रेगुलेटरी कमीशन लाने के सम्बन्ध में चर्चा चली थी। इस प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी कमीशन के गठन के लिए प्रयासरत हैं क्योंकि यह जो प्रपोज्ड कमीशन है वो अन्य राज्यों के अन्दर जुडिशियल कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ है और इसलिए इसमें पूरी तरीके से, लीगल काम्प्लीकेशन्स कोई न आये और इसलिए लीगली एग्जामिन कराने के पश्चात् इसको लाने की हम लोग पूरी मंशा रखते हैं। साथ ही जब तक रेगुलेटरी कमीशन नहीं आता है, उससे पहले भी हमने सरकार की ओर से निजी विश्वविद्यालयों के लिए कुछ डाइरेक्शन्स दिये हैं। इन डाइरेक्शन्स के कुछ बिन्दु आपके समक्ष, सदन के अंदर आपके माध्यम से रखना चाहूंगी।

यूजीसी रेगुलेशन्स, 2009 एवं रेगुलेशन्स, 2016 के नियमानुसार केवल अपने विश्वविद्यालय के रेगुलर फैकल्टी के माध्यम से ही शोध का कार्य कर सकते हैं। इस तरीके के डाइरेक्शन्स हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज की जो अनियमितताएं आईं तो उसके अंदर हम लोगों ने जारी किये। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय अथवा निजी महाविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय में कार्यरत किसी भी शिक्षक को शोध निदेशक नियुक्त नहीं किया जाए। इस तरीके का भी एक डाइरेक्शन दिया है।

रिटायर्ड और अर्जेन्ट और विजिटिंग फैकल्टी के अन्तर्गत रिसर्च स्टूडेंट रजिस्टर नहीं किये जाएं, इसका भी एक डाइरेक्शन दिया है।

रिसर्च स्टूडेंट एनरोल करने की जो बात आती है, उसमें भी शिक्षक के साथ निर्धारित संख्या से अधिक रिसर्च स्टूडेंट एनरोल न हो, इसको भी ध्यान रखने के लिए भी निर्देश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को दिया है।

जिन विभागों में पीजी सब्जैक्ट्स संचालित हैं और उन्हीं सब्जैक्ट्स में कम से कम दो रिसर्च सुपरवाइजर उपलब्ध होने की स्थिति में ही रिसर्च स्टूडेंट रजिस्टर हो सकेंगे। इस तरीके के डाइरेक्शन्स भी दिये हैं।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यूजीसी के संबंधित रेगुलेशन्स समय-समय पर जारी पत्रों की पूर्ण पालना की जाये, इस बारे में भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को हम लोगों ने डाइरेक्शन्स दिये हैं।

साथ ही हायर एजुकेशन पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल के ऊपर भी यह सारी जानकारियां उन्हें अपलोड करने के लिए भी हम लोगों ने बाध्य किया है।

निजी विश्वविद्यालयों की जांच के संदर्भ में: मुझे यह बड़ा कहते हुए, माननीय सदस्य यहां पर बहुत सारे एलीगेशन्स लगाते हैं, लेकिन एलीगेशन लगाकर फिर वहां बैठकर उन्हें सुनने की जरूरत नहीं है कि हमने कह दिया और यहां पर दर्ज हो जाये कि इतने सारे विश्वविद्यालयों के ऊपर हम लोगों ने एक्शन लेने की बात कही थी। क्या हुआ? अभी जब कहा तो ये अंदर एंटर हुए। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, और भी दूसरे सदस्य, खींवसर से आने वाले हमारे माननीय सदस्य, इन्होंने बात कही। इन लोगों को जितने डाइरेक्शन्स हम लोगों ने रिसर्च के लिए यहां पर जारी किये, वह तो मैंने बताये ही। इसके साथ-साथ निजी विश्वविद्यालयों की जांच के संदर्भ में उन्होंने बात कही।

पिछली बार यह आया था कि ऐसे नौ विश्वविद्यालय हैं, जिन नौ विश्वविद्यालयों के ऊपर जांच बैठानी थी। क्या हुआ? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी सदन को कि सरकार इसके अंदर बहुत संवेदनशील है। कहीं पर भी अगर कोई भी हमारे सामने शिकायत आती है तो उसके ऊपर तुरन्त कार्यवाही करने की मंशा रखते हैं। ऐसे नौ निजी विश्वविद्यालय हैं, जिनके संदर्भ में हमारे पास में अनियमितताओं के बारे में शिकायतें मिली थीं, उनकी हम लोगों ने त्वरित जांच करने के लिए अलग-अलग समितियों का गठन किया और इन समितियों ने समय-समय पर अपनी रिपोर्ट्स दी हैं। अगर ये रिपोर्ट्स के बारे में मैं कहूं तो दो विश्वविद्यालय, एक तो भगवन्त विश्वविद्यालय, अजमेर और श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना (झुंझुनूं) को उनके अधिनियम की धारा 44 के तहत शो-काज नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त किये गये हैं। यह आगामी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है क्योंकि धारा 44 के तहत जो शो-काज नोटिस है, वह तो लास्ट नोटिस है, जो नोटिस उनको जारी कर दिया गया है और अब इनकी मान्यता समाप्त करनी है, उसकी प्रक्रिया चल रही है।

इसके अतिरिक्त स्पेसिफिक एकेडमी आफ हायर एजुकेशन एवं रिसर्च

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

विश्वविद्यालय, उदयपुर, माधव विश्वविद्यालय, पिंडवाड़ा (सिरोही) को विश्वविद्यालय में पाई गई कमियों को सुधारने हेतु निर्देशित किया गया है।

जहां गम्भीर समस्या है, वहां हम लोगों ने धारा 44 का लिया इन दो यूनिवर्सिटीज में। बाकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जहां पर जो अनियमितताएं थीं, जोकि सुधारी जा सकती थीं, उनको हम लोगों ने कमियों को सुधारने के लिए निर्देशित किया।

इसी तरीके से श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबरेवाल विश्वविद्यालय, चुड़ेला (झुंझुनूं) द्वारा अन्य संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों के माध्यम से पीएच.डी. डिग्री अवार्ड करने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जो जांच में सत्य पाई गई और विश्वविद्यालय अधिनियम के सैक्शन-41(2) के तहत विश्वविद्यालयों को कमियां सुधारने के लिए लिखा गया है। विश्वविद्यालय को स्पष्ट निर्देश प्रदान किये गये हैं कि वह विश्वविद्यालय के फैकल्टी मैम्बर्स को ही रिसर्च सुपरवाइजर नियुक्त करे एवं बाहरी रिसर्च सुपरवाइजर्स को तुरन्त प्रभाव से हटा दिया गया।

ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, चूरू की जांच रिपोर्ट में भी अनियमितता पाई गई थी। इन अनियमितताओं के संदर्भ में विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त कर लिया गया है और जवाब परीक्षणाधीन है और यह एग्जामिनेशन के बाद, एक्ट के प्रोविजन्स के अनुसार इसमें भी आगामी कार्यवाही कर ली जायेगी।

इसलिए यह माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने यह सारी बात कहीं और आज तक कभी यूनिवर्सिटीज के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। जैसा मैंने कहा, नेशनल यूनिवर्सिटी आफ जोधपुर, जिसको कि लिक्विडेशन के अंदर तक की इतनी बड़ी कार्यवाही जो आज तक कभी नहीं हुई, वह कार्यवाही राजस्थान में यहां पर हुई है और इसलिए मैं यह कह सकती हूं कि ये यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो आना चाहिए लेकिन अगर उनके अंदर किसी तरीके की अनियमितता है तो उस अनियमितता के ऊपर रेगुलर मोनेटरिंग होनी चाहिए जो रेगुलर मोनेटरिंग हो रही है।

विश्वविद्यालय के छात्रों को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली जो स्कालरशिप है, उसका भी कार्य हम लोगों ने वेब-पोर्टल के माध्यम से आनलाइन कर दिया। इसके लिए भी सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं और इस कार्य से छात्रवृत्ति वित्त के सदुपयोग एवं उसके सही हाथों में सीधे पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

मानननीय सभापति महोदय, निजी विश्वविद्‌यालय की धारा 45 में नियम बनाने का प्रावधान किया गया है।

अधिनियमों की धारा 33 में शुल्क के संबंध में समिति गठित करने का प्रावधान है। इन धाराओं के प्रावधानों के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया गया है जो शुल्क निर्धारण के संबंध में नियम प्रस्तावित करेगी। इन नियमों के तहत एक समिति का गठन कर बहुत ही जल्दी यह शुल्क भी हम लोग निर्धारित कर लेंगे। यह भी मैं सदन को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी।

क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट में, जो अभी माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, ये जो बात कहते रहे कि हमने यूनिवर्सिटीज नहीं बनाई। पहले टैक्नीकल यूनिवर्सिटी की बात आई तो उनको जवाब मिला। तीन यूनिवर्सिटीज जो घोषणा हुई थी, जो...

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दो ही जने हैं, इनको माफ करो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): नहीं नहीं, माफ तो कर दूं, ये दो ही...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दो ही बहुत हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): ये जो बारम्बार रिपीटेडली बात करते हैं, जो सत्य बात है, उसको स्वीकार इन्हें करना होगा क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज इनकी गत सरकार में तीन यूनिवर्सिटीज अजमेर, अलवर और सीकर की यूनिवर्सिटी सिर्फ कागजों में रही, केवल वीसी लगाये, न कोई लैण्ड दिया, न किसी तरीके का कोई वीसी लगाया, कुछ किया। केवल एक वीसी लगाने से... अब हमने सारी कार्यवाही शुरू कर दी है। लैण्ड अलाटमेंट हो गया, सारा कुछ हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अनुमति दें तो? अनुमति दें तो? माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: पूरा होने दो। इनका वक्तव्य पूरा होने दो। अंकित नहीं हो। (आसन ने संकेत से अंकित नहीं करने के निर्देश दिये)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य जारी रखो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): सब कुछ हो गया। आपको पता ही नहीं है कुछ। आप यहां पर बैठते हो। जिस इम्पोर्टेन्ट पोस्ट

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)
पर आप बैठे हो, आपको कुछ भी जानकारी नहीं। पांच-पांच डिपार्टमेंट्स इन सारी यूनिवर्सिटीज में स्वीकृत हो गये हैं। इनमें 23 लेक्चरर्स...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): आपको पता ही नहीं न सब। क्या नियुक्ति नहीं दी। सैंक्शन हो गये, इसके अंदर टीचिंग स्टाफ, नोन-टीचिंग स्टाफ, लैण्ड अलाट हो गई। लैण्ड के ऊपर बिल्डिंग निर्माण के लिए 12.5 करोड़ रुपये अलाट हो गये। शिलान्यास करने के लिए मैं 14 तारीख को सीकर आ रही हूं। आप भी वहां पर रहना। आपको भी दिख जायेगा कि क्या हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): आपको कुछ मालूम ही नहीं है न, इसीलिए तो मैं कह रही हूं। आपको जानकारी का अभाव है।

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य जारी रखो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मुंगेरीलाल के हसीन सपने सबको अच्छे लगते हैं और माननीय सदस्य सुबह से शाम तक वही देखते रहते हैं। उनको यही दिखता रहता है कि मैं कब यहां आकर बैठूंगा, मैं कब यहां आकर बैठूंगा, इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन ये सिर्फ उनके सपने हैं।

माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी सहभागिता को बढ़ाने के हम सब पक्षधर हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखना, यह भी हम लोगों का दायित्व है। सरकार इस दायित्व को सजगता से निर्वहन कर रही है और आगे भी करती रहेगी और इसलिए मैं यह कहूंगी कि

"हमारी अंगुलियां नब्ज के हालात पर हैं,
बहुत सोच-समझकर हमने किये हैं फैसले,
यही फैसले हमें मंजिल तक पहुंचायेंगे और हम एक नया राजस्थान बनायेंगे।" (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिये जाने का आग्रह करती हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): बोला था, अभी आपने सुना नहीं। आप तो घूम रहे थे बाहर। आप बाहर घूम रहे थे। आपने सुना नहीं, इसलिए यहां दर्ज है, वह सुन लें।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 47 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 एवं 2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की जाएं।

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 एवं 2 स्वीकार की गई।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा, (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूं कि श्री कल्लाजी वैदिक

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा, (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा, (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कमधज नगर, निम्बाहेड़ा, (चित्तौड़गढ़) विधेयक, 2018 को पारित किया गया।

श्री प्रभू लाल जी सैनी, प्रभारी मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह जी डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगले वाले में कोई बात बोलेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य श्री प्रहलाद जी गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): दो शब्द, दो लाइन बोलूंगा बस।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अगले वाले में बोल लेंगे न।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): दो लाइन बोलूंगा बस। माननीय, ये प्रिविलेज है, साहब। बोल लेंगे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका मंत्रिमण्डल पुनर्गठन में नाम आ रहा है, क्यों नाराज कर रहे हो, मंत्रियों को।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मुझे कोई बहुत लंबा-चौड़ा भाषण नहीं करना। आपका और सदन का ध्यान केवल एक बात की ओर आकर्षित करूंगा। यह बहुत बड़ा संशोधन नहीं है माननीय सभापति महोदय, आपका उद्देश्य और कारण यह जो 2010 का बिल है। इसको

(श्री प्रहलाद गुंजल)

हिन्दी में पढ़ लो, एक व्यक्ति विद्या परिषद द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा और अंग्रेजी में इसी अर्थ को पढ़ लीजिए One shall be nominated by the Veterinary Council of India. एक भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा नोमिनेट किया जाएगा, यह तो लिख दिया अंग्रेजी में और विद्या परिषद द्वारा एक व्यक्ति नोमिनेट किया जाएगा यह लिख दिया हिन्दी में। अंग्रेजी में तो अक्ल लगा ली और हिन्दी में कर ली नकल, जो दूसरे विश्वविद्यालयों के पारित होते हैं, विद्या परिषद से एक व्यक्ति उसमें नोमिनेट किया जाता है, कमेटी के लिए बस। अक्ल, नकल में नहीं लगाई, नकल करके हिन्दी में विद्या परिषद लिख दिया, अंग्रेजी में अक्ल लगा ली।

यह हमारे राजस्थान के 2010 के उन अफसरों की अक्लमंदी का नमूना है कि 2010 से हम एक ऐसा कानून पढ़ रहे हैं राजस्थान में, जिसमें अंग्रेजी में पढ़ोगे तो लिखा जाएगा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और हिन्दी में पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा विद्या परिषद। अब जो नकल में अक्ल नहीं लगाई, वो अक्ल अब 8 साल बाद प्रभू लाल जी सैनी ने लगाकर उसको दुरुस्त किया है। हिन्दी में भी विद्या परिषद की जगह उसको भारतीय पशु चिकित्सा परिषद पढ़ा जावे। इतना सा संशोधन है, इसलिए मैं इसके समर्थन में हूं, गलती को सुधारा है। लेकिन, नकल में अक्ल नहीं लगाई और 10 साल एक बेबुनियाद सी बात, राजस्थान में एक कानून इस विधान सभा ने बनाया, जिसमें लिखी रही। ड्राफ्ट करने वालों को प्रताड़ना मिलनी चाहिए, बस मेरा इतना सा निवेदन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य भंवर सिंह जी (अनुपस्थित), माननीय सदस्य सुखराम जी विश्नोई (अनुपस्थित), माननीय श्री डा. फूल चन्द भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति जी, इसमें एक ही बात कि हमारे सामने बैठने वालों ने ही पास कराया था, उनकी अक्ल का नमूना है। इसका मैं समर्थन करता हूं कि यह एकेडमिक काउंसिल नहीं पशु विशेषज्ञों की काउंसिल होगी, ऐसा संशोधन है। मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अक्ल को आज सवा चार साल क्यों ढोते रहे महाराज, ये तो बता दो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य मनोज कुमार जी (अनुपस्थित), माननीय सदस्य नन्द किशोर जी महरिया (अनुपस्थित), माननीय श्री धीरज गुर्जर (अनुपस्थित), माननीय सदस्य पूरण मल जी सैनी (अनुपस्थित), माननीय सदस्य माणिक चन्द जी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन है, मूल अधिनियम हिंदी में है और अंग्रेजी में उसका तर्जुमा है। अब कुल मिलाकर अंग्रेजी में वेटरिनरी काउंसिल आफ इंडिया है और हिन्दी में विद्या परिषद है। यह संशोधन जो अपने आपमें लाया गया है, यह इननो काज है, इसमें किसी प्रकार की कोई विवाद की बात नहीं है। पर, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि यह हिन्दी और अंग्रेजी में चाहे जो शब्द रहे हों, आपके काम में इससे कोई रूकावट हुई क्या? आपके काम में कोई रूकावट इस कारण हुई हो तो देखिए।

मेरा निवेदन है कि आपने डा. एक. के. गहलोत, जिन्होंने पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में बहुत ढेर सारा कंट्रीब्यूशन किया, वे जून या जुलाई में रिटायर हो गये। उनके रिटायर होने से पहले आपने एक सर्च कमेटी बनाई, अब वो सर्च कमेटी आपने बनाई दिसम्बर, 2016 में या जनवरी, 2017 में उसकी मार्च में कोई रिपोर्ट आई। रिपोर्ट तो सर्च कमेटी में जब विद्वान लोग बैठते हैं, कानून के अनुसार जो भी चार लोग होते हैं तो पहला मेरा सवाल यह है कि वेटरिनरी काउंसिल आफ इंडिया का आदमी था या नहीं था।

मार्च में उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई, सर्च कमेटी की तीन-चार-पांच नाम जो भी आये वो आपको ज्यादा मालूम हैं, हमें मालूम नहीं है। फिर आपने सैकिण्ड सर्च कमेटी बनाई, तो मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सैकिण्ड सर्च कमेटी में भी वेटरिनरी काउंसिल आफ इंडिया का आदमी था या नहीं था, यदि आदमी था तो अपन ने सही काम किया। विद्या परिषद का आदमी अपन ने नहीं लिया, जहां तक मेरी जानकारी है, एकेडमिक काउंसिल का आदमी नहीं लिया।

अब आप इस युक्ति को रोक कैसे रहे हैं। सैकिण्ड सर्च कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है, सैकिण्ड कमेटी मार्च-अप्रैल में बनी और रिटायरमेंट हो गया जून-2017 में, 9 महीने से ये विश्वविद्यालय, बीकानेर का बिना वाइस चांसलर के माननीय सभापति महोदय, मैं इनकी 2016-17 की रिपोर्ट देख रहा था और 2016-17 की रिपोर्ट में जो राजस्थान भर के लिए महत्वपूर्ण बात है, वो इसमें अंकित है और इसमें लिखा है निश्चिय आज आप गोवंश पर कुछ करने वाले हैं। उसकी गो-हत्या को रोकने के लिए कोई कड़े कदम लाने वाले विश्वविद्यालय ने राज्य की श्रेष्ठ देशी गोवंश राठी, थारपारकर, कांकरेज, गिर, साहिवाल एवं मालवी नस्ल के विकास एवं उन्नयन के लिए हैरिटेज जिंस बैंक

(श्री मानिक चन्द सुराना)
की संकल्पना को राज्य की प्रगतिशील गोशालाओं के माध्यम से लागू करने की महत्वाकांक्षी योजना पर अमल करते हुए, साढ़े सात सौ से अधिक नन्दी, 200 से अधिक गोशालाओं को उपलब्ध करवाएंगे। माननीय मुख्य मंत्री महोदया के बजट भाषण के अनुपालना में डग, झालावाड़ में मालवी गो नस्ल प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई।

जो पशुपालन के क्षेत्र में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और एनिमल साइंसेज विश्वविद्यालय इतना शानदार काम कर रहा है। मैं समझता हूं माननीय मंत्रीजी भी सोचते होंगे, मैं यह मानता हूं कि आपके वाइस चांसलर की नियुक्ति न होने से पशुपालन का क्षेत्र पीछे गया है वो आपके एग्रीकल्चर के जो वाइस चांसलर हैं बीकानेर के श्री केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय के, कृषि अलग है, पशुपालन संबंधित है कृषि से पर, फिर भी पशुपालन विश्वविद्यालय का क्षेत्र अलग है कृषि विश्वविद्यालय का क्षेत्र अलग है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से सभापति जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये संशोधन लाने के बाद जो एक अस्पष्टता है हिन्दी और अंग्रेजी के कानून में वो मिट जाएगी तो भी मेरी जानकारी है कि वेटरनरी काउन्सिल आफ इंडिया यानी भारत सरकार ने आपको लिखकर दिया है शायद कि वेटरिनरी काउन्सिल आफ इंडिया का प्रतिनिधि अभी हम भेजने में समर्थ नहीं हैं। वेटरिनरी काउन्सिल आफ इंडिया का पूरा गठन नहीं हुआ है तो मैं यह आपसे निवेदन करता हूं। सभापति जी, मैंने एक संशोधन भी प्रस्तुत किया था वो संशोधन सर्कुलेट नहीं हुआ पता नहीं किस कारण से जो भी विधान सभा का विधि विभाग है या कानून का संशोधन देखने वाले हैं उन्होंने क्यों नहीं उसको स्वीकार किया। मेरा निवेदन यह है कि आज भी आप जो संशोधन ला रहे हैं उसके साथ यह संशोधन भी कृपया लायें कि इस सर्च कमेटी जिसको हिन्दी में विचयन समिति कहेंगे, कि इसका कोरम तीन का होगा। यदि आपने इसमें यह संशोधन माननीय मंत्री महोदय नहीं किया तो चारों का यदि जरूरी है सर्च कमेटी में और भारत सरकार की वेटेरिनरी काउन्सिल आफ इंडिया का पूरा गठन न होने के कारण वो अपना प्रतिनिधि भेजने में असमर्थ है तो फिर आपका यह सर्च का काम रुकेगा और आपने किन कारणों से सर्च कमेटी की रिपोर्टों को रोक रखा है वो तो आप भी जानते हैं। दोनों सर्च कमेटियां जो मार्च में बनीं उसके पहले बनीं उसमें मथुरा विश्वविद्यालय के के.एम.एल. पाठक साहब भी सर्च कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

मेरा निवेदन यह है कि जब तक आप इसमें सर्च कमेटी का कोरम सिर्फ तीन व्यक्तियों का होगा इन शब्दों का यह संशोधन इसके नीचे इस 24 (2) में ही, मैंने संशोधन पेश किया उसका मतलब यही था सर्च कमेटी का कोरम तीन का हो तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि वाइस चांसलर की नियुक्ति को हमें त्वरित गति से आगे ले जाना है तो निश्चित रूप से इसमें एक वर्तमान संशोधन जो आपने किया है उसके साथ धारा-24(2) के तृतीय परंतुक के तौर पर यह संशोधन भी करें कि सर्च कमेटी का कोरम तीन का होगा। यदि सर्च कमेटी चार की ही रहेगी और भारत सरकार वेटरिनरी काउन्सिल आफ इंडिया का प्रतिनिधि आपको नहीं भेजेगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। (व्यवधान)

मुझे कुछ निवेदन करना है कि यह बीकानेर में ही हैडक्वार्टर है इस पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय का। सभापति जी, वल्लभनगर में कालेज है वेटेरनरी एनीमल साइंसेज का। 2007 में वर्तमान मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी ने वल्लभनगर का उद्घाटन किया। 2013 का बैच है वल्लभनगर का जो उसमें साढ़े चार साल कालेज में पढ़ने के बाद जो इंटर्नशिप है वो इंटर्नशिप उनकी क्यों रोकी जा रही है, विश्वविद्यालय लिखता है सरकार को डाइरेक्टर को या पशुपालन विभाग को कि ये लड़के अब इंटर्नशिप में रजिस्ट्रेशन के योग्य हो गये। मैं निवेदन करता हूं कि साढ़े चार साल जिन्होंने पढ़ाई कर ली विश्वविद्यालय कह रहा है कि ये इंटर्नशिप के योग्य हो गये, उनको आप उनकी योग्यता, आपके ध्यान में ही होगा कि डाइरेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री जो आपके राजस्थान वेटेरनरी काउन्सिल के अध्यक्ष हैं, वो क्यों रोक रहे हैं, किसलिए रोक रहे हैं? और आप रोक रहे हैं तीन-चार महीने, उनका अमूल्य समय बरबाद हो रहा है इसलिए यह जो जहां हमारा प्रशासन आता है विश्वविद्यालय के बीच में कि उनको हमारे होस्पिटल्स में भेजना है पशु चिकित्सालयों में भेजना है तो माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में लाता हूं कि इस तरह की डिस्क्रिपेंसी, अब वल्लभनगर में सिर्फ इस साल ही नहीं रुके हैं इंटर्नशिप, गत साल भी रुके हैं, उसके पहले साल भी रुके हैं आप इसकी तरफ ध्यान देने की कृपा करें और दूसरी महत्वपूर्ण बात इस विश्वविद्यालय ने नवाचार किये हैं। इस विश्वविद्यालय ने नवाचार किये हैं और नवाचार करके 13 वेटेरनरी यूनिवर्सिटी अनुसंधान और रिसर्च केन्द्र खोले। लूणकरणसर में भी एक खुला हुआ है और इन केन्द्रों पर पशु कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण जो पशुपालन के क्षेत्र में हैं उनका प्रशिक्षण और अनुसंधान दोनों का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

काम है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा सभापति जी के माध्यम से कि आप इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति करें। 13 के 13 अनुसंधान ट्रेनिंग और रिसर्च केन्द्रों में, ताकि ये बहुत सारगर्भित सेवाएं उनको प्रदान कर सके और ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स का वर्डन आप बर्दाश्त करेंगे या आपके निर्देश से विश्वविद्यालय बर्दाश्त करेगा, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति ऐसे जितने भी रिसर्च और ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं उसमें होनी चाहिए, ताकि पशुपालन के क्षेत्र में एक साधारण ग्रामीण को जो पशुपालन का काम करता है उसको और अधिक आगे जानकारियां मिलें, जिससे कि वो उस क्षेत्र में पशुपालन के क्षेत्र में और आगे विकास कर सके, उसके उत्पादों में वृद्धि हो सके। हमारी जीडीपी बढ़ सके और हमारी जीडीपी अभी-भी राजस्थान में पशुपालन के क्षेत्र में साढ़े दस परसेंट जीडीपी हमारी पशुपालन के क्षेत्र से है तो माननीय मंत्रीजी से इस बात के लिए निवेदन करूंगा कि इन अनुसंधान केन्द्रों को सक्षम और सक्रिय बनाने के लिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्ति करें। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या राजस्थान में आप जैसे पहले एक ही तकनीकी विश्वविद्यालय था अब दो हो गये। (व्यवधान) नहीं, मैं इसी पर आ रहा हूं। आपके पास एक ही पशुपालन विश्वविद्यालय है। मैं आपसे कहूंगा कि दक्षिणी राजस्थान में एक पशुपालन विश्वविद्यालय की स्थापना और करें। मैं यहां राजस्थान विधान सभा का सदस्य हूं कोई बीकानेर से आया हूं या बीकानेर जिले से आया हूं तो कोई उस तक ही सीमित नहीं हूं। राजस्थान के पशुपालन और पशु संवर्द्धन के विकास के लिए और उसके प्रशिक्षण और उसमें लोगों को बैचलर आफ वेटेरनरी एनिमल साइंसेज की डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रदान करने के लिए राजस्थान की विभिन्न एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन की जो चुनौतियां हैं उसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि साउथ में कहीं भी जहां सरकार उचित समझे, चित्तौड़गढ़ हो, उदयपुर हो, कहीं हो और चाहे झालावाड़ हो कि जहां दो सौ-ढाई सौ एकड़ जमीनें आपके पास हैं, आप एक साउथ में, दक्षिणी राजस्थान में एक पशुपालन विश्वविद्यालय की स्थापना का कदम उठायें और आपके इसी राज में उठायें। यह मेरा आपसे निवेदन है, ताकि इस सरकार का रिकार्ड पशुपालन के क्षेत्र में बहुत शानदार हो और जनता अधिक से अधिक उसकी ओर आकर्षित हो और

(श्री मानिक चन्द सुराना)

राजस्थान में पशुपालन की चुनौतियों का मुकाबला कर सके। बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय शंकर सिंह जी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, मैंने जो यह संशोधन दिया है, खाली इतना ही है कि बीकानेर में वेटेरनरी का नाम अगर कहीं चाहे वेटेरनरी मेडिकल कालेज लो या यूनिवर्सिटी लो, नाम लेते हैं तो एक नाम जरूर याद आता है वो है डा. मोहन सिंह राजपुरोहित, जिनसे अमेरिका के प्रेसीडेंट भी मिलने आया करते थे उस जमाने में तो उनका एक यह है कि आज जो बीकानेर का जो वेटेरनरी में डवलपमेंट हुआ है उसमें उनका भी एक बहुत-बड़ा योगदान है और जो ये जिस सोच के साथ संशोधन लाये हैं वास्तव में बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में आया है इसके लिए धन्यवाद मंत्री महोदय का। मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया है उसको वापस लेने की इजाजत चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय प्रभारी मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 पर आज सदन में चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, जिसके बारे में सभी माननीय सदस्यों ने धारा-24 का जिक्र करके संशोधन की बात हुई है, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अंगेजी और हिन्दी के पार्ट में अंतर को दूर करने के लिए इस अधिनियम में हिन्दी पार्ट की धारा-24(1) में विद्यमान अभिव्यक्ति के स्थान पर वेटेरनरी काउन्सिल आफ इंडिया का संशोधन करना यही इस संशोधन का मूल रूप से उद्देश्य है। इस सन्दर्भ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, कि निश्चित रूप से सैक्शन 24 के सब सैक्शन-1 में कुलपति चयन के लिए निर्दिष्ट सर्च कमेटी कुलाधिपति के द्वारा बनाये जाने का प्रावधान है...

(19.00 बजे)

लेकिन मैं धारा 24 के सब सैक्शन 2 में सर्च कमेटी के अनुसार जो चार सदस्य की बात माननीय सदस्य ने कही है, उसमें अंग्रेजी में जो वर्तमान में उसका अनुवाद किया हुआ है, उस अंग्रेजी के अनुवाद में, nominated by the Chancellor नंबर एक, नंबर दो nominated by the Board, तीसरा nominated by the Veterinary Council of India और चौथा है nominated by the Government.

(श्री प्रभू लाल सैनी)

यह आपकी सर्च कमेटी में चार प्रकार के सदस्यों का मनोनयन होता है लेकिन माननीय सभापति महोदय, जब हिन्दी में प्रिंट हुआ उस समय विद्यापरिषद का नाम उसमें अंकित है और इसी को संशोधन करने के लिये, वीसीआई Veterinary Council of India के स्थान पर संशोधन के लिये प्रस्ताव लेकर आये हैं। मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय चाहे एकेडेमिक यूनिवर्सिटीज हो, हायर एजुकेशन के लिये अपेक्स बॉडी यूजीसी होती है। उसी प्रकार यदि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लिये भी अपेक्स बाडी आईसीएआर होती है, इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है। अभी वर्तमान में पशु चिकित्सा विद्यालय की अपैक्स बाडी वीसीआई होती है। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहूंगा कि हिन्दी और अंग्रेजी में अलग-अलग होने से उसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किये, वैसे तो यह बजट का विषय है लेकिन फिर भी हमारे सीनियर सदस्य हैं, मैं निवेदन करूंगा, नवानिया पशु महाविद्यालय के बच्चों के रजिस्ट्रेशन का जहां तक सवाल है, यह निश्चित रूप से सही है कि 2013 में 41 बच्चों ने काउंसिल के माध्यम से उसमें प्रवेश लिया। प्रवेश लेने के बाद में जब वीसीआई द्वारा उसका निरीक्षण किया तो नार्म्स पूरे नहीं होने के कारण से वह नवानिया महाविद्यालय जो वीसीआई की प्रथम सूची होती है, उसमें सम्मिलित नहीं था। माननीय सदस्य, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे आज सदन को बताते हुए बहुत खुशी है कि उनको अनुमति दी जा चुकी है और सारे बच्चे अब इंटर्नशिप करने के लिये पात्र हो गये हैं, उनकी अनुमति जारी कर दी गई है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कितने महीने बाद अनुमति दी गई है, यह जरूर बता दीजिए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, वैसे तो उन बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए 2015, 2016, 2017 की मान्यता तो वीसीआई के द्वारा इस महाविद्यालय को दी गई है लेकिन 2010 से लेकर 2013 तक, जहां महाविद्यालय ने नोर्म्स पूरे नहीं किये थे, आज भी उसकी अनुमति नहीं मिल पाई है, वीसीआई की प्रथम सूची में सम्मिलित नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने विद्यार्थियों के हित को देखते हुए जिन बच्चों ने काउंसलिंग से एडमिशन लिया है हम लोगों ने उसका टैम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन करके 6 महीने का टाइम हम लोगों ने

(श्री प्रभू लाल सैनी)

महाविद्यालय को दिया है कि वह 6 महीने के अंतर्गत वीसीआई की जो प्रथम सूची है, उसमें अपना नाम दर्ज कराये ताकि स्थाई रूप से हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन कर सकें।

दूसरा प्रश्न आपने उठाया कि बीकानेर में राठी, थारपारकर, कांकरेज के बारे में, इंडिजीनस ब्रीड के बारे में जो काम हुआ, उसकी आपने सराहना भी की है, आपको धन्यवाद दूंगा। सभापति महोदय, लेकिन इतना निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर एम्ब्रीयो ट्रांसफर का काम इस सेंटर पर यहां हुआ है। एम्ब्रीयो ट्रांसफर थारपारकर के अंतर्गत उसका सीमन और उसकी काऊ, सरोगेटिंग मदर, दूसरी को लेकर यह पहली बार इस प्रकार का राजस्थान में मिल्क बढ़ाने के लिये जो काम हुआ है, इसके लिये मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, यह संशोधन चूंकि अंग्रेजी और हिन्दी के अंतर को ठीक करने के लिये किया गया है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड़-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

(श्री सभापति)

श्री प्रभू लाल जी सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया गया।

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018, माननीय प्रभारी मंत्रीजी, विचारार्थ करने के लिये प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति: माननीय श्री गोविन्द सिंह जी डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018...

(19.06 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर हम बात कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की और प्रदेश

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

की 70 प्रतिशत जनता खेती के ऊपर निर्भर करती है। किसान अपने खेत में जो अन्न पैदा होता है और उसके साथ-साथ पशुपालन के आधार पर अपना जीवन निर्वहन करता है। उपाध्यक्ष महोदय, कोई समय था जब हम केवल वर्षा के ऊपर निर्भर करते थे और वर्षा की ऋतु में जो हो जाता था, उसके आधार पर हम अपना जीवनयापन करते थे। किसान के पढ़ाई भी कम थी, या जो पशुधन होता था, उसके आधार पर पशु पालकर जो पैदा होती थी, उससे अपना जीवनयापन करता था। समय ने करवट बदली और इर्रिगेशन आया, सिंचाई आई, ट्यूबवैल हुए, कुएं हुए, बिजली लगी और उसके बाद खरीफ और रबी दोनों फसलें आने लगीं वर्ना तो एक ही फसल आया करती थी। किसान की रोजी रोटी का जो साधन था, वह खेती के साथ-साथ पशुपालन उसके लिये बहुत ही महत्वपूर्ण था और उससे अपना जीवनयापन करता था। निश्चित रूप से आज जो बिल लाया गया है, उस बिल में मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को इस बिल के आने के बाद, अधिनियम आने के बाद, पारित होने के बाद, उसके लिये अपने पशुधन को इधर उधर ले जाना, उसको बेचने के लिये मेले में ले जाना, उसके लिये बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जायेगी। माननीय मंत्री महोदय, इस बिल में लिखा है कि अगर उसकी गोवंश की हत्या करने की मंशा होगी, आपके या आपकी पुलिस के पास में ऐसा कौनसा यंत्र है कि उसकी मंशा का पता लगेगा, उसका मालिक जिस व्हीकल में उसको ले जा रहा है, उसको आप आबकारी अधिनियम की तरह सीज कर लेंगे और सीज करने के बाद आपको अधिकार मिल जायेगा, मैं समझता हूं यह किसान के साथ दोहरी मार है।

उसकी क्या मंशा है, यह पुलिस पर निर्भर हो जाएगा कि वह चाहे तो उसको जाने दो, नहीं चाहे, तो न जाने दो। उपाध्यक्ष महोदय, जब मोदी जी सरकार में आये थे, तब उन्होंने कहा था कि इंस्पेक्टर राज खतम होना चाहिए, यह हमें अच्छी तरह ध्यान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तो और ज्यादा बढ़ावा हो गया है। किसानों को रोकने के लिये आपने एक और अधिकार दे दिया। उसका पशुधन भी वह नहीं ले जा सकता, उसके साथ-साथ उसका जो व्हीकल है, वह भी आप जब्त करने का कानून लेकर आ गये। गुजरात की सीमा हमारे सटी हुई है। हमारे यहां की रिश्तेदारियां गुजरात में हैं, जो बांसवाड़ा वगैरह का बोर्डर है, वहां की। मैं समझता हूं कि उनके खेत की सीमाओं से पता ही नहीं चलता कि यह गुजरात का बोर्डर का आ गया, या

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

राजस्थान का बोर्डर है। वहां आपस में पशुधन आता-जाता रहता है, मेले में भी ले जाते हैं। इस प्रकार का अधिनियम लाकर अगर हम उसको रोकने का, उसको अरेस्ट करने का, उसके व्हीकल को सीज करने का काम करेंगे तो किसान के लिये बड़ी समस्या जो जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में और विशेष रूप से हमारे प्रदेश में जो आवारा पशु हैं, वे किसान के लिये एक बहुत बड़ी समस्या है। आवारा पशु से किसान इतने ज्यादा परेशान हैं। यहां पर जो माननीय सदस्य, जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं। मैं सराफ साहब की बात नहीं करता, मोहन लाल गुप्ता साहब की बात नहीं करता। हालांकि, परेशान तो ये भी होते हैं जब शहर में भी आवारा पशु इनको परेशान करते हैं तो इनके भी समझ में आता है, लेकिन वह आवारा पशु किसान की खेती बर्बाद कर देता है और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज हमारी स्थिति यह हो गयी है कि आवारा पशु हमारे शहर जयपुर में भी इतने घूमते हैं, पिछले दिनों का आपको पता होगा कि जो विदेश से पर्यटक आये, उनको भी एक आवारा सांड ने मारा, उससे हमारे प्रदेश की छवि देश में बदनाम हुई और आने वाले पर्यटक भी यह सोचने लगे कि हम राजस्थान में जाएं या नहीं जाएं, ये आवारा पशु हमारी जान भी ले सकते हैं। वहां पर हम सुरक्षित नहीं है। आज किसान जो खेती करता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय किसान परिवार से आते हैं, हमें खुशी है। हमारे समय में भी माननीय हरजीराम बुरडक साहब किसान परिवार से आते थे, वे कृषि और पशुपालन विभाग संभालते थे। आज माननीय प्रभू लाल जी सैनी साहब भी किसान परिवार से आते हैं। निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को पहले भी लाभ मिला और आज भी लाभ मिल रहा है, लेकिन आप सबको पता है कि जिस प्रकार से किसान आवारा पशुओं से इतना परेशान है और शहर के लोग भी आवारा पशुओं से, वे काले-काले, पता नहीं, अमेरिकन सांड और बछड़े इस प्रकार के आते हैं कि आज हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब हम रात को व्हीकल लेकर जाते हैं तो सड़क के ऊपर इस प्रकार से आवारा पशु आते हैं, इसमें रोजड़े भी हैं। रोजड़ों के लिये तो कानून भी आया कि आप उसको मार सकते हो, लेकिन एक तरफ तो जो रोजड़े किसान की खेती बर्बाद करते हैं, उनको मारने का अधिकार दे रहे हो और एक तरफ आप किसान के जीवनयापन का जो सहारा

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

है, उसको अगर बेचकर वह अपना काम चला सकता है तो उसको आप प्रतिबंधित कर रहे हो, उसका व्हीकल भी सीज कर रहे हो।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1 अप्रैल, 2018 से जो ट्रैक्टर ट्राली, व्यावसायिक वाहन ट्राली के रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें नियम AIS-113 को बाध्य किया जाना है। AIS-113 के लागू होने से वह किसान जो ट्रैक्टर के साथ ट्राली रखता है और आराम से अपना खेती का काम करता है, उसकी ट्रैक्टर ट्राली के लिए भी भारत सरकार के संस्थान ARAI से मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया, जो कि पुणे में है। पुणे, महाराष्ट्र एवं चेन्नई स्थित प्रयोगशाला से अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। किसान को आप एक तो पशुधन को नहीं ले जाने दे रहे और एक आप ट्रैक्टर ट्राली के लिए इस प्रकार से बाध्य कर रहे हो, उसका पैसा बढ़ा जाएगा। भोला, अनपढ़ किसान कहां जाएगा, महाराष्ट्र? कहां उनसे ठप्पे लगवाएगा? निश्चित रूप से भ्रष्टाचार भी होगा, फिर वे क्या करेंगे या फिर जहां यह नियम लागू नहीं है, वहां से लाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि किसान के लिये हम कोई ऐसा कानून लेकर आए कि किसान की स्थिति व माली हालत सुधरे। किसान आत्महत्याएं करने से रुके और वह भी खुशहाल जीवन जीए। इस प्रकार का लाने की बजाय अपन किसान को और ज्यादा बांध रहे हैं। आप मुझे बताइये कि किसान जो अपना पशुधन है, वह ही अपने बछड़े आदि ले जाएगा, दूसरा कौन जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो बार-बार आती है। मंत्री महोदय भड़ाना साहब, इसलिए हंस रहे हैं कि कुछ ऐसी शिकायतें आती रहती हैं कि गोवंश का कत्ल होता है, हम इसके पक्ष में नहीं हैं, रोकना चाहिए। लेकिन कुछ 1-2 प्रतिशत कोई वारदात होती है, उसको लेकर...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): हीरालाल जी को सांड ने टक्कर मारी थी, आपको ध्यान है? छह महीने पहले सांड भिड़ गये थे। मंत्री महोदय, हीरालाल जी की सांड से टक्कर हो गयी थी और कई सांडों ने मिलकर, आप इसका भी इंतजाम करें। साहब, अब तो एकदम ठीक है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब इनके सांड ने मारी थी, तब मेरे से बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि इस बीजेपी के राज में जीना दूभर है, आपकी पार्टी में आ रहा हूं, अब मन बदल गया तो मुझे पता नहीं।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्रैक्टर-ट्राली की बात छोड़ो, जुगाड़ है न, जिनमें कोई जरूरत नहीं, क्यों परेशान हो रहे हो? किसान के काम लिये जुगाड़ लो न।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून के बनने के बाद इस कानून का दुरुपयोग होगा और किसान और ज्यादा संकट में आएगा। आवारा पशुओं के कारण से आज उसका जीना दूभर हो रहा है। आवारा पशु उसकी फसल बर्बाद कर देते हैं और हम सब लोग इन आवारा पशुओं से परेशान हैं और आप फिर यह कानून लेकर आ रहो हो। मंत्री महोदय, इसमें जो सबसे बड़ी आपत्ति वाली बात है, वह यह है कि अगर वह गोवंश की हत्या करने के इरादे से ले जा रहा है तो हम लोग उसके वाहन को भी सीज कर लेंगे और यह करेंगे, वह करेंगे, यह बात है। अब आपको मंशा का कैसे पता चलेगा? कोई ऐसा थर्मामीटर आ गया हो तो आप एक-एक हमें भिजवा दो। तो हम भी हमारे इलाके में कहेंगे कि इस थर्मामीटर को दिखा देना कि हम तो इसकी हत्या करने नहीं ले जा रहे हैं, हम तो मेले में बेचने ले जा रहे हैं या हमारे रिश्तेदार के ले जा रहे हैं, हमारे यहां चारा नहीं है, वहां बरसात हो गयी। किसी के ट्यूबवैल है तो कम से कम यह बछड़ी पल जाए तो कल गाय हो जाए, तो मंशा का क्या सवाल है? इसलिए मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा। मंत्री महोदय किसानों के हितैषी भी हैं, सोचते भी हैं, इसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए। जनमत जानने के लिये मैंने इसलिए आग्रह किया है, निवेदन किया है, संशोधन लगाया है कि यह किसान को और ज्यादा परेशानी देने वाला है। आप किसान को जो जिस व्हीकल से ले जा रहा है, उसके ऊपर व मालिक के ऊपर भी मुकदमा लगाएंगे, उसका वाहन भी सीज करेंगे। निश्चित रूप से यह जो चीज है, वह इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा देने वाली है और किसान के विरोध में है। केवलमात्र यह कि साहब देखो, कल छह महीने बाद में चुनाव आ रहे हैं, हमने यह कर दिया। हम गौ-माता के रक्षक हैं, गौ-माता के कारण हम चुनाव में हमारी वैतरणी पार करते हैं और गौ माता को रोकने के लिये हम इतना कड़ा कानून लाए हैं कि उसका व्हीकल भी सीज कर देंगे। जो गौ-तस्करी करते हैं, हम उनके पक्ष में कभी भी नहीं रहे, उनको उचित सज़ा मिले। उनके लिये जो कानून हैं, वे अगर पर्याप्त नहीं हैं, तो आप और बना लीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। हम तो केवल इतना निवेदन करना चाहते हैं कि 1-2 परसेंट ऐसी शिकायतों के कारण पूरे किसानों को आप कठघरे में खड़ा करके इंस्पेक्टर राज से उनको परेशान करवाना चाहते हो। उनके जो पशुधन हैं, उनका उचित मूल्य उनको नहीं मिलेगा। आप जो ऊंटों के लिए कानून लेकर आये, वह शायद अभी तक तो दिल्ली में पड़ा है, आया नहीं है। पता नहीं, मंत्री महोदय, आपने यह तय कर लिया कि दुबारा आना ही नहीं है, ऐसे ही बिल लाने हैं। कभी ऊंटों का, कभी इनका, कभी किसी का।

श्री हीरालाल (निवाई): आप गौ-माता को नहीं मानते हो क्या? बार-बार गौ-माता बात कर रहो हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गौ-माता को मानता हूं। आपको भी बड़ा भाई मानता हूं और आपके जब सांड ने मारी थी तो सबसे बड़ी तकलीफ मेरे को ही हुई थी, इन सत्ता पक्ष वालों में किसी को नहीं हुई थी। इसलिए मानते कैसे नहीं हैं, लेकिन बात तो कहनी पड़ेगी। जब सवाल आएगा, बिल आएगा, किसान के विरोध की बात होगी तो हमें तो सरकार को चेताना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार ने यह तय ही कर लिया कि हमें तो ऐसे उलटे-सीधे बिल लाकर किसान को परेशान करना है। उसकी सम्पूर्ण कर्ज माफी करनी है, उसकी ट्रैक्टर ट्राली को नहीं चलने देना है। वह कुछ भी नहीं कर सके, ऐसा चारों तरफ से बांधकर हमको विदाई लेनी है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना। बाकी आप विदाई लो तो भी कम से कम इतना तो रखकर जाओ कि हम किसान के बेटे हैं, किसान ने वोट देकर के हमें भेजा है, इसलिए हमें किसान के हित में करना चाहिए। अब कल-परसों मंत्री महोदय ने जो ऋण की बात की है, वह भी किसान को कोई ज्यादा आंसू पोछने वाला काम उन्होने नहीं किया। जब सारी चीजें ही किसान के विरोध में कर रहे हो तो आप किस मुंह से गांव में जाकर के वोट मांगोगे।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा अभी फिर की है, पहले तो 20 लाख लघु और सीमांत को लाभ मिल रहा था, इसमें अब लाखों किसान बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि 30 लाख से अधिक किसान हो जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जी ने कहा, जो आपने दुबारा घोषणा की है, वह किसान को बरगलाकर के, घुमाकर के, आनुपातिक शब्द जोड़कर के की है जिससे किसान को लाभ नहीं मिलने वाला है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पहले भी मैं आंकड़े प्रस्तुत कर चुका हूं। जब 72000 करोड़ की आपने घोषणा की, यूपीए सरकार ने तो राजस्थान को क्या मिला? मैं यह बता रहा हूं आपको कि कोई भी किसान ऐसा नहीं होगा जिसने कि अल्पकालीन ऋण लिया होगा, सहकारी बैंकों से।

श्री उपाध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आप बार-बार 800 करोड़ रुपए यूपीए सरकार में आए, यह क्यों आप अंकित करना चाहते हो।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि आपके खुद के जिले में हमने ब्याज मुक्त ऋण सबसे अधिक बांटा और सीकर जिले के जब मैं कह रहा हूं कि 30 लाख से अधिक किसान बढ़ जाएंगे, तो हर जिले में लाखों किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, वह मैं इसलिए अंकित कराना चाह रहा हूं कि हमारी सरकार ने, यूपीए सरकार ने पूरे देश के किसानों की कर्ज माफ करने की शुरूआत की थी। इनके प्रधान मंत्रीजी ने आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी, जो हमारे भी प्रधान मंत्री हैं, यूपी चुनाव में चुनाव जीतने के लिए कहा था कि देश के किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उन्होंने नहीं किया और गेंद आपके पाले में डाल दी और आप भी पूरा नहीं कर सके इसलिए मैं यह अंकित कराना चाहता हूं कि हमारी जो केन्द्र में सरकार थी, वह पूरे देश के किसानों को एक साथ लेकर के उनको कुछ लाभ देने की नीयत से काम करती थी। आपके प्रधान मंत्रीजी केवल मात्र दिखावा करते हैं।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): ऐसा है माननीय सदस्य, मैं आपको बताना चाहता हूं सीकर में यूपीए सरकार के समय केवल 7000 से कुछ अधिक लोगों को ऋण माफ किया था, कर्ज माफ किया था और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा, अकेले सीकर में और 465 करोड़ जो मैंने आपको बताया उससे भी अधिक लाभ मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं उपाध्यक्ष महोदय ... (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): क्या कह रहे हो? प्रधान मंत्रीजी ने यूपी चुनाव में यह कहा था, आप इस प्रकार की मिथ्या बात नहीं कहें। केवल यूपी चुनाव के संदर्भ में थी। इस प्रकार का मिथ्या भाषण नहीं दें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बस-बस यही कहना चाह रहा था मैं कि यूपी चुनाव जीतने के लिए देश का प्रधान मंत्री यह कहे कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे और उसके बाद में हमने आपको लाइन दिखायी थी कि पूरे देश का कर्जा माफ किया जा सकता है, चाहे हमने कम किया या ज्यादा किया, इस विषय में अलग बात हो सकती है। लेकिन आपने तो बयान देकर के प्रधान मंत्रीजी मुकर गए, यह बात है।

श्री मान सिंह (गंगापुर): भैरोंसिंह जी शेखावत के समय राजस्थान में हुआ है।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): ऐसा है माननीय सदस्य डोटासरा जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य सरकार ने कभी भी इससे

(श्री अजय सिंह)

पहले 2018-19 की जो अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, उससे पहले कभी भी राज्य सरकार ने किसी भी तरह का किसानों का कर्ज राजस्थान में माफ नहीं किया है। यह आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहली बार इतिहास में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह एक साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। हर बात में चाहे वह बिना ब्याज का ऋण बंटाने में हो, चाहे कर्ज माफी में हो, चाहे बैंकों की ब्याज दर कम करने में हो, हर क्षेत्र में किसानों को ज्यादा राहत दी गई है और आगे भी यह जारी रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष: चलो अब आप गोवंश पर वापस आ जाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका आदेश तो मैं टाल ही नहीं सकता, मैं इनकी हर बात का जवाब देता लेकिन जो सहकारिता का बिल है, उस पर दे देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय डोटासरा जी गोवंश की बात कर रहे हैं। आप मेरे को सुन लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं, आपने पूरे पांच वर्षों में, आप बार-बार बात करते हैं गाय, गोवंश, गाय माता, मैं कह रहा हूं बिलकुल सरकार का यह कर्तव्य है, बहुत संवेदनशील सरकार है, गोपालन विभाग का हमने अलग से गठन किया है। पूरे देश में राजस्थान एकमात्र राज्य है, जहां गोपालन विभाग का अलग से गठन किया है। आपने पूरे पांच वर्षों में राज्य सरकार ने जो गोवंश को, गोशालाओं को सहायता दी है, 801 गोशालाओं को आपने सहायता दी है और वह भी 84 करोड़ रुपए से कम की सहायता पांच वर्षों में आपने दी है। यदि हमारा अभी का आंकड़ा देखें तो 255 करोड़ रुपए हमने जारी कर दिए हैं और अप्रैल तक 300 करोड़ से ज्यादा का अनुदान गोशालाओं को और गोशालाओं की संख्या बढ़ गई है, 1553 गोशालाओं को अनुदान हम जारी कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो अभी घोषणा की है कि तीन महीने के बजाय छह महीने का उनको अनुदान मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकाल को देखें तो 700 करोड़ से अधिक का अनुदान हम देंगे। पहली बार पूरे देश के इतिहास में यह सर्वोपरि है, अग्रणी है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट गुरु जी, बीच में फ्लो टूट जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब यह कह रहे थे कि हमारे मंत्री पढ़कर के नहीं आते। लेकिन सहकारिता मंत्रीजी तो कंठस्थ याद

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

करके आए हैं। (व्यवधान) मेरे को कहा तभी तो कह रहा हूं। मुझे सपना थोड़े आता है। हो सकता है कि कालीचरण जी के लिए कह रहे होंगे या और किसी के लिए कह रहे होंगे लेकिन पढ़कर नहीं आते वर्ना तो हम आपका मुकाबला कर लें। लेकिन ये मंत्रीजी तो कम से कम पढ़कर आते हैं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं, विषय पर आता हूं वापस क्योंकि इस बात का कोई अंत भी नहीं है, हमने क्या किया? आपने क्या किया? हमने 55 साल से ऊपर के तमाम लोगों को पेंशन देने का काम किया था और आपने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान उसको रेवड़ियां बताई थीं, वोटों के लिए बताई थी और आपने भी आखिरी साल में जो झुनझुना पकड़ाया है न किसान को, वह केवल किसान को गुमराह करके उसके वोट हथियाने के लिए ही किया है। यदि आप किसान के हितैषी होते तो आप पहली साल में ही कर देते। सम्पूर्ण कर्ज माफी भी कर सकते हैं, आप तो लेकिन कर थोड़ी रहे हैं आप। (व्यवधान) गोवंश पर ही आ रहा हूं। आप आने कहां दे रहे हो, महाराज। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो तय हो गई, बिल-विल तो हो हुआ गए, कोई लंबी-चौड़ी बात नहीं है, घंटे-दो घंटे का खेल है। ये सब माननीय सदस्य, मंत्री मेरे को इतना चाहते हैं, इतना आशीर्वाद बड़ो का है, इतना प्यार है कि मैं यह मानकर चलता हूं कि अगली बार सरकार आएगी तो आपका एक भी काम नहीं डटने देंगे। यह तय है। क्योंकि जब आप इतना कोआपरेट करते हैं...

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): इनको किसी के बारे में जानकारी नहीं है इसलिए इतना बोल रहे हैं। आपकी सरकार ने आज दिन तक एक रुपये की कर्ज माफी नहीं की है और यूपी की बात जो कर रहे हो, हमारी सरकार ने अभी वहां पर सारा गन्ने का जो पैसा बकाया था, वह सारा पैसा हमने दे दिया और लाखों किसानों का कर्ज हम माफ कर रहे हैं। आपने दिया ही क्या है अभी तक? आपको जानकारी कुछ है नहीं, हर बार खड़े हो जाते हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये लॉ पढ़े हुए हैं। बाई प्रोफेशन एडवोकेट हैं और यह बिल पास हो रहा है, कानून बन रहा है, उस पर बोलें, इनके ज्ञान का पता चले कि कितना इनके पास ज्ञान का भण्डार है। इसलिए आपके माध्यम से निवेदन है कि उस पर बोलें, किसान, किसान, किसान करते रहते हैं, सारे दिन ...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री विठ्ठल शंकर अवस्थी)

मेरा आपसे निवेदन है कि इनको जो सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला था, उस पर पुनर्विचार की जरूरत हमको महसूस हो रही है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं इस सदन के आखिरी सत्र में, जब कांग्रेस का आखिरी सत्र था, उसमें इन्होंने बकरी के टहनी तोड़ने पर 25 हजार की पैनल्टी की थी, आज हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमसे आशा कर रहे हैं किसान की। बकरी पर, जिसको हमने 500 किया बाद में। यह 25 हजार पैनल्टी करके गए थे। बकरी की कीमत ही 25 हजार नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे समझ में नहीं आयी गुरु जी बात। आपको आ जाए तो आप बता देना। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): बकरी कहां की थी।

श्री उपाध्यक्ष: चलिए बहुत हो गया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी और हम एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय। एक ही क्लास का आगे-पीछे का फर्क है। इन्होंने चालबाजी से भैंसे का इस बिल में से छुडवा लिया, अपना इंतजाम पहले कर लिया और किसान को परेशान कर दिया। इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, बाकी कोई खास बात नहीं है। हो गया अब, हो गया अब। मैं तो यही कहूंगा कि किसान को परेशान करने वाला यह बिल है, उसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए जिससे कम से कम किसान को, सबको समझकर के, लोग क्या चाहते हैं, किसान क्या चाहता है, उसके बाद में बिल होना चाहिए अन्यथा किसान परेशान हो जाएगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 विचार के लिए लिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1995 से यह अधिनियम राज्य में पृवत्त है। उद्देश्यों और कारणों में लिखा है कि इस कानून के बाद भी गोवंशीय पशुओं को अवैध रूप से राज्य से बाहर ले जाया जा रहा है और गोवंशीय पशुओं के ऐसे अवैध परिवहन के लिए प्रवहण के यांत्रिक साधन उपयोग में लाये जा रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के दो ही मकसद हैं। एक तो

(श्री प्रहलाद गुजंल)

जो साधन परिवहन के काम आ रहे हैं, इस कानूनी भाषा में परिवहन को प्रवहण लिखा जा रहा है। उस साधन को बंद किया जा सके, न केवल साधन को बंद किया जा सके, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सके जो उस साधन को लेकर जा रहा है, उस पशुधन को लेकर जा रहा है। अब यह सारी चीज़ें मौजूदा कानून में भी हैं, लेकिन इस संशोधन के माध्यम से इसमें एक विस्तार कर दिया गया। विस्तार में ही शुरूआत है 1995 के अधिनियम 23 की धारा 2 का संशोधन। राजस्थान गोवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन 1995 का अधिनियम संख्या 23 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है की धारा 2 के विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान चाहता हूं। मूल अधिनियम है उसमें लिखा हुआ है गोवंशीय पशु से अभिप्रेत है, उसके अंतर्गत गाय, बछड़ा, बछिया, सांड या बैल। अब आप आगे इसमें एक लाइन जोड़ रहे हैं किन्तु इसमें भैंस और उसकी नस्ल सम्मिलित नहीं होगी। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे समझ में नहीं आया। यह हम सब लोग जानते हैं कि गोवंश का मतलब गाय से पैदा होने वाला वंश। चाहे आगे जाकर वह बछड़ा कहलाए, बैल हो या सांड हो। इस राजस्थान और हिन्दुस्तान में कोई भी गाय और भैंस की परिभाषा एक नहीं कर सकता। जब गाय का दर्जा समाज में अलग है, भैंस का दर्जा समाज में अलग है, तो फिर गाय से भिन्न भैंस की परिभाषा को इसमें लिखने का आशय क्या है? क्या आप यह कहना चाहते हैं, राजस्थान की जर्सी गाय को आप भैंस मानोगे? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि राजस्थान में भैंस को भी गाय के रूप में ही स्वीकार किया गया? अगर कानून सम्मत तरीके से आपके किसी कानून की परिभाषा में भैंस गाय के रूप में डिफाइन की गई तो माननीय मंत्री महोदय आप बताएं किस क्लाज में उल्लेखित है कि गाय भी भैंस के रूप में परिभाषित है। परिवहन जिसको आपने प्रवहण कहा है उसका निषेध है, हम इस निषेध को छूट देना चाहते हैं। अधिकारियों ने दिमाग नहीं लगाया और आपने यह संदेश दे दिया कि हम गौ हत्या पर तो प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, आपने इसमें संशोधन करके पूरे राजस्थान को संदेश दे दिया कि हम वध के लिए ले जा रही गाय के परिवहन प्रवहण पर प्रतिबंध लगाएंगे लेकिन भैंस को काटो। यह कहां कहने की जरूरत आ रही थी, किसने ऐसी सलाह दे दी? इस कागज में, इस कानून की किताब में लिखने के बाद तो यह

(श्री प्रहलाद गुजंल)
आशय स्पष्ट हो गया कि आपने यह तय कर दिया कि नहीं भाई अगर कोई वध के लिए ले जा रहा है तो गोवंश को ही रोकेंगे, भैंस को नहीं रोकेंगे। पहले भैंस को रोकेंगे यह कहां उल्लेखित है? आप स्पष्टीकरण कर रहे हो कि भैंस को नहीं रोकेंगे। इसलिए महात्मा गांधी के देश में अहिंसा व्रत का पालन करने वाले लोग...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सदस्य, यह पहले तो सबके लिये ही था लेकिन माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी ने कैबिनेट में इसमें छूट दिलवाई है, यह देख लो आप।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने केवल यह संशोधन विधेयक पढ़ा है, मूल अधिनियम नहीं पढ़ा। मूल अधिनियम कहता है गोवंशीय पशु से अभिप्रेत, उसके अंतर्गत गाय, बछड़ा, बछिया, सांड या बैल । यह स्पष्ट है कि यह सब गाय से पैदा होने वाली नस्लें हैं। आप संशोधन क्या कर रहे हैं किन्तु इसमें भैंस और उसकी नस्ल सम्मिलित नहीं है। यह संशोधन क्यों लाए, केवल यह कहने के लिए कि गाय को काटने वालों कानून की पालना कर लो, हमारी मंशा समझ लो, हमारी भावना को समझ लो, आप भैंस को काट लो। कानून में हम परिभाषित कर रहे हैं कि भैंस को काटना जुल्म नहीं है। भैंस को काटना जुल्म है या नहीं है, कानून में लिखा ही नहीं था तो आपने राजस्थान को क्या पढ़ाया, भैंस काट लो, भैंस को वध के लिए ले जाओ। यह बहुत अव्यावहारिक तरीके से लिखी गई लाइन है जिस पर मुझे घोर आपत्ति है। आपने परिभाषा में ही सत्यानाश कर दिया। उसको काटने के लिए आपने कह दिया और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य पीडब्ल्यूडी मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने योजनाबद्ध तरीके से भैंसे के वध की इसमें छूट दिला दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है। हमने यह क्यों किया निश्चित रूप से इस पर मंत्री महोदय अपना जवाब देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो संशोधन दूसरे हैं। मूल अधिनियम की धारा 6-(क) का अन्त:स्थापन। धारा 6 और धारा 7 के बीच में, मौजूदा प्रावधानों के बीच एक नया प्रावधान किया। इस नये प्रावधान में इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के लिए उपयोग में लाए गए साधन का अधिग्रहण किया जाएगा। पहले साधन को छोड़ देते थे, व्यक्तियों को अरेस्ट कर लेते थे। अब 6-क(1) में आपने कह दिया साधन का अधिग्रहण करेंगे। 6-क(2) में आपने कह दिया कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय

(श्री प्रहलाद गुजंल)

कोई अपराध करने के लिए उपयोग में लाए गए साधन को अधिग्रहण करने हेतु अधिग्रहित किए जाने की जानकारी अधिगृहीत करने वाले व्यक्ति द्वारा अविलम्ब प्राधिकृत अधिकारी को दी जाएगी। अब यह लंबी चौड़ी बात हो गई। साधन को अधिग्रहण करने वाले व्यक्ति के द्वारा अधिग्रहण करने की अविलम्ब सूचना प्राधिकृत अधिकारी को दी जाएगी। आपने कानून में कहीं नहीं लिखा प्राधिकृत अधिकारी कौन होगा, अधिग्रहण करने वाला व्यक्ति कौन होगा, मौजूदा कानून की पालना कराने के लिए राजस्थान की सबसे छोटी कानूनी इकाई थाना, उसको राइट है कि गोवध ले जा रहे हैं तो पकड़े और कानूनी कार्यवाही करें। आप इसके दायरे को विस्तृत करने के लिए नीचे तक ले जा रहे हो तो प्राधिकृत अधिकारी कौन होगा। आपने उल्लेख नहीं किया कि आप तहसीलदार को पावर दे रहे हैं कि तहसीलदार प्राधिकृत अधिकारी के नाते नीचे अधिग्रहण की ताकत पटवारी को देगा, कानून को देगा या और तहसील के छोटे चपरासी को देगा। वह जैसे ही इस साधन को पकड़ेगा तहसीलदार को सूचना देगा, कुछ तो उल्लेख करना चाहिए था। कानून की पालना को सुनिश्चित कराने का थाना निम्न स्तर तक का इतना बड़ा साधन है। उससे छोटे लेवल पर भी अगर हम इस कार्यवाही को ले जाना चाहते हैं तो तय करो। आप ग्राम सेवक को पावर देंगे, पटवारी को देंगे या किसको देंगे, ताकि ग्राम स्तर तक कहीं इस प्रकार का परिवहन हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। मैं एक विषय पर लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से सहमति जता रहा हूं। इस मुल्क में चाहे वह कोटा का राष्ट्रीय दशहरा मेला हो, जितने बड़े मेले, आज जिनकी पहचान प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अन्तरराष्ट्रीय स्तर की है, अगर उनकी शुरूआत के दिनों में जाएंगे तो इस मुल्क में जितने मेलों की शुरूआत हुई है, जो आज बड़े दशहरे और इन्सानों के मेले बन गये, वे जानवरों के मेलों से शुरू हुए थे। कोई से भी मेले का इतिहास उठा लीजिये। मैंने राजस्थान के मेलों के इतिहास को पढ़ा है। एक मेला बता दीजिये, जिसकी शुरूआत पशु मेले के रूप में नहीं हो। हम अगर आज दूसरी आजीविका के मेलों की बात करते हैं, फसल बाजार, हाट, हटवाड़े हर आठवें दिन राजस्थान के किसी बड़े कस्बे, शहर में मिलेंगे। लेकिन राजस्थान का एक-एक मेला पशु मेले के रूप में शुरू हुआ है।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि पशुधन है। अब पशुधन कहां जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास बछड़ा है, उसको बेचने के लिये मेले में जाता है। गाय है, उसको बेचने के लिये मेले में जाता है तो फिर उसके बारे में

(श्री प्रहलाद गुजंल)

आप क्या करोगे। यह बात अलग है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि आपने इसमें उल्लेख कर दिया। मैंने उसको भी पढ़ा है, '..प्रवहण के उक्त साधन के अधिहरण का आदेश करने से पूर्व..', प्रवहण का मतलब, आपने उसको पकड़ लिया, अब आप उसको अभिग्रहीत कर रहे हैं, उसके पूर्व '...स्वामी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जायेगा, और यदि ऐसा स्वामी सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि उसके पास यह विश्वास करने का कोई भी कारण नहीं था कि ऐसा अपराध किया जा रहा है या किये जाने की सम्भावना है और उसने ऐसे किसी अपराध को किये जाने को निवारित किये जाने में सम्यक् सावधानी बरती थी तो सक्षम प्राधिकारी प्रवहण के उक्त साधन का अधिहरण नहीं करेगा:..'

अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चौमूं का किसान अपने बछड़े बेचने के लिये जयपुर मेले में आ गया। उसको पकड़ लिया। पटवारी ने पकड़ लिया, ग्राम सेवक ने पकड़ लिया। आपने अधिग्रहण के लिये किसको अधिकृत किया है। अब अगर वह पटवारी ने पकड़ा है तो उसका प्राधिकृत अधिकारी तहसीलदार होगा और अगर वह ग्राम सेवक ने पकड़ा है तो उसका अधिकारी बी.डी.ओ. होगा। राजस्थान का वह गरीब किसान जो परिवहन करके मेले में अपने पशु को बिक्री के लिये ले जा रहा है, आप नहीं रोक सकते। सैकड़ों-हजारों सालों से हिन्दुस्तान की सनातन परम्पराएं हैं। वहां जा रहा है, उसके सामने भी आपने एक कानूनी पेचीदगी और एक संकट अनावश्यक रूप से खड़ा कर दिया, फंसो, तहसीलदारजी के हाथ जोड़ो, बी.डी.ओ. के हाथ जोड़ो, ग्राम सेवक और पटवारी के हाथ जोड़ो। कानून बनाते समय उसकी बारीकियों को उल्लेखित करना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, मैं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से बहुत ईमानदारी से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। आप जब इस विधेयक की लाइट में नियम बनायें तो इस राजस्थान के किसान की मूल बात को उन नियमों में समाहित करें कि गांव से अगर मेले में कोई व्यक्ति बेचने आ रहा है तो न उसको प्राधिकृत अधिकारी बेचेगा, न उसके द्वारा नामिनी अधिकारी पकड़ेगा, कोई नहीं पकड़ पायेगा। आप क्यों उससे उनके हाथ जुड़वा रहे हो। क्यों कागजी खाना-पूर्ति और तहसील, थानों के चक्कर लगवा रहे हो। इसलिये इसमें संशोधन करने की जरूरत है। आपने युक्तियुक्त अवसर दे दिया।

यह बात सच है कि राजस्थान के एक जिले में गोवंश की तस्करी हो

(श्री प्रहलाद गुजंल)

रही है और फास्ट ट्रकों में भर कर ले जा रहे हैं। वे ट्रक जब्त होने चाहिए। आपने उसमें सख्त प्रावधान किया है कि पहली बार जब्त होगा तो बाजार मूल्य जमा कराना होगा। दूसरी बार जब्त होगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। उसकी नीलामी का भी आपने क्लाज में प्रावधान कर दिया। मैं सहमत हूं। पहली बार अगर कोई गोहत्या के लिये गौ को कटाई के लिये बूचड़खाने ले जा रहा है और आपने पकड़ लिया तो जब्त करो। ऐसे प्रावधान, आपने उद्देश्यों में लिखा है, राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 59, और मेरे ख्याल से फोरेस्ट एक्ट में भी ऐसा संशोधन बीच में हुआ है। फोरेस्ट एक्ट और आबकारी अधिनियम की जिन कुछ धाराओं को हम इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, आप करिये। कानून अगर न्याय के लिये सशक्त बनता है, ताकतवर बनता है तो राजस्थान में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन सशक्त, सबल कानून, उसका दुरुपयोग होने लग जाये, और उस व्यक्ति को भी प्रताड़ना झेलनी पड़ जाये, जिसके लिये यह सदन है, जिसके लिये यह कानून बन रहे हैं। न ये बनने वाला कानून, न ये सदन उस व्यक्ति से ऊंचा नहीं है, जिसके लिये हम सब लोग विचार करके यह कानून बना रहे हैं। उसी के लिये है।

इसलिये बाइ-लाज में बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। क्योंकि मुख्य मंत्रीजी ने उस समस्या को समझा है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आवारा पशु, बड़ी परेशानी हो रही है। राजस्थान में गोशालाओं के विस्तार के लिये बजट दिया है और आवारा पशुओं में 'नंदी', जो अगर बिकता नहीं है, कटाई के लिये मालिक बेचना नहीं चाहता, उसकी आत्मा में पीड़ा है और उसका खर्चा वह वहन नहीं कर सकता, जिसको वह खुला छोड़ देता है, जिसको हम आवारा पशु कहते हैं, उस पूज्य पशु को भी गौ-माता के वंश को भी, उसके संरक्षण के बारे में यह कानून सदन में लाने से पहले नंदी-गोशाला, राजस्थान में पहली बार खुलेगी।

मैं आज, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि सख्ती के साथ गोवध प्रतिषेध को आप लागू करो पर नंदी-शालाओं और गोशालाओं को इतना सबल करो, चाहे समाज को आपको उसमें भागीदारी बनानी पड़े।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहां जाएंगे। मैं पशुपालक परिवार से आता हूं। आज भी शायद इस सदन में बहुत सारे माननीय सदस्यों को पता नहीं होगा कि मेरे पास परिवार में आज भी एक हजार जानवर हैं और एक

(श्री प्रहलाद गुजंल)

हजार किलो से ज्यादा प्रतिदिन दूध का उत्पादन मेरे परिवार में आज भी होता है। कहां जाएंगे, आपने फोरेस्ट को वाइल्ड लाइफ के नाम पर, रिजर्व फोरेस्ट के नाम पर इतने प्रतिबंध कर दिये, पैरीफेरी के नाम पर कि गांव का पशुपालक आज चराने की स्थिति में नहीं है। आपने गांव के सारे चरागाहों को आबादी में बदल दिया। गांव के जो गोवंश के चरागाह थे, उन पर कब्जे हो गये हैं। कब्जे हटाने के बारे में कोई सख्त कानून नहीं है। उनको बार-बार रेगुलराइज करने की स्थितियां बनती हैं। और, जो पशुओं का, फसल कट जाने के बाद उस कटी हुई फसल पर पशुओं का हक होता था, आज यह प्रगति की चाहत, यह भौतिक लालसा किसान को उस मुकाम पर लेकर गयी कि काटते ही अगले दिन पहले कटी हुई फसल में आग लगाता है। जिस पर राजस्थान के पशुधन का हक होता था, उसको आज जला दिया जाता है। आपने जंगलात के उसके रास्ते बंद कर दिये। उसकी गो-चराई के रास्ते बंद कर दिये। किसान स्वयं उसकी फसल को जलाकर उसके रास्ते बंद कर रहा है। वह गोधन जाएगा कहां। इसलिये जो समाज में नैतिक रूप से कटाई के बाद उस चारे पर गोधन का हक-अधिकार होता था, कानून लाओ, फोरेस्ट में चराई, और मैं आज कहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा अधिक समय लग लग रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा, मैं गांव से आता हूं, यह फोरेस्ट अगर पशुपालक और गोधन को पालने वाले लोगों के हवाले कर दिये जाएं कि अपने जानवरों को पालो और वन को संरक्षित करो, मैं आज विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस राजस्थान के वनों की शक्ल बदल जाएगी। ये वन अगर कटते हैं तो वनपालकों के संरक्षण में कटते हैं। अगर वनों से आम आदमी की दूरी कर दी, वनों के साथ अत्याचार करते हैं। इसलिये यह कानून भी लाओ कि फोरेस्ट में पालतू जानवरों को चरने से नहीं रोका जाये। इसलिये कई प्रकार के इस कानून के प्रतिबंधों के साथ नये कानून लाने की जरूरत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 23 में नई धारा 12-क भी जोड़ी है। 12-क में आपने उस प्राधिकृत व्यक्ति को गिरफ्तारी का पावर दिया है। गिरफ्तार करके उसे पुलिस के हवाले करने का भी पावर दिया है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वह किस हैसियत से, पहले खुद गिरफ्तार करेगा, या फिर बाद में गिरफ्तार करके पुलिस को देगा। मैं समझता हूं कि पावर होने चाहिए। लेकिन पावर उस सीमा में, उस मर्यादा में, हम यह भी कर सकते थे कि इस आशय के बाद कि यह पशुधन कटाई के लिये जा रहा है, वाहन का अधिग्रहण करना जरूरी है, व्यक्ति की गिरफ्तारी जरूरी है तो प्राधिकृत व्यक्ति या उसके द्वारा

(श्री प्रहलाद गुजंल)

अधिकृत व्यक्ति इस समूचे वाक़ये की प्राथमिक सूचना पुलिस में दे। पुलिस मौजूदा नियमों के दायरे में उसके खिलाफ काम करे। लेकिन आपने कह दिया, किसी पटवारी ने मौके पर किसी को गिरफ्तार कर लिया, किसी ग्राम सेवक ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में वह गिरफ्तारी के कागज बनाकर पुलिस को सुपुर्द कर देगा तो पता नहीं, यह ग्राम सेवक और पटवारी, इसके दायरे को विस्तृत करने के लिये आप कानून लाये हो न, वरना थाना कर ही रहा है न आपका। मौजूदा कानून में भी कर रहा है। इसमें और क्लाज आप इसलिये जोड़ रहे हो न, कि इसके दायरे को ज्यादा बढ़ा दिया जाये। तो वह पटवारी और ग्राम सेवक किस लेवल तक प्राधिकृत अधिकार पाने के बाद गांव के व्यक्ति के सामने तकलीफें पैदा करेंगे। मैं निश्चित रूप से इस बिल का तो समर्थन कर रहा हूं लेकिन इस बिल के जब नियम बनाओ, तो नियमों में भगवान के लिये प्रोफेशनल रूप से गोवंश को बूचड़खाने में ले जाने वाले लोगों की परिभाषा, मेले-बाजारों में अपने पशुधन को खरीदने-बेचने ले जाने वालों की परिभाषा, मेले-बाजारों में अपने पशुधन को लेने-बेचने-खरीदने के लिये ले जाने वाले वाहन की परिभाषा और कटाई के लिये ले जाने वाले वाहन की परिभाषा और उसके आइडेंटीफिकेशन के इंटेरोगेशन के तौर-तरीके नियमों में स्पष्ट रूप से जब तक आप उल्लेख नहीं करेंगे, आपने सख्ती कर दी, वाहन जब्त कर लेंगे तो कोर्ट में भी नहीं जा सकता।

वह तहसीलदारजी होंगे तो तहसीलदारजी करेंगे और बी.डी.ओ. साहब प्राधिकृत होंगे तो बी.डी.ओ. करेंगे और वह बाजार का मूल्य खटारा वाहन का एक लाख का दो लाख तय करेंगे तो जमा करवाओ और एक बार आप जमा करवा चुके, चाहे वह बेचने जाते समय, दुबारा तो फिर नीलामी होगी। मैंने कई बार इस सदन में कहा है कि फोरेस्ट में करोड़ों रुपये के वाहन आज जब्त करके पड़े हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, खराब हो गये। ऐसी सम्पदा पर इस सदन में कभी यह विचार नहीं हुआ कि एक बार ट्रांसपोर्टेशन करने वाले को जब्त कर दिया, छोड़ दिया, दुबारा जब्त करके नीलाम करेंगे लेकिन वह एक बार अवैध काम कर रहा है, दो बार अवैध काम, कटाई कर रहा है जंगल की, पत्थर निकाल रहा है लेकिन पत्थर नहीं निकाला जाए, कटाई नहीं की जाए, इस बात की सुरक्षा के नाम पर राजस्थान सरकार से जो लाखों-करोड़ों रुपये की तनख्वाह ले रहे हैं उनकी क्या लायबिलिटी फिक्स कर रहे हैं?

जिस रेंजर और ग्राम सेवक फोरेस्टर की पैरीफेरी के अंदर एक बार कोई पत्थर लेते हुए, पेड़ काटते हुए पकड़ा गया, दुबारा पकड़ा गया तो आप

(श्री प्रहलाद गुजंल)

उसको तो फांसी के प्रावधान बना दो लेकिन दो-दो बार जो अनदेखी कर रहा है, मिलीभगत कर रहा है और सत्यानाश कर रहा है उसको कानून के शिकंजे में फांसने के तौर-तरीके, जो संरक्षण दे रहा है, पकड़ा गया वह चोर, वरना जो चोरी कराने का काम रोज कर रहा है, ऐसे लोगों के भी जब तक सशक्त कानून नहीं बनाओगे, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कानून का वायलेशन होता ही रहेगा। कानून की पालना सुनिश्चित करवाने वाले लोग जानबूझकर फोरेस्ट वाले मिट्टी निकलवाते हैं। फोरेस्ट वाले पेड़ कटवाते हैं। फोरेस्ट वाले अवैध माइनिंग करवाते हैं। उन पर भी काग्निजेंस लेने का, एक बार, दो बार उस क्षेत्र में पकड़े जाने के वह भी दंड के निर्धारित स्वरूप में भागीदार होंगे, चाहे वह पशु धन प्रतिषेध में हो, परिवहन में हो, जिस किसी भी कानून में हो। मैं समझता हूं कि जब तक कानून की हम सशक्त पालना करवाने की चेष्टा और पालना करवाने वाले लोगों को भी अवमानना के और उस दंड के प्रावधानों में शामिल नहीं करेंगे तो हम लाते जाएं कानून, अपराधी कितने पकड़े जाएंगे लेकिन सहज लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही होगी।

मैं समझता हूं कि कानून लाने के पीछे सरकार की मंशा ठीक है। गौ-हत्या पर प्रतिबंध लगे, जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, गौ-रक्षकों और गौ-तस्करों के बीच में हत्या जैसी बातें हो गयीं, समाज का वातावरण दूषित न हो इसीलिए हम कानून के प्रभाव में लाकर लोगों को यह विश्वास दिलवाना चाहते हैं कि आपको कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं। गौ-तस्करों को गौ-रक्षक न रोके, हम कानून से रोकेंगे, यहां तक तो आपकी मंशा ठीक है लेकिन किसान के साथ आप कैसा बर्ताव करेंगे? किसान के वाहन के साथ कैसा बर्ताव करेंगे? गौ-तस्कर के खिलाफ आप कितना ही जुर्माना लगाओ, उसका साधन जब्त करो, सब कुछ करो, उसको जेल भेजो, यह मौजूदा कानून में भी आपने उसको और सख्त किया है और करिए लेकिन परिभाषाओं में आप किसान को और गौ-तस्कर को, दोनों को, पशु-पालक को, उसके परिवहन को, दोनों को अलग-अलग तरीके से परिभाषित करेंगे तो अच्छा होगा।

राजस्थान में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि हम एक बहुत वाजिब कानून प्रभू लालजी सैनी जब कृषि मंत्री थे, पशु-पालन मंत्री थे, तब जोरदार कानून लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने किसान के हितों की अनदेखी होने से किसी भी कीमत पर कानून को जांचा है, परखा है कि किसी भी कीमत पर अनदेखी नहीं होने देंगे।

(श्री प्रहलाद गुंजल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी उम्मीद के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगारामजी पटेल। (अनुपस्थित) श्री भंवरसिंहजी। (अनुपस्थित) श्री सुखराम विश्नोई। (व्यवधान) (अनुपस्थित) डा. फूलचन्द भिण्डा। (अनुपस्थित) श्री मनोज कुमार (अनुपस्थित), श्री संदीप शर्मा (अनुपस्थित), श्री नन्दकिशोरजी महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

काफी विद्वान माननीय सदस्यों ने इस पर विचार रखे हैं। पशु धन किसान की रीढ़ की हड्डी है। उत्पादन के नाम पर जितनी फसल प्रदेश में हो रही है लगभग उतना ही उत्पादन पशु धन से भी प्राप्त हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस पशुधन में हम बात करें जो कि लगभग हमारी जनसंख्या के बराबर ही है, 2011 की हमारी जनसंख्या 6.85 करोड़ और 2012 की पशु धन की संख्या 6.57 करोड़ है, पोल्ट्री को मिलाकर, वैसे 5 करोड़ 77 लाख है और इनमें जो हम गौ-वंश की बात कर रहे हैं वह ग्रोथ के हिसाब से आज के दिन लगभग डेढ़ करोड़ है।

अब डेढ़ करोड़ गौ-वंश में 75 लाख आप बछड़ा कह लो, सांड कह लो, बैल कह लो, वह है। जिनका आज के दिन हमारे प्रदेश में कोई किसी तरह का उपयोग नहीं हो पा रहा है। न खेती में, न गाड़ी में, न और किसी तरह से तो प्रश्न यह है कि यह जो गौ-वंश है जो निराश्रित घूम रहा है, इसकी आने वाले समय में और भयावह स्थिति होने वाली है, उसका हम क्या उपाय कर रहे हैं?

कुछ प्रदेशों में हमारे गौ-वंश की, हमारे बैलों की, खास तौर से नागौरी बैलों वगैरह की जहां पर जोत छोटी है दूसरे स्टेट्स में वहां पर मांग भी रहती है। 15, 20, 30 हजार रुपये तक वहां मिल भी सकते हैं, ऐसे स्टेट भी हैं, ऐसी छोटी जोत भी है लेकिन हम उसको ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम ले ही नहीं जा पाएंगे तो उनका होगा क्या?

आज के दिन प्रदेश में 75 लाख निराश्रित यह गौ-वंश घूम रहा है। प्रति जिले की अगर हम बात करें तो लगभग सवा दो लाख है और हर ग्राम पंचायत में 750-800 निराश्रित बैल, सांड, बछड़े घूम रहे हैं। अब इनको कैसे सरकार व्यवस्थित करेगी और आने वाले समय में समस्या और बढ़ने वाली है।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

आज चाहे व्यापारी हो, वह परेशान है, यह शहरों में भी घूम रहे हैं। चाहे राहगीर हो, कई जगह पर तो यह हालत है, सिंगल रोड जहां पर है, गाड़ी से उतरकर उनको हटाकर फिर वापस गाड़ी में बैठकर चलना पड़ता है और किसान तो परेशान है ही है। तीन-चार महीने तक फसल की रखवाली करता है, तैयार करता है और एक दिन में झुंड के झुंड आते हैं और चट कर जाते हैं तो इसका जो मेरा सुझाव है वह तो एक मात्र यह है कि टैक्निक बढ़ चुकी है और सीमन उपलब्ध है, कई देशों में हो रहा है, हमारे यहां पर भी कई स्टेट्स में हो रहा है तो क्यों नहीं राजस्थान में ऐसी व्यवस्था की जाए कि सिर्फ बछड़ी पैदा हो? वर्ना तो यह समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती रहेगी। थोड़ी बहुत जगह की भी है, एकाध जिले में प्रयास किया है लेकिन वहां पर भी किसान से पैसे लिये जा रहे हैं, पांच सौ रुपये, हजार रुपये और फिर अपने यहां पशु चिकित्सक कितने हैं? यह जो साढ़े छह करोड़ के करीब हमारा पशु धन है, उस पर कितने पशु चिकित्सक हैं, कितने कम्पाउंडर्स हैं, हास्पिटल्स हैं, यह तो अपने को पता ही है तो यह जो आर्टिफिशियल सीमन है या जो भी तरीका या टैक्निक है कि सिर्फ बछड़ी पैदा हो, यही एक इसका उपाय नजर आता है। जो पूरे प्रदेश में जितना जल्दी हो सके, करना चाहिए।

अभी गौ-शालाओं की बात चल रही है। गौ-शाला में कितने पशु रख लेंगे? अभी पचास-पचास लाख रुपये, बहुत अच्छी भावना है, हर जिले में दिये हैं लेकिन उनसे कुछ नहीं होने वाला है। पचास लाख रुपये से तो वह तैयार भी नहीं होगा, फिर उसको खिलाएंगे क्या? एक गौ-वंश है उसकी उम्र बीस-पच्चीस साल तक होती है। वह तो पैदा होने से लेकर 25 साल तक उसको खिलाना पड़ेगा जब तक उसका कोई उपयोग नहीं हो। या तो उसके जो उत्पाद हैं, चाहे गौ-मूत्र है, चाहे कुछ और है, वह इस तरह से बिके कि किसान को फायदा हो, लोग अपने आप रखेंगे। वह बिकेंगे नहीं और यह बढ़ते जाएंगे तो यह समस्या है, आज भी बहुत भयावह समस्या है और आगे आने वाले समय में और बढ़ जाएगी।

हमारे क्षेत्र में तो यह निराश्रित बछड़ों के अलावा हमारे फतेहपुर, रामगढ़, चूरू में तो हिरणों का प्रकोप और है जो किसान को छोड़ते ही नहीं है। जो भी फसल तैयार करता है उसको ले जाते हैं। आज हम 16 रुपये, 32 रुपये इन पर अनुदान दे रहे हैं मतलब, एवरेज अगर एक गौ-वंश 24 रुपये का भी दिन-भर में खाता है और यह 75 लाख जो घूम रहे हैं तो यह रोजाना 18 करोड़ का माल तो खाते ही खाते हैं और साल भर में यह जो कीमत है यह

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

6570 करोड़ हो जाती है। हमारे सहकारिता मंत्रीजी ने मुख्य मंत्रीजी से जो माफ करवाया किसानों का उससे भी ज्यादा हो जाती है। चार साल का जोड़ें तो 25 हजार करोड़ का तो यह गौ-वंश जो है, वह किसान का धन खा गया।

इसका हम जब तक उपाय नहीं करेंगे तो पार पड़ने वाली नहीं है। दूध की कीमतें गत तीन, चार, पांच साल में कम ही हुई हैं, बढ़ी है नहीं। यही घी की कीमतों की हालत है तो अगर उत्पादन की कीमत नहीं मिलेगी या हमारे यहां पर जो भी प्लांट्स लग रहे हैं और लग रहे हैं, उनसे जो बाई प्रोडेक्ट या जो भी बन रहा है, वह हमारी मार्केटिंग नहीं हो पा रही है।

(20.00 बजे)

आज कई देश ऐसे है स्विट्जरलैंड जैसे, जो सिर्फ गाय और घड़ी बेचकर पूरे देश को दुनिया के टाप चार-पांच देशों में उन्होंने ला रखा है। हमें इस पर विचार करके कोई न कोई तरह की व्यवस्था करनी चाहिये। सिर्फ यह कानून बनाने से कोई समाधान होने वाला नजर नहीं आ रहा है। यह तो दिन-प्रतिदिन, थोड़े बहुत भी अगर बिक्री के लिये जा रहे थे, कहीं दूसरे स्टेट में किसान काम में ले रहे थे, या दूसरे जिलो में ले रहे थे, वह भी बंद हो जाने हैं और यह जो अनुदान वगैरह है, इनसे भी कोई काम नहीं चलना है तो इस पर विचार करके इसमें इस तरह की चीजें जोड़ी जायें। एग्जोटिक और जो हमारी क्रोस ब्रीड नस्ल है, उसके अलावा जो इंडीजीनियस है, खास तौर से वही ज्यादा है हमारे यहां। उसके इस तरह के इंजेक्शन तैयार किये जायें और वह फ्री में किसानों को दिये जायें, अवेयर किया जाए, प्रमोट किये जाए। यही इसका एक सोल्यूशन नजर आ रहा है और आने वाले समय में जिस हिसाब से यह बढ़ रहा है दिन-प्रतिदिन, वह हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध औंर अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 तीन माह के लिये जनमत हेतु परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर (अनुपस्थित) श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में सुबह से ही बिलों का अंबार लगा है। इन पर सदन में माननीय विद्वान सदस्यों द्वारा अपने-अपने हिसाब से बात बतायी जा रही है। अभी जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, वह राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 सरकार लेकर आयी है, जो अधिनियम 1995 को संशोधित करने के लिये विधेयक

(श्री पूरणमल सैनी)

लाया गया है और जो 1995 के राजस्थान अधिनियम संख्या 23 की धारा 2 का संशोधन मात्र है तथा इस अधिनियम की धारा 5 गोवंशीय पशुओं का राज्य के भीतर के किसी भी स्थान से राज्य के बाहर के किसी भी स्थान को वध के प्रयोजनों के लिये निर्यात को प्रतिषेघ करती है। जबकि गोवंशीय पशु के ऐसे अवैध परिवहन के लिये प्रवहण के यांत्रिक साधन उपयोग में लाये जा रहे हैं। यह बात सही है, लेकिन इस बिल की जो भावना है, वह निश्चित रूप से उन पशुपालकों के खिलाफ है, जो पशुपालक कृषि करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश की अगर हम जी.एस.डी.पी. की बात करें तो जिन भी विभिन्न मदों से राजस्थान की सरकार को आमदनी जो होती है, उसका 43 प्रतिशत अकेला इस राजस्थान प्रदेश का किसान देता है और उस 43 प्रतिशत में से 18 प्रतिशत जी.एस.डी.पी. का पशुधन से आता है।

श्री उपाध्यक्ष: 14 प्रतिशत, 37 डायरेक्ट एग्रीकल्चर और 14 प्रतिशत इनसे।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): सारी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 14 प्रतिशत जो देने वाला है, वह कृषि और कृषि पर आधारित समस्त यंत्रों और साधनों के माध्यम से उपार्जन करके और हमारी सरकार को देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति यह है, जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने बतायी इन कानूनों में और इस प्रदेश के न बोलने वाले लोगों को जिनकी बात केवल चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य हों और चाहे वह कांग्रेस के सदस्य हों, केवल बात-बात उनकी लिखी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज की तारीख में मुझे एक छोटा-सा दोहा याद आ रहा था, उसमें कहीं लिखा था। इस तरीके से इन कानूनों में लपेटा जा रहा है, जो पता ही नहीं चलता। जैसे -

'कि अजा सहेली, तासु रिपु ताजन ही भरतार,
तांके सुत के मित्र को भजिये बारम्बार।।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजा यानी बकरी, बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का शत्रु भरभूट और भरभूट की जननी पृथ्वी, पृथ्वी का पति इन्द्र और इन्द्र का मित्र अर्जुन और अर्जुन का मित्र श्रीकृष्ण, उनको भजिये बार-बार। इतने बड़े दोहे का अर्थ है कि श्रीकृष्ण जी को भजिये बार-बार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को यहां इसलिये रेज कर रहा हूं कि यह कानून लेकर आये। मेरे पूर्व वक्ता के रूप में फतेहपुर से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री पूरणमल सैनी)

ने जो आंकड़े बताये वह सौ के सौ फीसदी सही हैं। मेरा यहां मानना है कि पांच गोवंशीय, इन्होंने बताया कि गाय, बछिया, बछड़ा, सांड और बैल, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है एक आदमी की किसी जमाने में कोई सोच थी और धर्म के नाम पर आज की तारीख में क्यों इस कानून को लाकर इस प्रदेश के किसानों को और पशुपालकों को परेशान किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बात यह है कि उन दो गाय और बछिया, महज उस धर्म की मानसिकता के अनुसार उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस सांड, बैल और बछड़े का आप कहां उपयोग करोगे? आज की तारीख में मशीनरी के द्वारा खेती की जा रही है। बैल इसलिये बैल के रूप में काम नहीं आ सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन गायों से पैदा हुआ बछड़ा सांड कभी नहीं बन सकता। माननीय मंत्री महोदय, इस विभाग के मंत्री भी हैं, चाहे अपने डाक्टरों से इसकी जांच करवा लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में सड़कों पर दुर्घटनाओं को अंजाम देने में भी इन तीनों किस्मों का बहुत बड़ा योगदान है। इन समस्त बातों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह जो कानून लाया गया है, यह वास्तव में केवल उस भावना को प्रोटेस्ट करने के लिये कि किसी ने कह दिया धर्म की आड़ में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहते भी नहीं चूकूंगा कि मान लिया कि गाय हमारी माता है, उसको मरते हुए नहीं देखना चाहिये, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक गाय कहीं मरणासन्न स्थिति में पड़ी है तो उसको जहर का इंजेक्शन लगाकर खतम कर देना कोई धर्म के खिलाफ नहीं जा रहा, जबकि उनकी आत्मा को शांति देने के लिये जरूरी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस तरीके का कानून, कि बैल, सांड और बछड़ों का बर्डन बढ़ता चला जाएगा, यह समा कहां पायेगा? आज की तारीख में सरकार के द्वारा विभिन्न गौशालाओं को अनुदान 16 और 32 रुपये बड़े और छोटे पशु के लिये दिया जा रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह पर्याप्त नहीं है और न ही उन गौशालाओं में इन बैल, बछड़ों और सांडों को रखा जाता है तो यह किस तरीके की सज़ा हमारे राजस्थान की सरकार उन पशुपालक किसानों को देना चाह रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए, मेरे ख्याल में समय का भी अभाव है, मैं इतना-सा निवेदन करना चाहूंगा कि इस कानून को लाया जाए। दूसरी बात यह कह दी,

(श्री पूरणमल सैनी)

जैसे मेरे पूर्व वक्ता के रूप में, प्रथम वक्ता जो इस बिल के रहे, माननीय गोविन्द सिंहजी डोटासरा ने यह प्रश्न किया था कि यह तो बतायें कि इनको इस बिल में कैसे पता चल जाएगा, इनकी जो भी कोई एजेंसी होगी, इसको रोकने के लिये कानून के अनुसार, कि यह वध के लिये जा रहा है, तो यह कैसे उस अधिकारी को या उस एजेंसी को पता चल जाएगा कि इस किसान की या जो भी निर्यात करने वाला आदमी है, जो उस साधन में लेकर जा रहा है कि यह क्या करेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस पर प्रत्येक खण्ड पर और प्रत्येक बिंदु पर विशेष विचार किया जाना चाहिये और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस गोवंश में जो तीन किस्में हैं बैल, सांड और बछड़ा, इनके लिये निश्चित रूप से माननीय मंत्री महोदय, जवाब देते हुए बतायें कि इनका कहां उपयोग करवाना चाहते हो, जब उनकी चमड़ी आप कहीं काम में नहीं लेने देना चाहते। वह मर जाये, उसका इंतजार करें, लेकिन वह मरेगा कब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समस्त राजस्थान के किसान को जब मार देगा, आर्थिक दृष्टि से मार नहीं देगा, उसके बाद में वह मरेगा 15-20 साल में, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रोटेस्ट चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय जब इस बात का जवाब दें या फिर इसके लिये कानून बन जाने के बाद इसके नियम और उप-नियम जब बनायें तो उसमें निश्चित रूप से कम से कम इन तीन किस्मों को, गोवंश के तीन वंश को इस नियम और कानून से बाहर रखा जाए और मैं तो मांग करता हूं कि आप अगर वास्तव में इस पशु के लिये भी कोई न्याय करना चाहते हो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों पर एक्सीडेंट बढ़ाते हैं, यह तो अलग बात है, लेकिन वह खुद भी भूखे मर-मरकर वह प्लास्टिक की थैलियां खा-खाकर नाले में जाकर मरते रहते हैं तो इतनी बुरी हालात उनकी हमारी सरकार क्यों देखना चाहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो निवेदन है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेकर, इन तीन चीज, जो गोवंश में आती हैं बैल, सांड और बछड़ा, इनको इनसे बाहर रखा जाये और इनका निर्यात इस तरीके से डाला जाये कि इनका निर्यात किया जाना चाहिये। ठीक है, धर्म की पालना करनी है तो अकेले गाय और बछिया से अपनी संतुष्टि कर लें, जो धर्म के मानने वाले लोग हैं। इतना ही सब कुछ कहते हुए मैंने जो संशोधन का प्रस्ताव दिया, इसके लिये मैं चाहूंगा कि इसको परिचालित और भी किया जाना चाहिये और वास्तव में यह ए.सी. में बैठकर या ठंडी छाया में बैठकर यह बिल तैयार किया गया है, उन किसानों तक इसको भेजा जाना चाहिये और उन पशुपालकों तक इसको भेजा जाना चाहिये,

(श्री पूरणमल सैनी)

जो वास्तव में इससे दु:खी हैं या इसको आय का साधन मानते हैं। आपने समय दिया, इसके लिये धन्यवाद। जय भीम।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकरसिंहजी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गो वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर वक्ताओं ने अपने-अपने विचार रखे हैं। वास्तव में यह नियम, वर्ष 2005 में विधान सभा में मैंने पर्ची के माध्यम से इस विषय को उठाया था और ध्यान में ऐसे आया कि सिरोही जिले का एक मण्डार थाना है, वह मण्डार थाना गुजरात के बार्डर पर है, वहां पर एक ट्रक एक महीने में तीन बार गौ वंश की तस्करी करते हुए पकड़ी जाती है और छूट जाती है। मैंने कहा कि जैसे आबकारी नियम 69 के अन्दर वाहन जब्त करने का नियम है, वैसा इसमें भी, कम से कम गौ वंश की तस्करी में, कत्लखाने पर जो गौ वंश जा रहा है और कत्लखाने पर भेजने की तस्करी में जो वाहन यूज आते हैं, उन वाहनों को जब्त करना है। इधर-उधर सारी बातें हुई किसानों के लिए, यह सारा, देखिए आखिर हर तहसील लेवल पर एक एजेंसी है। अगर कहीं मेले में जाना है तो वहां से बाकायदा वेटरिनरी डाक्टर से लगाकर तहसीलदार तक लिखकर देता है और वह लिखा हुआ सर्टिफिकेट जब पास में होता है तो उस किसान को कभी कोई रास्ते में नहीं रोकता है।

अब अगर आपको बांग्लादेश भेजना है, कलकत्ता के बाद या फिर पाकिस्तान भेजना है कत्लखाने के लिए तो इसके लिए तो कोई न कोई नियम आना जरूरी है। वास्तव में गाय इस देश की अस्मिता के लिए बहुत पूजनीय है। ठीक है आज समस्या है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि नयी-नयी टैक्नालोजी के माध्यम से खेती और खेती में उपयोग में नर वंश का नहीं आना, इसका और उपयोग कहीं न कहीं विषय पर रिसर्च जैसे आज हो रहे हैं देश के लेवल पर, आज भी कई जगह पर गौ मूत्र आधारित ऐसी ऐसी टेबलेट बनाई जा रही हैं जो कैंसर रोग के इलाज के उपयोग में आती है। मतलब यह है कि हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि दूध के अलावा एक गाय, किसान को लगभग 1500 से 2000 तक घर में दे सकती है। अब यह उपयोगिता लाने के लिए इसमें रिसर्च करना पड़ेगा। समय रहते वह भी होगा लेकिन आज हिन्दुस्तान में राजस्थान पहला प्रदेश होगा जहां गौ वंश की तस्करी में वाहन जो यूज आते हैं, उन वाहनों को जब्त करने का होगा।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे याद है 2005 में तो आपने गोलमोल

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

जवाब दिया था मंत्री महोदय, लेकिन 2007 में आपने निश्चित रूप से मेरी पर्ची के जवाब में कहा था कि हम इस बारे में कोई न कोई नियम बनायेंगे और आज यह नियम बना है तो निश्चित रूप से मैं भी अपने आपको गौरवान्वित महसूस करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान अपने आप में पहला प्रदेश होगा। सबसे बड़ी चीज है कि नर गौ वंश वाली बात चली, नन्दी शाला खोलने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने बजट में व्यवस्था की है...

श्री उपाध्यक्ष: यह गौ वंश जो है, यह जो वैल्थ है, यह है किसकी? यह पशुधन जो है न, जिसको हम गौ वंश के नाम से पुकार रहे हैं, यह धन है किसका?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): यह धन आपका, हमारा, किसान का है।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा। इस धन को इस प्रकार से छोड़ना किसका अपराध है?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): सभी का अपराध है। मैं आगे इस बात पर भी आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अगर इसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं तो वह किसका क्रिमिनल आफेंस है?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मैं उस पर भी आता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप एक मिनट विराज जाएं, क्योंकि This is part of it. आदरणीय मंत्री महोदय, जब आप अपना जवाब दें तो दो चीज जरूर कहना। एक जमाने में अगर आपके पास में अश्व था और अश्व को अगर आप सार्वजनिक रूप से आवागमन के लिए इस्तेमाल करते थे, तो उसका एक लाइसेंस हुआ करता था। आप सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक स्थान पर उसको आवागमन के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए लागू नहीं कर सकते थे। एक जमाने में जब इक्का चलते थे, जब तांगा चलते थे तो उसका भी टाइम था और कानून तो यह भी कहता है कि अगर हमारे पास पशुधन है तो उस पशुधन का भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर पशुधन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आप जब इंश्योरेंस कराते हो, तब भी रजिस्टर कराते हो, तो यह तो पता लगेगा कि वह अजय सिंहजी का है या बाबू लालजी का है। हम करेक्टिव मेजर की तरफ जा रहे हैं। हम प्रिवेन्टिव मेजर की तो बात कर रहे हैं लेकिन करेक्टिव मेजर की क्यों नहीं बात करें? मेरा इसमें यह निवेदन है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पशु पालक परिवार से आता हूं। आपने कानून सम्मत तरीके से और व्यावहारिक पक्ष को जोर से रखा है कि जिम्मेदारी किसकी है, अगर एक्सीडेंट हो जाए तो। जो छोड़े, वह भी उसमें अपराधी होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, आपसे किसी समाज का परिदृश्य छिपा हुआ नहीं है। गौ वंश तो बहुत छोटी सी बात है, आर्थिक तंगी के मारे आदमी बच्चे-बच्चियों को छोड़ देता है। पैदा होते ही अस्पताल में छोड़ कर चला जाता है। गौ वंश पालने वाले लोग, फोरेस्ट उसको जाने नहीं देता, चरागाह उसके रोक लिये गये, किसान की फसल की नौलाई जिसको बोलते हैं, सार भी बोलते थे हमारे हाड़ौती में, उसको जला देता है, इस चुनौतीपूर्ण माहौल में, जो लोग बच्चों को छोड़ देते हैं, तो पशु को छोड़ना तो बहुत छोटी सी बात है। हम उसको सम्बल कैसे दें, इस पर विचार होना चाहिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर बात के आविष्कार के बाद एक समस्या जगती है निश्चित रूप से।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक समस्या 8.16 वाली भी है। घड़ी बता रही है 08 बजकर 16 मिनट।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): आप तो भैंसे का कर रहे थे न। उपाध्यक्ष महोदय, यह जीवन संसार में आया है, जाना है। जब इस देश में हम जन्मे हैं ...(व्यवधान) दार्शनिक की बात नहीं है। आप भी गांव से आते हो। सारी कुछ बातें हैं। लेकिन जब गौ वंश की बातें आती हैं तो वह अपने दिल से नहीं निकली है। हम महलों में रहना जानते हैं लेकिन हमारा गौ वंश दुःखी क्यों हो। हमें इस बात की भी चिन्ता करनी पड़ेगी और करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को, कि पहली बार सरकार ने चिन्ता की है इस बात की। गाय हमारी कटने के लिए क्यों जाए। यह भी हमारे समाज का एक अंग है।

नंदी गौ वंश हो, निराश्रित गौ वंश, अब उसको आश्रय देने के लिए भी माननीय मंत्री महोदय, आप और रेवेन्यू मिनिस्टर हर पंचायत स्तर पर कम से कम पांच बीघा, दस बीघा आरक्षित करें गोचर में से। हर गांव के लेवल पर सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको संभालती हैं। कोई संभालने के लिए नहीं आता है। आज भी गौशालाओं को सरकार अनुदान देती है लेकिन अनेक सामाजिक संस्थाएं हैं, वह भी उनको संभालती हैं लेकिन आखिर कहीं न कहीं तो आस्था का प्रश्न तो जोड़ना पड़ेगा। हम जिस आस्था से जुड़े हैं, उस आस्था को तोड़-मरोड़ लो, तो ठीक है, जन्मे हैं, कल हाथ खड़े करके चले जाएंगे लेकिन

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

आखिर सभी की रक्षा करने का जो हमारा दायित्व बनता है, मैं फिर से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा, हिन्दुस्तान के अन्दर यह पहला प्रदेश होगा जो कि कत्लखाने पर जाने वाले गौ वंश की तस्करी पर जाने वाले वाहन को जब्त करने का आदेश जो दिया है। इसके अन्दर जो समस्याएं बाद में आएंगी, उनका भी निराकरण होगा, चाहे वह नर गौ वंश का हो या निराश्रित गौ वंश का हो, उसकी भी सरकार व्यवस्था करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जनमत जानने के लिए जो प्रस्ताव दिया था, उसको वापिस लेने की आज्ञा चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी शंकाओं का समाधान हो गया क्या?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मुझे कह रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मेरी शंकाओं का समाधान हो गया है लेकिन आपकी शंकाओं का समाधान मैं करने की कोशिश कर रहा था। आप विद्वान हैं। निश्चित रूप से आपसे कम जानकार हूं लेकिन फिर भी कोशिश यह करता हूं कि आखिर हमें कहीं न कहीं, हमारे घर, परिवार में, हमारे बुजुर्गों की हम रक्षा करते हैं तो उस मूक प्राणी की भी हमें रक्षा करने का दायित्व हमारा बनता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस जीवन में आये हैं तो वापिस जाना भी है उस रास्ते से, सभी को जाना है आज अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे बुजुर्गों की हम रक्षा करते हैं तो उस मूक प्राणी की भी रक्षा करने का दायित्व हमारा बनता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जीवन आयेगा, जीवन में आये हैं तो जीवन में वापस जाना भी है, उस रास्ते से जाना भी है, सभी को जाना है लेकिन आज अगर हम हमारे घर में बुजुर्गों की हम रक्षा कर सकते हैं, उस मूक प्राणी की भी रक्षा करने का हमारा दायित्व है। इसीलिए जितना हो सका, मुझे जितना ध्यान था उतनी आपकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश की। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसाराम जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आपने गाय पाल रखी है क्या? गाय पाली है कभी आपने?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मेरे घर पर है। है, है। आएं, आप पधारें मेरे घर पर ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकिण्ड। माननीय सदस्य इतने विद्वान हैं, राठौड़ साहब, कि इन सीटों पर होना चाहिए, उनको हमारे साथ में कर दिया, लगा दिया आपने, बताओ आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको तो वापस लेना है, महाराज, क्यों समय लगा रह हो?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): नहीं लगा रहा हूं, समय नहीं, इस चीज को आप समझ भी नहीं पाएंगे। आपको तो, पैसा समझ में आता है इनको तो।

श्री उपाध्यक्ष: केसाराम जी, आप तो फर्माओ, वो आदत से लाचार हैं।

एक माननीय सदस्य: वो बहस वंशीय हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बहस वंशीय हैं, साहब।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत कृषि आधारित देश है और इस देश में जिस गौवंश का महत्व था वो महत्व इस जमाने में यंत्र आने की वजह से, ट्रैक्टर और मोटरें, पम्पसैट और ये आने की वजह से उसकी महत्ता कम हो गयी है। मगर जिस दिन इसकी महत्ता समझ में आ जायेगी कि गौवंश क्या चीज है उस दिन दुनिया इसके पीछे-पीछे भागेगी। पूर्वजों ने कहा है कि गाय एक दिन सोने की सींगड़ी होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा और पंजाब से आने वाली ट्रेन को बीकानेर जब आती है तो उसको कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है और इस गौवंश की, इसकी एक-एक चीज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में काम आने वाली है। आज अगर गांव का व्यक्ति, जो पशु पालक है अगर शहरों में दूध आना बंद कर दे तो एक दिन में ही त्राहि-त्राहि मच जाएगी और याद आ जाएगा कि गौवंश क्या चीज है।

गौवंश के प्रति आपने जो भावना कही है उस भावना से मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसको छोड़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति है, हम जिम्मेदार हैं। हम कितने लोग हैं जिनके घर में गाय है? जिस दिन हम सोच लेंगे कि मेरे प्रत्येक घर में गाय होगी उस दिन उसका बचाव अपने आप हो जायेगा और वैज्ञानिक जिस दिन सोच लेंगे कि इसके बछड़े का कहीं न कहीं उपयोग हो जाए तो निश्चित रूप से गाय पूर्वजों ने कहा है, वो उस रूप में जरूर आयेगी, एक दिन आना ही है जिस दिन पैट्रोल और डीजल की समस्या हो जायेगी उस दिन कहेंगे हमें गाय का बछड़ा चाहिए। मैंने खुद ने खेती की है, 25-25, 30-30 गाय की छान रहती थी और बछड़ा लाते थे तब घर में खुशी होती थी कि मेरी गाय बछड़ा लायी है। मगर अब जो स्थिति बनी है उसमें अगर गऊ का

(श्री केसाराम चौधरी)

वध किया जाता है, कत्ल किया जाता है और उसके लिए रोक लगायी जाती है तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार बधाई की पात्र है।

अभी भाई साहब ने कहा था कि एक बुड्ढी गाय को मारने का इंजेक्शन लगा देना चाहिए, घर में मां-बाप भी बुड्ढी हैं, उनको भी इंजेक्शन लगा दो न, काम लगा दो। प्रत्येक जीव के लिए, भारत का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्राणी के लिए चिंता करता है, चींटी को भी अपना दाना देने की चेष्टा करता है। ऐसे देश में अगर हम गाय को मारने की बात करते हैं, ये कतई भारत के अन्दर रहने वाले व्यक्ति की चेष्टा नहीं हो सकती।

एक माननीय सदस्य: नाम उजागर होना चाहिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): नाम उजागर होगा जिस दिन, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूं, मेरे गांव का चेलावास के हीरालाल पंडित को लीवर की इतनी सीरियस बीमारी हो गयी, अहमदाबाद हास्पिटल ने छुट्टी कर दी कि घर ले जाओ, अब दो दिन का मेहमान है और उस व्यक्ति को एक वैद्य के पास ले गये। वैद्य ने कहा, मेरा इलाज बहुत सख्त है, इसका पालन करना बहुत कठिन है। तो उस व्यक्ति ने जब कहा कि मैं आज दवाई देता हूं, दवाई से तुम्हारी सूजन और यह पेट बढ़ा हुआ है, हीमोग्लोबिन तीन है मगर मैं जो पालन करने का कहता हूं उस पालन को अगर पूरी तरह से कर दिया तो निश्चित रूप से तुझे जिंदा कर दूंगा। और उस व्यक्ति को हास्पिटल से छुट्टी देने के बाद में उस वैध ने दवाई दी और पालन सिर्फ यही था कि भूख लगे तो गाय का दूध पीना, प्यास लगे तो गाय का दूध पीना और वो व्यक्ति आज की तारीख में पूर्ण रूप से स्वस्थ है, कोई नहीं कह सकता कि उसको लीवर की बीमारी थी। यह प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे। इस तरह की इस गाय के दूध में इतनी ताकत है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोंगों ने इसमें अवधारणा पैदा की कि यह जो प्राधिकारी या सक्षम अधिकारी है, सक्षम अधिकारी कौन होगा? काम्पोनेंट आथोरिटी जो व्यक्ति होगा या तो वो या उसके द्वारा किसी व्यक्ति को अपोइंट करेगा कि आप जाकर के इस चीज को देखें। यह नहीं है कि पुलिस डाइरेक्ट कर लेगी और उसको कानून के हाथ में दे देगी और उसके खिलाफ में केस बना देंगे।

अगर मेले में भी पशु ले जायेंगे तो काम्पोनेंट आथोरिटी, सक्षम अधिकारी सर्टिफिकेट देगा कि ये पशु मेले के लिए जा रहे हैं और मेले से विक्रय होकर के वापस जा रहे हैं। यह अवधारणा पैदा करना ठीक नहीं है। इस

(श्री केसाराम चौधरी)
नियम में जो है उसके अनुरूप मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि जिसकी नियति में खोट है, बार-बार वो ही व्हीकल उसी में उपयोग कर रहा है और वो बार-बार बछड़ों को और गाय को ले जाकर के बेच रहा है तो ऐसे व्यक्ति को पकड़ में लाना भी आवश्यक है और इसके लिए जो यह कानून लेकर आये हैं, इसकी मैं पूरी-पूरी प्रशंसा करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस कानून को और सख्त बनाने की आवश्यकता है जिससे गौवंश बच सके।

हमारी सरकार ने नंदी गौशाला खोलने के लिए प्रत्येक जिले पर घोषणा की है। प्रत्येक जिले पर नंदी गौशाला खोलने की जो घोषणा की है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं ताकि जो नंदियों की और एक्सीडेंट की बात करते हैं वो निश्चित रूप से उससे भी कुछ बचाव होगा मगर हमें स्वयं को भी यह सोचना होगा कि हम इनका बचाव करें।

यही कहते हुए मैंने जो संशोधन प्रस्ताव दिया है, उसको मैं वापस लेता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 पर आज चर्चा चल रही है और लगभग छह माननीय सदस्यों ने इसमें सकारात्मक रूप से सुझाव दिये हैं।

सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा इसके लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। क्योंकि मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक में 15.09.2015 को कैबिनेट में इसलिए यह इसलिए यह बिल आया था कि राजस्थान प्रदेश में गौ संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन और प्रजनन के लिए सरकार की तरफ से जो भी काम किये जा रहे थे, उसके बावजूद भी कई प्रकार की घटनाएं कई जिलों में गौ तस्करी को लेकर घट रही थीं और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कि कई बार पुलिस से मुठभेड़ भी होती है और कई बार केजुअल्टी भी हुई है। पुलिस की चौकियां भी स्थापित की गई हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कानून को और अधिक मजबूत करने का विचार माननीय मुख्य मंत्रीजी के और हमारी सरकार के ध्यान में आया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधेयक को अनुच्छेद 304(ख) के प्रावधानों की पालना हेतु विधेयक को महामहिम राष्ट्रपति के यहां हमने अनुमति के लिए भिजवाया और उसकी मन्जूरी में 20.11.2015 को भिजवाया

(श्री प्रभू लाल सैनी)

था। संशोधन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित किये जाने हेतु महामहिम राष्ट्रपति की मन्जूरी 05.07.2017 को जारी की गई है।

साथ ही अधिनियम, 1985 की धारा 2(ख) में दी गई गोवंशीय पशु की परिभाषा में भैंस वंश का सम्मिलित न होना स्पष्ट करने का सुझाव महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा दिया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह सही है कि दोबारा इसके आने के बाद मंत्रिमण्डल में 26.02.2018 को फिर विचार किया गया और विचार करने के बाद धारा 2(ख), 6(क) और 12(क), तीन नई धाराओं को इसमें अंतःस्थापित करने का फैसला हुआ और इसी बाबत आज सदन में इसकी चर्चा की जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विगत 4 वर्षों की मैं यदि आपसे बात करूं- 2014, 2015, 2016, 2017, तो आप आश्चर्य करेंगे कि 1558 जब्त किए गए वाहन, जिनसे गोवंश का अवैध ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था और सबसे अधिक अलवर जिले में 2014 में 181 वाहन, 2015 में 160 वाहन, 2016 में 117 वाहन और 2017 में 94, यानी 552 ऐसे अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त किया गया।

भरतपुर में भी लगभग 150 वाहन जब्त हुए और उदयपुर में भी लगभग 116 वाहन इन चार सालों में जब्त किए गए, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बार-बार देखने को मिला है, वही वाहन दो या दो से अधिक बार रिपीटिशन होने की सूचना भी पुलिस को जब्ती के समय प्राप्त हुई। आप आश्चर्य करेंगे, 72 के लगभग ऐसे अभियुक्त थे, जो हैबिचुअल थे बार-बार इस तरह का अपराध करने के, फिर जमानत होकर आती थी, फिर छूट जाती थी, गाड़ी मोटर व्हीकल एक्ट में जब्त की जाती थी, कोर्ट में जाकर उसकी आराम से जमानत हो जाती थी, वह फिर उसी अपराध में लिप्त होते हुए या अपराध को आगे बढ़ाने का काम वे लोग कर रहे थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले दोनों विद्वान साथियों ने निश्चित रूप से सकारात्मक सुझाव भी दिए और मैं इनको विश्वास भी दिलाना चाहूंगा कि किसानो के हित में, पशु-पालकों के हित में जब हम नियम बनाएंगे, किसी प्रकार की कमी-खामी नहीं छोड़ेंगे और किसी भी प्रकार की तकलीफ पशु-पालकों को न हो, ऐसी व्यवस्था उसमें जोड़ेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं Rajasthan Bovine Animal (Prohibition of Slaughter and Regulation of Temporary Migration or Export) Act, 1995, जो इसका मूल अधिनियम है,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा, तीन प्रकार के प्रावधान इस एक्ट में थे- पहला वध का प्रतिषेध किया जाएगा यानी वध के लिए, स्लाटरिंग के लिए जाने वाले वाहनों को रोकेंगे और दूसरा, किसानों के हित में अस्थायी प्रव्रजन यानी दुर्भिक्ष और अकाल के वक्त जो भी गोवंश एक राज्य से दूसरे में जाता है, उसकी व्यवस्था भी धारा 2 में पहले से ही परिभाषित की गई है, उसमें सुविधा उपलब्ध की गई है।

तीसरा, निर्यात का विनियमन यानी कोई एक्सपोर्ट करेगा तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस पर रोक नहीं है। यह अधिनियम इस बात को प्रोवाइड करता है, अधिकार देता है, कोई भी व्यक्ति यदि एग्रीकल्चर परपज से लेकर जाएगा या फिर डेयरी परपज से लेकर जाएगा या फेयर या मेले में लेकर जाएगा, रिसर्च में जाएगा तो ऐसा व्यक्ति प्राधिकृत अधिकारी से ट्रांजिट परमिट लेकर उसको ले जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है। तीनों प्रकार के प्रावधान इस एक्ट में दिए हुए हैं। अब जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि मूल धारा 'ख' में पहले से ही जब गोवंश जुड़ा हुआ था, बछड़ा जुड़ा हुआ था, सांड जुड़ा हुआ था, गाय जुड़ी हुई थी, बैल जुड़ा हुआ था तो आपने उसी धारा को दोबारा 'ख' जोड़कर अंत:स्थापित क्यों किया है? इसके बारे में मैं आपसे निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, 304 ए(ख) कांस्टीट्यूशनल आर्टिकल में जब हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी को कंसेंट के लिए भेजा तो वहां से डायरेक्शन मिले थे कि ये बोवाइन्स की डैफिनिशंस में और भी कोई अन्य जानवर आते हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा the sub-family of bovines के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसमें डायवर्जन ग्रुप्स के विविध प्रकार के जानवर भी बोवाइन कहलाते हैं।

वर्ग विशेष के जैनेरिया भी बोवाइन्स में आते हैं, बाइसन, जो जंगली भैंसे होते हैं, वे भी बोवाइन में आते हैं, अफ्रीकन बफैलो भी बोवाइन्स में आते हैं, वाटर बफैलो भी बोवाइन्स में आते हैं, याक और 4 हार्न वाले चार सींगो वाले जानवर, ये सारे के सारे बोवाइन्स की डैफिनिशन में आते हैं। इसमें भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही हुआ कि जब अंग्रेजी में यह एक्ट, 1995 बना, तब इसमें बोवाइन्स के नाम से जोड़ा। बोवाइन्स का मतलब उन्होंने कहा कि आप अलग से सैपरेट इनको छोड़ते हुए मात्र आप इसको गोवंश से

(श्री प्रभू लाल सैनी)

जोड़कर, गो से पैदा होने वाले को जोड़ें, इसलिए हमने इसको जोड़ा है। इसके पीछे न तो कोई दूसरी मंशा है,

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि क्या कहीं कानून में या किसी किताब में गाय की परिभाषा निहित की गई है और गाय की परिभाषा निहित की गई है तो गोवंश क्या-क्या होगा, इसका उल्लेख किया गया है या फिर इससे आगे यह भी लिखा हुआ है कि गाय की ये-ये भी प्रजातियां होंगी, जिसमें भैंस भी आ जाएगी और गधा भी आ जाएगा? कहीं लिखा हुआ है क्या कि गाय की प्रजातियां क्या-क्या होंगी? अनावश्यक रूप से एक नया विषय छेड़ने से पहले आप बताएं कि लिखा है किसी कानून की किताब में कि गाय की प्रजाति में भैंस आती है या गधा आता है या कोई और आता है?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): पढ़कर ही बोल रहा हूं भाई, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, मैं कानून के आधार पर ही बोल रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि धारा 2(ख) में जो जोड़ा है, गोवंशीय पशु से अभिप्रेत जो गाय से जन्म लेता है, वह बछड़ा हो सकता है, सांड हो सकता है, बैल हो सकता है। अब गाय से जन्म लेने वाला तो गोवंश ही कहलाएगा तो हम लोगों ने इसको गोवंश की डैफिनिशन में पहले करा था, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां से जो आर्टिकल 304(b) में जिस प्रकार के प्रोविजन दिए हैं, मैं उसका आपके समक्ष निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी अगर काली गाय के बछड़े को कोई भैंस बताकर ले जाए तो क्या करोगे?

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): कोई सैंट्रल एक्ट में भैंस को गाय की प्रजाति माना हो तो वह बता दो।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे साथी, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले सदस्य और कोटा से आने वाले सदस्य, दोनों विद्वान साथी हैं और दोनों गोपालक हैं, भैंस पालक भी हैं और गाय के बारे में और किसान के बारे में आप इसलिए नजदीक से रिश्ता रखते हैं, क्योंकि अपने गांव में, घर में आप पालते हैं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, दोनों ही ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दोनों ही ने सक्षम अधिकारी के बारे में प्रश्न किया है।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): डोटासरा जी, आप काली गाय पालते हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या?

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): आप काली गाय पालते हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं तो 2, 3, 4 किलो का डिब्बा रखता हूं भाई, न तो पालता हूं न कुछ, इस झंझट में पड़ता ही नहीं।

एक माननीय सदस्य: आप भैंस पालते हैं क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): भैंस तो कभी जीवन में ही नहीं रखी, गाय जरूर बाप-दादा रखते थे, हम तो डिब्बा रखते हैं बाकी। मंत्री जी कालीचरण सराफ और हम तो डिब्बा रखते हैं, हम तो गाय और भैंस के चक्कर में ही नहीं पड़ते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जवाब आने दो।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी पर सवाल किया है, इस एक्ट में सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य उस जिले का जिला कलेक्टर है और सक्षम प्राधिकारी जिला कलेक्टर होने के नाते नोटिफिकेशन के आधार पर अपनी शक्तियों का एसडीएम को ट्रांसफर करने की नोटिफिकेशन करके वह कर सकता है और करते हैं। जहां मेले होते है, वहां पर हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर को भी ये शक्तियां दी जाती हैं। आपने यह भी सवाल किया कि राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, 1956 की धारा 17 में जो डिविजनल कमिश्नर होता है, वह इनसे कोई ग्रिवेंस होता है तो वहां पर जाकर उसको अपील करने का प्रावधान इस एक्ट में पहले से आलरेडी दिया हुआ है।

आपने कहा कि जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो किसानों, पशुपालकों को तकलीफ होगी, कैसे पता करेंगे हम कि वे स्लाटरिंग के लिए ले जाए जा रहे हैं या और किसी काम के लिए ले जाए जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके स्पष्ट नियम बने हुए हैं। यदि एक ट्रक में 50 भरकर कोई ले जा रहा हो हाथ-पैर बांधकर, दो मर रहे हैं, चार जा रहे हैं तो यह स्पष्ट जाहिर होता है कि इसका मेन जरिया जो है, इसकी नीयत जो है, इसका इंटेंशन जो है, वह पालने के लिए नहीं है, दूध के लिए नहीं है। और उसकी फिर जब तफ्तीश होगी, उसकी जानकारी ली जाएगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो निश्चित रूप से राजस्थान के राजस्थान में यदि कोई भी इस प्रकार का परिवहन करेगा तो ऐसे लोगों के लिए कानून नहीं है। एक राज्य से दूसरे राज्य में इस प्रकार से ले जाने वाले वाहनों को यदि हम राज्य के बाहर ले जाना चाहते हैं, यदि हम

(श्री प्रभू लाल सैनी)

चराई के लिए पशु को ले जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप उसका परमिट देकर, संख्या देकर, इस कानून में पहले से ही प्रावधान किए हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी माननीय सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा कि उन्होंने यह भी कहा कि कई प्रकार के संकट बैलों पर आ जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने राजस्थान में गोवंश के पशुओं का पंजीकरण तथा आइडेंटिफिकेशन के लिए एनडीडीबी के द्वारा बनाया गया INAPH साफ्टवेयर है जिसके द्वारा इन्द्राज करके टैगिंग का कार्य 2017 से राजस्थान में हम लोगों ने शुरू कर दिया है। पूरे राजस्थान में वो इस बात को इंगित करेगा कि कौनसा पशु किसका था, उसके टैग लगेगा और टैग लगने के बाद यदि वो कहीं पर किसी की फसल को नुकसान करेगा तो पता लग जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां कुछ वकील लोग भी मेरे साथ हैं, एक लॉ आफ टार्ट है, अपकृत्य विधि बना हुआ है, अपकृत्य विधि से यदि किसी भी आनर द्वारा उसकी मास्टर लाइबिलिटी के रूप में जाना जाएगा कि यदि किसी व्यक्ति का जानवर, बिल्ली, कुत्ता, शेर या जो भी जानवर वो पालता है और उसके कारण से नुकसान होता है तो उस मास्टर लाइबिलिटी में वो उसका हर्जाना देने के लिए रेस्पोंसिबल है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह जो लॉ आफ टार्ट का जो बहुत पुराना कानून है, इस पर भी ध्यान देंगे और इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि यह कानून बनाकर हमने टैगिंग का काम भी शुरू किया। क्योंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति जब तक वो दूध देती है तब तक तो वो गौ माता है और दूध नहीं देने पर आवारा हो जाती है, उसको सड़कों पर छोड़ देते हैं। महरिया जी ने भी अभी कहा था कि आप ऐसा कोई काम करिये जिससे बछड़ी हो जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी के साथ सदन को बताना पड़ेगा कि सैक्स सीमन प्रोजेक्ट की शुरूआत राजस्थान में हम लोगों ने झुन्झुनूं से कर दी है। एक्स क्रोमोजोम, वाई क्रोमोजोम जो भी उसको चाहिए, बछड़ा चाहिए, बछड़ी चाहिए, जो भी चाहिए वह उस पशुपालक की मर्जी पर होगा। लेकिन अभी यह टैक्नोलोजी नई है और नई टैक्नोलोजी होने से काफी महंगी पड़ रही है लेकिन धीरे-धीरे हम कोशिश करेंगे। प्रायोगिक तौर पर अभी हम लोगों ने झुन्झुनूं में दी है तथा और कोशिश हम करेंगे एवं राजस्थान में

(श्री प्रभू लाल सैनी)

इसका क्षेत्र हम बढ़ाएंगे ताकि अवांछित बछड़े राजस्थान में और किसान के घर पर पैदा नहीं हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की चिंता सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और जैसा कि अभी मंत्री जी बता रहे हैं कि गौशालाओं का अनुदान हम लोगों ने बढ़ाया। पहले 3 महीने, 90 दिन देते थे उसको अब 180 दिन किया है और 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का, 255 करोड़ रुपये का अब तक गौशालाओं को अनुदान भी दिया है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि गौ संरक्षण, गौ संवर्धन, उन्नयन, प्रजनन के साथ-साथ मेडिकल के बारे में भी राजस्थान की सरकार गम्भीर है। चूंकि एक करोड़ 33 लाख के लगभग राजस्थान में गोवंश अभी वर्तमान में 2012 की गणना के आधार पर है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जितनी पापुलेशन राजस्थान की है उतने ही जानवर हैं, थोड़े-बहुत ही आगे-पीछे हैं। एक-एक जानवर, एक-एक कैटल, एक-एक गाय भी कोई-कोई संभाल ले तो मैं समझता हूं कि यह समस्या एक दिन में समाप्त हो सकती है लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता और सब दूसरे की तरफ अंगुली बताकर कहना चाहते हैं कि सरकार नहीं करती, सरकार नहीं करती। सरकार कटिबद्ध है और जिस प्रकार की योजना बनाकर हम लोग काम कर सकते हैं उसमें करने का काम भी हम लोग कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादा कोई भाषण इस मामले पर नहीं देना है क्योंकि हमारे सभी माननीय सदस्यों ने काफी बढ़-चढ़कर बात की है। धारा 2 में जो प्रयोजन था जिसका डिटेल माननीय गुंजल साहब ने कहा और शंकर सिंह जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में ये भी 2005 से इस काम के लिए लगे हुए हैं और इनको भी धन्यवाद दूंगा। निश्चित रूप से इसके पीछे हमारी स्पष्ट मंशा है गोवंश का संरक्षण और संवर्धन। इसलिए कानून में यह रखा और भैंस की जो प्राजिनी है यानी भैंस की नस्लें जो हैं उसकी जो बाइलोजिकल डेफिनेशन है उसी के आधार पर 304एमएम, महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां से हटाने का निर्देश हमें प्राप्त हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोगों ने अधिसूचना जारी करके पशुपालन विभाग द्वारा 6.9 को अधिष्टित करते हुए हम लोगों ने समस्त एस.पी. को यह सारी शक्ति दे दी है और सक्षम प्राधिकारी के आधार पर धारा 3, 4 और 5 में जिस प्रकार के अपराध होते हैं उन अपराधों की जानकारी लेने के बारे में भी यह प्रावधान

(श्री प्रभू लाल सैनी)

किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा धारा 6 जिसमें परिवाहक, ट्रांसपोर्टर का दुष्प्रेरक, अबैटमेंट, यदि कोई भी आपका ट्रांसपोर्टर है जिसको परिवाहक बोलेते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून में परिवाहक की संज्ञा दी गई है, यदि परिवाहक की मंशा क्योंकि यह मास्टर लाइबिलिटी के अन्तर्गत आता था तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका ट्रक, उसका नौकर, उसका ड्राइवर या उसका खलासी यदि गोवंश के इसी प्रकार से तस्करी के रूप में काम में लिया जाता है तो यह मास्टर लाइबिलिटी और अबैटमेंट का अपराधी भी उसको माना गया है। यह पहले से ही एक्ट में प्रावधान था लेकिन नई चीज हम लोगों ने धारा 6 और 7 के मध्य में जो जोड़ी है उसमें प्रवहण के साधन का अधिहरण करने का जो अधिकार दिया गया है, उपयोग में लाया गया वाहन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा और अधिहरण की रिपोर्ट अभिगृहीत करने वाले अधिकारी यानी सक्षम अधिकारी को उसको तत्काल सूचना देनी पड़ेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें परन्तुक में हमने यह भी जोड़ा है कि जो कन्वेंस जब्त किया गया है उसके स्वामी को युक्तियुक्त सूचना दी जाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रावधान इसलिए किया है कि कई जगह पर गौ तस्करी करने वाले जो लोग हैं वो आदतन अपराधी होते हैं और किसी न किसी का ट्रक चुराकर ले जाते हैं या किसी न किसी वाहन का दुरुपयोग करते हैं। इस धारा का मकसद हमारा सीधा-सीधा यह था कि उस युक्तियुक्त बात के लिए उससे हम बात करें कि आपका वाहन जब्त हुआ है इसके बारे में आपको क्या कहना है। यदि वो सत्यता से या विश्वास करने का कोई कारण बताता है तो उसको रेमेडी देने का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, धारा 6 (ए) जो हमने जोड़ा है इसके पीछे यह भी हमारी मंशा है कि यदि कोई सरकारी वाहन और उसमें इसी प्रकार का कोई आफेंस हो जाता है तो उसके बारे में भी प्राधिकृत अधिकारी को रोका गया है कि आप इसको तब तक जब्त नहीं करोगे जब तक राज्य सरकार के सक्षम को आप सूचना देंगे उसके बाद में इस पर कार्यवाही करेंगे और अधिहरण होने वाला जो भी ट्रांसपोर्टर है उसको चांस देंगे। एक बार अपराध करेगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो जितने का वाहन है उतनी पैनल्टी राशि देने के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि वह दूसरी बार करेगा तो उसकी सार्वजनिक नीलामी के

(श्री प्रभू लाल सैनी)

माध्यम से आक्शन करके उसका निस्तारण किया जाएगा यह इस धारा में प्रावधान किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें तीन प्रकार के शब्दों का काफी विवेचन हुआ है। एक तो अभिग्रहण, यह सीजर को बोलते हैं। जिसमें सीज किया जाता है उसको अधिग्रहण कहते हैं। एक है अधिहरण, इसे कान्फिस्केशन बोलते हैं। जो सरकार के जब्त करने के बाद में पहला वो सीज करेगा दूसरा अधिहरण हो जाएगा यानी उसके कब्जे में हो जाएगा और तीसरा प्रवहरण यानी ट्रांसपोर्टेशन में काम आने वाला ऐसा वाहन जिसे जब्त किया गया है इसको इसमें सम्मिलित किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धारा 12 में स्थानों के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण करने की शक्ति सीआरपीसी, भारतीय दण्ड प्रक्रिया की दफा 100 में जो प्रावधान किया गया है उसी प्रावधान के आधार पर जो सक्षम अधिकारी, प्राधिकारी है उसको यह अधिकार होगा इसलिए 12क हमने अन्त:स्थापित की है और इसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी और अधिग्रहण की शक्ति उस सक्षम प्राधिकारी को देने के प्रावधान इसमें किये गये हैं। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि कोई भी दण्डित, अपराध करने वाला, ऐसे प्रवहरण में यूज में आने वाला कोई भी कन्वेंस है, यदि वो जब्त होता है तो मैं समझता हूं कि अपराधों में धीरे-धीरे निश्चित रूप से कमी आएगी। जब इसमें सख्ती बरती जाएगी तो हमारे गोवंश का संरक्षण होगा, संवर्धन होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जा रहे हैं, उन्होंने तीन-चार बार कहा कि इसके बारे में जरूर बताएं कि इसके लिए क्या टैस्टर लगाओगे या कैसे पता लगेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून स्पष्ट है और कानून में स्पष्ट कहा है कि किसी भी अपराध को करने के लिए उसका इंटेंशन होना चाहिए और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो प्रिंसिपल तय किया गया है "the act is not culpable unless the mind is guilty" यदि उसका आपराधिक माइंड नहीं है तो वो दोषी नहीं माना जाएगा यदि उसके प्रसंज्ञान में अपराध नहीं होना मानते हैं। "guilty mind is the mental element of the intention to commit a crime or knowledge that one's action, a necessary element of many crimes." माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई अपराधों में अपराध हो जाते हैं लेकिन मानसिकता नहीं होती। उसकी अपराध करने की

(श्री प्रभू लाल सैनी)

नीयत नहीं थी पर फिर भी हो जाता है तो सेल्फ डिफेंस के आईपीसी के अधिकार 76 से लेकर दिये हुए हैं उस अधिकार के तहत उसकी रक्षा कांस्टीट्यूशनल की जाती है।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह कानून गोवंश के संरक्षण, संवर्धन के लिए, गो-तस्करी की रोकथाम के लिए है....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप उपाध्यक्ष महोदय को सम्बोधित कर रहे हो कि मंशा नहीं होती लेकिन अपराध हो जाता है और कालीचरण जी सराफ साहब की तरफ बार-बार हाथ कर रहे हो, ऐसा क्या है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि पारित किया जाए।

श्री हीरालाल (निवाई): आपको और कोई नजर नहीं आता क्या? बार-बार कालीचरण जी, क्या मकसद है आपका?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये मेरे बड़े भाई हैं। हम एक जिले के हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): बार-बार कालीचरणजी, कालीचरणजी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को जनमत जानने हेतु परिचालित किए जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 2 से 4, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री प्रभू लालजी सैनी।

विधेयक का पारण

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: उप सचेतक महोदय, आप कुछ फर्माना चाह रहे थे?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो उस समय अपने आपको रोक नहीं पा रहा था, जब खेतड़ी के माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की बात कही थी कि जो बूढ़ी गाय है, उसको इंजेक्शन से मार देना चाहिए। हालांकि मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने तो बहुत अच्छा जवाब भी दे दिया और ये खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य अच्छे वकील भी हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाये कि इंजेक्शन से यदि मारेंगे और उस पशु को कोई भी जानवर खायेगा, महामारी पैदा हो जायेगी। इस प्रकार की बात आपको करनी नहीं चाहिए थी इस सदन के अंदर। यह ठीक बात नहीं है...

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष: Let him finish.

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ...और दूसरी बात, उस समय मैंने आपसे निवेदन किया था, जब ये बोल रहे थे। ऐसी कभी भी बात सदन के अंदर इस प्रकार की बात...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सचेतक महोदय को जगा दो एक बार।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): दूसरा, यह बात सही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय मंत्री महोदय ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया तो इसमें मैं सोचता हूं, और कुछ बताने की बात नहीं है लेकिन बहुत अच्छा जवाब ये भी दिया, जो खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को समझने की जरूरत है कि कोई भी किसान अपनी गाय से नर चाहिए या मादा चाहिए, इस प्रकार की तकनीक भी विकसित हो चुकी है।

दूसरा, यह भी सम्भव है कि प्रकृति समान अनुपात देती है नर और मादा को, तो नर की प्रजनन शक्ति समाप्त भी की जा सकती है। इस प्रकार का भी प्रयास हो सकता है तो आपकी समस्या का समाधान वैसे भी हो सकता है।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जहां तक समझ पाया हूं, मेरी कही बात पर माननीय सरकारी उप सचेतक महोदय ने गौर नहीं फर्माया। इन्होंने बताया कि बूढ़ी गाय को, जबकि मेरा निवेदन यह नहीं था। मैं यह कह रहा था कि जो गौ-माता मरणासन्न स्थिति में है और तड़प रही है, वैसी स्थिति में उनको जहर की बात थी। दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय... सुनो। समय का अभाव है। मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि "जांके पांव कभी न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई।" मैं जहां तक समझता हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय का एक सवाल था माननीय सदस्य से, कि क्या कभी आपने गौ पाली? मैं जहां तक समझता हूं, ये बड़े घरों के लोग हैं और इनको वह पीड़ाएं सर्दी के महीने में सहन नहीं करनी पड़ रही, तो जो वह तीन किस्में हमने बताई हैं। अब आप टैग लगा रहे हो, उनको चिह्नित कर रहे हो। वह कब जाकर प्रभावी हो पायेगा, तब तक ये... किसान का तो राम भी रूठा है और राज भी रूठ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हमें यह व्यक्त करना पड़ा। फिर भी कोई गलत गया हो, उसके लिए माफ कर दो।

श्री उपाध्यक्ष: फर्माओ साहब, आप भी फर्माओ।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट साहब। किसानों की बात है, मैं भी दो मिनट बोल दूं। प्रभू लाल जी को कोई बोला ही नहीं उस दिन। दो मिनट, आप कहो तो दो मिनट बोल दूं? दो-तीन मिनट ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): गागर में सागर भरो आज तो।

श्री उपाध्यक्ष: पहले आप एक बात तय कर लें, उनके बोलने से बोलेंगे या मेरे कहने से बोलेंगे?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपके कहने से।

श्री उपाध्यक्ष: हां, कहीं गलतफहमी है आपको, वह दूर कर लो धीरे-धीरे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं तो आपके कहने से ही बोलूंगा साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 लेकर आये हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी गौ-माता को लेकर, आवारा पशुओं को लेकर, किसानों को लेकर गहरी चिंता इस सदन के अंदर प्रकट की थी। आज निश्चित रूप से हमें गाय को भी बचाना है, आवारा पशुओं से किसानों को भी निजात दिलानी है और पशुपालन जो किसान का मुख्य धंधा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले जहां बरसात नहीं होती थी तो पशुपालन के आधार पर ही किसान चाहे भेड़ से ऊन का व्यापार करता हो या गाय और बछड़े पालकर और महंगी कीमत पर बछड़े बिकते थे। हमारे नागौरी नस्ल का जो बैल है, वह विश्व प्रसिद्ध है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से एक हाई कोर्ट के आदेश से उस पर रोक लग गई कि तीन साल का बछड़ा बिकने के लिए नहीं जायेगा। बछड़ा डेढ़ साल और दो साल की अवधि के अंदर वह बड़ा हो जाता है और उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर, उड़ीसा के अंदर, जहां किसानों की छोटी जोत है, वह उनको खरीदने के लिए नागौर के मेले के अंदर आते हैं तो बहुत बड़ा मेला नागौर का भरता था। हजारों-लाखों पशु बाहर से आते थे लेकिन धीरे-धीरे जो रोक लगाई और यह सरकार भी बछड़ों पर रोक नहीं हटा पाई, पूर्ववर्ती सरकार ने भी बात कही थी। पिछले 10 से 15 साल से यह रोक इन बछड़ों पर लगी हुई है जिसकी वजह से राजस्थान के अंदर मेले संकट के अंदर आ गये, पशुधन संकट के अंदर आ गया और किसानों ने गायें पालना छोड़ दिया क्योंकि जब उनका बछड़ा बिकेगा ही नहीं तो फिर गाय क्यों पालेगा?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मेरी मांग है सरकार से कि आपने एक उप समिति का गठन भी किया है और निश्चित रूप से आपकी मंशा होगी तो मैं मांग करूंगा कि नागौर नस्ल के बछड़ों पर जो रोक राजस्थान की सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश से लगाई है, उस रोक को हटायें और यह सीमा तय करें कि डेढ़ साल के बाद बछड़ा जो खेती के लिए ले जाया

(श्री हनुमान बेनीवाल)

जाता है, उस पर आप रोक हटायें ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। हमारे वहां नहरी इलाके नहीं हैं साहब, ज्यादातर बरसात पर खेती निर्भर है और किसानों का मुख्य जो व्यवसाय है कृषि के बाद पशुपालन है तो इसके अंदर सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिए और नागौरी नस्ल का हमारा बैल और बछड़ा जो विश्व प्रसिद्ध है, इसे हमें बचाना चाहिए।

दूसरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी ऊंट को राज्य पशु घोषित किया था सरकार ने और नागौर का मेला, ऊंटों का बहुत बड़ा मेला भरता है। शेखावाटी के अंदर और भी ऊंटों के मेले भरते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर निश्चित रूप से ऊंटों को बलि भी दी जाती है, मारा जाता है। वहां तो आप कार्यवाही करो, वह तो ठीक है लेकिन कई आदमी ऊंट को कला की दृष्टि से भी ले जाते हैं। आपने देखा होगा, विवाह-शादियों के अंदर ऊंट का डांस भी होता है, ऊंट नाचता है, घोड़ी नाचती है। अब आपने वहां पर नागौर के मेले के अंदर 500 से ज्यादा ऊंटों को जब्त कर लिया और जब्त करने के बाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आठ ऊंट वहां पर मर गये आपस में लड़कर, अब पुलिस ने एक बाड़े के अंदर डाल दिया और फिर फ्री के अंदर ऊंटों को बांटा। मुकदमे दर्ज कर लिये। यू.पी. और बिहार के ज्यादातर लोग थे, इस मामले में भी आपको गम्भीरता से सरकार को विचार करना चाहिए। अगर इस तरह ऊँट को खरीदना-बेचना ही बंद हो जायेगा तो फिर ऊंट रखना ही लोग बंद कर देंगे तो कहीं न कहीं, आप विधेयक तो लगातार लाये जा रहे हो कि यह कर दिया, वह कर दिया, कानून बना दिये, लेकिन इनकी आड़ के अंदर आम आदमी को, गरीब आदमी को नुकसान नहीं हो, इस बात का भी ध्यान राजस्थान की सरकार को रखना चाहिए। ये छोटी-छोटी बातें हैं, बड़ा नुकसान साबित कर सकती हैं। चुनाव आने वाले हैं। ये मेरे दो सुझाव हैं, इन पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन छोटी-छोटी बातें और हैं। जिस गौ-वंश को लेकर, आपने गाय और राम के नाम से हमेशा संघर्ष किया। मैं भी आपके साथ था 2008 के अंदर और गौ-माता की दुर्दशा आज स्टेट के अंदर हो रही है। मेरे से पूर्व विधायकों ने जो शंका जाहिर की है, वह निश्चित रूप से आज गांव-गांव के अंदर यह हालात हो गये कि लोग छोड़ देते हैं और तरह-तरह के कई नस्ल के सांड गांवों के अंदर आ गये। पहले हमने कभी देखे ही नहीं। कोई अमेरिकन सांड आ गया, कोई कहीं से आ गया। दुर्भाग्य से साहब,

(श्री हनुमान बेनीवाल)

ये घटनाएं ऐसी घटित हो गईं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं कहूंगा तो आप मजाक में लोगे। देखो, कितनी घटनाएं घटित हुई हैं। विदेशी पर्यटक को सांड ने जयपुर के अंदर मार दिया। कितनी साख खराब हुई जयपुर की पूरे देश के अंदर। और दूसरा, हीरालाल जी हमारे निवाई से विधायक हैं। (व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट, सुन तो लो साहब। मैं गलत बोलूं तो आप बता देना। आप क्यों कर रहे हो ऐसा। सांड ने इनको मारा हमारे भादरा के एमएलए साहब। एक मिनट कृपलानी जी, कृपलानी जी। आप मंत्री हो बार-बार बीच में क्यों बोलते हो, सुन तो लो बात। इससे देखो आपकी साख कम हो रही है, आप मजबूत आदमी हो। यह तो विपक्ष का काम है बोलने का, एक जैसे अपने भादरा एमएएल साहब के पीछे सांड भागा, सूरतगढ़ एमएलए साहब का पीछा किया, दौड़ गये सूरतगढ़ एमएलए साहब। एक आपके रतन जी जलधारी को सीकर के बाजार के अन्दर, सुनो पहले, अजी मेरी बात सुनो न, मैं गलत कह रहा हूं तो आप टोकना मुझे। रतन जी जलधारी मुझे खुद कह रहे थे भैंसो बाजार क माय दौड़्यो ल्यारे, तो ये भाग गये और अपने बुकरेडी, सुन लो साहब बात, रतनगढ़ के अन्दर बुकरेडी गांव, आप एक मिनट रूको तो सही, रतनगढ़ के अन्दर बुकरेडी गांव के अन्दर राजकुमार जी रिणवां जब सभा को सम्बोधित करने के लिए जा रहे थे...

(21.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: अब चलिए, आप समाप्त करिए। आपको किसने कहा था एक्सीडेन्टल स्टेटिक्स आप यहां प्रस्तुत करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक-एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय। गलत नहीं कह रहा हूं, एक-दो मेरे, मैं तो आराम से, आज साहब आखिरी दिन है, कम से कम आज ये घटनाएं तो, हमारे विधायक हैं न, विधायक, मंत्री सुरक्षित नहीं हैं। तो, ये सांड उनके बुकरेडी गांव के अन्दर, राठौड़ साहब के नजदीक ही है वो गांव, बुकरेडी गांव में सांड ने इनका पीछा किया और इन्होंने दौड़कर अपनी जान बचाई।

सुन्दर काका के पीछे भागा सांड और भीलवाड़ा के अन्दर कालूलाल जी के पीछे भागा सांड, तो उपाध्यक्ष महोदय मेरी आपसे यही मांग है कि इन आवारा जो सांड, आवारा पशु आप नन्दी गोशाला खोलने की बात कर रहे हो, अच्छी स्वागत योग्य बात है। लेकिन, नन्दी गोशाला के अन्दर किस तरह बजट का प्रावधान होगा। एक-एक नन्दी गोशाला के अन्दर किस तरह आप रखोगे, आपने जो गोशालाओं को अनुदान शुरू किया। इसके लिए तो आपको

(श्री हनुमान बेनीवाल)

धन्यवाद लेकिन यह अनुदान कम है 32 रुपये आप गाय के दे रहे हो, और 16 रुपये बछड़े के तो इसको बढ़ाकर 50 रुपये करो गाय के लिए और 30 रुपये करो बछड़ों के लिए।

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, गांव के अन्दर लोग गाय पालना चाहते हैं लेकिन वहां पर जमीन की बहुत बड़ी दिक्कत है। दानदाता हर जगह नहीं हैं कि 5 बीघा जमीन दे दें, 10 बीघा जमीन दे दें।

श्री हीरालाल (निवाई): ये आंकड़े कहां से इकट्ठे कर लिये आपने?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट, हीरालाल जी, रूको तो। मेरा निवेदन था कि मंत्रीजी, इसमें भी रेवन्यू मिनिस्टर आप सब चर्चा करें, चुनावी टाइम है गोशालाओं के लिए जमीन के अलाटमेंट के लिए आप गोचर में से जमीन की व्यवस्था करें और 20-20 लाख रुपये प्रत्येक गोशालाओं को आप अनुदान दें। ताकि, विधायक और सांसद भी उसमें पैसा खर्च कर सकें। हम लोग भी लगा सके, एक उपाध्यक्ष महोदय, पशुओं की... मैं रात की दो बजे भी सुनता हूं आपको बैठकर, दो मिनट नहीं सुन सकते मुझे। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान व एफएमडी टीकाकरण योजना में काम कम, आंकड़े अधिक आ रहे हैं, टीकाकरण हेतु कोल्ड चैन मेन्टेन साधनों की कमी है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह इस बजट में गो-अभयारण्य खोलने की बात बीकानेर जिले में कही है। सरकार गायों के उद्धार हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत पर गोशालाओं को 20-20 लाख पर अनुदान दे। कृषि के साथ पशुपालन किसानों का मुख्य व्यवसाय है इसलिए, पशुओं को विशेष रूप से आवारा पशुओं का इंतजाम भी करें, आवारा पशुओं को किस तरह हम रोक सकते हैं ताकि किसानों की फसलों का नुकसान भी नहीं हो और पशुपालन को बचाया जा सके, गाय को बचाया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, जो गायों की तस्करी करते हैं। इसके अन्दर यह जो अधिनियम की धारा 6 के अन्दर आपने गाड़ी का जो वाहन चालक है, उसको तो आप गिरफ्तार करोगे। लेकिन, मालिक को भी गिरफ्तार करना चाहिए, ताकि इससे गो-तस्करी रूकेगी। दूसरा, अब गोशालाओं के अन्दर दोगे तो 10 हजार रुपये के अन्दर आप ट्रक या जो भी पकड़ोगे 10 हजार रुपये, 10 हजार नहीं कम से कम 50 हजार रुपये आप उसमें जुर्माना करके और गोशालाओं को दो और तीसरा, सेशन न्यायालय के अन्दर इसमें जो ट्राइल चले और दो-तीन वर्ष की समय की पाबन्दी हो ताकि ऐसे केसों में सज़ा हो। जिससे मैसेज जाए और ये गोहत्या राजस्थान के अन्दर रूके।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

इस बात का तो मैं धन्यवाद आपको दूंगा कि गो हत्या रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से इतिहास के अन्दर गाय की महिमा का बखान किया और आज हम सब लोग गाय को पालते हैं। ऐसा कोई किसान नहीं होगा जो गाय से प्रेम नहीं करता होगा, गाय को नहीं रखता होगा। हम सब गोपालक हैं, इसलिए हम सबको मिलकर इस राजस्थान के अन्दर गोवंश को बचाने का प्रयास करना चाहिए। किसानों की आर्थिक स्थिति के अन्दर पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है, उपाध्यक्ष महोदय। तो, सरकार को इस बारे में भी सोचना चाहिए और हमें ऊपर उठकर, इस पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठकर गाय माता को बचाना चाहिए।

एक दूसरा अभी कोई सुझाव आया था कि किसानों को आप अगर चाहो जैसे उपाध्यक्ष जी ने निर्देश दिये थे कि आप रजिस्ट्रेशन कराओ। तो, आप मंत्रीजी प्रत्येक गांव के अन्दर ग्राम सेवक, पटवारी, टीचर आप कमेटी बना के सरपंच के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा लें। गोशालाओं के अन्दर जो गायें रखते हैं उनको अलग से अनुदान मिल जाए, व्यवस्था हो जाए और किसान जो खुद के घर के अन्दर अगर गाय रखता है, दूसरा पशुधन रखता है तो उसको उस हिसाब से अगर हम पैसा किसान को सीधा दें, किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सिचिंत क्षेत्रों में तो फिर भी ठीक है जहां सिंचित क्षेत्र नहीं है वहां किसान अपने परिवार का पेट पालने में सक्षम नहीं है। फिर भी, वो गाय को पालना चाहता है। ऐसी व्यवस्था राजस्थान की सरकार करें तो गोवंश को बचाया जा सकता है। मेरे ये सुझाव छोटे-मोटे सुझावों के साथ मेरे तीन महीने के लिए इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य और सबका एक ही मत है कि गो-संरक्षण हो, गो-संवर्द्धन हो। अब यह तो बात इस तरह से हो रही है, जैसे कोई हमारी सरकार के वक्त में यह समस्या आ गई, पहले नहीं थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकारें जो भी रही हों, सबके समय में यह समस्याएं थीं, अब बढ़ी जरूर हैं। लेकिन, मैं आपके माध्यम से सरकार की ओर से माननीय मुख्य मंत्रीजी की ओर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम जो प्रयास कर रहे हैं चाहे वो नन्दी शाला के हों, चाहे वो गोशाला के हों, चाहे गोशाला अनुदान हो, चाहे राठी, थारपारकार के संरक्षण, संवर्द्धन का सवाल हो या अन्य प्रकार के आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सवाल हो। ये सारे काम निश्चित रूप से गो-संरक्षण, संवर्द्धन के करेंगे।

(श्री प्रभूलाल सैनी)

मैं अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से पूरे सदन से राजनैतिक पार्टियों से ऊपर उठकर एक सामाजिक चेतना के माध्यम से ही समस्या का समाधान किया जा सकता है। सरकार वित्तीय साधन दे सकती है, व्यवस्था कर सकती है लेकिन आरोप प्रत्यारोप एक बहुत आसान चीज है। हम सब मिलकर कोशिश करें ताकि गो-संरक्षण और संवर्द्धन हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया गया।

राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018 श्री कालीचरण जी सराफ।

विधेयक पर विचार

राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 54 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 54 स्वीकार किए जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 54 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

मंत्री महोदय।

विधेयक का पारण

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे। एक मिनट.. I'll allow one by one.

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रोपैथी के लिए जो यह विधेयक लाया गया है। राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018 इसका मैं स्वागत करता हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विषय में काफी गंभीरतापूर्वक विचार करके और इसके लिए विधेयक आज विधान सभा में प्रस्तुत किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा की कई पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों में एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, योगा ये सब पद्धतियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा पैसा एलोपैथी पर खर्च हो रहा और आयुर्वेदिक पद्धति इलाज की, उस पर सरकार का ध्यान कम है और बहुत कम पैसा खर्च हो रहा है। अब स्थिति यह है कि एलोपैथी पर व्यक्ति का पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है। डाक्टर की जांच करवाने का, डाक्टर की फीस का, दवाइयां लेने का, उसके अलावा भी काफी खर्चे उसमें हो रहे हैं, लेकिन यदि हम आल्टरनेटिव पद्धति पर जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति को और रोगी को उसमें फायदा होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो इलेक्ट्रोनिक पद्धति है इस पद्धति का व्यवसाय, अनुसंधान और अध्ययन-अध्यापन, कोर्स सर्टीफिकेट देना, अनुसंधान करना इसके लिए यह आवश्यक है कि इसके लिए एक एक्ट लाया जाए। हजारों लोग इस पद्धति के माध्यम से चिकित्सा का व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी संस्थान उपलब्ध नहीं था। सरकार की तरफ से कोई एक्ट नहीं था जिसके कारण से वो अपने-आपको योग्य सिद्ध कर सकें और अपने-आपको यह सिद्ध कर सकें कि हमें सरकारी मान्यता प्राप्त है। जब होम्योपैथी का एक्ट लाया गया तो तब भी

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

पहली बार राजस्थान में लाया गया। होम्योपैथी को समझने में लोगों को बहुत टाइम लगा। आयुर्वेद का एक्ट भी राजस्थान विधान सभा में पहली बार लाया गया। मैं समझता हूं कि राजस्थान विधान सभा में यह एक्ट लाकर हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। इलेक्ट्रो पद्धति 19वीं सदी इटली के डा. काउंट सिसेर मतैई द्वारा स्थापित की गयी थी और यह स्पेजाइरिकल कोहोबिशन बार-बार आसवन यानी यह पद्धति इस प्रकार से है कि औषधियों को वस्पतियों को, पेड़-पौधों की फूल-पत्तियों को बार-बार उनका अवसादन करके उसमें से रस निकाल करके उसमें से और फिर रस निकाल करके माइक्रो लेवल पर इसकी दवाइयां तैयार की जाती हैं। इस विषय में माननीय राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ एक बार जब वो चिकित्सा मंत्री थे, इनके सम्मेलन में गये थे। वहां सम्मेलन में हजारों चिकित्सक मौजूद थे और उन्होंने यह मांग भी की थी कि हमारी इस पद्धति को मान्यता प्रदान की जाए। वो उस वक्त गये और उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से इस पद्धति को मान्यता प्रदान करूंगा। हमने इस विषय में कमेटी भी बनाई उसके बाद दो कमेटियां और बनीं। माननीय कालीचरण जी सराफ जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं उनके माध्यम से दो कमेटियां और बनीं। एक टैक्निकल कमेटी और एक लीगल कमेटी, इन दोनों कमेटियों की पोजिटिव रिपोर्ट में यह कहा गया, ये कमेटियां गईं, कई संस्थानों का अध्ययन किया, कई होस्पिटल्स का अध्ययन किया। वहां के रोगियों से बातचीत की। रोगियों से बातचीत करके उनमें कितना सुधार हुआ। कितना उनमें अनुसंधान हुआ और इस पद्धति से कितने लोगों को फायदा होता है। किस-किस प्रकार की दवाइयों से क्या-क्या फायदा होता है इस बारे में पूरी रिसर्च रिपोर्ट अपनी एक टैक्निकल रिपोर्ट दी है। उसी के साथ-साथ लीगल रिपोर्ट भी इसमें आयी है और लीगली भी यह पद्धति बिलकुल सही है और लीगली भी यह कानून सही है। इसके अन्तर्गत बोर्ड की एक स्थापना की गयी है इलेक्ट्रो बोर्ड और उस बोर्ड के माध्यम से यह गवर्न होगा यह पूरा एक्ट और उस बोर्ड को राज्य सरकार की शक्तियां नियम इत्यादि बनाने की भी प्रदान की गयी हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो बोर्ड है वो किस इलेक्ट्रोनिक पद्धति के माध्यम से जो शिक्षण संस्थाएं काम कर रही हैं उनको मान्यता प्रदान करेगा। अध्ययन और पाठ्यक्रम को तय करेगा कि इसका अध्ययन होगा और पाठ्यक्रम क्या होगा, हालांकि काफी इस पाठ्यक्रम से पढ़ रहे हैं। इस पाठ्यक्रम से परीक्षाएं दे रहे हैं और मान्यता प्राप्त करके

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

और विभिन्न प्रकार से इस चिकित्सा पद्धति के अन्दर काम कर रहे हैं। यह बोर्ड पूर्ण शक्तिमान बोर्ड है। अध्ययन-अध्यापन करना, पाठ्यक्रम तय करना, परीक्षाएं लेना, परीक्षाएं करवाएगा यह बोर्ड और परीक्षा करवा के प्रमाण पत्र देगा, छात्रवृत्तियां देगा। छात्रवृत्ति देकर के इलेक्ट्रोनिक पद्धति के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदान करके और इलेक्ट्रोनिक संबंधित चैयरों के लिए विन्यास कंडेक्ट कर सकता है। फीस की मांग करना, फीस करना, इसके लिए कोष की व्यवस्था करना, परीक्षकों की नियुक्ति करना, किसी संस्थान को निलंबित या प्रत्याहूत करना, ये सब काम राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से राज्य में इलेक्ट्रोनिक पद्धति के औषधालय, अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए निरीक्षक नियुक्त करना। ये सब काम यह बोर्ड करेगा। इलेक्ट्रोनिक पद्धति में अध्ययन और अनुसंधान की संस्थाओं को स्थापित करना, उनको ग्रान्ट देना यह बहुत जरूरी है। जब तक इलेक्ट्रोनिक पद्धति के जो संस्थान हैं और जो विभिन्न शोध करना चाहते हैं, उनको सरकार अनुदान दे। उनको सरकार सहायता प्रदान करे। उनको सरकार प्रोत्साहित करे। इस बात के लिए बोर्ड को शक्तियां प्रदान की गई हैं। मैं समझता हूं कि ये जो एक्ट है वो हमारे अधिकारियों ने और हमारे माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय के द्वारा ये जो बोर्ड बनाया गया है, ये जो एक्ट बनाया गया है इसके माध्यम से लोगों को अच्छा इलाज मिलेगा, सस्ता इलाज मिलेगा और लोग उसका फायदा उठा सकेंगे। इन सभी भावनाओं के साथ में इस एक्ट का मैं स्वागत करता हूं, अभिनन्दन करता हूं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बाद में बोल लेना। पहले मंत्री जी बता दें यह चीज क्या है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): पहले मैं बता दूं फिर मंत्रीजी बताएंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018 लाये हैं इसके लिए मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी और चिकित्सा मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये इलेक्ट्रोपैथी जिस प्रकार हमारे यहां होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या यूनानी जिस प्रकार हमारी सरकार ने लागू की उसी प्रकार मैं समझता हूं कि अगर इलेक्ट्रोपैथी भी हमारी सरकार लागू करेगी तो कहते हैं कि भारत वर्ष एक ऋषि-मुनियों का देश था और आयुर्वेदिक जो पद्धति थी उससे ही हमारे देश में इलाज हुआ करते थे और उसी के आधार पर मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रोपैथी भी उसी का एक आधार है और अगर ये

(श्री हरिसिंह रावत)

इलेक्ट्रोपैथी हमारे यहां लागू की जाए तो मैं समझता हूं कि हमारे गरीब तबके के लोग जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं उनके लिए एक रामबाण साबित होगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा एक ऐसी पद्धति है जो क्रमिक आसवन प्रक्रिया की मदद से पृथक्करण और पुन: एकीकरण के सिद्धान्त के द्वारा चिकित्सा गुणों वाले पौधों से अर्क निकालकर प्राप्त होती है। इस चिकित्सा पद्धति का वैज्ञानिक नाम स्पेजाइरिकल कोहेसा है। इस चिकित्सा पद्धति के संस्थापक डा. काउंट सिसेट मतैई जो इटली में निवास करते थे उन्होंने यह लागू की। सभापति महोदय, सारी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पद्धति से कई ऐसी औषधियां तैयार होती हैं और वो औषधियां हमारे जंगलों में मिल सकती हैं या हम उनको एक फसल रूप में प्राप्त कर सकते हैं और उसी के अर्क के माध्यम से हम यह इलेक्ट्रोपैथी का काम कर सकते हैं और साथ-साथ ही मैं तो यह समझता हूं कि इलेक्ट्रोपैथी शायद इलेक्ट्रिक से पैदा होती होगी, लेकिन जब मैंने इसका गहन अध्ययन किया तो मुझे यह मालूम पड़ा कि यह सब चीजें हमारे पौधों से प्राप्त होती हैं और पौधों के माध्यम से ही हम इसको संचय करते हैं और इलेक्ट्रोपैथी पद्धति में इलेक्ट्रो का मतलब होता है मनुष्य शरीर एवं वनस्पति में भगवान के द्वारा दी हुई दो शक्तियां होती हैं पहली घनात्मक व दूसरी ऋणात्मक। इन्हें शरीर की इलेक्ट्रोसिटी कहते हैं। ये घनात्मक व ऋणात्मक शक्तियां जब शरीर में असमान होती हैं तो वह अस्वस्थ कहलाता है अर्थात् इलेक्ट्रोसिटी की शरीर में असमानता रोग कहलाती है। इलेक्ट्रोसिटी के लिए ही यह इलेक्ट्रो शब्द लिया गया है न कि करंट के संबंध में। साथ ही होम्यो यह एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ है समानता अर्थात् किसी असमानता को समानता में बदलना चूंकि इस चिकित्सा पद्धति में शारीरिक इलेक्ट्रोसिटी की असमानता रोग को पौधों की इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से समानता, स्वास्थता में बदला जाता है। इसीलिए यहां होम्योपैथी शब्द का प्रयोग लिया जाता है। अत: होम्योपैथी शब्द का यहां होम्योपैथी चिकित्सा से कोई संबंध नहीं है। पैथी, इसका अर्थ है पद्धति या साइंस। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा पद्धति को ही इलेक्ट्रोपैथी के नाम से जाना जाता है और इलेक्ट्रोपैथी पद्धति की कई ऐसी विशेषता हैं। विज्ञान द्वारा किया गया सबसे बाद का आविष्कार है उन्नत माना जाता है। इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा विज्ञान की सबसे कम उम्र की पद्धति है। इलेक्ट्रोपैथी का प्राकृतिक पूर्ण हर्बल चिकित्सा विज्ञान है। किसी प्रकार के साइड इफेक्ट्स या दुष्प्रभाव नहीं है।

इलेक्ट्रोपैथी दवाएं कम खर्चीली होती हैं। गलती से दी गई इलेक्ट्रोपैथी दवा भी शरीर को कोई भी हानि नहीं पहुंचाती है, अधिक पथ्य परहेज नहीं।

(श्री हरिसिंह रावत)

प्रकृति से जुड़ी हुई आर्गेनिक चिकित्सा है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मैं बोलना तो बहुत चाहता था लेकिन सभी ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपका यह मंत्रीजी का जवाब ही मान लें क्या? आपने ही तो पन्ना भिजवाया है कि मैं नहीं बोल सकता, आप बोल दो।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब मैं बोल दूं, विराजो।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, अभी आप विराजिए। इनके बाद वह कैसे बोलेंगे, फिर तो हम पारित करेंगे। विराज जाओ आप, he is standing. I have to allow him. He has a right on the Floor of this House. I can't ignore him.

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करुंगा ....

श्री उपाध्यक्ष: Phoolchand Ji Bhinda, also wants to speak.

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018 आज सदन में पारित हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे पहले तो एक बात कहनी है कि आज हम राजस्थान में एक नई चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने जा रहे हैं। क्या होगी, कैसी होगी, उस डिटेल में मैं जाना भी नहीं चाहता और मैं उसको जानता भी नहीं हूं। मंत्री महोदय जब इसका जवाब देंगे तो शायद उनको भी इसकी बहुत डिटेल, गहराइयां पता होंगी या नहीं होंगी, मैं नहीं जानता पर जो यह उद्देश्यों और कारणों में उल्लिखित किया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति को मान्यता देने के लिये और राज्य में इसके औपचारिक व्यवसाय, अनुसंधान, अध्ययन, अर्हताएं प्रदान करने और अन्य संबंधित क्रियाकलापों को समर्थ बनाने के लिये राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018, इसका आशय यह है हम राज्य में इस चिकित्सा पद्धति को कानून सम्मत मान्यता दे रहे हैं और इससे संबंधित शैक्षणिक कोर्सेज हम राजस्थान में प्रारम्भ करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता 200 में से 10-5 विधायक तो ऐसे होंगे जो यह

(श्री प्रहलाद गुंजल)

समझ रहे हैं कि आखिर यह इलेक्ट्रोपैथी क्या है। जब आज यह बिल आया तो हमने सोचा कि कोई बिजली वगैरह से उपचार का कोई साधन होगा, इलेक्ट्रोपैथी। देश के किस विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रोपैथी पढ़ाई जा रही है? देश के कौनसे प्रांतों में यह पढ़ाई जा रही है? किस स्तर की एजुकेशन है और राजस्थान प्रदेश के बाहर के अन्य प्रांतों में पढ़ाई जा रही एजुकेशन से संबंध होकर कोई 100, 50, 200 इलेक्ट्रोपैथी के डाक्टर राजस्थान में काम कर रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट का प्रमाणीकरण, कौनसे विश्वविद्यालय से है, हम इसका स्वागत कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं।

दुनिया में कई पद्धतियां आती हैं पर मैं इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल इतना कहना चाहता हूं हमने इसमें लिख दिया इटली के डाक्टर काउंट सिसेर मतैई, कृषि मंत्रीजी यहां से चले गये, अगर मैं यूनानी की रिसर्च की भी बात करूंगा तो हमारे यूनानी डाक्टर कोई सेमीनार करते हैं तो उसका जनक भी कोई विदेश के डाक्टर को बता देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप दोनों पद्धतियों के मर्म में जाओ, यह जो दुनिया का चिकित्सा विज्ञान है, भारत की दुनिया सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को स्वीकार करना नहीं चाहते और हमारी मूल पद्धति, मैंने पहले भी इस सदन में कहा है कि दुनिया का सबसे एडवांस देश अमरीका, जिसके राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को पार्किन्सन नाम की बीमारी हो गई, सारा देश का चिकित्सा विज्ञान उसका इलाज नहीं कर पाया और भारत के खान पान में जो आयुर्वेद है, हल्दी की मात्रा पर्याप्त खाने पर पार्किन्सन नाम की बीमारी होती ही नहीं। हमारा आयुर्वेद दुनिया में सबसे सुपरसीड नहीं रहे, हमने भी अनदेखी कर दी। इसलिए आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में से अर्क, उसी अर्क में से आज यह इलेक्ट्रोपैथी आ गई, उसी अर्क में से यूनानी दवा आ गई और उसी में से होम्योपैथी आ गई। हम जो जनक हैं, मालिक हैं, हमारे राजस्थान के जंगलों में, गांवों में 1500 प्रकार की वनस्पति और जड़ी बूटियां मिलती हैं जिनमें दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज है। हम गांवों में बचपन में बाथली खाया करते थे, बथुआ और आज दुनिया के देशों ने उसकी एक नई प्रजाति पैदा करके किनोवा और 300 प्रकार की बीमारियों पर नियंत्रण करता है। सहजन की फली गांव-गांव में उगती है, सहजना, आज दुनिया के दूसरे देशों ने उसको आधुनिक तरीके से एडाप्ट करके, पेटेंट करके उसका नाम दे दिया मोरिंडो, मोस्ट न्यूट्रिशियन ट्री इन वर्ल्ड, दुनिया को हम दे रहे हैं और हमसे लेकर दुनिया उसी को पेटेंट करके, उसी का अर्क निकालकर हमें बाजार में वह बेच रहे हैं। हमारी जो

(श्री प्रहलाद गुंजल)
मौलिक पद्धति है आयुर्वेद, हमें उस पर रिसर्च करने के तौर तरीकों पर बहुत गम्भीरता और गहराई से जाना पड़ेगा। जो कुछ भी नया रिसर्च पैदा हुआ है, चूंकि नाना प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, इस समय तो जो उपचार मिले, उसको स्वीकार करो, इस दृष्टि से मैं इसका समर्थन करता हूं लेकिन अनुरोध करता हूं हमारी मौलिक चिकित्सा पद्धति जो दुनिया में सबसे पुरानी, प्राचीन, उस पर नहीं जाना चाहता, मैं लक्ष्मण के शक्ति बाण से लेकर वराह अवतार तक आयुर्वेद का अगर जिक्र करूंगा तो लंबी बात हो जायेगी, हमें उसके बारे में भी गम्भीरता से विचार करना चाहिये। आयुर्वेद में से पैदा होने वाली चिकित्सा पद्धतियों को और सर माथे पर स्वीकार कर रहे हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन आयुर्वेद हमारी आत्मा है, इस पर गम्भीरता से विचार करें।

सूचना

खैरथल के व्यापारी पर जानलेवा हमला

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को एक इन्फोरमेशन दे रहा हूं, खैरथल के एक व्यापारी को शाम को दो गोलियां मारी गई हैं।

विधेयक का पारण

राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : दूसरा मैं पूर्व चिकित्सा मंत्रीजी को इस एक्ट के बारे में धन्यवाद दूंगा, पिछली बार मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था, उसमें उन्होंने सकारात्मक आश्वस्त किया था, वह आज पूरा हो रहा है, उसके लिये धन्यवाद और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह आपके कहने से ही लाये हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अधूरा रह जायेगा अगर विपक्ष अपनी बात नहीं रखेगा तो। मैं तो चाहता था पहले मंत्रीजी बोलें और फिर आप अनुमति दें तो और ज्यादा सार्थक होगा।

श्री उपाध्यक्ष: जिस प्रकार से इस बिल को इन्होंने पायलट किया है उसमें इनके बोलने के बाद फिर आपको अनुमति नहीं मिल सकती।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): फिर तो मैं मेरा धर्म पूरा करुंगा ही। (व्यवधान) मेरे तो समझ में आ जायेगा लेकिन जवाब मंत्रीजी के समझ में आयेगा या नहीं आयेगा, वह अपने मंत्रीजी से पूछ लो। क्योंकि मैं तो आज इसका पूरा अध्ययन करके आया हूं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): गोविन्द जी, आज आरोप मत लगाओ लास्ट दिन है, आप तो मंत्रीजी के पीछे ही पड़ गये। देखो, आपको देखकर डिप्रेशन में आ जाते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी मेरे बड़े भाई हैं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मेरी चिंता मत करो आप, डिप्रेशन में आप आते होंगे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, डोंट वरी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनके समझ में आ गई यह तो कहते हैं दुश्मन दे गाली और हंस के टाली।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मूर्ख दे गाली और उसको हंस के टाली। एक ही बात है, आप बड़े भाई हो इसलिए थोड़ा फर्ज बनता है ठीक करो, बाकी तो मैंने भी ऐसा ही कहा है।

श्री उपाध्यक्ष: यह आप वाली परिभाषा यहां किसी पर लागू हो रही है क्या?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या कहा, आप मेरे लिये कह रहे हो तब तो दो बात करूं नहीं तो फिर ...

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, मैंने तो यह कहा है कि मूर्ख की गाली, हंस के टाली, यह ज्यादा जानते हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह ठीक है, अब पक्की दोस्ती हो गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018, निश्चित रूप से हर सरकार का यह दायित्व होता है कि हमारे प्रदेश की जनता किस प्रकार स्वस्थ रहे, सुखी रहे और अपना जीवन यापन करे, प्रगति करे और हो सकता है कि इस सरकार की भी यही मंशा है। निश्चित रूप से सबको कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसके लिये इस प्रकार के बिल लाये जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय राठौड़ साहब पहले चिकित्सा मंत्री थे, उन्होंने हां भर ली इसलिए यह बिल बनकर आ गया और आपकी मजबूरी हो गई आज वर्तमान मैं चिकित्सा मंत्री हो, इसलिए आपको रखना पड़ेगा और रखना पड़ेगा तो हमें पास भी करना पड़ेगा, क्योंकि रात भर यहां पर तो नहीं रह सकते हैं, हम सबको घर जाना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसकी आड़ में, माननीय मंत्री महोदय जो झोलाझाप डाक्टर बने बैठे हैं, जिन पर कोई सरकार कार्यवाही नहीं कर सकी, न हमने ज्यादा की और न आपने की। कहीं उनका व्यवसाय और वे झोलाझाप डाक्टर तो नहीं पनप जाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूं कि अधिकारियों ने भी आपको एक-डेढ़ पन्ना लिखकर दिया होगा, इसके

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अलावा आपको पता नहीं है और उनको भी पता नहीं है, क्योंकि सरकार की मंशा थी, इसलिए उनको तो टाइप करना था, कर दिया और बिल आ गया। आखिर में भी इसीलिए आया कि पहले समझ में नहीं आया कि यह बिल क्या है? कैसे बनाना है? इसमें क्या होगा? फिर आनन-फानन में आज 12-1 बजे के लगभग हमारी टेबल पर आया कि इस पर भी बोलना है, मैंने कहा कि ठीक है, हम धर्म निभायेंगे। आज सवा चार साल से जिस प्रकार से चिकित्सा की स्थिति है, वह सरकार से नहीं सुधर रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल परसों इसी सदन में मंत्री महोदय ने महामहिम राज्यपाल महोदय की जो स्वाइन फ्लू की रिपोर्ट थी, वह पाजीटिव आयी, नेगेटिव आयी, जो भी आयी, चर्चा का विषय था, आपने जवाब दिया, अच्छा लगा। आपने कमेटी भी बनाई और उस कमेटी का क्या हुआ? उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी? हमने समाचार-पत्रों के माध्यम से पढ़ा है कि उस कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी है। तो मैं समझता हूं कि शायद मंत्रीजी अपने जवाब में उसका भी खुलासा करेंगे, जिससे प्रदेश में यह मैसेज में जाए कि हमारा एस.एम.एस. हास्पिटल सही है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। महामहिम राज्यपाल महोदय की जो अपोलो हास्पिटल की रिपोर्ट है, वही गलत है। हम उम्मीद करते हैं, बाकी तो जो भी रिपोर्ट आएगी, वह आ जाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपन ने जिस प्रकार सवा चार साल तक स्वास्थ्य का ध्यान रखा, वह पर्याप्त नहीं है। यह मेनडेटरी इस तरह का था कि हम और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते थे। (व्यवधान) मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। आप चिंता मत करो। यह तो मंत्रीजी को ही नहीं पता कि यह कौनसी पद्धति है, तो मेरे को ज्यादा पता कैसे होगा? लेकिन बात यह नहीं है, बात जब स्वास्थ्य आएगी तो बात दूर तक जाएगी, लेकिन उतनी दूर तक नहीं जाएगी जो पिछले दिनों गई थी, इसलिए मंत्रीजी आराम से सुनना, आप बीच में खड़े मत होना। आपने पूरे डाक्टर नहीं भरे, सीएचसी खोली नहीं, पीएचसी खोली नहीं, अभी बजट में घोषणा की कि आपने एक भी प्रतिपक्ष के किसी भी सदस्य के विधान सभा क्षेत्र में एक भी पीएचसी, सीएचसी या सब-सेंटर खोलने की घोषणा नहीं की। क्या वहां पर जनता नहीं रहती? क्या वहां पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले नहीं रहते?

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ये कौनसे बिल पर बोल रहे हैं? यह कहां का बिल लिया है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या हमारे विधान सभा क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान आपको नहीं रखना चाहिए? सरकार सब की होती है, कोई मालवीय नगर अकेले की सरकार नहीं है। आप सरकार के मंत्री का मतलब, सवा सात करोड़ लोगों के चिकित्सा मंत्री हैं। यह बहुत बड़ा पद है। आपने उसमें बीच में ठेप लगवाली तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप हम सबके मंत्री हैं, सबका ध्यान रखना चाहिए, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, पिछली बार केवल आठ सीएचसी तिजारा में खोली थीं, 27 पीएचसी खोली थीं, ऐसा पक्षपात करने वाले हमें सलाह दे रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह इनाम तो हमें मिल गया न, आप भी तो वैसा ही लेना चाह रहे हो न, यही तो मैं पूछ रहा हूं।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के पास भेज दो, एक इलेक्ट्रिक शाक लग जाए, तो सब ठीक हो जाएगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं हूं, तब जीवितता है, वर्ना आप सो-सा जाते, इतने में।

श्री हीरालाल (निवाई): समझ में आ गया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): समझ में तो मंत्रीजी के ही नहीं आया, तो मेरे कैसे आएगा? समझने वाली बात तो एक-सी है, मंत्रीजी के आ गया तो मेरे भी आ गया है, ये मेरे बड़े भाई और मैं इनका छोटा भाई। अगर इनके नहीं आया तो मेरे भी नहीं आया। ये भी ठप्पे देंगे, मैं भी दे लूंगा। बात तो इतनी सी है, और क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी है। आप अपने जवाब में प्रदेश को यह भी बताएं कि क्या आप डाक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करेंगे? अगर नहीं करेंगे, तो डाक्टरों के ये पद तो खाली रहेंगे। एन.आर.एच.एम. और यूनानी में संविदा वालों को आप नियमित नहीं कर रहे हैं। किसी को भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप एलोपैथी वालों की कर रहे हैं तो आयुर्वेद यूनानी और इन सब की क्या 65 साल की करेंगे? यह सवाल सदन के माध्यम से मंत्री महोदय आपके श्रीमुख से जाएगा तो लोग विश्वास कर लेंगे, क्योंकि आप एक अथोरिटी हैं। आप इसको कम मान रहे हैं कि मैं तो चिकित्सा मंत्री हूं, क्या फर्क पड़ता है, छह-आठ महीने और हूं, फिर दूसरा आ जाएगा, लेकिन आज जब आप हैं, आपकी एक अथोरिटी है कि आप पूरे

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

राजस्थान के चिकित्सा मंत्री हैं, इसलिए आप जो भी कहेंगे, उस पर प्रदेश की जनता विश्वास करेगी।

दूसरा, मैं तो इतना ही निवेदन करुंगा कि इसके माध्यम से कहीं ये जो झोलाझाप डाक्टर हैं। (व्यवधान) एक मिनट, बहुत मतलब की चीज है। कोई इंजेक्शन लगा जाएगा और कल आपको भारी पड़ जाएगा, मैं सावचेत कर रहा हूं। हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसका नाम लेकर कोई झोलाझाप माननीय मंत्री महोदय आपके कभी तकलीफ में कोई इंजेक्शन लगा गया और भगवान न करे कि कोई गड़बड़ हो गयी, तो फिर हमें कोई माफ नहीं करेगा कि इस सदन में बैठे थे और आपने चेताया नहीं। इस तरह की दुर्घटनाओं का बिल आप लेकर आ गये। माननीय मंत्री महोदय, आप तो गांव से आते हैं, अब तो जयपुर में आ गये, बाकी गांव में तो सीधे-साधे लोग हैं, वे कहते हैं, साहब आया है। मेरे पास यह जड़ी-बूटी है और आपने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति और बता दी। उनको लगेगा कि इससे तो सारे रोगों की जड़ें ही खतम हो जाएगी। ये चिकित्सा पद्धति आ गयी, इसलिए इससे इलाज करा लो, कहीं उलटा नमाज गले में नहीं पड़ जाए, तो यह बात थोड़ा-सा जवाब में आप बता देना और इसके प्रति आप आश्वस्त कर देना। आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता को यह विश्वास हो जाए कि माननीय मंत्री महोदय जी को इस बिल के बारे में भी नालेज है, इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के बारे में भी नालेज है और ये चिकित्सा व्यवस्था को और ठीक करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी बात सीमित इसलिए करुंगा कि सब का मूड है कि माननीय मंत्री महोदय से ज्ञान का लाभ लें, इसलिए बिल तो पारित होगा, क्योंकि बहुमत आपका है। मैं तो कहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिये आग्रह करो, पहले समझो। मंत्रीजी, आप भी समझो। कहीं कोई गड़बड़ हो जाएगी, आपके हाथ से अनर्थ हो जाएगा। कोई गलत काम होता है तो आजकल मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ मुक़दमे दर्ज होना चालू हो गये हैं। आपको पता होगा? निश्चित रूप से मैं नहीं चाहता कि मेरे बड़े भाई कहीं कोई परेशानी में फंस जाएं, इसलिए आप कृपा करके, मेहरबानी करके इसको जनमत जानने के परिचालित करें और फिर इस बात को समझ लें कि अपन को सदन में क्या और किस तरीके से लाना है, क्या जवाब देना और यह क्या पद्धति है? उसके बाद अगर आएगा, तो ठीक लगेगा। धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक बात पिछले वाले बिल में छूट गयी थी। उपाध्यक्ष महोदय, गोवंश का मामला तो प्रभूलाल जी के पास रखो। चूंकि भैंस वंश की बात नहीं हुई थी तो यह इसमें से निकालकर यह भैंस वंश वाला कालीचरण जी को दे दो। ताकि भैंस, युवराज, पाड़ा और जो-जो सारा, क्योंकि ये उससे अच्छी तरह...

श्री उपाध्यक्ष: चलिए आप विराज जाओ। I think so. श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): उपाध्यक्ष महोदय, जैसा इसके अंदर लिखा गया है कि इलेक्ट्रोपैथी से जड़ी-बूटियों के अर्क को खोजा जाता है। तो क्या आयुर्वेदिक के जो डाक्टर्स हैं, वे ही क्या इसके तहत डाक्टर रहेंगे? तो फिर इसमें सबसे पहले जिक्र करना चाहिए था, जैसे हमारे भिण्डा साहब कहते हैं कि भई राम, रहीम, तो इसमें अगर धन्वंतरि भगवान का.. अगर भारतीय संस्कृति और जो भारतीय पद्धति है, तो उसका जिक्र सबसे पहले बिल में होना चाहिए था कि धन्वंतरि भगवान की देन है और यह जो जड़ी-बूटियों का जिक्र किया है, इसमें सिर्फ यही है, बाकी तो इनमें बोर्ड का गठन है, रजिस्ट्रेशन। किस तरह से बोर्ड बनाया जाएगा, किस तरह से उनका रजिस्ट्रेशन होगा? अगर कोई इसको व्यवसाय के हिसाब से करेगा तो उसे 20 हजार रुपये की सज़ा होगी, तो यह कैसे पता लगेगा कि यह इलेक्ट्रापैथी डाक्टर है और इसको 20 हजार रुपये की सज़ा दी जाएगी? इसके अंदर क्या प्रावधान होंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्या आयुर्वेदिक डाक्टर ही इसमें होगा? थोड़ी डिटेल में आप बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रोपैथी पद्धति का कई माननीय सदस्यों ने स्वागत किया और कई माननीय सदस्यों ने शंकाएं व्यक्त कीं। मैं यह बताना चाहूंगा कि यह अपने आप में अलग से एक चिकित्सा पद्धति है, जैसे आयुर्वेद, नैचुरोपैथी, एलौपैथी, यूनानी, होम्योपैथी जैसी जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिनके माध्यम से जनता का इलाज होता है। उसी प्रकार से इटली में 1865 में डा. काउंट सिसेर मतैई नाम इटेलियन साइंटिस्ट ने इस पद्धति का आविष्कार किया और यह इलेक्ट्रोपैथी के नाम से जाना गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें पौधों के रस से इलेक्ट्रोपैथी की औषधियां बनती हैं। औषधीय पौधों में बायो ऊर्जा शरीर की असंतुलित बायो ऊर्जा को संतुलित करती हैं। जैसा आदरणीय लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि झोलाछाप डाक्टर्स यह

(श्री कालीचरण सराफ)

काम करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्ट में यह प्रावधान है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स ही इस पद्धति के माध्यम से प्रैक्टिस कर पायेंगे। जो आपका यह वहम है, सुनिए, सुनिए...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): करा लेंगे, यही तो कह रहा हूं मैं।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमारे कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आयुर्वेद की महत्ता कम हो जाएगी। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज प्रदेश में यूनानी चिकित्सा पद्धति भी चल रही है, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी चल रही है, नैचुरोपैथी भी चल रही है, एलोपैथी भी चल रही है, परन्तु आपको मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि पूरे हिन्दुस्तान में हमारा प्रदेश ही एक इस प्रकार का प्रदेश है जहां आयुर्वेद का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। कहीं भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए आयुर्वेद की महत्ता कम होने का इसमें सवाल ही नहीं है। ये इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति है जो सस्ता इलाज मुहैया करायेगी और इससे लोगों को अच्छा इलाज मिलेगा। इसमें कोई साइड इफैक्ट नहीं है। हम जो यह चिकित्सा पद्धति ला रहे हैं, इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान इसका कुछ भी नहीं है। विराजो आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये क्या चीज है? पता ही नहीं चल रहा है।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप फिर बीच में, आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप मेरे बड़े भाई हो, मेरे को दिक्कत हो रही है भई कि...

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्या है साहब इनके? अब आप बैठ जाओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ये है क्या चीज। आप कह रहे हो हम ऐसा ला रहे हैं, वैसा ला रहे हैं, है क्या है ये, यह तो बताओ?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रोपैथी औषधियां पौधों के रस से बनती हैं। पौधों के रस से, पौधों के अर्क से जो रस निकलता है, उससे यह औषधियां बनती हैं और इन औषधीय पौधों में बायो ऊर्जा से...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कौनसे पौधे से क्या बनती है, आकड़े से बनेगी क्या कोई?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अच्छा, बैठिए अब आप। अरे भाई, एक मिनट आप बैठ जाइए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपके पक्ष में बोलना चाहता हूं। अजी एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कोई इलेक्ट्रोपैथी नाम आया और उसको हाथों-हाथ हमने ले लिया, बिल ले आए, ऐसा नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मंत्रीजी एक मिनट।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप बैठ जाइए। प्लीज बैठ जाइए आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मैं कह रहा हूं जिनके टिकट कटेंगे और जो मंत्री नहीं बने, उनका इलाज इस पद्धति से हो जाएगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, आप पूर्ण करिए।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति का एक्ट लाने से पहले, इसके ऊपर पूरी एक्सरसाइज की गई। इसके लिए कमेटी बनाई गई। पहले एक कमेटी बनी गिल साहब की अध्यक्षता में। उसके बाद कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति छीपा जी की अध्यक्षता में इसकी कमेटी बनी और सब शिक्षाविदों से, सारे एक्सपर्ट से बातचीत की और बातचीत करने के बाद उनका यह मंतव्य था कि इस पद्धति को प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए। कई लोगों ने पूछा कि यह पद्धति और कहीं भी पूरे देश में नहीं है। जब आयुर्वेद का हम बिल लाए थे, तो राजस्थान पहला राज्य था, जहां आयुर्वेद का हम एक्ट लाए। होम्योपैथी का जो बिल लाए, वह भी राजस्थान पहला राज्य था। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोपैथी का जो बिल है, वह भी पहली बार हम लाए हैं। अभी पूरे हिन्दुस्तान में कहीं नहीं है।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इतना कहना है आयुर्वेद का बिल हम पहली बार लाए हैं, मान लिया।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बीच में मत बोलिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आयुर्वेद हमारी सनातन चिकित्सा पद्धति है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): जवाब तो देने दो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हमारे विद्वान साथी लक्ष्मणगढ़ के माननीय सदस्य ने...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह जवाब है ही नहीं। हमने कमेटी बना दी, किस बात की बनाई? क्या चीज है? क्या-क्या परीक्षण किए? कैसे आई?

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इलेक्ट्रोपैथी पद्धति प्रदेश में लागू हो, इसके लिए कमेटी बनाई गई। आपने स्वाइन फ्लू के बारे में बड़ी चिन्ता व्यक्त की। अब इनको यह ज्ञान नहीं है कि जो यह बिल है, इसमें स्वाइन फ्लू कहां से आ गया पर आपने कहा इसलिए मैं इसका जवाब दूंगा, बिल्कुल दूंगा। आपको ध्यान होगा कि जैसे ही यह जानकारी मिली की माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय के स्वाइन फ्लू पाजिटिव आया है और अपोलो गए तो वहां निगेटिव आया है, तो हमने तीन सदस्यीय कमेटी बनाई। अपने मेडिकल एजुकेशन सैक्रेटरी आनंद कुमार जी, प्रिंसिपल एसएमएस हास्पिटल यू.एस. अग्रवाल और हैड आफ दी डिपार्टमेंट आर.के. माहेश्वरी। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, उसको मैं अक्षरश: पढ़ देता हूं- सवाई मानसिंह मेडिकल कालेज में स्वाइन फ्लू के सैम्पल जांच रिपोर्ट की गुणवत्ता के बारे में गठित कमेटी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव आनंद कुमार की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी के प्रतिवेदन के अनुसार एसएमएस की स्वाइन फ्लू रिपोर्ट की जांच रिपोर्ट बिल्कुल सही पायी गयी है। एसएमएस में पाजिटिव में पाए गए की पुख्ता व्यवस्थाएं हैं। अत्याधुनिक मशीनों पर तकनीकी रूप से प्रशिक्षित तकनीशियनों द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में स्वाइन फ्लू सैम्पल्स की जांच की जाती है। जांच कमेटी को एसएमएस स्वाइन फ्लू जांच में पाजिटिव पाए गए चार सैम्पल्स की पुन: जांच कराने के निर्देश दिए गए थे।

मैंने यह कहा आपके यहां जो जांच होती है, उसकी किसी प्राइवेट हास्पिटल में जांच करवाइए जो पाजिटिव आए। चार जो पाजिटिव केसेज थे, एसएमएस में जिसकी जांच हुई थी, उनकी हमने प्राइवेट हास्पिटल में जांच करवाई और इन चारों सैम्पल्स की ईएचसीसी हास्पिटल की लैब में पुन: जांच करवायी गयी और चारों सैम्पल पाजिटिव पाए गए। एसएमएस मेडिकल कालेज में स्वाइन फ्लू जांच लैब का गुणवत्ता नियंत्रण नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बायोलोजी, पूना द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। हर बैच में सैम्पल जांच के साथ ही नेगेटिव कंट्रोल भी लगाए जाते हैं। नेगेटिव कंट्रोल के तहत हर सैम्पल की जांच के दौरान एक सैम्पल केवल रिएजेंटस का लगाने से इसकी गुणवत्ता

(श्री कालीचरण सराफ)

की निरन्तर जांच होती रहती है। एसएमएस हास्पिटल की माइक्रो-बायोलोजिस्ट डा. भारती मल्होत्रा ने बताया कि स्वाइन फ्लू का इंफेक्शन होते हुए भी कई कारणों से सामान्य लैब में सैम्पल जांच निगेटिव आ सकती है। उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू जांच रिपोर्ट में भी यह अंकित किया जाता है कि निगेटिव रिपोर्ट का आशय यह नहीं है कि इस सैम्पल में कोई इंफेक्शन नहीं है। सही सैम्पल कलेक्ट नहीं होना, सैम्पल में पीसीआर इनएविटल होना, कम मात्रा में वायरस का होना इत्यादि कारणों से सैम्पल जांच रिपोर्ट निगेटिव आ सकती है। इसलिए हमारी एसएमएस की जो रिपोर्ट है, वह बिल्कुल पुख्ता है, बिल्कुल आथेंटिक है। इसको कहीं पर किसी प्रकार से चेलेन्ज नहीं किया जा सकता। इसको पारित किया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): रिपोर्ट पारित करा रहे हो या बिल पारित करा रहे हो।

श्री कालीचरण सराफ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी नालेज पर मुझे बड़ा खेद है। अभी बिल चल रहा है और आप इसमें रिपोर्ट पास करवा रहे हो। क्या यार शेखचिल्ली टाइप बातें करते हो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति 19वीं सदी में इटली के डाक्टर काउंट सिसेर मतैई लिखा है, जबकि काउंट सिसेर मैटी नाम है। इसमें थोड़ा सा सुधार हो।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक, 2018 पारित किया गया।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018, श्री अजय सिंह जी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: बताइए क्या बात है? बार-बार आप करना क्या चाहते हैं?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, छोटा-सी एक अजमेर की घटना है साहब।

श्री उपाध्यक्ष: क्या आप पाइंट आफ इंफोरमेशन दे रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पाइंट आफ इंफोरमेशन है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: आप सिर्फ विषय बता दीजिए। I won't allow you to read that entire paper. What is the issue? आप क्या इंफोर्म करना चाहते हैं, सदन को। आप सीधा कर लें कि आपका विषय क्या है?

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट लगेगी, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, एक मिनट नहीं, एक विषय सीधा आप बताएं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विषय एक मिनट में आएगा, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: आप बता दें, विषय क्या है?

सूचना

अजमेर में नागौर निवासी पीरदान सिंह राठौड़ का अनशन

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): विषय 10.12.2015 से अजमेर जिला मुख्यालय पर 818 दिनों से राजस्थान के अंदर सबसे लंबे दिनों से अनशन पर बैठा है नागौर निवासी पीरदान सिंह राठौड़ की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सरकार संवेदनशीलता दिखाए लोकतंत्र में सैकड़ों दिनों तक अनशन पर बैठना शर्मनाक है। इनकी मांग है कि राजसमंद कोतवाली में मुकदमा नम्बर 182/16 और 8/2010 वहां पर दर्ज है। सरकार अनशनकारियों की भावना की बजाय, आर के मार्बल के दबाव में कोई कार्यवाही नहीं कर रही।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट। आपका विषय यही है कि एक सज्जन पिछले कुछ दिनों से या कई दिनों से इस धरने पर बैठे हैं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा धरने पर बैठने का कारण और उनका विषय है उसका आप अवलोकन करके, उस पर निष्पक्षता से कार्यवाही करें।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्डश: विचार।

खण्ड-2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

मंत्री महोदय।

विधेयक का पारण

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018 का मैं स्वागत करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक संशोधन 2016 में भी आया था। 2016 के अधिनियम संख्या 11 और उस अधिनियम से लगातार दो बार का कार्यकाल करने वाले लोगों पर चुनाव लड़ने पर राइडर लगा दिया गया था। उन्हें पांच के लिए गैप करना पड़ेगा, उसके बाद ही दुबारा चुनाव लड़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में जब यह 2016 में पारित हुआ तो एक विसंगति पैदा हो गई। यह कानून प्रभावी होने के बाद सहकारिता विभाग ने इसके भूतलक्षी प्रभाव काउंट कर लिए। जो पहले से दो-दो बार चुनाव लड़ चुके थे, जब उनके सामने तीसरी बार का अवसर उपस्थित हुआ तो वह लोग इससे वंचित रह गए, चाहे वह एक या दो सोसाइटियों के चुनाव थे।

आज मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का और सहकारिता मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इसके भूतलक्षी प्रभाव को समाप्त करके यह धारा अन्त: स्थापित कर दी कि यह 2016 का संशोधित अधिनियम पारित होने के बाद से लागू होगी। इससे एक प्रिविलेज मिल गया कि सहकारिता में

(श्री प्रहलाद गुंजल)
वह अनुभवी लोग, उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि अनुभव हमेशा अध्ययन से बड़ा होता है। चाहे सदन को भैरोंसिंह जी ने चलाया हो, चाहे और भी कई सारे मूवमेंट चलाए हो। अनुभवी लोग कापरेटिव मूवमेंट से अलग हो गए थे। वह अनुभवी लोग कापरेटिव मूवमेंट को दस साल और अपनी सेवा दे सकें इस लिहाज से यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। मैं समझता हूं कि संशोधन के बाद आने वाले दस सालों तक आगामी दो चुनाव होंगे उसमें राजस्थान के अनुभवी लोगों को सहकारिता के आंदोलन को ताकत देने का अवसर मिलेगा। सहकारिता मंत्रीजी ने एक बहुत ही बेहतरीन काम किया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, इसका स्वागत करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. फूलचन्द भिण्ड़ा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में सहकारी आंदोलन महाराष्ट्र और गुजरात के बाद प्रभावी हुआ। 20-30 साल तक कुछ परिवार ही काबिज रहे, वह येन केन प्रकारेण कापरेटिव पर कब्जा जमाकर बैठे रहे। इस कारण से सरकार ने पहली बार प्रगतिशील निर्णय किया, एक कदम उठाया कि किसी की बपौती नहीं रहे। अब वर्तमान में क्योंकि लाखों किसान इस मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। दुग्ध डेयरियां भी जुड़ चुकी हैं। इसमें राइडर लगाकर अच्छा कार्य किया है, जिसके कारण हम इसको और व्यवस्थित कर पाएंगे। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018 सदन में रखा गया, उस पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016 में हमने राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 28 में संशोधन करके एक नया प्रावधान करके धारा-28 में 7 (क) जोड़ा था, जिसमें यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति किसी सहकारी सोसाइटी के संचालक मण्डल में लगातार दो बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद यह संशय पैदा हो गया कि इसको कब से लागू किया जाए। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया कि भूतलक्षी पुराने समय से किया जाए या वर्तमान समय से। संशोधन लाए हैं, अब हमने यह निर्णय किया है कि वर्ष 2000 से यह लागू होगा। (व्यवधान) 2016 से यह लागू होगा और 2016 के बाद लगातार यदि कोई व्यक्ति दो

(श्री अजय सिंह)

बार चुनाव लड़ लेता है, संचालक मण्डल का सदस्य बन जाता है तो एक बार उसको विराम देना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018 को पारित किया जाए ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया गया ।

कृपया राष्ट्र गान के लिए अपनी-अपनी जगह खड़े हो जाएं।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़ उत्कल बंगा
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन गण मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.57 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

चाकसू में पर्यटक स्थलों का विकास

354. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटन को विकसित करने के लिए क्या-क्या कार्य योजनाएं प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चाकसू में स्थित चम्पेश्वर महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर व खेड़ापति बालाजी मंदिर को पर्यटन से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एवं राज्ययोजना के अन्तर्गत पर्यटन स्थलों के विकास के लिए वर्तमान में कराये जा रहें विकास कार्यों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा राज्ययोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में खेड़ापति बालाजी, जिला जयपुर का सौन्दर्यकरण एवं विकास कार्य हेतु राशि रुपये 50.00 लाख के कार्य कराये जा रहे हैं। जिनका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

पर्यटन विभाग वर्तमान में चाकसू विधान सभा क्षेत्र में स्थित चम्पेश्वर महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर को पर्यटन से जोड़ने से संबंधी कोई कार्ययोजना विचाराधीन नहीं है।

पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध बजट संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्य कराये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धरियावद में वनाधिकार पट्टों का वितरण

355. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र धरियावद के रेंज धरियवद, बानूसी व सलूम्बर के वन क्षेत्र में रहने वाले कितने आदिवासियों को अब तक

(श्री गोतम लाल)

वनाधिकार पट्टे वितरित किये गये हैं व कितने लोग वनाधिकार पट्टे से वंचित हैं? रेंजवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वनाधिकार पट्टे से वंचित शेष लोगों को भी पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद के अधीन रेंज धरियावद/बांसी/सलूम्बर के वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को अब तक 2505 वनाधिकार पत्र वितरित किये गये। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

क्र. सं.	जिला	उपखण्ड क्षेत्र	वन विभाग की रेंज	प्राप्त आवेदन की संख्या	वितरित वनाधिकार पत्रों की संख्या	अविनिश्चय योग्य दावों की संख्या	निरस्त दावों की संख्या	लम्बित दावे			विशेष विवरण
								ग्राम स्तर	उपखण्ड स्तर	जिला स्तर	
1	उदयपुर	लसाडिया	बानसी	499	315		184				
		सलूम्बर	सलूम्बर	675	510		165				
2	प्रतापगढ़	धरियावद	धरियावद वन्यजीव अभयारण्य	86	20		66				66 प्रकरण वन्य जीव अभयारण्य के तथा 45 प्रकरण अनसर्वेड भूमि के कुल 111 प्रकरण
		धरियावद	सामान्य वन क्षेत्र	4274	1660	111	2503				
3	चित्तौड़गढ़		बांसी	0	0	0	0	0	0	0	
				5534	2505	111	2918				

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

पात्र दावेदारों को वनाधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया सतत है। वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत 13-12-2005 से पूर्व के वन भूमि पर निवासरत वनवासियों के जैसे ही आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं उनका नियमानुसार सत्यापन तीनों कमेटियों यथा ग्राम स्तर, उपखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर किया जाकर वनाधिकार दिये जाने का समुचित निर्णय लिया जाता है।

(2) हां। वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत 13-12-2005 से पूर्व के वन भूमि पर निवासरत वनवासियों के जैसे ही आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं उनका नियमानुसार सत्यापन तीनों कमेटियों यथा ग्राम स्तर, उपखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर किया जाकर वनाधिकार दिये जाने का समुचित निर्णय लिया जाता है। पात्र दावेदारों को वनाधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया सतत है।

कोटा में आई आई आई टी के भवन का निर्माण

356. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोटा में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इंफोरमेशन टेक्नोलोजी संस्थान की स्वीकृति कब प्राप्त हुई व उक्त में कक्षाओं का संचालन कब से प्रारम्भ हुआ, वर्तमान में इसकी कक्षाएं कहां संचालित हो रही हैं तथा इसमें कौन-कौनसे पाठ्यक्रम संचालित हैं एवं अब तक कितने विद्यार्थी डिग्री प्राप्त कर चुके हैं तथा वर्तमान में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त संस्थान की स्थापना की घोषणा के पश्चात इसके भवन निर्माण हेतु भूमि आबंटित की गई थी? यदि हां, तो कब और कहां तथा कितनी भूमि? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि कोटा में उक्त संस्थान हेतु भूमि आबंटन को लंबी समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी इसका भवन निर्माण नहीं होने के कारण कोटा में कक्षाएं संचालित नहीं हो रही हैं? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे व सरकार द्वारा उक्त भवन निर्माण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भवन निर्माण होने तक उक्त संस्थान को कोटा के

(श्री भवानी सिंह राजावत)

किसी अन्य स्थान पर संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसे स्थानों को इस संचालन हेतु चिह्नित किया गया है तथा कक्षाओं का संचालन कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इंफोरमेशन टेक्नोलोजी संस्थान की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र दिनांक 7 मार्च, 2013 द्वारा प्राप्त हुई तथा इसकी कक्षाएं शैक्षणिक सत्र 2013 से प्रारम्भ हुई। वर्तमान में इसकी कक्षाएं प्रतिपालक संस्थान मालवीय राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान जयपुर के परिसर में संचालित हो रही हैं, जिसमें बी.टेक. कम्प्यूटर साइन्स एवं बी.टेक. इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित है।

अब तक उक्त संस्थान में अध्ययनरत प्रथम बैच के 26 छात्र मई, 2017 में उत्तीर्ण हुए हैं। वर्तमान में 299 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। नगर विकास न्यास, कोटा के संशोधित आबंटन पत्र क्रमांक 1137 दिनांक 23 मई, 2013 के जरिये रानपुर रोड कोटा में 100.37 एकड़ भूमि आबंटित हुई। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ इंफोरमेशन टेक्नोलोजी संस्थान कोटा हेतु भूमि आबंटन के पश्चात चारदीवारी एवं सिक्यूरिटी आफिस, साईकिल ट्रेक का निर्माण कार्य हो चुका है। उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार भवन निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार एवं वित्त विभाग को अनुरोध कर अपेक्षित राशि उपलब्ध करवाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(4) जी हां। भवन निर्माण होने तक ट्रिपल आई.टी. कोटा को Instrumentation Ltd. कोटा के आवासीय परिसर अथवा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के परिसर में संचालित किया जाना विचाराधीन है।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोटा को Instrumentation Ltd. कोटा अथवा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के परिसर में शिफ्ट करने की व्यवहार्यता का सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त आगामी कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्तियां

357. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2017 तक सरकार द्वारा किस-किस श्रेणी के कितने-कितने शिक्षकों की भर्ती की विज्ञप्ति जारी की व कितनी नई नियुक्तियां की गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया दिसम्बर, 2013 के पूर्व से अब तक लंबित है?

(3) वर्तमान में प्रदेश में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने शिक्षकों की नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग में दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2017 तक जारी की गई विज्ञप्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पदनाम	विज्ञप्ति जारी दिनांक	विज्ञापित पदों की संख्या
1	व्याख्याता	16.10.2015	13098
2	तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2016, लेवल-1	07.06.2016	7500
3	तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2016 लेवल-2 (टीएसपी)	09.11.2017	1455
4	तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2016 लेवल-2 (नान टीएसपी)	09.11.2017	6045

शिक्षा विभाग में दिसम्बर, 2013 से दिसम्बर, 2017 तक दी गई नियुक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पदनाम	नियुक्तियों की संख्या
1	प्रधानाध्यापक	608
2	व्याख्याता	17165
3	वरिष्ठ अध्यापक	10777
4	शा. शिक्षक ग्रेड-II	1037

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

क्र. सं.	पदनाम	नियुक्तियों की संख्या
5	शा. शिक्षक ग्रेड-III	3033
6	तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2016 लेवल-1	7500
7	तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती-2016, लेवल-2 (टीएसपी)	1435
कुल नियुक्तियां		**41555**

(2) दिसम्बर 2013 से पूर्व जिला परिषदों द्वारा 20000 पदों पर तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती, 2013 आयोजित की गई थी, जिनमें से 18582 पदों पर भर्ती पूर्ण हो चुकी है एवं 1418 पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- (3) शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक के 600 पदों पर नियुक्ति की अर्थना विभाग द्वारा 25.01.2018 को राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवा दी गई है। एवं 727 व्याख्याताओं की भर्ती हेतु प्रतीक्षा सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग से अपेक्षित है।
- शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों के वरिष्ठ अध्यापकों के 9488 पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा परिणाम राजस्थान सेवा आयोग द्वारा जारी कर दिया गया है।
- तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती, 2016 (संशोधित) लेवल-2 गैर अनुसूचित क्षेत्र के 6045 पदों हेतु कटआफ मार्क्स जारी कर नियुक्ति/ पदस्थापन की कार्यवाही प्रकियाधीन है।
- तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2013 के अन्तर्गत 1418 पदों पर नियुक्ति प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होने के कारण लम्बित है।
  तृतीय श्रेणी अध्यापक के 54000 पदों पर भर्ती किये जाने हेतु दिनांक 05.03.2018 को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

भादरा में नवीन चिकित्सा उप केन्द्रों की स्थापना

358. श्री संजीव कुमार (भादरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री संजीव कुमार)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में अनेक गांव चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं? यदि हां, तो चिकित्सा सुविधा से वंचित ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा से वंचित ग्रामों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भादरा में स्थित गांव, जिन पर वर्तमान में कोई ऐलोपैथिक चिकित्सा संस्थान स्वीकृत नहीं है, की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

उक्त गांवों में निकटतम स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

(2) भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 5 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 3 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर विधानसभा क्षेत्र भादरा में आगामी वर्षों में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता/ गुणावगुण के आधार पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने पर विचार किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भीम में संचालित गौशालाएं

359. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में वर्तमान में कितनी गौशालाएं संचालित हैं? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त गौशालाओं में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र भीम में तीन गौशालाएं संचालित हैं। पंचायत समितिवार विवरण निम्नानुसार है:-

- पंचायत समिति भीम:-
  1. मां आशापुरा गौशाला सेवा समिति भीम
  2. श्री शांतिनाथ जैन सार्वजनिक गौशाला भीम
- पंचायत समिति देवगढ़:-
  1. श्री जयजैन गौशाला ताल, देवगढ़।

(2) गौशालाओं की स्थापना व संचालन स्वयं सेवी संस्था/ट्रस्टों/धार्मिक संस्थाओं द्वारा जन सहयोग से किया जाता है। गौशालाओं में सुविधाएं निजी स्तर पर ही की जाती हैं।

राजस्थान गौसंरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम 2016 के अन्तर्गत पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के चारे-पानी, पशुआहार के लिये सहायता राशि रु. 32/- बड़े गौवंश एवं रु. 16/- छोटे गौवंश हेतु प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से दिये जाने का प्रावधान है।

पंचायत समिति गिडा व पाटोदी में छात्रावास की स्थापना

360. श्री कैलाश चौधरी (बायतू): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति गिडा व पाटोदी में छात्रावास संचालित नहीं है?

(2) क्या सरकार उक्त पंचायत समितियों में छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति गिडा में समाज कल्याण विभाग का छात्रावास संचालित नही है, लेकिन पंचायत समिति पाटोदी में विभाग का एक छात्रावास राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास स्वीकृत क्षमता 50 का संचालित है, जिसमें वर्तमान में 50 छात्र प्रवेशित हैं।

(2) पंचायत समिति पाटोदी में विभाग का 50 की स्वीकृत क्षमता का राजकीय छात्रावास संचालित है, अत: पाटोदी में अन्य छात्रावास खोलने का कोई विचार नही है।

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

पंचायत समिति गिडा में विभाग का कोई छात्रावास संचालित नही है। अतिरिक्त बजट प्रावधान नहीं होने के कारण अभी गिडा में विभाग का नवीन छात्रावास स्वीकृत करने का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

जयपुर शहर में घर-घर कचरा संग्रहित करने की योजना

361. **श्री धीरज गुर्जर** (जहाजपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में घर-घर कचरा संग्रहण करने का ठेका 1650/- रु. प्रतिटन की दर से बीवीजी कम्पनी, पुणे को दिया गया है, जिसकी दर देश के अन्य शहरों में स्वीकृत दरों की अपेक्षा ज्यादा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कम्पनी को शहर में कब से काम शुरू कर किस दिनांक से पूरे शहर में प्रतिदिन घर-घर कचरा संग्रहित कर डम्पिंग यार्ड तक पहुंचाना निर्धारित था? अनुबंध की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कम्पनी द्वारा समय पर कार्य प्रारम्भ नहीं करने पर कम्पनी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करने के स्थान पर किन नियमों के अन्तर्गत बार-बार छूट दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त कम्पनी द्वारा प्रस्ताव एवं अनुबंध शर्तों के विपरीत काम शुरू करने से पूर्व ही अनेक कम्पनियों को अपना काम सबलेट कर दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमितता की जांच कराने एवं अन्तर राशि कम्पनी से वसूलने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर में घर-घर कचरा एकत्रीकरण का ठेका तकनीकी विश्लेषण एवं तुलनात्मक विवरण के आधार पर टेण्डर में प्राप्त न्यूनतम दर 1650/- रुपये प्रतिटन उचित पाये जाने पर कार्यादेश जारी किया गया।

(2) उक्त संवेदक फर्म को दिनांक 17.03.2017 को कार्यादेश जारी किया गया था। कार्यादेश जारी करने से 30 दिन की अवधि में फर्म को कार्य प्रारम्भ करना था एवं कार्यादेश जारी करने से 90 दिन की अवधि में सम्पूर्ण क्षेत्र में कार्य करना था। अनुबन्ध का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) उक्त कम्पनी को किये जाने वाले भुगतान में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा रही है। कम्पनी को अभी तक किये गये कार्य के पेटे निविदा दस्तावेज एवं अनुबन्ध अनुसार कार्य की निर्धारित मात्रा की 50 प्रतिशत राशि का बतौर अन्तरिम अग्रिम राशि के रूप में भुगतान किया गया है।

(4) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टाटगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय आई.टी.आई. की स्थापना

362. श्री शंकरसिंह रावत (ब्यावर): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में सभी उपखण्ड मुख्यालयों पर एक राजकीय आई.टी.आई. खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) गत चार वर्षों में प्रदेश में कहां-कहां पर राजकीय आई.टी.आई. खोली गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में टाटगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय आई.टी.आई. खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार की नीति प्रत्येक पंचायत समिति में राजकीय अथवा निजी सहभागिता से आईटीआई खोलने की है।

माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2014-15 (संशोधित) के बिन्दु संख्या 136 के अनुसार अगले दो वर्ष में ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बचेगी जिसमें आईटीआई उपलब्ध नहीं हो उसकी पालना में राज्य की सभी पंचायत समितियों में राजकीय/निजी आईटीआई स्वीकृत हो चुकी हैं।

(2) गत चार वर्षों में प्रदेश में कुल 76 राजकीय आई.टी.आई. खोली गई हैं। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 45, 2015-16 में 04, 2016-17 में 01 एवं 2017-18 में 26 राजकीय आई.टी.आई., स्वीकृत की गई हैं। परिशिष्ट-1

(3) जी नहीं। राज्य सरकार की नीति प्रत्येक पंचायत समिति में राजकीय अथवा निजी सहभागिता से आईटीआई खोलने की है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

माननीय मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2014-15 (संशोधित) के बिन्दु संख्या 136 के अनुसार अगले दो वर्ष में ऐसी कोई पंचायत समिति नहीं बचेगी जिसमें आईटीआई उपलब्ध नहीं हो उसकी पालना में राज्य की सभी पंचायत समितियों में राजकीय/निजी आईटीआई स्वीकृत हो चुकी हैं।

टाटगढ उपखण्ड पंचायत समिति जवाजा में आता है जिसमें 01 राजकीय एवं 14 निजी आईटीआई संचालित है। परिशिष्ट-2

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

झुंझुनूं जिले में हवेलियों को संरक्षित करने की योजना

363. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार झुंझुनूं जिले की हवेलियों को संरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो इस हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त जिले में पर्यटन को विकसित करने के लिए वर्तमान में क्या-क्या कार्य, कहां-कहां पर करवाए जा रहें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत दो वर्षों में उक्त जिले में विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी रही तथा क्या विदेशी पर्यटकों के साथ कोई आवारा पशुओं द्वारा घटना घटित हुई है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा प्रदेश में पर्यटकों को आवारा पशुओं द्वारा कोई हानि नहीं पंहुचाने हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में पर्यटन विभाग में झुंझुनूं जिले की हवेलियों को संरक्षित करने के संबंध में कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर पर्यटन विकास कार्य कराये जाते है।

पर्यटन विभाग द्वारा शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियों के संरक्षण एवं

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

आधारभूत सुविधाओं के योजनाबद्ध विकास कार्य अन्तर्गत रामगढ़ शेखावाटी, सीकर में राशि रुपये 301.45 लाख के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं।

(2) पर्यटन विभाग द्वारा झुंझुनूं जिले में आयोजित शेखावाटी हस्तशिल्प मेले में प्रति वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अयोजन कराया जाता है।

(3) पिछले दो वर्षों के दौरान जिला झुंझुनूं में विदेशी पर्यटकों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	विदेशी पर्यटक
2016	24477
2017	35999

स्थानीय निकाय विभाग से प्राप्त जानकारीनुसार पिछले दो वर्षों में झुंझुनूं जिले में विदेशी पर्यटकों के साथ आवारा पशुओं द्वारा कोई घटना घटित नहीं हुई है।

(4) स्थानीय निकाय विभाग से प्राप्त सूचनानुसार "आवारा पशुओं के संदर्भ में राज्य की समस्त नगर निकायों को संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर आवारा पशुओं की समस्या के तात्कालिक उपचार की दृष्टि से कांजी हाउस के लिए स्थान आबंटित कराया जाने, सभी लावारिस गोवंश की पहचान टेग लगाकर उन्हें पकड़ने व उनकी सुरक्षा व चारा उपलब्ध कराये जाने तथा लावारिस जानवरों को सड़क पर से रद्दी और कचरा खाने से रोकने के लिए यथा सम्भव प्रयास करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है।"

बारां-अटरू में टाडा-माडा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

364. श्री रामपाल (बारां-अटरू): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में टाडा एवं माडा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में किन-किन कार्यों हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में उक्त कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि कब-कब स्वीकृत की गई? ग्राम पंचायतवार व तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामपाल)

(3) सरकार द्वारा उक्त कार्यों में से किन-किन कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं तथा शेष कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां कब तक जारी कर दी जावेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले के विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में माडा योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में कुल 4 कार्यों हेतु राशि 64.93 लाख रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुये। बारां जिला अनुसूचित क्षेत्र में नहीं आता है। उक्त प्राप्त प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में 1 कार्य "गुड गवर्नेन्स योजनान्तर्गत स्काउट गाइड बारां में टायलेट ब्लॉक निर्माण हेतु" राशि 4.93 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति पंचायत समिति मुख्यालय बारां के लिये पत्रांक 32125-36 दिनांक 01.11.17 द्वारा जारी की गई।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार 1 कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। शेष 3 कार्य जो सम्पर्क सड़क निर्माण संबंधित थे उनकी स्वीकृतियां जारी नहीं की जा सकीं क्योंकि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में सड़क निर्माण योजना में राशि का आबंटन नहीं किया गया है।

शेष कार्यों की स्वीकृति हेतु भारत सरकार से सड़क निर्माण हेतु राशि प्राप्त होने एवं राशि की उपलब्धता अनुसार, कार्य की उपादेयता एवं आवश्यकतानुसार कार्य स्वीकृत किये जा सकेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सलूम्बर में वनाधिकार पट्टे देने की योजना

423. श्री अमृतलाल (सलूम्बर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सराड़ा, सलूम्बर, सेमारी व झल्लारा तहसीलों में कितने व्यक्तियों को वनाधिकार पट्टे दिये गये? क्या सरकार वंचित रहे व्यक्तियों को पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पट्टे नहीं होने से जनजाति के व्यक्तियों को लाभ नहीं मिल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार जनजाति के व्यक्तियों को पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील सराड़ा/सेमारी में कुल 201 वनाधिकार पत्र वितरित किये गये हैं।

तहसील सलूम्बर/झल्लारा में 510 वनाधिकार पत्र वितरित किये गये हैं।

क्र. सं	तहसील का नाम	प्रस्तुत दावें	स्वीकृत दावें	जारी वनाधिकार पत्र	निरस्त दावे	लम्बित दावे
1.	सराडा/सेमारी	922	201	201	721	0
2.	सलूम्बर/ झल्लारा	675	510	510	165	0

जी हां। पात्र दावेदारों को वनाधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया सतत है, जैसे ही आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं उनका सत्यापन तीनों कमेटियों यथा ग्राम स्तर, उपखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर किया जाकर, समुचित निर्णय लिया जाता है।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत नियमानुसार पात्र भूमिहीन लाभार्थियों को आवास के लाभ हेतु पट्टा जारी करवाने की कार्यवाही की जा रही है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

जी हां। वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत पात्र दावेदारों को वनाधिकार पत्र जारी करने की प्रक्रिया सतत है, जैसे ही आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं उनका सत्यापन तीनों कमेटियों यथा ग्राम स्तर, उपखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर किया जाकर, समुचित निर्णय लिया जाता है।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में उद्यमिता व रोजगार बढ़ाने की नवीन नीति

424. श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा जनजाति वर्ग के नागरिकों को स्वरोजगार, व्यापार एवं उद्योगों की स्थापना के लिए क्या-क्या सुविधाएं एवं सहायता दी जा रही है तथा वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाएं संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजनाओं के तहत गत चार वर्षो में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया एवं उन्हें कुल कितनी राशि ऋण स्वरूप स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जनजाति उप योजना क्षेत्र में उद्यमिता, रोजगार बढ़ाने की नवीन नीति का क्रियान्वयन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा जनजाति वर्ग के नागरिकों को स्वरोजगार हेतु अनुदान योजना संचालित की जा रही है। उक्त योजना के तहत अधिकतम 10000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। योजना का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) स्वरोजगार हेतु अनुदान योजना अंतर्गत विगत चार वर्षों में कुल 9180 व्यक्तियों को अनुदान देकर लाभांवित किया गया।

(3) विभाग द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत राजस्थान कौशल विकास एवं आजीविका विकास निगम के माध्यम से जनजाति के युवाओं को अल्प अवधि प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार से जोड़ा जाता है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

वर्ष 2018 में माननीय मुंख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा सं. 127 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भी भैरोंसिंह शेखावत अन्त्योदय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपये तक का ऋण 4 प्रतिशत ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध कराया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति हेतु गठित समिति

425. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दिनांक 14 जुलाई, 2017 को इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के वैज्ञानिक एवं विधिक पहलुओं की जांच हेतु समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम सहित विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उक्त समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो अब रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जायेगी? रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति के वैज्ञानिक एवं विधिक पहलुओं की जांच हेतु एक समिति का गठन सरकार द्वारा दिनांक 14.07.2017 को किया गया है। समिति के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:

1. प्रोफेसर बी.आर. छीपा, कुलपति श्री केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर (अध्यक्ष)
2. प्रोफेसर धनंजय अग्रवाल, विभागाध्यक्ष नफ्रोलोजी विभाग, सवाईमानसिंह चिकित्सालय जयपुर, (सदस्य)
3. डा. रविन्द्र पालीवाल, प्रोफेसर उद्यान विभाग एवं निदेशक (एच.आर.डी.) कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर (सदस्य)
4. वैद्य श्री राम तिवाड़ी विशेषाधिकारी, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर (सदस्य सचिव)

(2) जी हां। दिनांक 27.09.2017 को रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है। रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में ए.एन.एम. भर्ती में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना

426. श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में ए.एन.एम. के पदों की भर्ती वर्ष 2015-16 में राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल द्वारा प्रमाण पत्र जारी अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रमाण पत्र हेतु रजिस्ट्रेशन करने की तिथि की निर्धारित सीमावधि न होने के आधार पर कई अभ्यर्थी को नियुक्ति की पात्रता से वंचित रखा गया है? यदि हां, तो कितने अभ्यर्थियों को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) श्रीगंगानगर जिले में किस-किस अभ्यर्थी को उक्त पात्रता नहीं होने के आधार पर वर्तमान में नियुक्ति से वंचित रखा गया है? अभ्यर्थी के नाम व कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले में उक्त भर्ती में अनेकों अभ्यर्थियों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल में प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने या कौन्सिल द्वारा प्रमाण पत्र जारी किये जाने के संबंध में तिथि निर्धारण की अवधि तय करने से संबंधित आदेश देने के उपरांत भी नियुक्ति से वंचित रखा गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों की पालना कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एएनएम संविदा भर्ती वर्ष 2015-16 में निर्धारित सीमावधि में राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं करने अथवा अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित सीमावधि में रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन नहीं करने के आधार पर 183 अभ्यर्थी नियुक्ति से वंचित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला श्रीगंगानगर में उक्त पात्रता के आधार पर नियुक्ति से वंचित रहे अभ्यर्थियों का नाम सहित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या

13299/2017 एवं अन्य समान याचिकाओं में दिनांक 08.12.2017 को पारित निर्णय के द्वारा ऐसे सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने हेतु निर्देशित किया गया जिनके द्वारा दिनांक 28.02.2016 तक पंजीयन हेतु राजस्थान नर्सिंग कौन्सिल में आवेदन किया गया था तथा जिनके द्वारा दिनांक 02.02.2017 तक अपने पंजीयन दस्तावेज सक्षम अधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये गये। उक्त अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार चयनित होने की स्थिति में माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में नियुक्ति दी जानी थी।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2017 को पारित निर्णय के विरुद्ध डी.बी. में अपील करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: प्रकरण में डी.बी. में अपील उपरान्त होने वाले निर्णय के अनुसार नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

(4) जी हां। माननीय न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 13299/2017 एवं अन्य समान याचिकाओं में दिनांक 08.12.2017 को पारित निर्णय के विरुद्ध डी.बी. में अपील करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अत: प्रकरण में डी.बी. में अपील उपरान्त होने वाले निर्णय के अनुसार नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आयुष नर्सेज को ऐलोपैथी नर्सेज के समान वेतनमान

427. श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या आयुष नर्सेज को छठे वेतन आयोग में ग्रेड पे 3600 रुपये तथा ऐलोपैथी नर्सेज को 4200 रुपये दिया गया? क्या सरकार आयुष नर्सेज को ऐलोपैथी नर्सेज के समान वेतनमान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आयुर्वेद चिकित्सकों के आधार पर ही आयुष नर्सेज के कैडर रिव्यू का प्रस्ताव निदेशालय द्वारा जून, 2017 में ही सरकार को भिजवा दिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में कितने आयुष औषधालयों में नर्सेज के पद सृजित नहीं हैं? क्या सरकार उक्त औषधालयों में नर्सेज के पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री मनोज कुमार)

(4) क्या यह सही है कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र 16/(35)चि.स्वा./2/69 दिनांक 25 मई, 2000 व एफ.8/(2)ग्रुप-3/2012 दिनांक 29 फरवरी, 2012 के अनुसार साप्ताहिक अवकाश एवं क्षतिपूर्ति अवकाश पूरे वर्ष में आने वाले रविवार व राजपत्रित अवकाश की गणना कर 12 से भाग देकर प्रत्येक माह में आने वाले रविवार व राजपत्रित अवकाशों का मासिक औसत निर्धारित किया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेशों को आयुष नर्सेज पर भी लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आयुष नर्सेज को छठे वेतन आयोग में 3600 रुपये तथा वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ14(1)एफडी(रूल्स)/2013-I दिनांक 06.04.2013 द्वारा ऐलोपैथी नर्सेज को 4200 रुपये ग्रेड पे दिया गया है।

आयुष नर्सेज को ऐलोपैथी नर्सेज के समान (समान काम समान वेतनमान) के आधार पर वेतनमान देने हेतु गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(2) जी हां। निदेशालय के पत्रांक 14878 दिनांक 26.07.2017 के द्वारा आयुष नर्सेज के कैडर रिव्यू का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हो गये है प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में 614 आयुर्वेद औषधालयों में नर्स/कम्पा. के पद सृजित नहीं हैं। गुणावगुण के आधार पर स्वीकृति उपरान्त नवीन पदों का सृजन किया जा सकेगा।

(4) जी हां। वर्तमान में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.11 (18) आयु./10 दिनांक 03.08.2010 के अनुसार चिकित्सालयों/औषधालयों में पदस्थापित कार्मिकों को अवकाश दिये जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग अनुसार अवकाश गणना लागू किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर में राजकीय बालिका महाविद्यालय की स्थापना

428. श्री नवीन पिलानिया (आमेर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर की दोनों पंचायत

(श्री नवीन पिलानिया)

समितियों में कोई राजकीय बालिका महाविद्यालय संचालित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त पंचायत समितियों में नया बालिका महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में आमेर विधान सभा क्षेत्र के उपखण्ड आमेर में निजी क्षेत्र में 17 महाविद्यालय संचालित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर नवीन राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया जाता है।

(2) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर विधान सभा क्षेत्र आमेर में नवीन राजकीय बालिका महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय महाविद्यालय सोजत में रिक्त पदों को भरने की योजना

429. श्रीमती संजना आगरी (सोजत): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सोजत राजकीय महाविद्यालय में कौन-कौनसे संकाय खोले गये हैं ? संकायवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालय में विषय व्याख्याताओं के कुल कितने पद स्वीकृत हैं? विषयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त महाविद्यालय में लम्बे समय से प्राचार्य का पद रिक्त है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पद को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय में विषय व्याख्याताओं के पद के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद भी लम्बे समय से रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्‌यालय, सोजतसिटी में वर्तमान में निम्नलिखित संकाय एवं विषय संचालित हैं:-

संकाय	विषय
कला	अर्थशास्त्र, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी सहित्य, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान व समाजशास्त्र
वाणिज्य	ए.बी.एस.टी., ई.ए.एफ.एम. व व्यवसायिक प्रशासन
विज्ञान	रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, प्राणिशास्त्र वनस्पतिशास्त्र व गणित

(2) राजकीय महाविद्‌यालय, सोजतसिटी में विषय व्याख्याताओं के 15 पद स्वीकृत हैं, विषयवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसली ऋण योजनान्तर्गत अनुदान

430. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना किन-किन उद्देश्यों के साथ कब प्रारम्भ की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2017 में किन-किन काश्तकारों को कितना-कितना अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना वर्ष 2012-13 से समय पर ऋण का चुकारा करने वाले काश्तकारों के लिए लागू की गयी थी। इस योजनान्तर्गत 1.50 लाख रुपये तक के अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा करने पर किसानो को भारत सरकार द्‌वारा देय 3 प्रतिशत

(सहकारिता मंत्री)

के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा भी 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है। इस प्रकार 1.50 लाख रुपये तक का अल्पकालीन फसली ऋण किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर प्राप्त होता है। ऋण का समय पर चुकारा करना ही इस योजना का उद्देश्य है।

1.50 लाख से अधिक तथा 3.00 लाख रुपये तक का अल्पकालीन फसली ऋण का समय पर चुकारा करने वाले किसानों को भारत सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है, यह ऋण किसानों को वास्तव में 4 प्रतिशत ब्याज दर पर प्राप्त होता है जिस पर राज्य सरकार द्वारा कोई ब्याज अनुदान देय नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर वित्तीय वर्ष 2017 में कुल 7267 काश्तकारों को राशि 152.24 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है। काश्तकारों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर के ततारसर में गोदाम का निर्माण

431. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के ग्राम ततारसर (50 एनपी) में ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने तथा भवन-गोदाम निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर का ग्राम ततारसर (50 एनपी) बगीचा ग्राम पंचायत के अन्तर्गत आता है। बगीचा ग्राम पंचायत कार्य क्षेत्र में पूर्व से ही इसी नाम से ग्राम सेवा सहकारी समिति कार्यरत है। एक ग्राम पंचायत में एक ही ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन का प्रावधान है। बगीचा ग्राम सेवा सहकार समिति मुख्यावास पर पूर्व में ही गोदाम निर्मित है।

नागौर जिले में आस्था योजना के लाभार्थी

432. डा. मंजू बाघमार (जायल): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. मंजू बाघमार)

(1) 'आस्था योजना' क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नागौर जिले में गत पांच वर्षों में उक्त योजना के तहत कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया? नामवार एवं वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा एक ही परिवार में एक से अधिक विशेष योग्यजन होने की दशा में उस परिवार को आस्था कार्ड जारी किया जाता है। ऐसे आस्था कार्डधारी परिवारो को बी.पी.एल परिवार के समकक्ष सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत जारी नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) नागौर जिले में विगत 5 वर्षों (वर्ष 2013-14 से 2017-18) तक राज्य सरकार द्वारा संचालित आस्था योजनान्तर्गत लाभान्वित किये गये परिवारों का नामवार व वर्षवार विवरण परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत निर्मित आवास

433. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार द्वारा कितने आवासों का निर्माण कराया गया है व कितने आवास आबंटित किये गये हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत वर्तमान में 17398 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त योजना के अन्तर्गत अभी तक जोधपुर में (2 परियोजना) 1744, उदयपुर में 1432, किशनगढ़ में 901, बालोतरा में (2 परियोजना) 1567, चित्तौड़गढ़ में 496, हिण्डौनसिटी में 658, फालना में 495, राजसमन्द में 734, शिवगंज में 448, सिरोही में 496 आवासों का आबंटन किया जा चुका है। कुल 8971 आवास आबंटित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त भरतपुर में 320, भीलवाड़ा में 892, जोधपुर (2 परियोजना) में 1344, कोटा (6 परियोजना) में 3552, उदयपुर में 1152,

(स्वायत्त शासन मंत्री)

निम्बाहेड़ा में 897, डूंगरपुर में 360, झालावाड़ में 1291, पाली में 695, नाथद्वारा में 477 कुल 10980 आवासों का आबंटन किया जा चुका है। इस प्रकार कुल 19951 आवासों का आबंटन किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षवार आबंटित आवासों का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	**लक्ष्य**	**स्वीकृत**	**पूर्ण**
2016-17	250258	250004	173593
2017-18	223629	220856	54349
कुल	**473887**	**470860**	**227942**

जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र

434. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने/खोलने हेतु क्या मानदण्ड एवं नियम निर्धारित हैं? निर्धारित मानदण्डों/नियमों एवं पात्रता की शर्तों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों में किन-किन कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जयपुर शहर में वर्तमान में कहां-कहां पर कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र कब से संचालित किये जा रहे हैं और उनमें क्या-क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में निम्न कौशल प्रशिक्षण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है:-

1. रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP)
2. नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP)

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

3. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)
4. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY 2.0- Central sponsored State managed)

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा सभी योजनाओं में प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के चयन हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) प्रकाशित की जाती है। इन EOI में पात्रता मानदंडों की योजनानुसार विस्तृत जानकारी दी जाती है। योजनावार मापदण्ड व नियमों की प्रति परिशिष्ट अ-1, अ-2, अ-3, अ-4 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों में जिन-जिन कोर्स के प्रशिक्षण का प्रावधान है उनकी योजनावार सूची परिशिष्ट ब-1, ब-2, ब-3, ब-4 पर संलग्न है।

(3) जयपुर शहर में वर्तमान चल रहे प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जालौर जिले के प्राचीन स्थलों का सर्वे

435. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्राचीन मंदिर, बावड़ियो, कुओं एवं किलों को विश्व धरोहर बनाये जाने हेतु सर्वे का कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो प्रदेश में गत पांच वर्षों में कहां-कहां का सर्वे किसके द्वारा किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जालोर जिले के प्राचीन मंदिर, बावड़ियो कुओं और किलो का सर्वे करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा वर्तमान में प्राचीन मंदिर, बावड़ियों, कुओं एवं किलों को विश्व धरोहर बनाये जाने का सर्वे का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा वर्तमान में जालोर

(कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री)

जिले के प्राचीन मंदिर, बावड़ियों, कुओं और किलों का सर्वे करवाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गांव पंचायत टीडी के ग्राम चणावर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

436. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत टीडी के गांव चणावर में प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 की बजट घोषणा में नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हेतु बजट प्रावधान नहीं रखा गया है। अत: वर्तमान में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में विद्यार्थी मित्रों की पुन: नियुक्ति करने की योजना

437. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पूर्व में राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थी मित्र कार्यरत थे तथा बाद में उनको हटा दिया गया? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी पुन: नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। वर्ष 2007-08 में विद्यार्थी मित्र योजना लागू की गई। उक्त योजना के अन्तर्गत विद्यार्थी मित्रों को प्रतिवर्ष शैक्षणिक सत्र जुलाई से अप्रैल माह तक 10 माह के लिए व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं अध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतिमाह एक मुश्त मानदेय पर लगाया जाता था।

माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका सं. 10339/12 त्रिलोक सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 21.10.2013

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

द्वारा निर्णय पारित कर विद्यार्थी मित्र योजना को अवैधानिक एवं असंवैधानिक करार देते हुए विद्यार्थी मित्रों को तृतीय श्रेणी अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक व व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) के पदों के विरुद्ध नहीं लगाये जाने के निर्देश प्रदान किये हैं। उक्त निर्णय की पालना में दिनांक 30.4.2014 के पश्चात् विद्यार्थी मित्रों को नहीं लगाया गया।

विभाग में विद्यार्थी मित्रों को नियमित किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

किशनगंज की नवेली व राडी लघु सिंचाई परियोजना की स्वीकृति

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बारां जिले के विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद पूर्णतया कृषि उपज पर निर्भर करता है लेकिन प्रर्याप्त सिचाई के अभाव में क्षेत्र में प्रति हैक्टेयर उपज तुलनात्मक रूप से काफी कम निकलती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद में कई वर्षो से लम्बित सिंचाई परियोजनाओं में से सबसे पहले मैं शाहाबाद तहसील की नवेली सिंचाई परियोजना का जिक्र करना चाहूंगा।

1. नवेली सिंचाई परियोजना:- यह परियोजना प्रदेश के ग्राम बिलासपुर और राजस्थान प्रदेश के ग्राम मांडाज की पहाड़ियों से निकले नाले पर ग्राम रामपुर के पास तहसील शाहबाद में प्रस्तावित है। परियोजना से ग्राम बलारपुर, होसुवा, ढिकवानी रताई कला बिलारी के कुल 614 हैक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। पूर्व में योजना की स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1984 से हुई थी परन्तु योजना के डूब क्षेत्र में 140.02 हैक्टेयर वन भूमि आने के कारण वन विभाग द्वारा वर्ष 1987 में कार्य पर रोक लगा दी गई। इस पर उक्त योजनान्तर्गत 18.05 लाख रुपये का व्यय हो चुका है जिसमें मुख्य बांध का कार्य किया गया था।
2. राडी लघु सिंचाई परियोजना:- राडी लघु सिंचाई परियोजना बारां जिले की तहसील शाहाबाद के ग्राम ढिकवानी पास बीजाखाल नदी पर प्रस्तावित है। इस बांध के बन जाने पर सीताबाडी सिस्टम रिचार्ज होगा आदिवासियों का महा कुम्भ एवं लाखों लोगों के आस्था केन्द्र सीताबाड़ी जो एक धार्मिक स्थल है को पर्यटन हेतु विकसित करने में भी मददगार साबित होगा।

बी.एस.आर. 2014 के अनुसार लागत रु. 3379.00 लाख एन.पी.वी. सहित है। सकल जल ग्रहण क्षेत्र 47.47 वर्ग कि.मी. है। बांध की कुल लम्बाई 2550 मीटर है। परियोजना के निर्माण से पहाड़ी, ऊनी, हथवारी, केलवाड़ा, खिरीया आदि गांव लाभान्वित होंगे।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि बारां जिले के किशनगंज-शाहाबाद क्षेत्र में वर्षों से लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृत करने की कृपा करें।

सादर।

ललित कुमार

(किशनगंज)

मेड़ता के माध्यमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र काफी बड़ा है। मेरे मेड़ता में लगभग सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। इसके लिए मैं माननीय देवनानी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मंत्रीजी ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का सराहनीय कार्य किया है। स्कूलों को क्रमोन्नत करने का कार्य हो, चाहे पदोन्नतियां हों, चाहे गुणवत्तापूर्ण व मार्गदर्शक पाठ्यक्रम। इन सभी से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर प्रदेश ने पूरे देश में अपना नाम कमाया है। मंत्रीजी के इन्हीं सराहनीय कार्यों की बदौलत आज प्रदेश में सरकारी स्कूलों में नामांकन में भारी वृद्धि हुई है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेड़ता में 4 ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है, वहां सिर्फ माध्यमिक विद्यालय हैं। इनमें एक ग्राम पंचायत मुख्यालय बडायली है। दूसरा ढ़ावा व तीसरा ग्राम पंचायत मुख्यालय कुरड़ाया व चौथा बीटन है। बीटन नई ग्राम पंचायत है। इन ग्राम पंचायतों से सैकड़ों लोगों ने मेरे सामने आकर यह मांग रखी कि इन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जाए। उपरोक्त चारों ग्राम पंचायत मुख्यालयों के माध्यमिक विद्यालय आपके विभाग की शिक्षा नीति के अनुरूप क्रमोन्नत होने की सारी शर्तें पूरी करते हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन चारों माध्यमिक विद्यालय जो बडायली, ढावा, कुरड़ाया, बीटन ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर है। इनको उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का श्रम करावें।

सादर।

सुखाराम

(मेड़ता)

सागवाड़ा में सरस पार्लर की स्थापना

महोदय,

नियम 295 के तहत आज आपने मुझे सदन में मेरी विधान सभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी अभारी हूं।

राजस्थान का अंतिम छोर गुजरात की सीमा पर डूंगरपुर जिले में हर रोज डेढ़ से दो लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है, लेकिन पशुपालकों के लिए बौनी व्यवस्थाओं के चलते दोनों जिलों में पैक्ड दूध मार्केट के 44 फीसदी हिस्से पर पड़ोसी राज्य गुजरात की निजी डेयरी का कब्जा है। सरकारी स्तर पर दुग्ध संग्रहण विपणन और दुग्ध उत्पादों की मार्केटिंग सुविधा बढ़े तो समूचे अंचल में घी-दूध की नदियां बहती नजर आएंगी।

अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं किये गये। बांसवाड़ा संघ ने डूंगरपुर में माथुगामड़ा मार्ग पर डेयरी संयंत्र स्थापित किया था। कुछ सालों तक तो इकाई अच्छी चली। मांडली क्षेत्र के पशुपालक भी डूंगरपुर केन्द्र के लिए दूध देते थे। लेकिन अपेक्षित कीमत तथा सुविधाएं नहीं मिल पाने के कारण जिले के पशुपालकों ने गुजरात की सरकारी व निजी डेयरियों की ओर अपना मानस बना लिया। इससे डूंगरपुर केन्द्र पर दूध नहीं के बराबर आने लगा। घाटे का सौदा साबित होने पर संघ ने इसे बंद कर दिया। मशीन सहित अन्य उपकरण भी हटवा लिए गए। हालांकि अभी भी लाखों की लागत के उपकरण लगे हुए हैं तथा जंग खा रहे हैं, वहीं परिसर भी खण्डहर में बदल रहा है।

पशुपालकों सहित जन प्रतिनिधियों ने डेयरी विकास को प्राथमिकता के रूप में सरकार के सामने प्रस्तुत भी किया है। इसके अलावा जिले में दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए भी काफी गुंजाइश है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले की सीमा पर सांगवाड़ा में दुग्ध उत्पाद तैयार कराकर पैकिंग सुविधा शुरू की जाए और सरस पार्लर स्थापित किए जाएं तो पशुपालन को संबल मिलेगा। हालांकि जिला मुख्यालय सहित चार जगहों पर सरस पार्लर की योजना लंबे समय से कागजों में ही है।

श्रीमती अनिता कटारा

(सागवाड़ा)

राजकीय जे.एल.एन. अस्पताल, नागौर में रिक्त पद

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला मुख्यालय नागौर में स्थित राजकीय जेएलएन अस्पताल जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। उसके बावजूद लंबे समय से उक्त अस्पताल में रिक्त पड़े पदों व संसाधनों की कमी की वजह से आमजन व मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उक्त अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सकों के सृजित पांच पदों में से चार पद रिक्त हैं। वहीं कनिष्ठ विशेषज्ञों के दस से अधिक पद रिक्त पड़े हैं। साथ ही प्रदेश के अन्य 17 जिलों में मातृ एवं शिशु विंग के लिए पद स्वीकृत कर दिए मगर नागौर जिला अस्पताल में 20 करोड़ की लागत से बने मातृ एवं शिशु विंग के लिए अभी तक पद स्वीकृत नहीं किए गए हैं। इसलिए जिला अस्पताल के स्टाफ में कमी की वजह से मरीजों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पुराने जिला अस्पताल के भवन में रखी हुई सीटी स्केन मशीन को नए भवन में शिफ्ट करने की तत्काल करने की आवश्यकता है। नवीन डिजिटल एक्स-रे मशीन उपलब्ध करवाना तथा डायलिसिस सुविधा को तत्काल रूप से चालू करना जनहित में होगा। अत: उक्त अस्पताल में समस्त रिक्त पदों को तत्काल भरने एवं संसाधनों की कमी की पूर्ति करने हेतु मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

हनुमान बेनीवाल

(खींवसर)

कतिपय ग्राम पंचायतों को भीनमाल में सम्मिलित करना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भीनमाल तहसील क्षेत्र जो कि छोटा रह गया है। इसके संबंध में कहना चाहूंगा कि मेरी तहसील भीनमाल में एसडीएम कोर्ट बना हुआ है, जिसमें पूर्व में भीनमाल, बागोड़ा, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा एवं सांचोर शामिल थी, जिसमें अब मात्र 13 पंचायत ही रह गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, निम्न ग्राम पंचायतों को तहसील भीनमाल से शामिल किये जाने से आमजन को लाभ होगा-1 कवतरा, लणावास जो वर्तमान में तहसील बागोड़ा में और बागोड़ा से दूरी 38 किमी जब कि भीनमाल 12 किमी ही है।

अतः इन दोनों पंचायतों को तहसील भीनमाल में मिलाया जावे। साथ ही जसवंतपुरा तहसील की निम्न पंचायतें जिनकी भीनमाल एवं जसवंतपुरा से पंचायतों की दूरी बताना चाहूंगा:-

धानसा से भीनमाल 25 किमी एवं जसवंतपुरा 75 किमी

सरेणा से भीनमाल 23 किमी एवं जसवंतपुरा 70 किमी

मोदरा से भीनमाल 20 किमी एवं जसवंतपुरा 68 किमी

तवाब से भीनमाल 12 किमी एवं जसवंतपुरा 60 किमी

भरुडी से भीनमाल 10 किमी एवं जसवंतपुरा 58 किमी

खानपुर से भीनमाल 4 किमी एवं जसवंतपुरा 54 किमी

गाजीपुरा से भीनमाल 3 किमी एवं जसवंतपुरा 51 किमी

बासड़ा धनजी से भीनमाल 20 किमी जसवंतपुरा 69 किमी है।

अतः सदन के माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि 11 पंचायतें जो 2 बागोड़ा व 9 जसवंतपुरा तहसील की है, को भीनमाल तहसील में शामिल किया जाये, ताकि जनहित में आमजन के कार्य हो सके।

सादर।

पूराराम चौधरी

(भीनमाल)

खेतड़ी में गांवों व ढाणियों के ऊपर से गुजरने वाली विद्युत आपूर्ति लाइनों को हटाना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के विभिन्न ग्रामों में स्थित राजकीय संस्थान जैसे- अस्पताल, स्कूल भवन, स्कूल खेल के मैदान तथा शहर वासियों की कालोनियों में विभिन्न जगह कहीं 11 केवी तथा कहीं 33 केवी की विद्युत लाईन गुजर रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पदेवा में सीनियर सैकण्डरी स्कूल के भवन, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गाडराटा में खेल का मैदान तथा काकलिया में झाकरिया मोड़ से मंशाराम मुकंदराम में घरों के ऊपर से होते हुए ढाणी बांरावाली तक जो HCL पेयजल आपूर्ति हेतु बनाये गये कुओं के लिए जाती है, जिससे कि स्थानीय कुएं पूर्ण रूप से सूख चुके हैं। इससे स्थानीय लोगों में

भय का वातावरण व्याप्त है, जिससे कि कभी भी कोई भीषण हादसा हो सकता है। ऐसी स्थिति न हो इसके लिए सरकार इस ओर शीघ्रातिशीघ्र ध्यान दें।

अत: निवेदन है उक्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हेतु सदन की कार्यवाही में से विशेष उल्लेख प्रस्ताव कर, सदन में चर्चा करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करावें।

पूरणमल सैनी

(खेतड़ी)

भीम की ग्राम पंचायत दिवेर का उप तहसील में क्रमोन्नयन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र भीम की ग्राम पंचायत दिवेर की भौगोलिक दृष्टि एवं लंबे क्षेत्रफल की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए, जो उप-खण्ड भीम से 95 किमी. परिधि में स्थित है एवं भौगोलिक दृष्टि से भी बिखरी हुई आबादी के साथ-साथ एस.सी.- एस.टी. निम्न वर्ग के लोग जो किसी रेवेन्यू कार्य या अन्य कार्य हेतु गरीब तबके के लोगों को 55 किमी. उप-खण्ड कार्यालय भीम तक आने-जाने के लिए समय एवं वित्तीय नुकसान होता है एवं एन.एच. 8 सड़क पर आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं के कारण भी असमय मौत के आगोश में चले जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत दिवेर जिसके क्षेत्र के आस-पास ग्राम पंचायतें बाघाना, बरजाल, खीमाखेड़ा, छापली, नरदास का गुड़ा, कालागुमान आदि पंचायत क्षेत्र में उप-तहसील खुलवाने का श्रम करावें, ताकि क्षेत्रवासियों को वित्त, समय एवं दुर्घटनाओं से राहत मिल सके, इसके लिए उक्त क्षेत्र वासी सदा आपके आभारी रहेंगे।

भवदीय

हरिसिंह रावत

(भीम)

केशवबाड़ी योजना के अंतर्गत ग्राम कनपुरापाडा (घाटोल) में 30 कुओं का निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन इस प्रकार है कि:-

1. जिला बांसवाड़ा के संबंधित विधान सभा क्षेत्र घाटोल में ग्राम पंचायत बड़ाना के अंतर्गत कनपुरापाड़ा में आदिवासी किसानों ने अपने खेतों के किनारे 2003 से 2008 के समय में केशवबाड़ी योजना चली थी। उस समय अपने निजी खेतों में कुएं खोद रखे हैं।
2. मगर किसानों की माली हालत कमजोर होने से खोदे गये कुएं अधूरे पड़े हैं। यानी पर्याप्त पानी नहीं आया है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि अधूरे पड़े कुओं को अभी हाल नरेगा की योजनान्तर्गत शामिल कराकर कुओं की खुदाई कराई जाकर आदिवासी किसानों के कुओं में पर्याप्त पानी निकाला जाकर किसानों को राहत दिलायी जाने की प्रार्थना है।

सादर।

नवनीत लाल नीनामा

(घाटोल)

बाड़मेर में ऊंटनी के दूध की डेयरी फेडरेशन द्वारा खरीद

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य सम्पादन सम्बन्धी नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्थान में लगातार घट रही उटों की संख्या चिंता का विषय है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1997 में राजस्थान में उंटों की संख्या 6 लाख 68 हजार, 2003 में 4 लाख 98 हजार, 2008 में इनकी संख्या 13 प्रतिशत घटकर 4 लाख 30 हजार 426 रह गई। राजस्थान में ऊंटों नस्लें 6 प्रकार की है। जैसलमेरी, मेवाड़ी, बीकानेरी, मारवाड़ी, मेवाती एवं मालवी प्रजाति के उंट पाये जाते हैं।

राजस्थान सरकार द्वारा ऊंट को राज्य पशु घोषित करने पर विशेष राहत मिली है। ऊंटनी के बच्चे के जन्म होने पर सरकार द्वारा 10 हजार रुपये की राशि अनुदान के रूप में पशुपालक को दी जाती है। इससे ऊंटों की ओर पशुपालकों का ध्यान आकर्षित हुआ है। ऊंटनी के दूध में विशेष प्रकार का प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन होने के कारण सेहत के लिए फायदेमंद है। इस दूध का सेवन करने से कई प्रकार की प्राण घातक बीमारियों का इलाज संभव है। पश्चिमी राजस्थान में रबारी समाज के लोग ही ऊंट व ऊंटनी को पालते हैं। दूध के सेवन करते हैं, इस जाति में आज भी डायबिटिज जैसी

बीमारी नहीं है। यहां तक कि सर्प दंश के समय इस दूध से मरीज को राहत मिलती है।

जिस तरह से जयपुर, भीलवाड़ा व सिरोही में ऊंदनी के दूध को जेनरिक माना है और राजस्थान कापरेटिव डेयरी फेडरेशन को इसका जिम्मा दिया गया है, वैसे ही बाड़मेर जिले में भी ऊंटनी के दूध को डेयरी कियोस्क के माध्यम से खरीदकर पशुपालकों को राहत प्रदान करनी चाहिए। ऊंटनी का दूध स्वास्थ्य वर्धक है, इसके दूध की कीमत पशुपालकों को 20 रुपये प्रति लीटर दी जाती है, जबकि दिल्ली में 300 रुपये प्रति लीटर में बेचा जाता है। इस अन्तर को समझकर पशुपालकों को उचित दाम दिलाने हेतु राज्य सरकार को प्रबन्धन करना चाहिए।

वैज्ञानिक रिसर्च करके विदेशों में बताया गया है कि ऊंटनी के दूध से ओटिज्म जैसी बीमारी का सम्भव है। वर्तमान सरकार द्वारा राज्य पशु घोषित एवं तस्करी रोकने पर काफी हद तक राहत मिली है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि ऊंटों की सुरक्षा एवं घटती संख्या पर विचार करके ऊंट को राज्य से बाहर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। राज्य पशु 2015 में घोषित किया गया, उसके बाद ऊंट की चराई व्यवस्था, नई सम्भावनाओं के अनुरूप व्यवस्थित बिक्री बाजार स्थापित किया जावे। पशुपालक ऊंटों के हितैषी एवं संरक्षक है लेकिन पिछले 4 वर्षो में इन पशुपालकों को कोई विशेष आमदनी नही हुई है, जिसके कारण ऊंटों को पालना मुश्किल हो रहा है। पशुपालकों की आमदनी बढ़े, दूध की उचित कीमत मिले, डेयरी के नये कियोस्क हर जिले पर लगें, इस प्रकार की व्यवस्था करके पशुपालकों को राहत प्रदान करने की मांग की जाती है।

धन्यवाद।

हमीरसिंह भायल

(सिवाना)